NOT TO BE ISSUED
FOR REFERENCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 7, अंक 33

बुधवार, 10 मई, 2000
20 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)





(खंड 7 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 33, बुधवार, 10 मई, 2000/20 वैशाख, 1922 (शक)

विषय	कालम
मालदीव के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 621 से 625	1–50
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 626 से 640	50–86
अतारांकित प्रश्न संख्या 6770 से 6959	87–348
सभा पटल पर रखे गए पत्र	349–353
राज्य सभा से संदेश	354, 525
संचार संबंधी स्थायी समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण–सभा पटल पर रखे गए	354–358
रक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति	
चौथा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	358
रक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति	
विवरण—सभा पटल पर रखा गया	358
नियम 377 के अधीन मामले	358–367
(एक) राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत-पाक सीमा पर लगी कंटीली बाड़ के निकट जिन किसानों की भूमि अवस्थित है उनकी समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता	
श्री निहालचन्द चौहान	358
(दो) राजस्थान के सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं को पांचवीं कक्षा तक आवासीय विद्यालय योजना का लाभ प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जसकौर मीणा	359
(तीन) उत्तर प्रदेश में धूरियापार में चीनी मिल को अर्थक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
श्री राजनारायण पासी	360
(चार) रेलगाड़ियों के गुजरने के उद्देश्य से पारसला रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर इसे ब्लाक स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री वी.एस. शिवकुमार	361

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(पांच)	अरब खाड़ी देशों में नियोजित भारतीयों की समस्या के समाधान के लिए दम्माम, सऊदी अरब में एक अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री रमेश चेन्नितला	361
(छह)	चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री पवन कुमार बंसल	362
(सात)	मैलाहन और वाराणसी के बीच बरूणानदी के तल से गाद निकालने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
	श्री धर्मराज सिंह पटेल	362
(आठ)	उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घोसी चीनी मिल और अश्वनी संयंत्र से निकलने वाले कचरे से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बालकृष्ण चौहान	363
(नौ)	मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए तमिलनाडु सरकार को एन्नोर रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे की जमीन सौंपना और स्टेंले अस्पताल के नजदीक एक सबवे के निर्माण की मंजूरी देने की आवश्यकता	
	श्री सी. कुप्पुस्वामी	363
(दस)	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म स्थल कटक में जानकीनाथ भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	364
(ग्यारह)	जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुगलमार्ग का निर्माण कार्य शुरू किये जाने और राज्य में जोजीला में एक सुरंग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अली मोहम्मद नायक	365
(बारह)	मध्य प्रदेश में विदिशा में खारी फाटक रोड रेलवे क्रासिंग पर एक निचले पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री शिवराज सिंह चौहान	366
(तेरह)	निजी क्षेत्र के बैंकों विशेष रूप से सिटी यूनियन बैंक, जिसका मुख्यालय कुम्बाकोनम, तमिलनाडु में है, में छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त विधान बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. मोहन	366
संविधान (नब्बेवां संशोधन) विधेयक		
(अनुच्छेद 16 का संशोधन)		368–425
विचार करने के लिए प्रस्ताव		368
	श्री राम जेठमलानी	368
	श्रीमती वसुन्धरा राजे	378
खण्ड 2 और 1		410
पारित करने के लिए प्रस्ताव		410

विषय	कालम
भारतीय कंपनी (विदेशी हित) और कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) निरसन विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	431–435
श्री राम जेठमलानी	431
श्री अनादि साहू	431
श्री गिरधारी लाल भर्गव	433
श्री बी.बी. रमैया	434
खण्ड 2 और 1	434
पारित करने के लिए प्रस्ताव	435–447
प्रत्यक्ष कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	435
श्री वी. धनंजय कुमार	435
श्री वरकला राधाकृष्णन	436
श्री एम.वी.बी.एस. मूर्ति	438
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	439
श्री गिरधारी लाल भार्गव	440
डा. नीतिश सेनगुप्ता	441
श्री बालकृष्ण चौहान	442
खण्ड 2, 3 और 1	446
पारित करने के लिए प्रस्ताव	447
नियम 193 के अधीन चर्चा	
इंडियन एयरलाइन्स के विमान आईसी-814 का अपहरण	447–487
श्री विलास मुत्तेमवार	447
श्री खारबेल स्वाईं	453
श्री सुरेश कुरूप	458
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	461
श्री प्रभुनाथ सिंह	469
कुंवर अखिलेश सिंह	472
श्री वैको	476
श्री एम.वी.बी.एस. मूर्ति	479
श्री राशिद अलवी	482

विषय	कालम
आधे घंटे की चर्चा	487–523
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	487
श्री सुरेश कुरूप	487
श्री किरीट सोमैया	489
श्री रमेश चेन्नितला	491
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	492
श्री एन. जनार्दन रेड्डी	493
श्री साहिब सिंह	494
श्रीमती रीना चौधरी	495
श्री प्रभुनाथ सिंह	495
श्री राशिद अलवी	496
श्री के. मलयसामी	496
श्रीमती श्यामा सिंह	497
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	497
श्री अजित कुमार पांजा	497
श्री खारबेल स्वाईं	498
श्री पी.सी. थामस	498
श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	499
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	499
श्री अली मोहम्मद नायक	499
श्री मणि शंकर अय्यर	500
प्रो. रासा सिंह रावत	500
श्री वरकला राधाकृष्णन	501
श्री लाल बिहारी तिवारी	501
श्री रामसेठ ठाकुर	502
डा. बी.बी. रमैया	502
श्री श्रीचन्द कृपलानी	503
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	504
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	504

विषय		कालम
	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	504
	श्री विनोद खन्ना	504
	श्री दिनेश चन्द्र यादव	505
	श्री राम नरेश त्रिपाठी	505
	श्री राम टहल चौधरी	506
	श्री रामपाल सिंह	506
	श्रीमती जयश्री बैनर्जी	506
	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	507
	श्री तिरुनावकरसू	507
	श्री कीर्ति झा आजाद	507
	डा. संजय पासवान	508
	श्री थावरचन्द गेहलोत	508
	श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	508
	श्री धर्मराज सिंह पटेल	508
	श्री माणिकराव होडल्या गावित	509
	श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	509
	श्री हरिभाऊ शंकर महाले	509
	श्रीमती कान्ति सिंह	509
	श्री पी.एच. पांडियन	510
	श्री अरुण शौरी	510
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
तीन मूर्ति गोल चक्कर पर प्रदर्शन		523–524
	श्री सीएच. विद्यासागर राव	523

लोक सभा

बुधवार, 10 मई, 2000/20 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मालदीव के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आरम्भ में मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी तथा सभा के माननीय सदस्यगण की ओर से मालदीव गणतंत्र की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष महामहिम श्री अब्दुल्लाह हमीद और शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं, जो हमारे सम्माननीय अतिथि हैं और भारत के दौरे पर आए हैं। शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं:

1. सुश्री अमीना मोहम्मद दीदी
2. श्री अब्दुल शकूर, एम.पी.

शिष्टमंडल मंगलवार 9 मई, 2000 को दिल्ली पहुंचा और इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से मालदीव के राष्ट्रपति, पीपुल्स मजलिस और मालदीव गणतंत्र की जनता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

लागत और समय में वृद्धि

***621. श्री +रामपाल सिंह:**
श्री सी.पी. राधाकृष्णन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध 428 परियोजनाओं में से आधी से अधिक परियोजनाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की लागत 79,547 करोड़ रु. से बढ़कर 97,314 करोड़ रु. हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पूरे तथ्य क्या हैं और लागत और समय में वृद्धि के सामान्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या इस संवृत्ति के कारणों के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है और मंत्रालय ने कोई समाधान ढूंढा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

लागत एवं समय वृद्धि वाली परियोजनाओं का विवरण

(क) जी हां, 31.3.2000 तक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रबोधन पर 452 केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं में से 205 परियोजनाएं अपनी मूल अनुसूची से पीछे चल रही हैं। मूल अनुसूची तथा लागत के संदर्भ में समय एवं लागत वृद्धि का विस्तार अनुबंध-1 में तथा संशोधित अनुसूची एवं लागत के संदर्भ में विस्तार अनुबंध-2 में दिया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं का सार अनुबंध-3 में दिया गया है।

(ख) और (ग) 205 विलंबित परियोजनाओं की लागत, 52,987 करोड़ रुपए की मूल लागत से बढ़कर 84,167 करोड़ रुपये हो गई है अर्थात् इसमें 58.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

परियोजनाएं जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रबोधन पर हैं के संबंध में मंत्रालय द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, विलंब के कई घटकों का प्रेक्षण किया गया है। इन घटकों का ब्यौरा तथा उनसे प्रभावित परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	घटक	परियोजनाओं की संख्या
1.	निधियों की कमी	55 (43 रेलवे, 8 कोयला, 1 इस्पात और 1 विद्युत)
2.	भूमि समस्या (7 वन, 47 अन्य)	55 (34 रेलवे, 17 कोयला, 3 विद्युत और 1 पेट्रोलियम)
3.	सिविल कार्यों में विलंब	48 (34 रेलवे, 3 दूरसंचार, कोयला, सूचना और प्रसारण, विद्युत, शहरी विकास शेष अन्य, प्रत्येक में 2)
4.	ठेके प्रदान करने में विलंब	43 (16 रेलवे, 12 भूतल परिवहन, 4 सूचना और प्रसारण, 3 खान, 2 दूरसंचार, परमाणु ऊर्जा, कोयला खिन्न, उर्वरक और शहरी विकास प्रत्येक में 1)
5.	धीमी प्रगति	36 (14 रेलवे, 8 भूतल परिवहन, 2 पेट्रोलियम परमाणु ऊर्जा, कोयला तथा शेष अन्य, प्रत्येक में 3)
6.	उपस्करों की आपूर्ति में विलंब (9 देशीय तथा 5 आयातित)	23 (8 रेलवे, 6 कोयला, 5 पेट्रोलियम, 2 परमाणु ऊर्जा तथा शेष अन्य में)

एक लंबी अवधि के दौरान परियोजनाओं में देखे गए समय एवं लागत वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं:

समयवृद्धि के कारण

1. सहायक आधारी संरचना सुविधाओं की कमी,
2. कार्यक्षेत्र में परिवर्तन,
3. औद्योगिक संबंधों तथा कानून एवं व्यवस्था समस्याएं,
4. फीड स्टॉक आपूर्ति में विलंब तथा अनिश्चितता,
5. कार्य आरंभ होने से पूर्व की समस्याएं,
6. तकनीकी समस्याएं, तथा
7. नाभिकीय आकस्मिकताएं।

लागत वृद्धि के कारण

1. विदेशी विनिमय तथा सांविधिक शुल्कों की दरों में परिवर्तन,
2. पर्यावरणीय सुरक्षा तथा पुनर्वास उपायों की अधिक लागत,
3. भूमि अधिग्रहण की अधिक लागत,
4. परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन,
5. कुछ क्षेत्रों में बोली लगाने वालों द्वारा अधिक मूल्य लगाना,
6. मूल लागत का कम अनुमान, तथा
7. सामान्य मूल्य वृद्धि।

(घ) से (च) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, प्रत्येक तिमाही में विलंब एवं लागत वृद्धि के कारणों का अध्ययन करता है। परियोजनाओं में समय एवं लागत वृद्धि में कमी लाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल के अनुमोदन से 50 करोड़ रुपये एवं अधिक लागत वाली आधारी संरचना परियोजनाओं के लिए प्रत्येक मंत्रालय में स्थायी समिति तंत्र शुरू किया गया है, जिसने समय एवं लागत वृद्धि की सूचना दी है। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित मंत्रालय/विभाग के अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव होते हैं तथा इसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। स्थायी समिति को समय एवं लागत वृद्धि का ब्यौरा जानने, संबंधित जिम्मेदार क्षेत्र अभिज्ञापित करने तथा उसकी उपचारी कार्रवाई के सुझाव देने के अधिदेश प्राप्त हैं। स्थायी समिति की रिपोर्ट, समय एवं लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमान का एक हिस्सा होती है, जिसे संशोधित लागत अनुमान टिप्पणों के साथ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। अब तक, 22 मंत्रालयों ने इन समितियों का गठन किया है तथा लगभग 40 मामले उन्हें प्रेषित किए गए हैं।

परियोजनाएं कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करती हैं। त्वरित तथा दक्ष कार्यान्वयन के लिए किए गए निश्चित उपाय परियोजनाओं के सामने आ रही समस्याओं की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सामान्य तौर पर किये जा रहे महत्वपूर्ण

उपाय निम्नलिखित हैं:

* विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं का गहन प्रबोधन। अवरोधों को अभिज्ञात करने में ये प्रबोधन अधिकरणों को समर्थ बनाते हैं तथा प्रबंधकों को उपचारात्मक उपाय करने में सहायता प्रदान करते हैं।

* परियोजना प्राधिकरणों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन आलोचनात्मक समीक्षा।

* संविदा पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कार्य दल/ अधिकृत समितियों का गठन।

* विलंब को कम करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों एवं परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकर्त्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।

* अंतर मंत्रालयी समन्वय तथा अन्योन्यक्रिया।

* यथार्थवादी परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं को तैयार करने पर जोर।

* सचिवों की समिति द्वारा, अवरोधों का सामना कर रही विशिष्ट परियोजनाओं की समीक्षा।

* अनुमोदित लागत एवं अनुसूची के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, परियोजनाओं को निधियों का प्रावधान।

अनुबंध एक

मूल अनुसूची के संबंध में परियोजनाओं में समय/लागत वृद्धि की स्थिति

31.3.2000 तक

क्र.सं.	सेक्टर	परियोजना की संख्या	कुल लागत (रु. करोड़ में) मूल	प्रत्याशित लागत	लागत वृद्धि (%)	लागत वृद्धि वाली परियोजना सं.	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	प्रतिशत वृद्धि आधार	लागत वृद्धि वाली परियोजनाएं सं.	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	रेंज (सं.)
1.	परमाणु ऊर्जा	11	5703.4	15003.2	163.1	4	4921.3	14410.0	192.8	6	2092.8	5890.7	33- 76
2.	नागर विमानन	15	492.2	535.8	8.8	5	160.5	204.1	27.1	8	238.6	270.6	2- 57
3.	कोयला	65	12161.8	13717.5	12.8	16	4995.5	6798.3	36.1	36	8203.0	9772.4	2-189
4.	वित्त	1	118.3	348.8	194.9	1	118.3	348.8	194.9	1	118.3	348.8	96- 96
5.	उर्वरक	6	739.0	749.5	1.4	1	28.0	38.5	37.5	0	0.0	0.0	0- 0
6.	सूचना एवं प्रसारण	5	202.5	249.9	23.4	1	34.2	81.6	138.9	5	202.5	249.9	24-132
7.	खान	5	4033.4	4039.8	0.2	1	157.5	163.8	4.0	1	157.5	163.8	8- 8
8.	इस्पात	11	3177.8	4275.7	34.5	5	2827.7	3925.5	38.8	8	2988.0	4085.9	2- 35
9.	पेट्रोरसायन	1	3484.4	3809.0	9.3	1	3484.4	3809.0	9.3	1	3484.4	3809.0	40- 40
10.	पेट्रोल	39	26879.3	27432.9	2.1	5	3009.7	3767.5	25.2	13	11377.2	12077.8	3- 58
11.	विद्युत	29	27554.0	45800.3	66.2	17	18797.4	37292.1	98.4	15	9079.7	24552.1	22-136
12.	रेलवे	192	26508.0	36358.7	37.2	125	15971.1	26001.5	62.8	62	9689.7	15380.7	2-132
13.	भूतल परिवहन	55	5460.7	7807.3	43.0	26	3420.0	5859.4	71.3	36	4138.1	6225.5	1-132
14.	दूरसंचार	8	936.1	936.1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	8	936.1	936.1	1- 48
15.	अन्य	9	5220.2	5726.0	9.7	6	5072.0	5578.4	10.0	5	281.4	403.6	29- 53
	कुल	452	122671.0	166790.6	36.0	214	62997.6	108278.6	71.9	205	52967.2	84167.0	

अनुबंध दो

31.3.2000 तक अद्यतन अनुसूची के संदर्भ में परियोजनाओं में समय/लागत वृद्धि विस्तार

क्र.सं.	सेक्टर	परियोजना की संख्या	कुल लागत (रु. करोड़ में) अद्यतन अनुमोदित	प्रत्याशित लागत	लागत वृद्धि (%)	लागत वृद्धि वाली परियोजना सं.	अद्यतन अनुमोदित	प्रत्याशित लागत	प्रतिशत वृद्धि आधारित	लागत वृद्धि वाली परियोजना सं.	अद्यतन अनुमोदित	प्रत्याशित लागत	रेंज (माह)
1.	परमाणु ऊर्जा	11	11432.9	15003.2	31.2	4	10835.0	14410.0	33.0	6	4848.4	5890.7	22- 55
2.	नागर विमानन	15	514.5	535.8	4.1	2	110.3	131.6	19.3	8	260.8	270.6	2- 57
3.	कोयला	65	12716.1	13717.5	7.9	12	4828.9	6077.3	25.9	36	8757.3	9772.4	2-120
4.	वित्त	1	348.8	348.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	348.8	348.8	40- 40
5.	उर्वरक	6	739.0	749.5	1.4	1	28.0	38.5	37.5	0	0.0	0.0	0- 0
6.	सूचना एवं प्रसारण	5	249.9	249.9	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	249.9	249.9	24- 41
7.	खान	5	4033.4	4039.8	0.2	1	157.5	163.8	4.0	1	157.5	163.8	8- 8
8.	इस्पात	11	3519.8	4275.7	21.5	5	3169.6	3925.5	23.8	8	3330.0	4085.9	2- 35
9.	पेट्रोरसायन	1	3484.4	3809.0	9.3	1	3484.4	3809.0	9.3	1	3484.4	3809.0	40- 40
10.	पेट्रोल	39	26906.1	27432.9	2.0	3	2135.7	2851.5	33.5	13	11362.0	12077.8	3- 58
11.	विद्युत	29	38365.0	45800.3	19.4	15	18382.4	26066.1	41.8	15	19042.5	24552.1	12- 77
12.	रेलवे	192	29380.9	36358.7	23.7	116	16522.9	23721.1	43.6	60	11652.9	15042.4	2-132
13.	भूतल परिवहन	55	6066.6	7807.3	28.3	24	3706.1	5522.5	48.9	36	4564.3	6225.5	1-120
14.	दूरसंचार	8	936.1	936.1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	6	868.5	868.5	3- 48
15.	अन्य	9	5262.2	5726.0	8.8	5	5051.3	5515.7	9.2	5	290.2	403.6	29- 53
	कुल	452	143975.7	166790.6	15.8	189	68414.0	92232.6	34.8	201	69217.6	83761.0	

अनुबंध तीन

31.3.2000 तक विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का सार 31.3.2000 तक

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	परि.की संख्या	कुल लागत (रु. करोड़ में) मूल	अद्यतन अनुमोदित	अब प्रत्याशित	व्यय 1999-2000 वित्तीय वर्ष के अंत तक (रु. करोड़ में)	का ग्राफ (रु. करोड़ में)	तिमाही के अंत तक संचयी व्यय (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	36	7505.60	7924.52	8110.89	1810.38	1189.95	2531.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	466.78	831.74	1635.63	797.64	163.00	962.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	14	6552.86	6731.59	7971.65	3422.63	557.86	4046.94
4.	बिहार	34	7043.29	8057.71	10016.05	3397.95	803.39	3903.57
5.	गोवा	5	406.00	406.00	410.55	5.11	19.50	15.54
6.	गुजरात	18	10573.43	10628.92	11290.16	4543.55	639.21	5194.66
7.	हरियाणा	6	9014.54	9135.05	9160.94	640.49	376.29	947.20
8.	हिमाचल प्रदेश	2	3362.04	9350.33	9350.33	3817.71	1115.33	4774.17
9.	जम्मू और कश्मीर	5	2891.57	6625.63	7415.94	2810.34	445.78	3183.81
10.	कर्नाटक	13	2004.18	3550.41	5152.17	2558.98	384.82	2819.09
11.	केरल	7	1144.61	1144.61	1226.24	632.02	351.68	979.47
12.	मध्य प्रदेश	37	8741.89	8907.21	9083.65	3750.05	1407.20	4902.47
13.	महाराष्ट्र	55	9643.18	12708.91	16314.73	3250.21	1467.94	4318.85
14.	मणिपुर	1	578.62	578.62	578.62	4.37	5.00	6.59
15.	मिजोरम	1	368.72	368.72	368.72	5.47	59.00	9.95
16.	नागालैंड	1	96.31	331.59	758.70	522.69	110.00	654.22
17.	उड़ीसा	26	12937.49	13125.64	14635.35	1351.66	1441.02	2581.43
18.	पंजाब	5	496.68	748.00	837.47	544.76	84.28	606.65
19.	राजस्थान	7	1484.12	2879.56	3553.92	2007.68	328.69	2253.43
20.	तमिलनाडु	32	8081.62	8378.67	9351.46	2703.09	1629.81	3866.02
21.	त्रिपुरा	2	594.32	594.32	869.21	37.84	43.15	58.68
22.	उत्तर प्रदेश	25	5044.03	5332.21	8635.12	2455.31	974.65	3108.64
23.	पश्चिम बंगाल	34	3266.87	3829.50	4541.94	1596.59	431.53	1893.68
24.	अंडमान व निकोबार	1	47.63	47.63	47.63	25.80	9.50	33.20
25.	दिल्ली	13	5393.15	5449.39	5884.44	609.90	482.54	837.73
26.	बहुराज्य	70	14929.50	16309.24	19589.10	5597.96	2723.71	7745.27
	अखिल भारत	452	122671.03	143975.72	166790.61	48900.18	17244.83	62235.21

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो परियोजनाएं विलम्ब से चल रही हैं, उनके विलम्ब के जो कारण बताये गये हैं, क्या वे कारण पहले से ज्ञात नहीं थे? इनमें जो कास्ट बढ़ गई हैं, वह बहुत सी परियोजनाओं में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके जो कारण बताये गये हैं, वे ऐसे नहीं हैं कि जब परियोजनाएं शुरू की गई थीं तो उनका

ज्ञान न हो, क्योंकि परियोजनाओं के लिए जमीन की प्राप्ति में, भूमि के अर्जन में हमेशा समय लगता है। यह कोई नई बात नहीं है कि इन्हीं परियोजनाओं में देरी लगी है। इसलिए माननीय मंत्री जी बतायें कि जैसा इनके बारे में उन्होंने बताया है कि कुछ समितियां गठित की गई हैं, उन समितियों की क्या रिपोर्ट आई और इस समय इन परियोजनाओं की क्या स्थिति है?

श्री अरुण शौरी: यह ठीक बात है कि इसके जो फैक्टर्स हैं, कई साल से, कई डिकेड्स से वही फैक्टर्स चल रहे हैं और उसमें तीन प्रिंसिपल कारण हैं। एक कारण तो लैंड एक्वीजीशन और रिहैबिलिटेशन पोलिसीज में डिले होना है। कुल 205 प्रोजैक्ट्स ऐसे हैं, जो डिलेड हैं और उनमें से तकरीबन 55 प्रोजैक्ट्स में लैंड एक्वीजीशन में डीले ही कारण है।

[अनुवाद]

भूमि अधिग्रहण के मामले में जो विलम्ब हो रहा है, उससे अनेक परियोजनाएँ प्रभावित हुई हैं। इस उद्देश्य से सबसे पहले सरकार के समक्ष वर्ष 1994 से भूमि अधिग्रहण कानून पुनरीक्षा के लिए रखा हुआ है। अब इन सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों का एक दल गठित किया गया है। इसकी अध्यक्षता योजना आयोग के उप सभापति कर रहे हैं।

राज्यों के साथ समन्वय के लिए इस कानून में परिवर्तन करना होगा। यह प्रथम मुद्दा है। दूसरा, वन्य भूमि के अधिग्रहण में भी यही समस्या सामने आती है। लगभग 55-56 परियोजनाओं के संबंध में जो बात सामने आयी है, वह यह है कि परियोजनाएं पिछले दशक में आरम्भ हो गई थी जबकि उनके लिए वास्तव में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं थी। अत: नाममात्र के लिए आवंटन कर दिया गया था और जब उन परियोजनाओं को पूरा करने की कोशिश की गई तो धनराशि की कमी थी।

दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है—उसके बारे में सभी जानते हैं कि इनका क्या हुआ था और इसके संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। दो कदम उठाए गए हैं। प्रथम है कि उन परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाए जिन्हें तत्काल पूरा किया जा सकता है और महोदय, मुझे सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि काफी प्रगति हुई है। नौवें दशक के उत्तरार्द्ध तक, इन परियोजनाओं की लागत में लगभग 62 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई थी। अब हमारी निगरानी में 450 परियोजनाओं की लागत वृद्धि का प्रतिशत कम होकर 36 प्रतिशत हो गया है, मैं यह बात बिना वजह नहीं कह रहा हूँ। पिछले वर्ष, एक तिहाई परियोजनाएँ जो कि 31 मार्च को पूरी होनी थीं, 31 मार्च तक पूरी कर दी गयी। इस वर्ष लगभग 80 प्रतिशत परियोजनाएँ, जिनको मार्च, 2000 को पूरा किया जाना था को पूरा किया गया है। अत:, काफी सुधार हुआ है और मैं सच्चे दिल से सभा को यह सूचित कर सकता हूँ कि वह केवल इशारों पर चलने वाली समितियाँ नहीं हैं जो कि रिपोर्टें तैयार करने के लिए बनाई जाती है, यह दल, वास्तव में परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों से समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडलीय सचिव और सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में बनाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह: अध्यक्ष जी, जो 223 परियोजनाएँ वर्तमान में चल रही हैं, जिनमें कोई विलम्ब नहीं है, उनकी अब क्या स्थिति है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री अरुण शौरी: 452 परियोजनाएं मानिटर पर हैं, जो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की हैं। उनमें से दस एहड आफ शिड्यूल चल रही हैं और 131 आन शिड्यूल चल रही हैं।

श्री शिवराज वि. पाटिल: जो जवाब यहां दिया गया है, उसके लिए इसी सरकार को जिम्मेदार ठहराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मगर यहां की जो गवर्नेंस है, उसकी वजह से डिले हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हमें बताया जा रहा है कि लैंड एक्वीजिशन एक्ट में कुछ तब्दीली करनी है और वह न होने के कारण ऐसा हो रहा है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि एक्वीस्टिंग लैंड एक्वीजिशन एक्ट में एक अर्जेंसी क्लाज है, जिसका इस्तेमाल करके तुरंत जमीन एक्वायर की जा सकती है। जो कॉस्ट ओवर-रन और टाइम ओवर-रन हो रहा है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ रहा है, आज के आंकड़ों के हिसाब से 18,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट ओवर-रन है। अगर नई मशीनें हम इस्तेमाल में लाएं, नए तरीके मानिटरिंग और सुपरविजन के इस्तेमाल में लाएं, हमने जो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव दिया, वक्त पर डिसीजन ले लें, इस काम में प्रांतीय सरकारों का भी सहयोग प्राप्त कर लें, तो यह सब हो सकता है। क्यों न हम कुछ अपनी ह्यूमन इनजैन्यूटी जो है, रीजन देने के बजाय, उसका इस्तेमाल करके कॉस्ट ओवर-रन और टाइम ओवर-रन को कम करने की कोशिश करें, उसको ज्यादा एफिशेंट बनाकर, क्योंकि हर आने वाली सरकार का ज्यादा एफिशेंट होना

जरूरी है, नहीं तो वह बोलेगी कि पहले की सरकार ने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने की कोशिश करें। इसके बारे में सरकार का क्या इरादा है।

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी: मैं माननीय सदस्य के रचनात्मक दृष्टिकोण से पूर्णत: सहमत हूँ। यह किसी विशेष सरकार की गलती नहीं है। यह भारत के सभी क्षेत्रों में कमजोर शासन का मामला है जिसमें परियोजना का कार्यान्वयन भी शामिल है। अत: हमारे परियोजना कार्यान्वयन और सरकारी सेवा के समूचे तंत्र में भी बेहतर प्रबंधन कौशल और निवेश की आवश्यकता है। लेकिन क्या मैं एक छोटी सी बात कहूँ। हमें प्रबंधकों की तरह समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना है। आप जानते हैं, कि हम लागत के बढ़ जाने की बात करते हैं और 17,000 करोड़ रु. एक बहुत बड़ी रकम है। जब हम समस्या को सुलझाने के विचार से इसका विश्लेषण करते हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक परियोजना.....

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: शौरी साहब, हिन्दी बोलिए।

श्री अरूण शौरी: कोई कहते हैं कि अंग्रेजी बोलिए और कोई कहते हैं कि हिन्दी बोलिए। मैं दोनों को मिलाकर बोलता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आंसर दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अनुवाद भी हो रहा है।

श्री अरूण शौरी: 17,000 करोड़ रु. की कुल बढ़ी हुई लागत केवल एक ही परियोजना की लागत में 20 प्रतिशत की वृद्धि है। यह केवल एक ही परियोजना का ब्यौरा है। यदि आप दो सबसे बड़ी परियोजनाओं नाथपा झाकरी और दुलहस्ती के आंकड़ों को देखें तो इनकी लागत में कुल लागत का 30 प्रतिशत व्यय अधिक हुआ है हमें जिसका वहन करना पड़ा। मैं आपको बताऊँगा कि पहली पाँच परियोजनाओं में कुल लागत का आधे से अधिक खर्च हुआ है। एक सुझाव यह है कि हमें इन 5 से 28 परियोजनाओं पर प्रबंधकों की तरह ध्यान देना चाहिए। केवल 28 परियोजनाओं में लागत का 85 प्रतिशत अधिक खर्च हुआ है। एक बार हम इन पर ध्यान केन्द्रित करें तो हम वास्तविक समस्या से निपट सकते हैं। इसी प्रकार लगभग 20 परियोजनाएँ ऐसी हैं। मुख्य रूप से जिन पर निर्धारित से अधिक समय लगा है। यदि हम उन 20 परियोजनाओं पर ध्यान दे सकें तो हम निश्चय ही इन कठिनाईयों को दूर कर सकते हैं। मंत्रिमंडलीय सचिव, सचिव (समन्वय) तथा अन्य लोग इस समय यही कर रहे हैं।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से निम्न प्रश्न पूछ सकता हूँ:

(क) इनमें से कितनी केन्द्रीय परियोजनाएँ प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि से लंबित हैं?

(ख) इनमें से कितनी केन्द्रीय परियोजनाएं देश के मूलभूत ढांचे से संबंधित हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में रुकावटें उत्पन्न कर रही हैं?

श्री अरूण शौरी: महोदय, इस विशेष प्रश्न के उत्तर के संबंध में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि से कितनी परियोजनाएं लम्बित हैं, मैं सूचना प्राप्त करूँगा और माननीय सदस्य को दे दूँगा।

श्री आदि शंकर: महोदय, रा.ज.ग. सरकार और माननीय प्रधानमंत्री ने अनेक बार यह दोहराया है कि वह मूलभूत ढांचे से संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करने को प्राथमिकता देंगे। मुझे दिए गए उत्तर से मैं हैरान हूँ कि 323 से अधिक परियोजनाएँ ऐसी हैं जिनमें समय या लागत निर्धारित से अधिक लग रही है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि सरकार का इन परियोजनाओं को अविलम्ब पूरा करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है।

श्री अरुण शौरी: महोदय, जैसा कि उत्तर में दिया गया है, समूची प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए जा चुके हैं। मैं कुछ अन्य कदमों का भी उल्लेख करूँगा जिन पर हम विचार कर रहे हैं। इनमें सर्वप्रथम यह है कि हमें परियोजना लागत का अनुमान लगाते समय अधिक यथार्थवादी होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि अनेक परियोजनाओं को प्रस्तुत किये जाने पर न्यूनतम लागत अनुमानों पर ही मंजूरी दे दी जाती है और फिर धीरे धीरे समय-समय पर यह अनुमान बढ़ते जाते हैं। यह पिछले 25 वर्ष से चली आ रही एक स्थानीय समस्या है।

दूसरा, हमें बेहतर परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के संबंध में है। तीसरा जैसा कि मैंने कहा है हमें नयी परियोजनाओं को मंजूरी देने की बजाय चालू परियोजनाओं को पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। चौथा, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अनेक परियोजनाएँ हैं जिसमें से 31 परियोजनाएँ निर्धारित कार्यक्रम से आगे चल रही हैं। बाम्बे-पुणे हाई-वे परियोजना की तरह अनेक परियोजनाएँ ऐसी हैं जिन्हें अनुकरणीय ढंग से पूरा

किया गया है। हमें उन पद्धतियों का अध्ययन करना चाहिए जिनके द्वारा इन उपलब्धियों को सम्भव बनाया गया था और हमें उन्हें अन्य परियोजनाओं में दोहराना चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को बदलना है। इस समय इसकी जाँच की जा रही है। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है संविदा दस्तावेजों का मानकीकरण किया जाए।

हमने निर्माण उद्योग विकास परिषद् द्वारा पहले से ही मानकीकृत संविदा दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। हम आशा करते हैं कि अन्य मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को भी इन संविदाओं का मानकीकरण करने के कार्य में लगायेंगे क्योंकि निविदाओं और संविदाओं में काफी विवाद उठते हैं और काफी विलम्ब होता है।

अन्त में, एक विवाद समाधान तंत्र है जिसके संबंध में हमें शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

महोदय, मूलभूत ढांचे संबंधी परियोजनाओं के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। मूलभूत ढांचे संबंधी परियोजनाओं के लिए दिए गये ठेकों के संबंध में निर्माण उद्योग में लगभग 53,000 करोड़ रु. विवाद ग्रस्त हैं। यदि आप उन विवादों को तत्काल निपटा दें और वह धनराशि जारी कर दें तो आपके पास निश्चय ही देश के मूलभूत ढांचे के विकास के लिए काफी धनराशि मिल जाएगी। इस तरह के अनेक कदम उठाये गये हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: जैसा मंत्री जी ने कहा है कि योजनाओं के विलम्ब में, कई बार सिस्टम का भी दोष होता है, चूंकि मैं स्वयं भी केन्द्र में दो वर्ष तक मंत्री रही हूं, इसलिए मुझे स्वयं इसका अनुभव है कि कई बार एक छोटा सा विलम्ब करोड़ों रुपये की हानि कर सकता है। मैंने कई बार देखा कि कोई चीज ऐसी होती है कि जो टेलीफोन पर बोलने से हो जाएगी लेकिन कुछ मामलों में पत्र गया है, आ रहा है, जवाब आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन योजनाओं के विलम्ब के कारण देश को जो करोड़ों और अरबों रुपये की हानि होती है, उसके बदले में मुआवजा और भरपाई बहुत गरीब लोगों को चुकानी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में ही साठ करोड़ रुपये बचाने के लिए 90 हजार लोगों को बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिया गया और इसी कारण दस लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मैं उसी कारण से अब भी हंगर स्ट्राइक पर हूं। *...(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजनाएं आपके विभाग में अभी तक लम्बित हैं और उनके विलम्ब के क्या कारण हैं? मध्य प्रदेश में परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उनमें विलम्ब के क्या कारण हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब, मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री अरूण शौरी: महोदय, मैं मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के संबंध में सूचना प्राप्त करूँगा और माननीय सदस्य को दे दूँगा।

महोदय, पहले जो प्रश्न पूछा गया था वह यह था कि क्या पहली पंचवर्षीय योजना के समय से कोई परियोजना लम्बित पड़ी है। मैं उस संबंध में जांच करूँगा और आपको बताऊँगा। महानियंत्रक तथा लेखा-परीक्षक ने बताया है कि कुछ परियोजनाओं को लम्बित रखा गया है जबकि वे पूरी हो चुकी हैं, उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है ताकि योजनागत व्यय को गैर योजना-गत अदायगियाँ करने के लिए उपयोग में लाया जा सके।

कुमारी उमा भारती: क्या यह मध्य प्रदेश के संबंध में है?

श्री अरुण शौरी: यह मध्य प्रदेश के बारे में नहीं है। मैं सामान्य बात कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: शौरी जी, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, हम जान गये हैं लेकिन जब जवाब हिन्दी में पूछा है तो हिन्दी में बोलिए। *...(व्यवधान)* बातें करते हैं स्वदेशी की और विदेशी भाषा का समर्थन करते हैं। *...(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती: मुलायम सिंह जी, मैं आपका समर्थन करती हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह, सभा में हिन्दी व्याख्या की भी व्यवस्था है। अत: आप हिन्दी व्याख्या के लिए अपना ईयरफोन इस्तेमाल कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए। इस प्रश्न में पहले ही 20 मिनट का समय लग चुका है।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं अभी इसे समाप्त करता हूँ। जैसा मैंने उल्लेख किया है, कुछ परियोजनाओं को जानबूझ कर अपूर्ण रखा जाता है ताकि योजनागत व्यय तनख्वाह और वेतन पर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खर्च किया जा सके। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक इन परियोजनाओं की जांच कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब, प्रश्न संख्या 622-डा. संजय पासवान।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: महोदय, प्रश्न संख्या 621 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझिए। हमने पहले ही इस पर 20 मिनट खर्च कर दिए हैं। आप एक प्रश्न पर कितना समय लेना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियों की प्रक्रिया

***622. डा.+ संजय पासवान:**
श्री कमल नाथ:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी.ई.एस.बी.) के संघटन को सुचारू बनाकर सरकारी उपक्रमों में उच्च स्तरीय नियुक्तियों के नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कौन-कौन से मुख्य संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकारी उद्यमों में अधिकारियों के चयन की शक्तियां बोर्ड से वापस ले लिए जाने के बाद इस बोर्ड का दरजा क्या होगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) इस बारे में विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (घ) सरकार ने लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के गठन के बारे में जारी अपने दिनांक मार्च 3, 1987 के संकल्प सं. 27(21)ई.ओ./86/(ए.सी.सी.) के प्रावधानों में से कुछ प्रावधानों में कुछ संशोधन/परिवर्धन किए हैं। उक्त संशोधन दिनांक अप्रैल 20, 2000 के, भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। उपर्युक्त संकल्प में किए गए परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(1) उपर्युक्त संकल्प के अनुसार, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम के कोई विख्यात पूर्व मुख्य कार्यपालक होने अपेक्षित थे। इससे, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम के किसी सेवारत मुख्य कार्यपालक अथवा गैर सरकारी (निजी) क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र के किसी उद्यम के किसी सेवारत अथवा पूर्व मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति करने पर विचार किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। विचारण का दायरा बढ़ाकर व्यापक बनाने और सार्वजनिक क्षेत्र अथवा गैर सरकारी (निजी) क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र के किसी उद्यम के किसी सेवारत अथवा पूर्व मुख्य कार्यपालक की लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु उसकी पात्रता पर विचार करने की दृष्टि से, उपर्युक्त संकल्प में एक संशोधन किया गया है।

(2) उपर्युक्त संकल्प में, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के एक सदस्य के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रबंधन अथवा वित्त, उद्योग अथवा आर्थिक कार्यों से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव रखने वाले किसी विख्यात पूर्व सिविल कर्मचारी की नियुक्ति का प्रावधान था। संदर्भाधीन संकल्प में, किसी सेवारत सिविल कर्मचारी को लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड का सदस्य नियुक्त करने के बारे में विचार किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अत: सरकार को, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के सदस्य के रूप में किसी सेवारत सिविल कर्मचारी को भी नियुक्त करने के बारे में विचार करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से उपर्युक्त संकल्प में एक संशोधन किया गया है।

(3) उपर्युक्त संकल्प में एक अन्य संशोधन इस आशय का प्रावधान समाविष्ट करने की दृष्टि से किया गया है कि लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड में अपनी नियुक्ति की तारीख को, केन्द्रीय अथवा किसी राज्य-सरकार की सेवा में रहे लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड में अध्यक्ष अथवा सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से, ऐसी सेवा से निवृत्त हुए समझ लिए जाएंगे।

(4) उपर्युक्त संकल्प में यह प्रावधान था कि "विशेष मामलों में भर्ती, केन्द्रीय सरकार की संगठित सेवाओं से की जा सकती है। ऐसे मामले वे हो सकते हैं जिनमें विशेष परिस्थितियों के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम में किसी संगठित सेवा के सदस्य को तैनात किया जाना आवश्यक हो अथवा जहां उद्यम की प्रकृति के कारण अथवा उसकी हालत खस्ता होने के कारण, कार्यकाल विशेष के आधार पर श्रेष्ठ व्यावसायिक प्रबंधकों को आकृष्ट कर पाना कठिन हो।"

फिर भी, उपर्युक्त स्थिति के बारे में, संदर्भाधीन संकल्प में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित नहीं किए गए थे। अत: इस बारे में उपर्युक्त संकल्प में निम्नानुसार एक प्रावधान जोड़ दिया गया है:

"विशेष परिस्थितियों में, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम में किसी पद विशेष/किन्हीं विशेष पदों पर नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति के पूर्व और अनुमोदन विशेष से, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के जरिए किये जाने के स्थान पर अन्यथा की जा सकती है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति ऐसा अनुमोदन प्रदान करते समय, उस पद विशेष/उन विशेष पदों को भरने हेतु अपनाई जाने वाली चयन-प्रक्रिया के साथ-साथ, उस पद-विशेष/उन विशेष पदों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार/उम्मीदवारों का चयन करने के लिए छान-बीन समिति, चयन-समिति अथवा सिविल सेवा-बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, जैसे निकाय भी विनिर्दिष्ट करेगी।"

(5) सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों और क्षमता के लिहाज से रुग्ण उपक्रमों में बोर्ड के स्तर के पदों पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने की दृष्टि से, तत्काल संविलयन के आधार पर, उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति से निबटने के क्रम में तत्काल संविलयन से संबंधित नियम के पालन पर जोर दिए बिना ही, सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों और क्षमता के लिहाज से रुग्ण उपक्रमों में अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक के पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं अथवा समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करने में समर्थ होने की दृष्टि से सरकार ने जून 19, 1998 को अनुदेश जारी किए थे। लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के गठन के बारे में जारी संकल्प में उपर्युक्त बात अब निम्नानुसार शामिल कर ली गई है:

"सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों और क्षमता के लिहाज से रुग्ण उपक्रमों के संबंध में, संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक सचिव, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के परामर्श से और मंत्रिमंडल-सचिव के अनुमोदन से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया के किसी भी चरण में, तत्काल संविलयन से संबंधित नियम के पालन पर जोर दिए बिना ही, किसी भी अखिल भारतीय सेवा अथवा समूह "क" केन्द्रीय सेवा से किसी भी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय ले सकते हैं।"

उपर्युक्त संशोधनों से लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के मौजूदा अधिकारों में से किसी भी अधिकार को वापस नहीं लिया गया है। इस समय, किसी भी अन्य संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डा. संजय पासवान: अध्यक्ष महोदय, वैश्वीकरण, उदारीकरण और ज्ञान आधारित समाज के परिप्रेक्ष्य में, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधान मंत्री का कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में लोगों की नियुक्ति और उनकी व्यावसायिकता के बारे में चिंतित है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस ज्ञान आधारित समाज में नौकरशाहों से मुक्ति के लिए और लोक-उद्यम-चयन बोर्ड को कारगर बनाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस भर्ती निकाय को व्यावसायिक बनाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्रीमती वसुंधरा राजे: महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूँ कि इस 3 मार्च, 1987, के संकल्प के प्रावधानों में हाल ही में पूरे पांच संशोधनों को जोड़ा गया है, जिसके आधार पर लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इन संशोधनों को 20 अप्रैल 2000 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।

प्रथम संशोधन मानदण्ड से संबंधित है, जिसकी हम बातें कर रहे हैं। प्रथम संशोधन लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता श्रेणी के विस्तार से संबधित है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम के किसी सेवारत मुख्य कार्यकारी अधिकारी या निजी क्षेत्र के या संयुक्त क्षेत्र के उद्यम में पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मिलित किया जाएगा। पहले, सदस्य केवल पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही होता था और इसलिए

मुझे लगता है कि माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि यह संशोधन विचारण के दायरों को बढ़ाता है और लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के गठन को मजबूती प्रदान करता है।

द्वितीय संशोधन संभावनाओं को बढ़ाता है, पहले इसमें पूर्व सिविल कर्मचारी जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वित्त, उद्योग अथवा आर्थिक कार्य से संबंधित क्षेत्रों में प्रबंधन कार्य का अनुभव हो नियुक्त किया जाता था अब इसमें वह सिविल सेवा के अधिकारी जो सेवारत हो को भी नियुक्त किया जाएगा।' पुनः, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के उद्देश्य को कम नहीं किया जाएगा।

फिर, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी सेवारत सिविल कर्मचारी को उसके सरकार में बने रहने से उसकी कर्त्तव्यनिष्ठा को विभक्त करने से बचाने के लिए, एक तीसरा संशोधन लागू किया गया है कि सिविल कर्मचारी को अपने वर्तमान पद से उस तिथि से सेवानिवृत्त माना जाएगा जिस तिथि को वह लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं।

अन्य संशोधन जो 19 जून, 1998 में लाया गया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण और क्षमता के लिहाज से रुग्ण उपक्रमों में जहां लोग नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं पर विचार किया जाएगा। इन सब मामलों पर आपवादिक मामले के रूप में विचार किया जाता है। विभाग के प्रशासकीय सचिव, मंत्रिमंडल सचिव के अनुमोदन से किसी भी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेने का निर्णय लेते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज, मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिक समय ले रहे हैं।

श्रीमती वसुंधरा राजे: यह बड़ा प्रश्न है। कई मुद्दे हैं जिनके बारे में वे जानकारी चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, वे मंत्री काफी सुविज्ञ हैं।

श्री प्रकाश परांजपे: विपक्षी दलों से मंत्रियों को अच्छा समर्थन मिल रहा है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती वसुंधरा राजे: यह ऐसा प्रश्न है जिसका दायरा बहुत व्यापक है। मुझे लगता है, यह उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वे जाने कि वास्तव में यह सब क्या है। अन्यथा, प्रश्न उठते हैं और समाचार पत्र में जो लेख छपते हैं, उसमें हाथ में जो विषय होता है वह कम समझ में आता है।

जहाँ तक माननीय मंत्री के प्रश्न का संबंध है, मैं यही कहना चाहूंगी कि वर्तमान प्रावधान के अनुसार, हमारे पास अभी लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के तीन पूर्वकालिक सदस्य हैं। वे या तो कार्यपालक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के पूर्व मुख्य कार्यपालक हो या सम्माननीय सदस्य हो, जिसे वित्त और उद्योग के बारे में पूर्ण जानकारी हो या वह उत्कृष्ट पूर्व सिविल कर्मचारी हो जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के प्रबंधन में अनुभव प्राप्त हो। इसलिए, इस प्रणाली में कई सुरक्षात्मक उपाय बनाये गये हैं। इन परिस्थितियों में, मुझे लगता है लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड, जैसा कि आज उसका गठन है, वैश्वीकरण और उदारीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने की पूरी जानकारी है, जिसके संबंध में माननीय सदस्य बात कर रहे हैं।

डा. संजय पासवान: लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सी.एम.डी., एमडी और निदेशक जैसे पदों पर लोगों को नियुक्त करने वाली एजेन्सी है। मैं उदारपना मंत्री जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी लोगों के प्रति बहुत अधिक चिंतित हैं, से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सी.ई.ओ., सी.एम.डी. और एम.डी. के पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रस्ताव है।

श्रीमती वसुंधरा राजे: सीएमडी के स्तर पर लोगों की नियुक्ति के समय इस बात पर विचार नहीं किया जाता केवल योग्यता पर विचार किया जाता है। परंतु यदि माननीय सदस्य विभिन्न स्तरों के लोगों की संख्या जानना चाहते हैं तो, मुझे जानकारी इकट्ठी करके और इसे उनको पहुंचाने में खुशी महसूस होगी।

श्री संतोष मोहन देव: लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के नियम को बदलने के पीछे मूल विचार नियुक्ति में सुधार करना और शीघ्र नियुक्तियाँ करना है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कितने पद रिक्त हैं और समिति में सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रणाली में मुख्य समस्या यह है कि तकनीकीविदों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य कार्यपालक नियुक्त नहीं किया जाता, परंतु नौकरशाह नियुक्त हो रहे हैं और इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र को नुकसान सहना पड़ रहा है, क्योंकि वह उनके लिए राज्य बन जाता है। मैंने छः मंत्रालयों में कार्य किया है और मैंने इसका अनुभव किया है। यह बहुत गलत निर्णय है। क्या मंत्री इस पर पुनः विचार करेंगे?

श्रीमती वसुंधरा राजे: महोदय, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति के लिए कुछ मानदण्ड स्थापित किये गये हैं। एक माननीय सदस्य के रूप में, मैं आश्वस्त हूं, और जानती हूँ, लोक उद्यम-चयन-बोर्ड में तीन पूर्णकालिक सदस्य हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के उत्कृष्ट पूर्व-मुख्य कार्यपालक हैं,

दूसरे सर्वोच्च प्रबंधक व्यक्तियों के चुनाव में अनुभवानुसार प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति हैं, और अंतिम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के प्रबंधन के अनुभव वाले प्रतिष्ठित पूर्व-सिविल कर्मचारी हैं।

श्री संतोष मोहन देव: यही मेरी आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय: क्या इसके लिए तकनीकीविदों पर विचार किया जाए?

श्रीमती वसुंधरा राजे: यही कारण है कि हमें संशोधन लाने पड़े। एक संशोधन में यह दिया गया है कि किसी आपवादिक परिस्थितियों में, जब इस प्रकार के तकनीकी विदों की आवश्यकता होगी, तो ए.सी.सी. के द्वारा चुनाव किया जाएगा, जो चुनाव समिति या खोज समिति को प्रक्रिया निर्धारित करेगी, जिसमें समिति के एक भाग के रूप में तकनीकीविद होंगे। मुझे लगता है, यह उस तरह के परिणाम दे सकेंगे जो आप चाहते हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है और लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में कुछ सकारात्मक प्रस्ताव दिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने संपूर्ण प्रणाली के पुनर्निर्माण को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा किए गए प्रस्तावों और सभा में रखे गए आज के उत्तर पर विचार किया है।

श्रीमती वसुंधरा राजे: मैं यह जानना चाहूंगी कि माननीय मंत्री किस प्रस्ताव का जिक्र कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: वे यह जानना चाहते हैं कि, क्या मुख्य प्रश्न पर उत्तर देने से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था।

श्रीमती वसुंधरा राजे: महोदय, इन सभी बातों पर विचार करने के पश्चात् ही उत्तर दिया गया है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, जिसमें संसद सदस्य शामिल हैं, में हमने इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की थी और हमने लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के पुनर्गठन के लिए कुछ सकारात्मक प्रस्ताव दिये थे। पहले ही, यह आरोप लगाए गए हैं कि स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंत्रियों ने गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंत्री महोदय को इन प्रस्तावों को प्राथमिकता और महत्व देते हुए गौर करने का निर्देश दें।

श्रीमती वसुंधरा राजे: निश्चय ही। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति की सिफारिशों पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार किया गया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व में विभिन्न उद्योगों सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों के प्रबंधन ढांचे में सार्वभौमिक बदलाव आए हैं, और कुशल प्रबंधन इन उद्योगों को चलाने का एकमेव मार्ग है। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम प्रबंधकीय निपुणता की कमी के कारण रुग्ण हो गए हैं। कुछ समय पहले, यह सोचा गया था कि किसी भी दूसरी सिविल सेवाओं की तरह इन संस्थानों को चलाने के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण का अखिल भारतीय संवर्ग हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अच्छी तरह चलाने का यही एक उपाय है, बजाय इसके कि इन संस्थानों का प्रबंधन के लिए या तो सिविल कर्मचारियों या अप्रशिक्षित संवर्ग में से किसी को इन स्थानों के प्रबंधकों के पद पर लाने के। क्या सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख के पद के लिए सिविल कर्मचारियों पर निर्भर रहने के स्थान पर प्रबंधन सेवा का अलग संवर्ग स्थापित किया जाए।

श्रीमती वसुंधरा राजे: महोदय, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जो भी हो जारी विनिवेश प्रक्रिया के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका धीरे-धीरे परन्तु निश्चित तौर पर एक तरीके से कम होती जा रही हैं। तथापि, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री के. मलयसामी: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जवाब में यह दृष्टव्य है कि विद्यमान संशोधन 1987 से लागू है। मैं, आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि इस तरह के बोर्ड को पुनर्गठित करने के तात्कालिक कारण क्या हैं।

क्या यह सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिश थी या फिर किसी और संस्था ने इस पर विचार किया है अथवा यह पूरी तरह से एक प्रशासनिक निर्णय है? यदि ऐसा है, तो इसका पुनर्गठन किये जाने का तात्कालिक कारण क्या है?

यदि इसका कार्यान्वयन तत्काल किया जा रहा है, तो क्या आप यह सोचते हैं कि इससे पुनर्गठित बोर्ड द्वारा चयन में और अधिक सुधार एवं बेहतर निष्पादन होगा?

श्रीमती वसुंधरा राजे: महोदय, पांचों संशोधन जिनके बारे में प्रश्न करते हुए मैंने अभी-अभी अपनी बातें आरम्भ की है अप्रैल 2000 में लाये गये हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा 1987 में स्वीकृत संकल्प के पैरा 7(2) में एक उपबंध विद्यमान है कि विशेष मामलों में, इन संगठित सेवाओं में भर्ती की जा

सकती है। उस समय, इस संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं दिए गए थे। इसे एक जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय में चुनौती दी गई थी और न्यायालय यह जानना चाहता था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियुक्तियों को विनियमित करने हेतु क्या कोई दिशानिर्देश थे। यह बताया गया कि ऐसे कोई दिशानिर्देश नहीं थे। इसके फलस्वरूप और उच्च न्यायालय के विचारों को ध्यान में रखते हुए हम इन पांच संशोधनों को दरकिनार कर आगे बढ़े हैं। इन्हें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड को सुव्यवस्थित करने एवं बडोरा मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए किया गया है।

भारतीय श्रम सम्मेलन

*623. **श्री +अजय चक्रवर्ती:**
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक रुग्णता पर ध्यान केन्द्रित करने तथा पेचीदा समस्याओं से निपटने में अप्रभावी पाए जाने पर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के स्थान पर दूसरा बोर्ड बनाए जाने के बारे में अप्रैल, 2000 में 36वाँ भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) क्या इसमें कामगारों को नौकरी पर रखने और नौकरी से हटाने पर भी चर्चा की गई;

(ग) यदि हाँ, तो इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया गया; और

(घ) अन्य सिफारिशों और सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय श्रम सम्मेलन का 36वां सत्र 14-15 अप्रैल, 2000 को आयोजित किया गया था जिसमें औद्योगिक रुग्णता विषय पर भी चर्चा की गई। भारतीय श्रम सम्मेलन के कुछ सदस्यों का विचार था कि औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अपने मौजूदा रूप में औद्योगिक रुग्णता की समस्याओं को हल करने में प्रभावी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय श्रम सम्मेलन ने जो मुख्य सिफारिशें की हैं, उनमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए पृथक पुनर्संरचना निधि की स्थापना, उद्योग में कामगारों की सक्रिय भागीदारी, श्रमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय चक्रीय निधि की स्थापना तथा कामगारों के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा श्रमिक अकादमियों की स्थापना शामिल हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, मैं उत्तर (क) से पूरी तरह असहमत हूँ। हाल ही में अप्रैल माह में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में, भारतीय मजदूर संघ के नेताओं सहित कई मजदूर संघ संगठनों एवं मजदूर संघ के नेताओं द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की जगह दूसरा बोर्ड बनाए जाने का मुद्दा उठाया गया था क्योंकि यह एक वास्तविकता है कि अपने वर्तमान रूप में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समस्याओं से निपटने में प्रभावी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों पर औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा दिया गया निर्णय बेकार है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र एवं अन्य प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित उनमें से ज्यादातर औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित पड़े हैं और कई वर्षों से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निर्णयों का इंतजार कर रहे हैं।

महोदय, इस समय में, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गए उद्योग का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रुग्णता का स्तर एक जांच का मामला है। ग्राहक का विश्वास हिल चुका है। अब, लंबे समय के बाद, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्यकरण की स्थिति यह है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मृत्यु प्रमाण-पत्र दे रहे हैं।

इस स्थिति के मद्देनजर, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की जगह दूसरे बोर्ड को लाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो सरकार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की जगह दूसरे बोर्ड को लाने हेतु कदमों एवं उपायों को करने से क्यों वंचित है? यह एक नवीन संस्था को गठित कर सकती है जिससे कि वह संस्था हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों एवं उद्योगों की समस्याओं से उचित और प्रभावशाली ढंग से निपट सके।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न भारतीय श्रम सम्मेलन के संदर्भ में है और माननीय सदस्य ने पूछा है कि वर्तमान सिका का जो कानून है, सिक इडस्ट्रियल कम्पनीज एक्ट के अंतर्गत जो बीआईएफआर बना है, उसकी प्रणाली प्रभावी नहीं है, माननीय सदस्य की यह चिन्ता है। सिका में जो सैक्शन 22 है, उस प्रावधान के बारे में विचार करने के लिए 14 मार्च, 2000 को मंत्री परिषद् का एक दल गठित किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री, ऊर्जा मंत्री, खान एवं खनिज मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री शामिल हैं, जिसने बीआईएफआर को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस बारे में विचार किया। जहां तक भारतीय श्रम सम्मेलन में इस संदर्भ में जो विचार हुआ है, उसमें दो प्रकार के मत हैं। आप जानते हैं कि यह त्रिपक्षता की सबसे सर्वोच्च संस्था है। पिछले भारतीय श्रम सम्मेलन में इसका बहुत उल्लेखनीय आउटपुट रहा है। माननीय सदस्य ने जो समस्या बताई है, हम उस आधार पर निश्चित रूप से उसके बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: मैं माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में किए गए सम्मेलन में उनके भाषण की याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि असंगठित क्षेत्र में कामगारों का सारा समूह, खेतों में पूरे दिन कड़ा परिश्रम करने बाद भी भूख रहता है; भवन निर्माण में लगे मजदूर बिना किसी आश्रय के सोते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से उनके भाषण के मद्देनजर यह जानना चाहूंगा कि, क्या वे निर्माण कार्यों में लगे इन कामगारों, कृषक मजदूरों, दैनिक मजदूरी अर्जित करने वाले एवं असंगठित क्षेत्र के अन्य मजदूरों के लिए किसी व्यापक विधेयक को लाने पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसका वर्णन माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए लिखित जवाब में किया गया है। मंत्री महोदय, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे?

[हिन्दी]

डॉ. सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष जी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में, जिनकी संख्या देश में दो करोड़ के करीब है, माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है। उस दृष्टि से, इस संदर्भ में, किस प्रकार से इनके कल्याण के लिए हम कानून बनाकर काम कर सकें, इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेशों के श्रम राज्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का भी हमने विचार किया हुआ है। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में जो कानून है, तमिलनाडु और केरल में इस बारे में कुछ प्रावधान किये गये हैं। सार्वदेशिक रूप से राज्य सरकारों को मानने के लिए जिन कानूनों की अपेक्षा की गयी है उसके बारे में हमारा आग्रह निरंतर है और हमारी कोशिश होगी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में, उनको राहत देने के बारे में, प्रभावी उपाय किए जाएं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, कृषक मजदूरों एवं असंगठित क्षेत्र के अन्य मजदूरों के संबंध में क्या है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि श्रम सम्मेलन में दो तरह के विचार बीआईएफआर के बारे में सामने आये हैं। हर विवादित विषय पर अध्यक्ष जी, दो तरह के विचार ही आते हैं। लेकिन आज यह सिद्ध हो चुका है कि बीआईएफआर की भूमिका बिल्कुल नगण्य रही है और इससे कोई भी लाभ बीमार इंडस्ट्रीज को नहीं पहुंचा है और न ही श्रमिकों को पहुंचा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बीआईएफआर की भूमिका को नापने का सरकार का क्या मापदंड है और सरकार की सोच तथा बीआईएफआर की कार्यप्रणाली और उपलब्धियां क्या हैं? क्या सरकार इससे संतुष्ट है? हालांकि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इसका रिव्यू और विचार करने के लिए कोई कमेटी बनी है। लेकिन क्या सरकार इससे संतुष्ट है? अगर संतुष्ट नहीं है, तो बीआईएफआर को जो छूट या वित्तीय आटोनामी सरकार को देनी चाहिए थी क्या सरकार ने दी है और क्या बीआईएफआर उसके बाद भी पूरी तरह से फैल्योर नहीं रही है?

डॉ. सत्यनारायण जटिया: माननीय सदस्य ने बीआईएफआर के कार्यकरण के बारे में पूछा और उनकी यह चिंता भी है। हमारी सरकार और मंत्री परिषद् का एक दल इस पर काम कर रहा है। निश्चित रूप से बीआईएफआर के जो दोष हैं उसमें प्रभावी रूप से किसी भी उद्योग को पुनर्स्थापित करने के लिए जो उपाय किये जाते हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। यह बात सब की जानकारी में है। निश्चित रूप से सीका का जो एक्ट बना हुआ है जिसके अंतर्गत बीआईएफआर काम करता है, जब तक हम उसमें दूसरा कानून नहीं ला पाते हैं तब तक इस एक्ट में सुधार करके, इसका सैक्शन 22 यह प्रतिबंधित करता है कि कोई भी प्रकरण जब बीआईएफआर के सामने लाया जाता है तो जो संवैधानिक देनदारियां श्रमिकों की हैं उन पर प्रतिबंध लग जाता है। इसलिए इसमें कोई संसोधन करके जब तक दूसरा कोई कानून न आ जाये, तब तक इसे ही लागू किया जाये—यह आम राय बनी हुई है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष जी, सरकार ने तय कर लिया है कि इस बारे में बीआईएफआर असफल रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। यह प्रश्न भारतीय श्रम सम्मेलन से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा: अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि औद्योगिक रुग्णता के कारण प्रभावित श्रमिकों की पुनर्स्थापना की क्या योजना है? जयपुर उद्योग लिमिटेड एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्टरी है उससे प्रभावित श्रमिकों की पुनर्स्थापना के लिए भारत सरकार के पास क्या योजना है?

श्री सत्यनारायण जटिया: यह एक पर्टिकुलर प्रश्न पूछा गया है। मैं इसकी निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

[अनुवाद]

बाढ़ों से क्षति

***624. श्री के.पी. सिंह देव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बार-बार बाढ़ आने और भारी वर्षा के कारण जमा जल की निकासी में कठिनाई होने से तटवर्ती राज्यों, विशेषकर उड़ीसा के विस्तृत भूभाग में कृषि भूमि प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या को हल करने के लिए कोई व्यापक योजना है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार ने अपेक्षित धनराशि प्रदान कर दी है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विश्व बैंक से सहायता लेने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। फिलहाल केन्द्र स्तर पर समस्या का समाधान करने के लिए ऐसी कोई व्यापक योजना नहीं है। किन्तु उड़ीसा सरकार ने कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, जजपुर, भद्रक, बालासौर, पुरी और खुर्दा जिलों को शामिल करते हुए जल निकास समस्या में सुधार करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का उल्लेख किया है।

(ग) उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव के लिए 1997 के मूल्य स्तर पर 364.40 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) फिलहाल, विश्व बैंक से सहायता मांगने के लिए केन्द्र स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु उड़ीसा सरकार चरण-1 और 2 में महानदी डेल्टा में जल निकास प्रणाली, जिसमें केन्द्रपाड़ा, कटक, पुरी और खुर्दा शामिल हैं, के सुधार के लिए विश्व बैंक से 1999 के मूल्य स्तर पर 227.00 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब के भाग (क) में इस तथ्य को स्वीकार है कि बार-बार आने वाली बाढ़ एवं भारी वर्षा के कारण जल-निकासी की समस्या है। फिर भी, भाग (ख) में जवाब में उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है। भाग (ग) के उत्तर में फिर उन्होंने कहा है कि उड़ीसा सरकार के प्रस्तावों को पूरा करने के लिए 364 करोड़ रुपयों की आवश्यकता भाग (घ) के उत्तर में उन्होंने कहा 'जी नहीं, महोदय' और यह भी कहा है कि भारत सरकार के पास एक पैसा भी नहीं है। भाग (ङ) एवं (च) के उत्तर में उन्होंने कहा है कि सहायता के लिए केन्द्रीय स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु, उन्होंने अपने बचाव के लिए सभी बातों को उड़ीसा सरकार पर छोड़ दिया है।

माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने इस तथ्य की प्रशंसा की है कि उड़ीसा, जो पिछले 35 वर्षों से चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा जैसी

कई प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहा है—अब भयंकर सूखे से गुजर रहा है, की राज्य सरकार ने एक कार्यदल एवं उड़ीसा चक्रवात पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठित करने हेतु प्रयास किए हैं। उड़ीसा की सरकार आवश्यक संसाधनों को जुटाने में असमर्थ है। उड़ीसा सरकार की व्यापक योजना के एक भाग के रूप में, उन्होंने पांच जिलों नामत: ढेंकानाल, अंगुल, क्योंझर, मयूरभंज एवं गंजम, जो कि चक्रवात एवं बाढ़ से प्रभावित थे, को छोड़ दिया है। इनका उल्लेख मैंने नहीं किया है परन्तु उड़ीसा सरकार द्वारा इनका उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के भाग (ख) के अनुसार, उड़ीसा की सरकार ने एक व्यापक योजना तैयार की है परन्तु उनके खजाने खाली पड़े हैं। इसलिए, उन्हें केन्द्र सरकार से भीख मांगनी पड़ती है। अब, केन्द्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है, और वे एक पैसा भी देना नहीं चाहते।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह कार्यदल का एक हिस्सा होगा जो व्यापक योजना के पहलू की जाँच कर सकता है, जिसमें सभी 14 जिले शामिल होंगे क्योंकि ये भारी वर्षा, भयंकर बाढ़ एवं चक्रवात के कारण प्रभावित थे। यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: श्रीमान्, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि बाढ़ और भारी वर्षा के कारण जमा जल की निकासी में कठिनाई होने से तटवर्ती राज्यों में कृषि भूमि प्रभावित हुई है। उन्होंने अपने प्रश्न में विशेष कर उड़ीसा का उल्लेख किया है। वहां साइक्लोन से जो नुकसान हुआ है, वह अभी हुआ है परन्तु बाढ़ के कारण, जमा जल की निकासी का पूरी तरह प्रबंध न होने के कारण निरन्तर नुकसान होता रहता है। माननीय सदस्य ने केवल कृषि भूमि के प्रभावित होने का उल्लेख किया है—ऐसा नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इससे केवल कृषि भूमि प्रभावित न होकर समस्त भूमि प्रभावित होती है। अभी तक केन्द्र ने जो टास्क फोर्स बनाई थी, उसने जल संसाधन मंत्रालय द्वारा केवल सिंचित एरिया की देखभाल करके जांच-पड़ताल की है। मैंने इसका उत्तर में भी उल्लेख किया है। जहां तक साइक्लोन प्रभावित उड़ीसा का सवाल है, उसे तत्काल और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की पर्याप्त राहत पहुंचा कर सहायता दी गई है। माननीय सदस्य ने जिस विशेष समस्या का उल्लेख किया है, उसके लिए उड़ीसा सरकार ने अलग से वर्ल्ड बैंक को एक प्रस्ताव विचारार्थ भेजा है।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सभा को पूरी तरह गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के.पी. सिंह देव: अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूँगा।

मेरा प्रश्न यह था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने यह महसूस किया है कि उड़ीसा की सरकार चक्रवात के विनाश, जिसमें बाढ़ का भी प्रकोप था, से उत्पन्न स्थिति के भारी-भरकम कार्य से निपटने में असमर्थ साबित होगी। इस प्रकार, नौ तटीय जिले, अन्य पाँच अंतर्देशीय जिलों अर्थात् ढेंकानाल, अंगुल, क्योंझर, मयूरभंज एवं गंजम के अलावा चक्रवात एवं बाढ़ से प्रभावित थे। ये आंकड़े ऐसे नहीं दिए हैं बल्कि ये उड़ीसा सरकार के ज्ञापन में दिए गए हैं। माननीय मंत्री महोदय, श्री जार्ज फर्नांडिस ने भी कल संसद सदस्यों की बैठक बुलाई और उनकी टिप्पणी में भी इन पाँच जिलों का उल्लेख है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, वह सदन को गुमराह कर रहे हैं, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की क्या तुक बनती है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अनुपूरक स्पष्टीकरण भी पूछ सकते हैं।

श्री के.पी. सिंह देव: वह कृषि उत्पाद के प्रभारी हैं, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पाद में गिरावट आई है। कार्यबल के हिस्से के रूप में, हमें देखना होगा कि जून के बाद हमारे कृषकों को कृषि उत्पाद में घाटा हुआ है, इस बात का उनके उत्तर में जिक्र नहीं है कि इस संबंध में वे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, उन्होंने सब कुछ उड़ीसा सरकार पर छोड़ दिया है, यह बात असम्भव है।

उन्होंने पहले प्रश्न का भी सटीक उत्तर नहीं दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि इन सब बातों के बावजूद, अपने उत्तर के (ङ) तथा (च) भाग में उनका कहना है कि विश्व बैंक से सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव केन्द्र के पास नहीं है। तथापि उड़ीसा सरकार ने सहायता मांगने का प्रस्ताव किया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार उस उड़ीसा सरकार की पूरी मदद करेगी जो कि कई समस्याओं से ग्रस्त है या सारी बातें उड़ीसा सरकार पर ही छोड़ दी जाएगी?

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय मेरी इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं कि मैं सदन को गुमराह कर सकूं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव: आप पिछले पांच मिनटों से सभा को गुमराह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न किया गया है, मैंने उसका उत्तर दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य और आप जानते हैं कृषि राज्य का विषय है और राज्य सरकार से प्रस्तावित होकर जो प्रस्ताव आया है, उसका जिक्र मैंने अपने उत्तर में किया है। जहां तक केन्द्र का सवाल है, जल संसाधन विभाग ने एक कमेटी का गठन किया है। उसका आंकलन किया गया है और वह केवल सिंचित भूमि तक सीमित है, इसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। इसलिए यह कहना कि मैं सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहा हूं, सही नहीं है। जहां तक उड़ीसा राज्य में आये अभी के साइक्लोन से प्रभावित होकर नुकसान होने और उसके बाद राहत का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही उदारतापूर्वक ढंग से 800 करोड़ रुपये की उड़ीसा राज्य के लिए सहायता दी है। इसलिए यह कहना सही नहीं कि सारा कुछ उड़ीसा सरकार पर छोड़ दिया गया है। माननीय सदस्य स्वयं उसके जानकार हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार के नेपाल से लगे सीमावर्ती इलाके में प्रत्येक वर्ष नेपाल की नदियों से होने वाली बाढ़ ने और वर्षा की तबाही से जो जल जमाव हो जाता है, वह क्षेत्र प्रभावित होकर बर्बाद हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस क्षेत्र को बचाने के लिए कोई उपाय करेगी, यदि नहीं तो क्यों?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अलग प्रश्न है लेकिन उड़ीसा से ही संबंधित है।

श्री विक्रम केशरी देव: कृपया, उड़ीसा के सांसदों को वाद-विवाद में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान करें।

श्री कृष्णमराजू: महोदय, आंध्र प्रदेश के भी कुछ तटीय जिले प्रभावित हुए हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उड़ीसा से नहीं हैं।

श्री कृष्णमराजू: बिल्कुल। इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है।

अध्यक्ष महोदय: यह पूरी तरह से उड़ीसा का मामला है।

श्री कृष्णमराजू: आंध्र प्रदेश के तटीय जिले भी प्रभावित हुए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री कृष्णमराजू: आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय जिले भी बाढ़ और तूफान से प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे उन पर तत्परता से विचार कर रहे हैं या नहीं और क्या आंध्र प्रदेश के इन तटीय जिलों को कोई सहायता दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न ही नहीं उठता। कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री विक्रम केशरी देव: जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार की सहायता की है। लेकिन विशेषकर, उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ से संबधित वनों की कटाई, नदी की तलहटी तथा जल प्रवाह प्रणाली में गाद का जमना जैसी समस्याएं यथावत हैं। क्या सरकार ने इसके लिए कोई योजना बनाई है? राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास योजना को कब अंतिम रूप देने के लिए भेजा है? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: कृपया, मंत्री जी बताएं।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न दुबारा रिपीट करवा दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। अब, माननीय सदस्य, कृपया, अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उड़ीसा में बाढ़ की समस्या से मुक्ति के लिए स्थायी योजनाएं क्या हैं, महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में हर वर्ष बाढ़ आती है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन डेल्टा क्षेत्रों के लिए व्यापक जल प्रवाह प्रणाली विकसित की गई है। इस राज्य में बाढ़ के

प्रमुख कारण नदी तलहटी में गाद का जमाव तथा वनों की कटाई हैं। इसलिए, सरकार बाढ़ नियंत्रण की दिशा में क्या कदम उठा रही है?

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है, वह ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ही है। दूसरा, जो माननीय सदस्य का कहना है कि बाढ़ को पूरी तरह से रोकने का प्रयास हो, तो यह तो मैं समझता हूं कि संभव तभी होगा जब हमारे सारे जंगल, चरागाह, तालाबों का प्रबंध होकर बाढ़ में कमी आए या फिर बाढ़ को रोकने का स्थायी प्रबंध हो जाए। इतना विस्तार से प्रबंध करने के बारे में आज मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

[अनुवाद]

बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का सर्वेक्षण

***625. श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन क्षेत्रों का जो प्रतिवर्ष भारी बाढ़ की चपेट में आते हैं, पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 और चालू वित्त वर्ष में इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक बाढ़-ग्रस्त राज्य को अब तक कितनी राशि आवंटित और जारी की गई;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारें बाढ़ नियंत्रण के लिए दी जाने वाली राशि का उपयोग नहीं कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) बाढ़ नियंत्रण के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ संभाव्य क्षेत्र है। बाढ़ संभाव्य क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-1 पर दिया गया है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ों से प्रभावित होने वाले क्षेत्र का लेखा संबंधित राज्यों द्वारा रखा जाता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-2 पर दिया गया है।

बाढ़ प्रबंधन का कार्य राज्य का विषय है। योजना आयोग द्वारा राज्यों को राज्य योजना निधि के तहत बाढ़ नियंत्रण उपक्षेत्र के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में निधियां आबंटित की जाती हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रत्येक बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए राज्य योजना के बाढ़ नियंत्रण उपक्षेत्र के तहत अनुमोदित परिव्यय संलग्न अनुबंध-3 पर दिए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2000-2001 के लिए बाढ़ नियंत्रण उपक्षेत्र के अंतर्गत राज्य योजना के अंतर्गत परिव्यय को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है। केन्द्र सरकार विशिष्ट स्कीमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान बाढ़ प्रभावित असम, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों को क्रमश: 15 करोड़ रुपये, 5.18 करोड़ रुपये और 0.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन एफ सी आर) और आपदा राहत निधि (सी आर एफ) से भी विभिन्न राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1999-2000 में एन एफ सी आर और सी आर एफ के तहत दी गई सहायता की स्थिति क्रमश: अनुबंध-4 और 5 में दी गई है।

अनुबंध 6 में दर्शाए गए परिव्ययों और व्यय के ब्यौरों से पता चलता है कि कुल मिलाकर सभी राज्य सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में उनको आबंटित निधियों का उपयोग कर लिया है। तथापि, कुछ राज्यों, परियोजना की तैयारी में विलंब होने, भूमि अधिग्रहण में बाधा आने, निष्पादन में समस्याएं आने इत्यादि जैसे कारणों से आबंटन का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके।

बाढ़ों के नियंत्रण के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय राज्यों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार योजना आयोग द्वारा उन्हें आवंटित योजना निधि में से किये जाते हैं। मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार केन्द्र सरकार, राज्यों द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जाने पर स्कीमों पर तकनीकी सलाह देती है और उनका मूल्यांकन करती है। भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार करने के वास्ते वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तैयार की गई मास्टर योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित गंगा बेसिन राज्यों को भेजा गया है। इसी प्रकार, भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने के वास्ते वर्ष 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर

योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए सभी बेसिन राज्यों को भेजा गया है। इन सभी मास्टर योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण के अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय करने संबंधी सिफारिशें की गई हैं। सचिव जल संसाधन की अध्यक्षता में वर्ष 1987 में बाढ़ प्रबंधन संबंधी दो समितियां गठित की गई हैं, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों के लिए है तथा दूसरी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है। इन समितियों की सिफारिशों को उच्चाधिकर प्राप्त समिति के निष्कर्षों के साथ संबंधित राज्यों को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने सितम्बर, 1996 में पांच कार्यबलों का गठन किया है और इन कार्यबलों की रिपोर्टों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग राज्यों को समय पर पूर्वानुमान संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर में 157 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों का प्रचालन करता है। बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं से बाढ़ों के कारण जान-माल के होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता मिलती है।

अनुबंध 1

देश में बाढ़ संभाव्य क्षेत्र

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	बाढ़ संभाव्य क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13.9
2.	असम	31.5
3.	बिहार	42.6
4.	गुजरात	13.9
5.	हरियाणा	23.5
6.	हिमाचल प्रदेश	2.3
7.	जम्मू व कश्मीर	0.8
8.	कर्नाटक	0.2
9.	केरल	8.7
10.	मध्य प्रदेश	2.6
11.	महाराष्ट्र	2.3
12.	मणिपुर	0.8
13.	मेघालय	0.2
14.	उड़ीसा	14.0
15.	पंजाब	37.0
16.	राजस्थान	32.6
17.	तमिलनाडु	4.5
18.	त्रिपुरा	3.3
19.	उत्तर प्रदेश	73.36
20.	पश्चिम बंगाल	26.5
21.	दिल्ली	0.5
22.	पंडिचेरी	0.1
	कुल	335.16

(लगभग 34 मिलियन हेक्टेयर)

वर्ष 1953-78 की अवधि से संबंधित राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बाढ़ प्रवण क्षेत्र	34 मिलियन हेक्टेयर
तब तक (1978) संरक्षित क्षेत्र	10 मिलियन हेक्टेयर
कुल	44 मिलियन हेक्टेयर
सुरक्षा कार्यों की विफलता के कारण बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जिससे सूचित बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र (परिकल्पित) में वृद्धि हुई है (-)	4 मिलियन हेक्टेयर
देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र	40 मिलियन हेक्टेयर

अनुबंध 2

वर्ष 1999 के मानसून के दौरान बाढ़ द्वारा प्रभावित क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	एन आर
2.	असम पहली बाढ़	1.45
	दूसरी बाढ़	1.48
3.	बिहार पहली बाढ़	7.40
	दूसरी बाढ़	0.52
4.	गुजरात	एन आर
5.	हिमाचल प्रदेश	एन आर
6.	कर्नाटक	0.40
7.	केरल	एन आर
8.	मध्य प्रदेश	0.62
9.	उड़ीसा	1.53
10.	पंजाब	0.02
11.	त्रिपुरा	0.20
12.	राजस्थान	एन आर
13.	उत्तर प्रदेश	0.39
14.	पश्चिम बंगाल पहली बाढ़	10.23
	दूसरी बाढ़	

एन आर: सूचित नहीं

अनुबंध तीन

वर्ष 1999-2000 के लिए बाढ़ नियंत्रण उप क्षेत्र में अनुमोदित परिव्यय दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बाढ़ नियंत्रण
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	42.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.25
3.	असम	27.25
4.	बिहार	110.00
5.	गोवा	0.85
6.	गुजरात	5.00
7.	हरियाणा	20.00
8.	हिमाचल प्रदेश	8.12
9.	जम्मू व कश्मीर	32.10
10.	कर्नाटक	6.90
11.	केरल	24.00
12.	मध्य प्रदेश	1.01
13.	महाराष्ट्र	0.99
14.	मणिपुर	7.00
15.	मेघालय	3.00
16.	मिजोरम	शून्य
17.	नागालैंड	–
18.	उड़ीसा	12.63
19.	पंजाब	105.39
20.	राजस्थान	3.55
21.	सिक्किम	0.02
22.	तमिलनाडु	17.77
23.	त्रिपुरा	5.85
24.	उत्तर प्रदेश	23.53
25.	पश्चिम बंगाल	165.30
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00
27.	चण्डीगढ़	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	0.00
29.	दमन व द्वीव	0.18
30.	दिल्ली	20.00
31.	लक्षद्वीप	3.05
32.	पांडिचेरी	4.00

अनुबंध 4

वर्ष 1999-2000 के दौरान आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय निधि से जारी की गई सहायता की स्थिति दर्शाते हुए विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	आपदा	जारी की गई सहायता
1.	मणिपुर	सूखा	4.93
2.	त्रिपुरा	सूखा	5.34
3.	उत्तर प्रदेश	भूकम्प	16.68
4.	आंध्र प्रदेश	सूखा	75.36
5.	पश्चिम बंगाल	भारी वर्षा/बाढ़	29.52
6.	जम्मू व कश्मीर	सूखा	73.42
7.	बिहार	बाढ़ एवं चक्रवात	38.18
8.	गुजरात	सूखा	54.58
9.	कर्नाटक	सूखा एवं बाढ़	17.09
10.	मध्य प्रदेश	सूखा एवं बाढ़	38.86
11.	मिजोरम	सूखा	6.00
12.	उड़ीसा	बाढ़ एवं चक्रवात	828.15
13.	राजस्थान	सूखा	102.93

अनुबंध 5

वर्ष 1999-2000 की जारी आपदा राहत निधि की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10769.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	610.00
3.	असम	4337.00
4.	बिहार	3378.75@
5.	गोवा	93.00
6.	गुजरात	12105.00
7.	हरियाणा	2173.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2337.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1709.00
10.	कर्नाटक	3629.00
11.	केरल	4804.00
12.	मध्य प्रदेश	4429.00
13.	महाराष्ट्र	4435.50@
14.	मणिपुर	161.25@
15.	मेघालय	242.00
16.	मिजोरम	110.00
17.	नागालैंड	147.00
18.	उड़ीसा	4250.00
19.	पंजाब	4696.00
20.	राजस्थान	15525.00
21.	सिक्किम	306.00*
22.	तमिलनाडु	5147.00
23.	त्रिपुरा	390.00
24.	उत्तर प्रदेश	8137.50*
25.	पश्चिम बंगाल	4450.09

*वर्ष 1998-99 के दौरान सिक्किम और उत्तर प्रदेश को क्रमशः 102.00 लाख रुपये और 2712.50 लाख रुपये की अग्रिम जारी की गई पहली तिमाही किस्त।

@आपदा राहत निधि के गठन तथा केन्द्र और राज्य के हिस्से की निधियों को जमा करने संबंधी सूचना प्राप्त न होने के कारण बिहार, महाराष्ट्र और मणिपुर के लिए क्रमशः 1126.25 लाख, 1478.50 लाख और 53.75 लाख रु. की चौथी तिमाही किस्त जारी नहीं की गयी है।

अनुबंध 6

बाढ़ नियंत्रण उप-क्षेत्र में अनुमोदित योजना परिव्यय और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना परिव्यय 1992-97	आठवीं योजना के दौरान व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1997-98	वर्ष 1997-98 के दौरान व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1998-99	वर्ष 1998-99 के दौरान व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	143.54	232.87	17.00	17.85	49.00	49.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.71	11.41	4.48	3.76	4.61	4.16
3.	असम	86.85	97.59	19.92	16.24	20.27	20.27
4.	बिहार	251.70	170.88	40.00	42.34	63.00	43.00
5.	गोवा	0.90	2.44	0.84	0.94	0.60	1.16
6.	गुजरात	10.00	13.20	5.00	4.00	5.00	5.00
7.	हरियाणा	52.00	55.76	12.10	20.71	23.40	20.00
8.	हिमाचल प्रदेश	6.00	9.47	3.90	3.65	5.74	5.88
9.	जम्मू व कश्मीर	40.75	57.31	15.90	17.61	26.51	26.12
10.	कर्नाटक	11.00	44.46	7.48	10.31	7.00	7.00
11.	केरल	65.00	125.12	25.50	22.13	24.00	24.00
12.	मध्य प्रदेश	8.53	3.53	1.00	0.72	1.00	1.00
13.	महाराष्ट्र	1.46	104.92	6.37	0.98	1.16	1.16
14.	मणिपुर	20.00	27.18	6.00	6.84	5.10	5.10
15.	मेघालय	8.54	5.87	2.00	1.50	3.00	2.00
16.	मिजोरम	0.25	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	1.50	0.51	0.20	0.20	0.09	0.09
18.	उड़ीसा	42.05	44.21	5.00	18.31	15.00	15.00
19.	पंजाब	125.00	138.46	70.00	51.05	182.84	184.84
20.	राजस्थान	25.30	77.81	7.82	12.34	4.93	4.53
21.	सिक्किम	0.00	3.07	2.34	1.09	0.50	0.02
22.	तमिलनाडु	30.00	3.64	2.03	0.00	0.80	0.80

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	8.00	10.52	4.64	4.64	3.21	3.24
24.	उत्तर प्रदेश	70.00	53.48	18.15	14.40	20.00	45.90
25.	पश्चिम बंगाल	280.00	174.51	70.23	62.32	145.90	82.22
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0.05	2.52		—	0.00	0.00
27.	दादरा एवं नागर हवेली	0.02	0.00		0.00	0.00	0.00
28.	चण्डीगढ़	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29.	दिल्ली	40.00	54.53	17.96	10.02	24.00	15.81
30.	दमन एवं दीव	1.17	1.41		0.40	0.28	0.28
31.	लक्षद्वीप	2.60	9.25		3.69	2.63	0.00
32.	पाण्डिचेरी	4.44	13.93		3.83	3.00	3.00
	कुल	1341.36	1550.14	365.86	351.87	642.57	570.58

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और जौनपुर जनपद में इतनी बरसात हुई कि पूरी खेती की फसल ही नष्ट हो गई। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सर्वे करा लिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को जो पैसा बाढ़ नियंत्रण के लिए दिया जा रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में मात्र तनख्वाह बांटी जा रही है। वहां बाढ़ को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी वर्षा ऋतु आने वाली है और कोई नाला जौनपुर, प्रतापगढ़ और दूसरी जगहों में साफ नहीं हुआ है। पिछले वर्ष गोरखपुर में एक बहुत बड़ा बांध टूट गया था जो सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया था और जिससे पूरा गोरखपुर डूब गया था। क्या मंत्री जी बताएंगे कि राज्य सरकार को जो धन दिया गया है, क्या वह खर्च किया जा रहा है या नहीं और प्रतापगढ़ और जौनपुर में नालों की सफाई कराई गई है या नहीं? यदि नहीं कराई गई है तो कब तक कराई जाएगी?

डॉ. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि बाढ़ के लिए जो धन आबंटित होता है, वह उस पर खर्च होता है या नहीं। बाढ़ के लिए जो धन दिया जाता है—एक तो इर्रीगेशन टोटल प्लान पर धन दिया जाता है, जिसमें स्टेट कहता है कि बाढ़ पर खर्च करेंगे। इसके अलावा बाढ़ के आने पर, प्रधान मंत्री के दो रिलीफ फंड हैं, उसके तहत भी धन दिया जाता है। इसके अलावा जैसे माननीय मंत्री जी कुछ समय पहले बोल रहे थे नाबार्ड का जो इनफ्रास्ट्रक्चरल डैवलपमेंट सिस्टम है, उसके तहत भी धन दिया जाता है और सरकार चाहे तो उस धन को खर्च करे। माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के विषय में जो प्रश्न किया है, उसके बारे में वहां के जल संसाधन मंत्री से मैं पूछूंगा कि इस जनपद में यह काम किया जा रहा है या नहीं और उसके बाद माननीय सांसद को मैं खबर दूंगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से जौनपुर और प्रतापगढ़ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बाढ़ में डूब रहा है। अब तक अगर कोई पैसा दिया गया है तो उससे कितना काम हुआ है, इसकी जानकारी मंत्री जी को है या नहीं? क्योंकि बहुत शीघ्र मानसून आने वाला है और ऐसी स्थिति में पूर्वी उत्तर प्रदेश पुन: बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। अब तक कितना काम हुआ है, इसकी जानकारी मंत्री जी को है या नहीं?

डॉ. सी.पी. ठाकुर: जो अभी हमारे पास रिपोर्ट है, वह कहती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले साल बाढ़ बहुत कम आई। सबसे ज्यादा बाढ़ बंगाल और बिहार में आई। उत्तर प्रदेश में बहुत कम बाढ़ आई। *...(व्यवधान)* जो रिपोर्ट है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: पूरा गोरखपुर डूब गया था और अभी तक कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: मंत्री जी की रिपोर्ट गलत है। बाढ़ आई थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जिले उससे डूब गए। यह कहना कि बाढ़ नहीं आई, गलत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में पूछ सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री जी स्वयं गोरखपुर गए थे। मंत्री महोदय यह कह कर कि उनकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष उ.प्र. में बाढ़ नहीं आई, वे गलत बयानी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, हमारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल का उ.प्र. का जो आंकड़ा है वह 0.39 का है, जबकि बंगाल तथा बिहार में बाढ़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन माननीय सांसद उत्तर प्रदेश के बारे में जो क्षेत्रवार ब्यौरा मांग रहे हैं, वह मैं उन्हें दे दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैं हमेशा मंत्रियों को कहता हूं कि अध्यक्षपीठ को सम्बोधित किया करें, सदस्यों को नहीं। इससे काफी समस्याएं पैदा होती हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न में दूसरे सदस्य का भी नाम है। कृपया इस बात को समझें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश सिंह, बहुत हो चुका। कृपया, अपने स्थान पर बैठिए। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल में इस तरह से मामलों को उठाना उचित नहीं है, इसकी अपनी प्रक्रिया है। कृपया, प्रक्रिया को समझिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि बाढ़ नियंत्रण की जवाबदेही राज्य सरकारों की है और बाढ़ नियंत्रण हेतु दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएं बनाना भी राज्य सरकारों का अधिकार है। केन्द्र सरकार इस काम में राज्य सरकारों को तकनीकी और आर्थिक मदद करती है। मैं आपका ध्यान बिहार और बिहार में भी उत्तर बिहार की ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं कि जहां बाढ़ नेपाल से निकलने वाली नदियों से आती है और बहुत नुकसान होता है, लेकिन बिहार सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह नेपाल सरकार से इन नदियों के बारे में बात करे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय नेपाल सरकार से बात करके इस समस्या का निदान कराएंगे और बहार को इन नदियों में आने वाली बाढ़ से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कराएंगे?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री भारत आए थे। नेपाल से निकलने वाली नदियों, जिनके कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ आती हैं, उनके बारे में नेपाल के विदेश मंत्री महोदय के साथ विस्तृत चर्चा हुई। उसके बाद जो काम उसमें बाकी रह गया है, उसको पूरा करके हम जून महीने में फिर नेपाल जाएंगे और इस पर काम आगे बढ़ाएंगे।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक: अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1992-97 के लिए परिव्यय पर मंत्री जी द्वारा दिए उस वक्तव्य का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें बताया गया है कि असम के लिए 86.25 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे। वर्ष 1995 में असम के जोरहाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में नेमाटी दानी गांव अपक्षम योजना को 32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ अंतिम रूप दिया गया। यहाँ तक कि योजना आयोग ने 1 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या असम सरकार ने इस एक करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया भी है और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस ऋण सहायता को, जैसा कि पहले आश्वस्त किया गया है, केन्द्रीय सहायता में परिवर्तित करेगी।

[हिन्दी]

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, असम को बाढ़ नियंत्रण के लिए और जो क्रिटिकल इरोजन हो रहा है उसके लिए अनुदान दिया गया है। क्रिटिकल इरोजन को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड काम कर रहा है।

अपराह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: महोदय, सरकार द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ कि प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ की संभावना बनी रहती है। आंध्र प्रदेश भी इनमें से एक राज्य है। राष्ट्रीय आपदा निधि तथा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि जैसे हम दोनों ही मुख्य शीर्षों में आवंटन के लिए उपलब्ध धनराशि बहुत कम है। क्या सरकार ने बाढ़ नियंत्रण तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय धन आवंटित करने के इस संसाधन के आधार को बढ़ाने की कोई योजना बनाई है? इस संसाधन का आधार बहुत कम है तथा विभिन्न राज्यों की मांग अत्यधिक है। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके इस संसाधन आधार को बढ़ाने के लिए कोई योजना है।

डा. सी. पी. ठाकुर: वास्तव में, भारत सरकार ने इस बारे में किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं किया है। हमें राज्यों से रिपोर्ट मिलती है, राज्यों से मिलने वाली इन रिपोर्टों के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग रिपोर्ट तैयार करता है। मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूँ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

626. **श्री लक्ष्मण सेठ:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डेयरी उद्योग

*627. **श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेयरी उद्योग के सामने गुणवत्ता संबंधी बाधायें, कमजोर डाटाबेस, अनुसंधान तथा विकास की कम सुविधाएं, उत्पादों के विकास संबंधी अपर्याप्त कार्यक्रमों तथा आधारभूत ढांचे की कमी की समस्यायें हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए/किए जाने का विचार है; और

(ग) डेयरी उद्योग की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) गुणवत्ता सुधार, डाटाबेस तैयार करना, अनुसंधान तथा विकास और उत्पादन विकास गतिविधियां निरन्तर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थान इन गतिविधियों में लगे हुए हैं। निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम देश के विभिन्न भागों में आवश्यकतानुसार दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन प्रसंस्करण सुविधाओं के रूप में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में लगे हुए हैं।

(ग) राज्य सरकार की योजनागत स्कीमों के अतिरिक्त, भारत सरकार में पशुपालन और डेयरी विभाग दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा देश में डेयरी क्षेत्र के स्तर को सुधारने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

(क) राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन परियोजना।

(ख) चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

(ग) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।

(घ) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।

(ङ) सहकारिताओं को सहायता।

(च) दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश—प्रयोगशाला सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

(छ) समेकित डेयरी विकास परियोजना।

[हिन्दी]

सिंचित भूमि

***628. श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कृषि योग्य भूमि कुल कितनी है, जहां सिंचाई सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा सिंचाई के अंतर्गत और अधिक कृषि योग्य भूमि को लाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा भू-जल को बढ़ाने और उसे काम में लाने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा सिंचाई क्षमता के राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने में पीछे रहने वाले राज्यों में सिंचित भूमि की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996-97 (नवीनतम) से संबंधित प्रकाशित किये गये भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार देश की कुल कृषि योग्य भूमि 183.54 मिलियन हैक्टेयर थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत (1996-97) तक, सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग 80.76 मिलियन हैक्टेयर था। वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान, सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में 3,94 मिलियन हैक्टेयर (अनंतिम) की वृद्धि होने की संभावना है जो कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 2.15 प्रतिशत है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उपयोग की गई सिंचाई क्षमता, वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान उपयोग की गई अतिरिक्त क्षमता और कुल कृषि योग्य क्षेत्र की तुलना में इनके प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-1 पर दिया गया है और वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में प्रत्येक वर्ष के लिए वृहद एवं मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के जरिए सिंचाई के अंतर्गत और अधिक कृषि योग्य भूमि लाने के लिए राज्यों को आबंटित योजना निधियों का ब्यौरा विवरण-2 पर दिया गया है।

भूजल विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें मुख्यत: भूजल संसाधनों के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण एवं अन्य तकनीकी मामलों से संबंधित है। इनके लिए जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान 139.56 करोड़ (अनंतिम) रुपये व्यय किये थे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय "मिलियन वेल्स स्कीम", "गंगा कल्याण योजना" (इस समय दोनों स्कीमें स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित) तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत "त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम" चला रहा है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य घटक के रूप में पेय जल के लिए निधियाँ प्रदान करने की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक इन स्कीमों के तहत जारी निधियाँ

इस प्रकार हैं:

राज्य को जारी निधियाँ (करोड़ रु. में)

	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल
मिलियन वेल्स स्कीम	373.99	374.47	-	748.46
गंगा कल्याण योजना	99.99	-	-	99.99
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	-	-	930.68	930.68
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	1077.80	1372.24	1352.22	3802.26
कुल	1551.78	1746.71	2282.90	5581.39

भूजल संसाधन का सिंचाई क्षमता में लगभग 50% का, ग्रामीण जल आपूर्ति में लगभग 80% का और शहरी तथा औद्योगिक जल आपूर्ति में 50% से अधिक का योगदान है।

सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र शामिल करने संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न नीति और कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं/प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इनमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) का संशोधन करना, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल हस्तांतरण करने संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना, जल प्रबंधन पद्धतियां, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के कुशल और किफायती उपयोग को बढ़ावा देना, विभिन्न उपयोगों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने तथा जल के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी शामिल कर विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से जल संरक्षण पर बल देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में सभी चल रही परियोजनाओं, विशेषरूप से जो परियोजनाएं पांचवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी उन पर किए गए निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा करना सिंचाई विकास की एक कार्यनीति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनिन्दा चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को नौवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा गया है। वर्ष 1999-2000 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत संशोधित वित्तीय पद्धति के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 2:1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष श्रेणी के राज्यों, पर्वतीय राज्य जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ-साथ उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर, कोरापुट (के बी के) जिलों के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए 3 : 1 के अनुपात के आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की जाती है। विशेष श्रेणी के राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमों को भी वर्ष 1999-2000 से 3 :1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करायी जा रही है।

विवरण 1

कुल कृषि योग्य भूमि तथा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता सहित उनके संगत प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	हजार हेक्टेयर में आंकड़े			कालम 4 की तुलना कालम 5 का प्रतिशत
		उपयोग की गई सिंचाई क्षमता (1996-97 तक)	कुल कृषि योग्य भूमि (1996-97)	वर्ष 1997-2000 के दौरान उपयोग की गई अतिरिक्त क्षमता	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5570.96	15793	466.39	2.95

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	65.54	293	6.61	2.26
3.	असम	622.62	3257	9.24	0.28
4.	बिहार	6897.90	10884	122.15	1.12
5.	गोवा	29.84	197	2.52	1.28
6.	गुजरात	3039.62	12361	80.12	0.65
7.	हरियाणा	3365.24	3779	37.21	0.98
8.	हिमाचल प्रदेश	134.01	805	6.63	0.82
9.	जम्मू एवं कश्मीर	508.73	1051	13.99	1.33
10.	कर्नाटक	2960.41	12903	190.41	1.48
11.	केरल	1001.80	2445	125.45	5.13
12.	मध्य प्रदेश	4042.97	22776	86.70	0.38
13.	महाराष्ट्र	3828.80	21167	614.30	2.90
14.	मणिपुर	103.19	164	22.20	13.54
15.	मेघालय	39.47	1082	5.73	0.53
16.	मिजोरम	11.22	446	1.26	0.28
17.	नागालैंड	57.93	614	5.00	0.81
18.	उड़ीसा	2669.71	7975	363.21	4.55
19.	पंजाब	5748.46	4250	81.13	1.91
20.	राजस्थान	4425.17	25695	192.56	0.75
21.	सिक्किम	20.59	114	2.18	1.91
22.	तमिलनाडु	3656.85	8314	8.31	0.10
23.	त्रिपुरा	86.33	310	11.65	3.76
24.	उत्तर प्रदेश	28049.00	20632	1050.91	5.04
25.	पश्चिम बंगाल	3909.42	5834	433.44	7.43
	कुल राज्य	80645.78	183341	3939.30	2.15
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	113.36	205	3.80	1.85
	कुल योग	80759.14	183546	3943.10	2.15

विवरण 2

सिंचाई विकास के लिए (एम एंड एम+एम आई) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान मुहैया कराई गई योजना निधियाँ

क्र.सं.	राज्य	योजना परिव्यय करोड़ रुपये में			
		1997-98	1998-99	1999-2000	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	827.79	936.81	1259.77	3026.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.67	22.22	22.48	72.37
3.	असम	104.58	122.59	111.69	338.86
4.	बिहार	432.14	551.00	744.00	1727.14
5.	गोवा	39.35	81.87	62.20	183.42
6.	गुजरात	1359.00	1462.43	1817.30	4578.73
7.	हरियाणा	390.82	512.41	550.00	1453.03
8.	हिमाचल प्रदेश	45.09	59.66	71.68	176.43
9.	जम्मू एवं कश्मीर	69.18	123.23	114.13	306.54
10.	कर्नाटक	1106.59	1607.06	1765.71	4481.36
11.	केरल	194.65	194.80	205.72	594.37
12.	मध्य प्रदेश	481.56	646.68	644.60	1772.84
13.	महाराष्ट्र	2946.17	2994.25	3827.62	9468.04
14.	मणिपुर	57.00	65.50	78.00	200.50
15.	मेघालय	9.50	14.50	17.00	41.00
16.	मिजोरम	2.85	6.33	7.00	16.18
17.	नागालैंड	3.53	4.31	4.31	12.15
18.	उड़ीसा	657.00	695.77	635.74	1988.51
19.	पंजाब	111.53	95.16	166.17	372.86
20.	राजस्थान	417.27	562.46	577.80	1557.53
21.	सिक्किम	2.56	2.14	20.00	24.70
22.	तमिलनाडु	320.91	321.72	378.65	1021.28
23.	त्रिपुरा	30.30	50.04	73.05	153.39
24.	उत्तर प्रदेश	582.86	785.02	951.79	2319.67
25.	पश्चिम बंगाल	231.65	208.65	222.83	663.13
	कुल राज्य	10153.35	12067.81	14329.24	36550.40
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	8.76	13.42	16.16	38.34
	कुल योग	10162.11	12081.23	14345.40	36588.74

[अनुवाद]

पानी की कमी

*629. **डा. रमेश चन्द तोमर:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में तेजी से हो रही पानी की कमी से उबरने के लिए एक प्रभावशाली नीति तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का पानी की कमी से उबरने के लिए विकसित देशों से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 4000 बिलियन घन मीटर वर्षा होती है। यह प्रतीत होता है कि इसमें से लगभग 1869 बिलियन घन मीटर जल देश की विभिन्न नदियों में प्रत्येक वर्ष बह जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण राष्ट्रीय स्तर पर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, जो वर्तमान में 1869 घन मीटर है, 2025 ई. तक घटकर 1350 घन मीटर रह जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति से कम वार्षिक जल उपलब्धता की कोई भी स्थिति जल की कमी वाली स्थिति मानी जाती है। इसलिए, ऐसी संभावना है कि 2025 ई. के अंत तक राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जल की कमी की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा; फिर भी असमान जल उपलब्धता से देश के कुछ भागों में स्थानीय स्तर पर जल की कमी हो सकती है।

स्थलाकृतिक और भौगोलिक सीमाओं के कारण 432 बिलियन घन मीटर पुनर्भरणीय भूजल के अलावा लगभग 690 बिलियन घन मीटर सतही जल का उपयोग किया जा सकता है। इन पुन:उपयोगी जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके 2025 ई. तक देश की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। वर्ष 1995 तक वृहत बांधों और मध्यम परियोजनाओं के निर्माण से 176.73 बिलियन घन मीटर की सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित की गई है। लगभग 75.42 बिलियन घन मीटर की अतिरिक्त क्षमता वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 132.32 बिलियन घन मीटर क्षमता वाली परियोजनाओं की आयोजना की जा रही है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन करके वर्षा जल पर आधारित खेती को भी बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी शुरू किए हैं।

एक राष्ट्रीय जल नीति पहले से ही मौजूद है जिसमें स्थाई आधार पर देश में जल संसाधनों की आयोजना और प्रबंधन की व्यवस्था है।

देश के जल संसाधनों के विकास के लिए विश्व बैंक और द्विपक्षीय दाता अभिकरणों जैसे बहुपक्षीय अभिकरणों से निधियां और नवीन प्रौद्योगिकियों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहायता और सहयोग मिलता है।

पंचाट निर्णयों का उल्लंघन

*630. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय को पंचाट निर्णयों का उल्लंघन किये जाने के संबंध में कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) क्या सरकारी उपक्रम/सरकारी विभाग उद्योग होने के नाते औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के अधीन आते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो सरकारी उपक्रमों/सरकारी विभागों के विरुद्ध कितने मुकदमें शुरू किए गए हैं; और

(घ) पंचाट निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन हेतु क्या कदम उठा रही है?

डॉ. सत्यनारायण जटिया (श्रम मंत्री): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंध के अंतर्गत समझौते के उल्लंघन तथा पंचाट को कार्यान्वित न किये जाने के संबंध में श्रम मंत्रालय के ध्यान में आए मामलों की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	
1997	53
1998	42
1999	98

(ख) और (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29, जो समझौते अथवा पंचाट के उल्लंघन के लिए शास्ति से संबंधित है, सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा संचालित उद्योग पर भी लागू होता है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सरकारी विभागों के विरुद्ध चलाए गए अभियोजनों की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	
1997	20
1998	20
1999	44

(घ) सामाजिक प्रतिभागियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

आलू की अत्यधिक फसल

*631. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस वर्ष आलू की अत्यधिक फसल हुई है;

(ख) यदि हां, क्या आलू उत्पादक लाभप्रद मूल्य घोषित नहीं किए जाने के कारण आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आलू के लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा घोषित नहीं किये जाते हैं। बहरहाल, राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर आलू सहित बागवानी फसलों के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम में मूल्यों के गिरने की प्रवृत्ति रोकने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट अवधि के लिए परस्पर सहमत मूल्य पर उत्पाद की निर्धारित मात्रा की खरीद की परिकल्पना है। हानि, यदि कोई हो राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच 50:50 आधार पर वहन की जाती है। मंडी हस्तक्षेप स्कीम के तहत खरीद हेतु नेफेड केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण है। अभी तक मात्र पश्चिम बंगाल ने ही स्कीम के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव भेजा है जिसे इसकी कमियों को दूर करने के लिए राज्य को वापस भेजा गया है।

सहकारी समितियों के लिए आदर्श अधिनियम

*632. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बहु-राज्य सहकारिता अधिनियम, 1984 के स्थान पर आदर्श सहकारिता अधिनियम बनाने का है;

(ख) क्या गत वर्ष के बजट भाषण के दौरान आदर्श अधिनियम के बनाए जाने की घोषणा की गई थी;

(ग) उक्त अधिनियम को अधिनियमित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अधिनियम के कब तक अधिनियमित कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विद्यमान बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 को प्रतिस्थापित करने के लिए विधायी प्रस्ताव को मूर्त रूप दिया जा चुका है और अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है किन्तु 12वीं लोक सभा के विघटन के कारण इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अब अपेक्षित अनुमोदन के लिए इस विधेयक पर फिर से कार्यवाही की जा रही है इसमें निहित सांविधिक/प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के दृष्टिगत प्रस्तावित विधेयक के अधिनियमन के संबंध में निश्चित समय अनुसूची का उल्लेख करना संभव नहीं है। बहरहाल, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के पूर्ण होने के तुरन्त बाद इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

[अनुवाद]

बेरोजगारी की समस्या

*633. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 5 से 6 प्रतिशत नियमित वृद्धि के बावजूद बेरोजगारी ने अब तक की आर्थिक प्रगति को पीछे छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान आर्थिक प्रगति की तुलना में रोजगार और बेरोजगारी के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और इन वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने बेरोजगार थे और कितने रोजगार के अवसर सृजित हुए;

(ग) बेरोजगारी बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं और इस संकट से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए कम्प्यूटरीकरण के कारण बेरोजगारी में किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 1987-88 (43वां दौर) तथा 1993-94 (50वां दौर) के दौरान रोजगार एवं बेरोजगारी के संबंध में किए गए नवीनतम व्यापक सर्वेक्षणों के आधार पर योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर निम्न प्रकार थी:

बेरोजगारी दर* [सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति (यूपीएसएस) के अनुसार)]

1987-88	2.62
1993-94	1.90

*श्रम बल का प्रतिशत।

1987-88 तथा 1993-94 के दौरान यूजवल प्रिंसिपल एण्ड सब्सिडियरी स्टेटस (यूपीएसएस) के अनुसार रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (%) 2.43% है, यह सकारात्मक रोजगार वृद्धि को दर्शाती है।

विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगारी पर कम्प्यूटरीकरण के प्रभाव का पता लगाने के लिए किसी विशेष अध्ययन का आयोजन नहीं किया गया।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग

*634. **डा. बी.बी. रमैया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अब भी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों पर खर्च की गई पूरी धनराशि अभीष्ट लाभानुभोगियों तक नहीं पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनेक लाभानुभोगियों का सुधार-स्तर उन पर खर्च की गई धनराशि के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ख) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: एक तो वे जो स्वरोजगार हेतु अवसर प्रदान करते हैं और दूसरे वे जो क्षीण कृषि मौसम में पूरक मजदूरी रोजगार प्रदान करते हैं। गरीबी मिटाने में इन कार्यक्रमों की क्षमता का पता लगाने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन करवाए जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किये गए गरीबी-रोधी कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन कराता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के पांचवें चक्र के परिणाम दर्शाते हैं कि यद्यपि एक बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने अपनी जीवन स्थितियों में पर्याप्त सुधार किया है, अभी भी चिंता के प्रमुख क्षेत्र शेष हैं। सहायता प्राप्त कुल लाभार्थियों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों का प्रतिशत मात्र 40 था जबकि लक्ष्य 50 प्रतिशत का था। केवल 14 प्रतिशत उन परिवारों ने जिनकी मुखिया महिलाएं हैं, सहायता प्राप्त की। पुराने आईआरडीपी लाभार्थियों के लगभग 22 प्रतिशत द्वारा आईआरडीपी सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार/बैंक स्टाफ को भुगतान किए जाने की रिपोर्ट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा शुरू किए गए कुछ अन्य मूल्यांकन अध्ययनों ने भी दर्शाया है कि कुछ मामलों में सहायता उन परिवारों को प्रदान की गई जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं थे। मजदूरी रोजगार कार्यक्रम का मूल्यांकन दर्शाता है कि ये कार्यक्रम बेहतर रूप से लक्षित थे तथा कृषि क्षीण मौसम में इन्होंने रोजगार के अवसर प्रदान किए। ऐसे कार्यक्रमों में भी, कार्य उन ठेकेदारों के माध्यम से करवाया गया जिन्हें इसकी अनुमति प्राप्त नहीं थी तथा उपस्थिति नामावली भी उचित रूप से नहीं रखी गई थी।

(ग) से (घ) यद्यपि गरीबी कम करने में देश का निष्पादन शानदार नहीं रहा है, फिर भी पर्याप्त रूप से प्रगति की गई है। 1973-74 में 321.3 मिलियन लोग अर्थात् कुल जनसंख्या के 54.9 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे थे। 1993-94 में यह अनुपात गिर कर 35.97 प्रतिशत रह गया। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 320.3 मिलियन बनी रही। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के वही बने रहने का एक मुख्य कारण इन वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि होना है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के मूल्यांकन ने दर्शाया है कि यद्यपि कुछ समस्या क्षेत्र हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है, कई सफलताएं भी ऊभर कर सामने आई हैं। डी डब्ल्यू सी आर ए के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार प्रदान करने का कई अध्ययनों में उल्लेख किया गया है। मूल्यांकनों ने यह भी दर्शाया है कि कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी से अत्यन्त निकट का संबंध है।

विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में समय-समय पर बीच में सुधार किए गए हैं। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की क्षमता को सुधारने के लिए उन्हें 1.4.1999 से पुन: संरचित किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लघु उद्यमों के एक समग्र कार्यक्रम के रूप में पुन: संरचित किया गया जिसमें ग्रामीण गरीबों को स्वयंसेवी समूहों में संगठित करने, उनकी क्षमता निर्माण, कार्यसमूह की आयोजना, आधारसंरचना के निर्माण, प्रौद्योगिकी, ऋण एवं विपणन सुविधाओं सहित स्वरोजगार के सभी पहलुओं को कवर किया गया था। जवाहर रोजगार योजना को, मांगचालित सामुदायिक ग्राम आधारिक संरचना को सृजित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पुन:संरचित किया गया है। रोजगार आश्वासन स्कीम को एक एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में पुन: संरचित किया गया है तथा इसके माध्यम से क्षीण मौसम में रोजगार प्रदान करने के प्रयास किये जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार स्कीमों को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 1.12.1997 से पुन:संरचित किया गया। सरकार ने विकास प्रक्रिया में भागीदार के रूप में लोगों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये हैं। ऐसी स्थितियों का निर्माण किया गया है जिसमें लोग अवसरों का लाभ उठा सकें तथा अपनी नैसर्गिक क्षमताओं का मुक्त रूप से उपयोग कर सकें। पंचायती राज संस्थानों को अधिकारिता प्रदान करने के साथ, इस प्रक्रिया को और अधिक बल मिलेगा।

गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यनीति में, विकास प्रक्रिया में ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उत्पादक रोजगार प्रदान करने के अवसरों तथा न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के प्रावधान व गरीबीरोधी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सहित आर्थिक विकास की गति को तेज करना शामिल है।

वैश्वीकरण और उदारीकरण का लघु उद्योगों पर प्रभाव

***635. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियाँ अपनाई जाने से लघु उद्योग क्षेत्र के विकास पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि लगभग दो लाख लघु उद्योग इकाइयां बंद हो चुकी हैं और भारी संख्या में लघु उद्योग इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और 31 मार्च, 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र की राज्यवार और क्षेत्रवार स्थिति क्या थी;

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को अनारक्षित किये जाने के प्रस्ताव से लघु उद्योग क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो लघु उद्योग क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने योग्य बनाने के लिए इस क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए कौन-सी नई नीतिगत पहलें की जा रही हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारत में लघु उद्योगों के उदारीकरण का मुकाबला करने में और आयातों के संबंध में मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने में पर्याप्त लचीलापन दर्शाया है जैसा कि नीचे दिए हाल ही के ट्रेक रिकार्ड से स्पष्ट है:

	1990-91	1998-99 (अनंतिम)
इकाइयों की संख्या	19.48 लाख	31.21 लाख
चालू मूल्यों पर उत्पादन	रु. 1,55,340.00 करोड़	रु. 5,27,515.00 करोड़
चालू मूल्यों पर निर्यात	रु. 9,664.00 करोड़	रु. 48,979.00 करोड़

बंद लघु उद्योग इकाइयों की संख्या संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है क्योंकि लघु उद्योग इकाइयों को राज्य सरकारों के यहां पंजीकृत करवाना अनिवार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा वित्तपोषित रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के संबंध में डाटा रखता है और बंद इकाइयों का कोई डाटा नहीं रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले पांच वर्षों में लघु उद्योगों में रुग्णता निम्नानुसार रही:

के अन्त में	कुल रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या
मार्च, 1995	2,68,815
मार्च, 1996	2,62,376
मार्च, 1997	2,35,032
मार्च, 1998	2,21,536
मार्च, 1999	3,06,221

मार्च, 1999 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित राज्य-वार अद्यतन डाटा इसके साथ विवरण के रूप में संलग्न है। केन्द्रीय रूप से लघु उद्योग के संबंध में क्षेत्रवार डाटा नहीं रखा जाता है।

(ग) केवल लघु क्षेत्र में ही विनिर्माण की जाने वाली मदों के आरक्षण के मामले की आरक्षण संबंधी सलाहकार समिति द्वारा निरंतर जांच की जाती है, जिसे इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट तौर पर उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया है। आरक्षण सूची में मदों की नामावली में वृद्धि/विलोपन/परिवर्तन सलाहकार समिति की सिफारिशों तथा देश की आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर किया जाता है।

(घ) सरकार ने मात्रिक प्रतिबंधों को हटाए जाने के प्रभाव का सामना करने तथा लघु उद्योगों को विश्वव्यापी रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता के लिए कई उपाय लागू किए हैं। इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, कलस्टर पहुंच के माध्यम से आधारभूत सहायता, क्रेडिट की समग्र पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना, इलैक्ट्रोनिक् आधारभूत एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी लागू किये जाने का उपयोग, विपणन सहायता और व्यापार उदारीकरण की उभरती चुनौतियों की लघु उद्योगों के प्रति संवेदनशीलता सहित समय पर सूचना का प्रसार जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाना शामिल है।

विवरण

रुग्ण लघु उद्योगों पर राज्य-वार आंकड़े

राज्य/संघ शासित	मार्च, 1999 के अंत तक
1	2
आसाम	10586
मेघालय	447
मिजोरम	40
बिहार	26293
अरुणाचल प्रदेश	116
पश्चिम बंगाल	146182
नागालैंड	166
मणिपुर	5237
उड़ीसा	10134
सिक्किम	28
त्रिपुरा	6914
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	25
उत्तर प्रदेश	17320
दिल्ली	3789
पंजाब	3551
हरियाणा	3180
चंडीगढ़	187
जम्मू एवं कश्मीर	630
हिमाचल प्रदेश	1103
राजस्थान	12835
गुजरात	4170
महाराष्ट्र	13373
दमन एवं द्वीव	13
गोवा	216
दादर एवं नगर हवेली	24
मध्य प्रदेश	6808

1	2
आंध्र प्रदेश	6260
कर्नाटक	4342
लक्षद्वीप	0
तमिलनाडु	11408
केरल	10074
पांडिचेरी	770
कुल	306221

जल संसाधनों का अनुपयोगी रहना

*636. **श्री जार्ज ईडन:**
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जल संसाधनों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष अनुपयोगी हो रहे जल की मात्रा का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 1997 में जल संसाधनों के साथ-साथ औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है। नदियों एवं झीलों में कचड़ा छोड़ने वाले एवं बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले, वर्ष 1997 में दोषी पाये गये 851 उद्योगों में से 551 उद्योगों को अपेक्षित उपचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं, 207 उद्योग बन्द हैं तथा शेष 93 इकाईयां अभी भी दोषी हैं। इन दोषी इकाईयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है।

औद्योगिक प्रदूषण के कारण बेकार हो रहे जल की मात्रा का मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, जल संसाधनों में प्रदूषण के पड़ने वाले प्रभाव का जैवरसायनिक आक्सीजन मांग (बीओडी) के रूप में मूल्यांकन किया है। यह अनुमान है कि वर्ष 1997 में बीओडी मिलावट (लोड) 2100 टन प्रतिदिन थी जो वर्ष 2000 में घटकर 250 टन, प्रतिदिन रह गई।

[हिन्दी]

अनाथों का पुनर्वास

*637. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:**
श्री अब्दुल हमीद:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे अनाथालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन्हें वित्तीय सहायता देने हेतु मानदंड क्या है;

(ग) इस हेतु आबंटित निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या भारतीय कानून बच्चों को गोद लेने के इच्छुक दम्पत्तियों से धर्म के आधार पर भेदभाव करता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस बारे में कानूनों को सरल बनाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास अनाथालयों के लिए वित्तीय सहायता संबंधी कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, शिशुओं के अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृह योजना और विशेष परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान की सामान्य योजना के अंतर्गत भी सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) शिशु गृह योजना के अंतर्गत विगत वर्ष के दौरान गोद लेने वाले भारतीय माता-पिता के साथ न्यूनतम 50% स्थापनों की उपलब्धि सहित दत्तकग्रहण में पहले से संलग्न पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन सहायता अनुदान के पात्र हैं। सामान्य सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, विद्यालय तथा सांविधिक निकाय पात्र हैं।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा आवधिक निरीक्षण किये जाते हैं और अनुदान केवल पिछले अनुदानों के समुचित उपयोग की पुष्टि और राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर जारी किया जाता है।

(घ) भारत में दत्तकग्रहण के लिए कोई एक समान कानून नहीं है। हिन्दुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों को भारतीय दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बच्चों को गोद लेने की अनुमति है। अन्य समुदायों जो इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, को संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 का सहारा लेना पड़ता है। हिन्दु दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गोद लिए गए बच्चों तथा इसकी तुलना में माता-पिता द्वारा संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत गोद लिए गए बच्चों के दर्जे में एक अन्तर है। जबकि पहले के अंतर्गत बच्चों को जैविक बच्चे के अधिकार प्राप्त होंगे, दूसरे के अंतर्गत उन्हें बिना किसी जन्मजात अधिकार के प्रतिपाल्य के रूप में माना जाएगा।

(ङ) इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) लागू नहीं होता।

विवरण

क्र.सं.	फाइल सं.	संस्था का नाम	1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	22-13/93-बी एच (एसी)	इंडियन काउंसिल फार सोसल वेलफेयर, इनसाइड कैन्सर हास्पीटल कम्पाउन्ड, रेड हिल्स, हैदराबाद-500004 दूरभाष : 38503, 36538, 30074	740,400.00
2.	22-20/95-सीएच(एसी)	प्रियदर्शिनी सर्विस आर्गेनाइजेशन डी. नं. 45-56-9, सालीग्रामपुरम, विशाखापत्तनम-24 दूरभाष: 549249	975,300.00
3.	22-5/99-सीएच(एसी)	सोशल एक्शन फार सोसल डेवलपमेन्ट प्लाट नं. 243, श्रीनिवास कालोनी, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश-509002 दूरभाष: 040-3700879, फैक्स : 040-3700879	432,900.00
अरुणाचल प्रदेश			
1.	22-8/93-सीएच(एसी)	ओजु वेलफेयर एसोसिएशन नाहरलगुन नाहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश-791110 दूरभाष: 44453, 44784, फैक्स: 0360-44659	600,000.00
दिल्ली			
1.	22-9/93-सीएच(एसी)	वेलफेयर होम फार चिल्ड्रेन 68, राजा गार्डिन, नई दिल्ली-110027	600,000.00
2.	22-12/93-सीएच(एसी)	सेवा भारती, 10196/ए, झण्डेवालान टेम्पल कम्पलैक्स, नई दिल्ली-110055 दूरभाष: 7775014, 7516835	464,400.00

1	2	3	4
गुजरात			
1.	22-3/95-सीएच(एसी)	काटियावार निरश्रित बालाश्रम महावीया रोड, लोधावाड़ चौक, राजकोट-360002 दूरभाष: 22071, 86308	353,700.00
हरियाणा			
1.	22-18/93-सीएच(एसी)	हरियाणा स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर बाल विकास भवन, 650, सेक्टर 16 डी, चंडीगढ़ दूरभाष: 20393	447,030.00
कर्नाटक			
1.	22-43/97-सीएच(एसी)	जयन्ती ग्राम वीमेन्स एंड डिलड्रेन्स वेलफेयर एसो. पी. बाक्स नं. 55, मल्लिकार्जुन, ज्ञान तौगाश्रम, बी. एल.ओ.ई. रोड बीजापुर, कर्नाटक-586103	496,800.00
केरल			
1.	22-21/93-सीएच(एसी)	दीनसेवन सभा, पट्टूवम, स्नेहनिकेतन सोसल सेन्टर पट्टूवम, कन्नूर जिला , केरल दूरभाष: 0498-220046	464,400.00
2.	22-9/99-सीएच(एसी)	केरल स्टेट काउंसिल फार-चाइल्ड वेलफेयर थ्याकौड, तिरुवनन्तपुरम-695014 दूरभाष: 324939	234,000.00
महाराष्ट्र			
1.	22-23/93-सीएच(एसी)	आधार आश्रम 491/6, घरपूरे घाट, नासिक, दूरभाष: 580309	766,800.00
2.	22-31/93-सीएच(एसी)	बाल विकास महिला मंडल पी.ओ.-35, संभाजीनगर, खादगांव रोड, लातूर-413531 (महाराष्ट्र) दूरभाष: 44005, 45866	600,000.00
3.	22-5/94-सीएच(एसी)	पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी "सार्थक", प्लाट नं. 1, सर्कुलर रोड, अवाल बुल्दाना, महाराष्ट्र-443001 दूरभाष: 07262-42007 श्री शिवाजी विद्यालय रोड, नवजीवन हास्पीटल के नजदीक सुवर्णनगर, बुल्दाना-443001 (महाराष्ट्र)	712,800.00

1	2	3	4
4.	22-6/94-सीएच(एसी)	दन्यान गंगोत्री एजुकेशन सोसाइटी उदगिर-पाउडर जिला-लातूर (महाराष्ट्र)	600,000.00
5.	22-20/94-सीएच(एसी)	डिस्ट्रीक्ट प्रोबेशन एंड आफ्टर केयर एसोसिएशन बाल कल्याण स्कूल मंगलवार, पेठ, कौल्थापुर-416012 दूरभाष: 30456, 33978, 22985	138,186.00
6.	22-8/94-सीएच(एसी)	संघी निकेतन शिक्षण संस्था, बाडगांव, तुलाका मुखेड, जिला-नांदेड़ महाराष्ट्र-431715 दूरभाष: 52689	745,200.00
7.	22-53/97-सीएच(एसी)	पटेल बहुद्देश्यीय शिक्षण संस्था, नागपुर	248,400.00
8.	22-47/97-सीएच(एसी)	प्रियदर्शिनी शिक्षण प्रसारक मंडल श्यामनगर, कैम्प वार्ड नं. 8, चन्द्रचूर, महाराष्ट्र	606,750.00
9.	22-46/97-सीएच(एसी)	डिस्ट्रिक प्रोबेशन एंड आफ्टर केयर आजर्वेशन होम, जारेकर गली, अहमद नगर	498,809.00
10.	22-35/97-सीएच(एसी)	ज्योतिबा फूले, ट्रस्ट वसारानी, पोस्ट-सीआईडीसीओ, जिला-नांदेड़	496,800.00
11.	22-24/96-सीएच(एसी)	उन्नतिशील महिला मंडल रवि भवन, पंचशील स्कूल के निकट, क्रान्ति नगर, शाले जवल, नांदेड़-431602 दूरभाष: 34787	297,900.00
उड़ीसा			
1.	22-6/99-सीएच(एसी)	निलांचल सेवा प्रतिष्ठान दया विहार, जिला-पुरी, उड़ीसा-752017 दूरभाष: 06752-8028	600,000.00
2.	22-5/95-सीएच(एसी)	बनवासी सेवा समिति डाकघर बालिगुडा-762103, जिला कन्दमाल, उड़ीसा दूरभाष: 06846-43256	248,400.00
3.	22-25/96-सीएच(एसी)	विकास परिषद (विनोबा शिशु गृह) राजेन्द्र नगर, कटक-10, उड़ीसा	745,000.00

1	2	3	4
4.	22-1/99-सीएच(एसी)	समुदाय कानूनी कार्रवाई तथा अनुसंधान केन्द्र 80/डाकघर, बैन्सिया, महिला गड्डी ढेंकनाल, उड़ीसा-759014	243,000.00
5.	22-50/97-सीएच(एसी)	लू थेरन महिला समिति पटालिपंक पटालीपंक, गुजांग केन्द्रपाड़ा, उड़ीसा-754141	243,000.00
6.		महर्षि दयानन्द सेवा मिशन जोरांदा, महिमा गुड्डी, जिला ढेंकनाल, उड़ीसा-759014	49,500.00
राजस्थान			
1.	22-11/94-सीएच(एसी)	श्री कारनिनगर विकास समिति गोरधारपुरा कोटा-324007, राजस्थान दूरभाष: 0744-27241, 27897	248,400.00
2.	22-54/97-सीएच(एसी)	मधु समिति महिला एवं बाल कल्याण विहार संस्थान रंग बारी, कोटा, राजस्थान, हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड टैंक रोड, जयपुर, राजस्थान	243,000.00
तमिलनाडु			
1.	22-32/93-सीएच(एसी)	गिल्ड आफ सर्विस कासा मेजर रोड, इग्मोर, मद्रास-600008 दूरभाष: 8261279, 8263685	248,400.00
2.	22-38/97-सीएच(एसी)	मद्रास सोशल सर्विस गिल्ड, नेदूनगुन्द्राक, वन्दालूर-चेन्नई-600048 दूरभाष: 2376848, फैक्स नं. 0091-44-2376848	220,050.00
3.	22-39/97-सीएच(एसी)	मलेशियन सोसल सर्विस, मकान सं. 19, वेस्ट अरासमाराम, अमिजकराई, चेन्नई-600029 दूरभाष: 614970, 6273478, 6267519, 6272402 फैक्स: 91-44-6213371 मकान सं. 6, सेन्गुन्थर, स्ट्रीट, शिसोई नगर, चेन्नई-600030 दूरभाष: 6449970, 6257519, 6273478/2402/2946 फैक्स: 044-621-3371	248,400.00
त्रिपुरा			
1.	22-16/94-सीएच(एसी)	त्रिपुरा बाल कल्याण परिषद, ल्योन गेट (पश्चिम) लक्ष्मी नारायण बारीरोड, डाकघर-अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम-799001 दूरभाष: 227026	599,400.00

1	2	3	4
मध्य प्रदेश			
1.	22-19/95-सीएच(एसी)	बांके बिहारी कुंज बहुउद्देश्यी महिला कल्याण समिति महिला कल्याण समिति, लहर, जिला-भिंड, मध्य प्रदेश	600,000.00
मणिपुर			
1.	22-19/95-सीएच(एसी)	सोशल रिप्रोमोशन एण्ड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन प्रोम्पट सैबम, लेइकाई, जेएन. हास्पिटल रोड, त्रिपुरा, इम्फाल-795001	49,500.00
2.	22-15/99-सीएच(एसी)	समुदाय विकास कार्यक्रम केन्द्र एम.आई. रोड, जिला-थोडबल, मणिपुर	49,500.00
मिजोरम			
1.	22-18/99-सीएच(एसी)	अंतर्राष्ट्रीय निर्धन बाल ग्रह बाल केन्द्र सेवेन्थ डे थांग, वैवा क्वान-796009 आइडावेल, मिजोरम	49,500.00
		कुल योग	16,205,625.00

समाज रक्षा के क्षेत्र में सामान्य सहायता अनुदान

क्र.सं.	फाइल सं.	संगठन का नाम	1999-2000
1.	11-27(3)/99-2000-एसडी	प्रणव कन्या संघ ए.आई.आर. रोड, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	रु. 55,764

[अनुवाद]

जल प्रबंधन

***638. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक औसत वर्षा का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वर्षा का कितना पानी एकत्र और उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) देश भर में वर्षा के पानी को एकत्र करने संबंधी कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) भारत में प्रत्येक वर्ष औसतन 4000 बिलियन घन मीटर वर्षा होती है। इसमें से लगभग 1869 बिलियन घन मीटर जल देश की विभिन्न नदियों में बह जाता है।

भारतीय मौसम विभाग ने देश को 35 मौसम विज्ञान संबंधी उप प्रभागों में बांटा है। वर्ष 1997-1999 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को शामिल करते हुए इन 35 उपप्रभागों के लिए वर्षवार वार्षिक औसत वर्षापात् विवरण में दिया गया है।

पारंपरिक पद्धतियों द्वारा उपयोग करने योग्य जल 690 बिलियन घन मीटर आंका गया है। उपलब्ध जल संसाधनों को काम में लाने

और जल आपूर्तियों को बढ़ाने के लिए लगभग 3600 बड़े बांध और जलाशय तथा 250 बैराजों का निर्माण किया गया है। वर्ष 1995 तक 177 बिलियन घन मीटर की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता उपलब्ध कराई गई है। निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में चल रहे बांधों के पूरा होने पर 75 बिलियन घन मीटर की अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता का सृजन होगा। 132 बिलियन घन मीटर की सक्रिय भंडारण क्षमता के सृजन के लिए अतिरिक्त बांधों को शुरू किये जाने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे/विचाराधीन हैं। पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 432 बिलियन घनमीटर हैं जिसमें से लगभग 154 बिलियन घन मीटर को उपयोग के लिए विकसित कर लिया गया है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन करके वर्षा जल पर आधारित खेती को बढ़ावा भी दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी शुरू किए हैं।

यद्यपि विभिन्न उद्देश्यों के लिए किये जाने वाले वास्तविक उपयोग का आकलन नहीं किया गया है तथापि, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार देश में विभिन्न उपयोगों के लिए जल की अनुमानित मांग निम्नानुसार है।

उपयोग	वर्ष 2000 के लिए जल की मांग (बिलियन घन मीटर में)
सिंचाई	630
घरेलू	33
औद्योगिक	30
ऊर्जा	27
अन्य	30
कुल	750

विवरण

देश के विभिन्न मौसम वैज्ञानिक उप-प्रभाग में औसत वार्षिक वर्षा

(मिलीमीटर में)

क्र.सं.	उप-प्रभाग	औसत वार्षिक सामान्य वर्षा	वास्तविक वार्षिक 1996-97	वास्तविक वार्षिक 1997-98	वास्तविक वार्षिक 1998-99	वास्तविक वार्षिक औसत
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2909	3116	2387	2740	2748
2.	अरुणाचल प्रदेश	2874	2946	2590	3498	3011
3.	असम और मेघालय	2824	2660	2423	2841	2641
4.	नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा	1894	1591	1941	1535	1689
5.	उप-हिमालयीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम	2662	2528	2403	3236	2722
6.	गांगेय पश्चिम बंगाल	1430	1379	1706	1390	1492
7.	उड़ीसा	1477	1039	1545	1325	1303
8.	बिहार का पठार	1309	1198	1697	1374	1423

1	2	3	4	5	6	7
9.	बिहार के मैदान	1173	1110	1324	1352	1262
10.	पूर्व उत्तर प्रदेश	1020	1033	1068	1128	1076
11.	पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैदान	889	927	892	1078	966
12.	पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां	1659	1249	1521	1724	1498
13.	हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली	613	850	865	923	879
14.	पंजाब	643	721	894	809	808
15.	हिमाचल प्रदेश	1327	1191	1360	1356	1302
16.	जम्मू व कश्मीर	1004	1107	1192	716	1005
17.	पश्चिमी राजस्थान	313	479	577	397	484
18.	पूर्वी राजस्थान	675	950	759	673	794
19.	पश्चिमी मध्य प्रदेश	1011	1155	1135	950	1080
20.	पूर्वी मध्य प्रदेश	1311	1153	1325	1011	1163
21.	गुजरात क्षेत्र, दमन, दादरा व नगर हवेली	1101	1182	1408	1397	1329
22.	सौराष्ट्र, कच्छ व दीव	576	478	638	750	622
23.	कोंकण और गोवा	2990	2655	2898	3764	3105
24.	मध्य महाराष्ट्र	900	965	1051	1135	1050
25.	मराठवाड़ा	840	844	824	1224	964
26.	विदर्भ	1106	842	1100	1137	1026
27.	तटीय आंध्र प्रदेश	1031	1251	1073	1323	1216
28.	तेलंगाना	944	1014	800	1162	992
29.	रायलसीमा	669	1305	792	954	1017
30.	तमिलनाडु व पांडिचेरी	982	1229	1192	1084	1168
31.	तटीय कर्नाटक	3502	3123	4144	4170	3812
32.	उत्तर इनटीरियर कर्नाटक	750	883	737	976	865
33.	दक्षिण इनटीरियर कर्नाटक	1096	1231	1266	1224	1240
34.	केरल	3071	2679	3224	3398	3100
35.	लक्षद्वीप	1474	1602	1764	1974	1780

राज्य मंत्रियों का सम्मेलन

*639. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1987 में हुए राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में दो वर्ष की समयावधि में कम से कम एक बार श्रमिकों की मजदूरी में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अभी भी पांच वर्ष के अंतराल के बाद श्रमिकों की मजदूरी की दरें संशोधित की जा रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस मामले पर नए सिरे से विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है?

डॉ. सत्यनारायण जटिया (श्रम मंत्री): (क) से (ङ) राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन का 36वाँ सत्र 20 मई, 1987 को हुआ था जिसमें कम से कम दो वर्ष में एक बार अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) में 50 अंकों की वृद्धि होने पर न्यूनतम मजदूरी में आवधिक संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद, राज्य श्रम मंत्रियों का सम्मेलन 7 नवम्बर, 1988 को हुआ था जिसमें न्यूनतम मजदूरी को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने हेतु इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने के लिए एक कार्यविधि तैयार करने की सिफारिश की गई थी। तदनुसार, सेमिनारों, बैठकों तथा सम्मेलनों जैसे विभिन्न मंचों में राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासकों को समय-समय पर सलाह दी जा रही है कि वे अधिक से अधिक 2 वर्ष के भीतर अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 बिन्दुओं की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, पुनरीक्षण एवं उसमें संशोधन कर लें। केन्द्रीय सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी अनुसूचित रोजगारों के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध परिवर्ती महंगाई भत्ता (वी.डी.ए.) पहले ही लागू कर दिया है। परिवर्ती महंगाई घटक को 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर से प्रभावी हर 6 महीने बाद संशोधित किया जाता है, जिसे मूल न्यूनतम मजदूरी के साथ जोड़ा जाता है। चूंकि परिवर्ती महंगाई भत्ते का एक घटक होता है, इसलिए केन्द्रीय क्षेत्र में रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, अधिनियम के मौजूदा उपबन्धों के अनुसार 5 वर्ष में एक बार संशोधित की जाती है। जहाँ तक राज्यों का संबंध है, 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ सम्बद्ध परिवर्ती महंगाई भत्ता का प्रावधान किया है।

सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने सहित अन्य संशोधन करने की कार्रवाई कर रही है। ऐसे मामलों में जहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध परिवर्ती महंगाई भत्ता न्यूनतम मजदूरी का एक घटक होता है, उस मामले में 5 वर्ष की अवधि जारी रहेगी। जहाँ तक विशिष्ट समय-सीमा का संबंध है, इसमें जुड़ी प्रक्रियाओं/कदमों के कारण इसका उल्लेख करना संभव नहीं हो सकेगा।

खाद्य विकास निधि

*640. **श्री किरीट सोमैया:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य विकास निधि सफल नहीं रही;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या, अन्य विकसित देशों की तुलना में इस क्षेत्र में खाद्य उत्पादों के संबंध में निष्पादन बहुत कम रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) प्रभावी ढंग से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण विकास कोष के सृजन का सुझाव दिया गया था। कोष के सृजन में अत्यंत जटिल प्रकृति के वित्तीय मुद्दों की परिकल्पना है जिसके लिए वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी। इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए विचार-विमर्श जारी है।

(ग) और (घ) खाद्यान्न उत्पादन में कृषि क्षेत्र का कार्यनिष्पादन सन्तोषजनक रहा है।

(ङ) प्रत्येक क्षेत्र में विकास की पूर्ण संभावनाओं को साकार करने और कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए कृषि आर्थिक, जलवायविक एवं पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि-जलवायु क्षेत्रीय नियोजन आधार पर एक क्षेत्र-विशिष्ट कार्यनीति अपनायी गयी है।

''इस्पात नगर'' में विद्यालय

6770. **श्री अनंत नायक:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा प्रत्येक ''इस्पात नगर'' में कितने विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए गए;

(ख) क्या राउरकेला ''इस्पात नगर'' में स्थित विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल सुविधाओं का विस्तार करने और अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हाँ, तो सेल द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) सेल संयंत्रों/इकाइयों की बस्ती में निम्नानुसार 162 विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं/चल रहे हैं:

क्र.सं.	संयंत्र/इकाई	विद्यालय और महाविद्यालयों की संख्या
1.	बोकारो इस्पात संयंत्र	42
2.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	21
3.	भिलाई इस्पात संयंत्र	60
4.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	21
5.	कच्चा माल प्रभाग	7
6.	विश्वेश्वरैय्या आयरन एंड स्टील लि.	11
	योग	162

(ख) और (ग) राउरकेला इस्पात संयंत्र ने आगामी शैक्षकि सत्र से + 2 स्तर की सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए हाल ही में उड़ीसा सरकार को आवेदन किया है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की अतिरिक्त सुविधाएं सृजित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कंपनी द्वारा स्टील सिटी और फर्टीलाइजर टाउनशिप में चलाये जा रहे विद्यालयों में छात्रावास की सुविधा नहीं है।

सांस्कृतिक शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान

6771. **श्री विजय गोयल:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999 के दौरान हमारे पड़ोसी देशों अर्थात् पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान आदि के बीच सांस्कृतिक शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी हाँ। वर्ष 1999 के दौरान हमारे पड़ोसियों के साथ आदान-प्रदान हुआ है। संलग्न विवरण में यहाँ आने वाले और यहाँ से बाहर जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडलों से संबंधित जानकारी दी गयी है।

(ग) अफगानिस्तान में जारी गृह युद्ध के कारण अफगानिस्तान के साथ सांस्कृतिक शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान संभव नहीं है।

विवरण

श्रीलंका

श्रीलंका से आनेवाला

1. संगीतद्वय की यात्रा (फरवरी, 1999)
2. श्रीसनार गुणतिलके एवं श्री प्रसन्ना विठानाजे (फिल्म निर्देशक) की यात्रा (सितम्बर, 1999)
3. डा. दीपिका उदगमा, निदेशक, मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र, कोलम्बो विश्वविद्यालय की यात्रा (नवम्बर, 1999)
4. सदस्यीय पश्चिमी प्रांत राज्य नृत्य जुगलबंदी (नवम्बर-दिसम्बर, 1999)

भारत से जाने वाला

1. श्रीमती रेखा सूर्या के नेतृत्व में 4 सदस्यीय संगीत समूह
2. 14 सदस्यीय मार्गी कथकली नृत्य समूह (मार्च, 1999)
3. शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार श्री पुलक दत्त की यात्रा (अप्रैल, 1999)

4. श्रीमती नन्दिनी सिंह के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय कथक नृत्य दल (जुलाई, 1999)

5. मुम्बई के कलाकार श्री सेजल क्षीरसागर की यात्रा (जुलाई, 1999)

6. चित्रकार श्री वी बालू की यात्रा और उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी (अगस्त, 1999)

7. श्रीमती कविता, श्रीमती सरल्या (गायन) और छह अन्य की यात्रा (अक्तूबर-नवम्बर, 1999)

8. भरतनाट्यम नृत्यांगना श्रीमती मीनाक्षी चितरंजन और कर्नाटक संगीत गायिका सरल्या बहनों के नेतृत्व में 8 सदस्यीय नृत्य/संगीत दल की यात्रा

नेपाल

नेपाल से आने वाला

1. श्री आनन्द कार्की के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय गायन दल (नवम्बर-दिसम्बर, 1999)

भारत से जाने वाला:

1. श्रीमती प्रतिभा प्रहलाद के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय भरत-नाट्यम दल (फरवरी, 1999)

2. श्रीमती अलारमेल वल्ली के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय भरतनाट्यम दल (फरवरी, 1999)

3. हिन्दी नाटक ''अंधा युग'' के नेपाली रुपान्तरण के मंचन के संबंध में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के श्री भानी भारती और अन्य की यात्रा (जनवरी-फरवरी 1999)

4. एक तीन सदस्यीय साहित्यिक शिष्टमंडल जिसमें श्री कैलाश वाजपेयी, श्री केदार नाथ सिंह और श्रीमती गगन गिल शामिल थे (मार्च, 1999)

5. पंडित जसराज के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय गायन दल (अगस्त, 1999)

6. श्रीमती मालविका सुरुक्कई के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय भरतनाट्यम दल (सितम्बर, 1999)

7. श्रीमती शोभना नारायण के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय नृत्य दल (अक्तूबर, 1999)

पाकिस्तान

पाकिस्तान से आने वाला

1. कलकत्ता कठपुतली महोत्सव में भाग लेने के लिए रफी पीर कठपुतली दल की यात्रा (दिसम्बर 1998-जनवरी, 1999)

भारत से जाने वाला

कोई नहीं

भूटान

भूटान से आने वाला:

1. बड़ी संख्या में विभिन्न बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा करने वाले भूटान के तीर्थयात्रियों के उपयोग के लिए एक विस्तृत गाईड पुस्तिका तैयार करने के उद्देश्य से 11 नवम्बर, 1999 से 4 जनवरी, 2000 तक के लिए विश्व शांति मोनलान शोकचेन के एक दस सदस्यीय शिष्टमंडल ने बौद्ध तीर्थस्थलों का दौरा किया। शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:

1. माननीय वेन थुकसे सिमपोचे
2. चेन लाम (गेशे) पेमा सेवांग
3. लामा धोनदय तारचेन
4. श्री कुक्षंग तोबग्येल
5. तोपोन तेंग्ये
6. लोपोन कुंजंग थिले
7. लोपोन नाडो
8. श्री जामयांग हेंडअप
9. आठम चिमी
10. दाशो उग्येन नाम्ग्येल

भारत से जाने वाला

1. भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोहों तथा महामहिम भूटान नरेश के राज्यारोहण के रजत जयंती समारोहों में भाग लेने के लिए 12-19 अगस्त, 1999 तक इला अरुण के नेतृत्व में 25 सदस्यीय संगीत एवं नृत्य दल की भूटान यात्रा। इस दल ने तीन कार्यक्रम प्रस्तुत किये। 13 अगस्त को इंडिया हाउस में 250 चुनिंदा श्रोताओं

के लिए एक निजी कार्यक्रम जिसमें महामहिम एवं महामान्या तथा शाही परिवार के अन्य सदस्य शामिल थे। 15 अगस्त को थिम्पु के स्वीमिंग पूल परिसर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम और 17 अगस्त को भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल के 1000 कार्मिकों के समक्ष हा में एक कार्यक्रम।

बंगलादेश

बंगलादेश से आने वाला

1. एक 32 सदस्यीय नृत्य एवं संगीत दल (मई, 1999)
2. भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमालुद्दीन होसैन की यात्रा (नवम्बर, 1999)
3. बंगलादेश उच्च अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष श्री ए जेड एम ओबेदुल्ला खान की यात्रा (दिसम्बर, 1999)

भारत से जाने वाला

1. रंजाबोती सरकार के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय दल (फरवरी, 1999)
2. रतन थियम, पदमा तलवाकर (गायन) संगीता दास (ओडिसी) के नेतृत्व में एक तीस सदस्यीय दल (मार्च, 1999)
3. पंडित विनायक तोरवी (गायन), उस्ताद शहिद परवेज (गिटार), अश्विनी भीडे देशपांडे (गायन) (अक्तूबर, 1999)
4. संस्कृत थियेटर दल, के एस हेगड़े, संस्कृत थिएटर दल, के एन पनिक्कर (नवम्बर, 1999)
5. केरल कलामंडलम द्वारा कुडियट्टम, यशोदा एस राव (कुचिपुड़ी) (दिसम्बर, 1999)

म्यांमा

म्यांमा से आने वाला

1. म्यांमा रामायण मंचीय कला दल (28 अप्रैल-5 मई, 1999)

भारत से जाने वाला

1. श्रीमती आलोका कानूनगो का ओडिसी नृत्य समूह (जनवरी, 1999)
2. एक नौ सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य, नृत्य एवं संगीत दल (जनवरी, 1999)
3. एक पाँच सदस्यीय भरत नाट्टयम नृत्य दल (अप्रैल-मई, 1999)
4. शायरी/गजल कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए दो उर्दू कवि (दिसम्बर, 1999)
5. 16 दिसम्बर, 1999 से सात दिनों की यात्रा पर एक संस्कृत विद्वान।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालयों द्वारा भर्ती

6772. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, गुजरात और देश के अन्य भागों में दस या इससे अधिक कर्मचारियों वाले सरकारी और निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम्स में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्तियां की जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सभी जगह केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती के नियम को कड़ाई से लागू करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इनकी भर्ती किस प्रकार की जाएगी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र में समूह 'ग' एवं 'घ' पदों पर भर्ती, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 15 मई, 1998 के का.ज्ञा. संख्या 14024/2/96-स्था. (घ) में निहित अनुदेशों के अनुसार की जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के नियोजनकर्त्ताओं को रिक्तियां इन अनुदेशों के अनुसार, रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करनी होती हैं तथा प्रशासनिक एवं बजटीय सुविधाओं के मद्देनजर प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित रोजगार समाचार में विज्ञापित करनी पड़ती हैं। रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों तथा विज्ञापन के प्रति उत्तर में उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करते हुए नियोजकों द्वारा अंतिम चयन किया जाता है। ये अनुदेश निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होते, लेकिन 25 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए रिक्तियां रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करना अनिवार्य है।

(ग) और (घ) सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र में केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रेंगली बांध के विस्थापित

6773. श्री भर्तृहरि महताब: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेंगली सिंचाई परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और उनको मुआवजा देने पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है; और

(ग) सभी प्रभावित व्यक्तियों को कब तक पुनर्वास/मुआवजा दे दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) रेंगाली सिंचाई परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यों पर 31.12.1999 तक 8.02 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2000-2001 के दौरान प्रस्तावित निधियां 3 करोड़ रुपये हैं।

(ग) पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यों के 2001-02 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

अंगूर की खेती

6774. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अंगूर की खेती बहुत बड़े भू-भाग में होती है;

(ख) क्या सरकार को देश में अंगूरों की गुणवत्ता के सुधार हेतु अध्ययन करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में उत्पादित अंगूरों की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) वर्ष 1998-99 की स्थिति के अनुसार देश में अंगूर की खेती का क्षेत्र 42600 हेक्टेयर था।

(ख) और (ग) अंगूर की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया गया है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान केन्द्र, पुणे एवं भारतीय बागवानी अनुसंधान, बंगलौर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से अनुसंधान किया जा रहा है एवं नौ उन्नत किस्में जारी की गई हैं। इसके अलावा अंगूर सहित फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उप शीतोष्ण फलों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) द्वारा संगठन निर्माण एवं मानव संसाधन विकास संबधी एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत अंगूर सहित फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार करने के लिए समेकित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कृषि मंत्रालय फलों के समेकित विकास से संबंधित एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत अंगूर सहित फलों के विकास के लिए गुणवत्ता रोपण सामग्री की आपूर्ति, क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता सुधार, किसानों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां

6775. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री रामटहल चौधरी:
श्री अनंत नायक:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में लघु उद्योग इकाइयां रुग्ण हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रुग्ण उद्योगों की राज्यवार संख्या विशेषकर महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी रुग्णता के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन उद्योगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1999 के अंत में रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या 3,06,221 है। रुग्ण इकाईयों की संख्या कुल लघु उद्योग इकाईयों की प्रतिशतता के रूप में 10 प्रतिशत से कम है। 31 मार्च, 1999 के अंत में रुग्ण लघु उद्योगों के महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों सहित राज्य-वार आंकड़े विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता का प्रभाव ऋण की अपर्याप्ता, विकास समस्याओं, प्रबंध संबंधी अपर्याप्तताओं, आधारभूत समस्याओं, प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं, आदि जैसे विभिन्न तथ्यों के कारण होता है।

(ङ) सरकार लघु उद्योग इकाईयों के बीच औद्योगिक रुग्णता की समस्या से पूर्णत: ग्रस्त है और सम्भाव्य तौर पर जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों की समय पर पहचान करने और उनके पुनर्वास की सुविधा के लिए विभिन्न उपाय किये हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य स्तर अन्त: सांस्थानिक समितियों के रूप में सांस्थानिक तंत्र, बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास प्रकोष्ठ तथा पात्र इकाईयों को पुनर्वास सहायता का विस्तार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए व्यापक मार्ग-निर्देश शामिल हैं।

विवरण

रुग्ण लघु उद्योगों पर राज्य-वार आंकड़े

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मार्च, 1999 के अंत तक
1	2
असम	10586
मेघालय	447
मिजोरम	40
बिहार	26293
अरुणाचल प्रदेश	116
पश्चिम बंगाल	146182
नागालैण्ड	166
मणिपुर	5237
उड़ीसा	10134
सिक्किम	28
त्रिपुरा	6914
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	25
उत्तर प्रदेश	17320
दिल्ली	3789
पंजाब	3551
हरियाणा	3180
चण्डीगढ़	187
जम्मू एवं कश्मीर	630
हिमाचल प्रदेश	1103
राजस्थान	12835
गुजरात	4170
महाराष्ट्र	13373
दमन एवं द्वीव	13
गोवा	216
दादर एवं नगर हवेली	24
मध्य. प्रदेश	6808
आंध्र प्रदेश	6260
कर्नाटक	4342
लक्षद्वीप	0
तमिलनाडु	11408
केरल	10074
पांडिचेरी	770
कुल	306221

विकिरण बम

6776. श्री अधीर चौधरी:

श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान स्वयं इस्तेमाल तथा संभवत: दूसरों के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए विकिरण बम बनाने की योजना पर अमल कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का, पाकिस्तान की चुनौती का किस प्रकार से सामना करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकार को पाकिस्तान जा रहे रेडियो-एक्टिव सामग्री की एक खेप के पकड़े जाने के पश्चात् कि पाकिस्तान ''रेक्रिएशन बमों'' के निर्माण संबंधी कोई कार्यक्रम चला सकता है, की मीडिया खबरों की जानकारी है। यह खेप तथाकथित रूप से कजाकिस्तान से आई थी और उजबेकिस्तान के सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा इसे जब्त किया गया था।

(ग) भारत नाभिकीय सामग्री के अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए आई ए ई ए के परिप्रेक्ष्य सहित, सहयोगी प्रयासों में जुटा हुआ है। सरकार हमारी सुरक्षा के प्रति खबरों के अपने स्वयं के मूल्यांकन के अनुसार भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की प्रभावी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति भी पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन

6777. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास हेतु वर्ष 1999-2000 में राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) ग्रामीण कुटीर उद्योगों के उत्पादों के लिए निर्यात क्षमता और सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भारत में उत्पादवार और मात्रावार कौन-कौन सी कुटीर औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया गया है तथा इनका अलग-अलग मूल्य कितना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा 1999-2000 के दौरान प्रत्येक राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास हेतु आबंटित निधियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार द्वारा निर्यातकों को दिए जाने वाले सामान्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त केवीआईसी भी निर्यात इकाईयों को, निवेश आर्थिक-सहायता, ब्याज की दर में रियायत तथा एफ.ओ.बी. मूल्य पर 5% निर्यात आर्थिक सहायता के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करता है।

(ग) सभी कुटीर औद्योगिक उत्पादों के संदर्भ में उत्पाद-वार, मात्रा-वार और मूल्य-वार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि वर्ष 1998-99 के लिए कुछ वस्तुओं के संदर्भ में निर्यात सूचना नीचे दी गई है:

प्रसंस्कृत अनाज एवं दालें	रु. 850.14 लाख
हस्तनिर्मित कागज उत्पाद	रु. 1615.00 लाख
विभिन्न रेशे वाली वस्तुएं	रु. 3.38 लाख
प्राकृतिक शहद	रु. 747.47 लाख

विवरण

खादी एवं ग्रामोद्योग के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य-वार निधियों का आबंटन दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्यों का नाम	खादी	पोलीवस्त्र	ग्रामोद्योग	योग
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
1.	दिल्ली	109.14	0.09	774.76	883.99

1	2	3	4	5	6
2.	जम्मू एवं कश्मीर	413.06	3.69	235.83	652.58
3.	हिमाचल प्रदेश	852.36	33.73	505.74	1391.83
4.	हरियाणा	1753.30	112.71	1297.44	3163.45
5.	पंजाब	00	00	545.35	545.35
6.	राजस्थान	2694.73	336.38	1905.79	4936.90
7.	संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	2007.71	25.00	43.50	2076.21
पूर्वी क्षेत्र					
8.	बिहार	1978.04	72.44	13.00	2063.48
9.	उड़ीसा	1120.02	309.36	8063.83	9493.21
10.	सिक्किम	00	00	2.00	2.00
11.	पश्चिमी बंगाल	1940.61	28.01	557.78	2526.40
12.	अण्डमान एवं निकोबार	00	00	63.38	63.38
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
13.	आसाम	314.57	7.22	47.48	369.27
14.	अरुणाचल प्रदेश	00	00	2.00	2.00
15.	नागालैंड	35.21	00	272.13	307.34
16.	मणिपुर	34.66	2.55	1857.55	1894.76
17.	मिजोरम	9.06	00	1051.90	1060.96
18.	मेघालय	4.75	0.35	13.00	18.10
19.	त्रिपुरा	7.46	00	109.09	116.55
दक्षिण क्षेत्र					
20.	कर्नाटका	3356.91	111.77	434.41	3903.09
21.	आंध्र प्रदेश	1669.26	108.04	1811.11	3588.41
22.	यू.टी. पांडिचेरी	37.29	00	1437.17	1474.46
23.	तमिलनाडु	8909.82	502.10	84.39	9496.31
24.	केरल	1086.61	117.69	3606.96	4811.26
25.	यू.टी. लक्षद्वीप	00	00	79.18	79.18

1	2	3	4	5	6
पश्चिमी क्षेत्र					
26.	महाराष्ट्र	396.13	63.81	6058.59	6518.53
27.	गोवा	00	00	78.60	78.60
28.	गुजरात	3753.28	864.46	3802.76	8420.50
केन्द्रीय क्षेत्र					
29.	मध्य प्रदेश	1079.48	94.60	2326.70	3500.78
30.	उत्तर प्रदेश	18661.79	1233.62	4662.37	24557.78
	कुल योग	52225.25	4027.62	41743.79	97996.66

एन.डी.डी.बी. द्वारा उपलब्ध सहायता

6778. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.डी.डी.बी. का विचार उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जहां कृषि परियोजनाओं का क्रियान्वयन का निष्पादन संतोषजनक नहीं है, अतिरिक्त वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र का विशेष उल्लेख करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने मुख्य रूप से डेयरी से संबंधित परियोजनाओं को पूरा किया है और विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि परियोजनाओं के क्रियान्वित करने के लिए आमतौर पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय पैकेज प्रदान नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी विकास, सूचना, नेटवर्क, बागवानी, तिलहन तथा खाद्य तेल और पुनर्वनस्पति जैसी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए फरवरी, 2000 में कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कृषि परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

'पीस' बोनस योजना

6779. श्री भीम दाहाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 'पीस' बोनस योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से किन-किन राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) योजना आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों हेतु पीस बोनस स्कीम तैयार नहीं की है। बहरहाल, दिनांक: 21-22 जनवरी, 2000 को शिलांग में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की बैठक में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित घोषणा की: "मिजोरम आज पूर्वोत्तर में सर्वाधिक शांत राज्य है। मिजोरम के लोगों को, जिन्होंने शांतिपूर्ण आर्थिक विकास अपनाया है, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है और मिजोरम को इसकी वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए 180 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। सरकार मिजोरम में विशेष

आधारिक संरचना विकास परियोजनाओं के लिए पांच वर्षों के लिए गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल से प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ रुपये की राशि भी जारी करेगी।" वर्ष 1999-2000 के दौरान, गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल से 50 करोड़ रुपये के स्थान पर 62.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

मध्य प्रदेश में बाल श्रम परियोजना

6780. **श्री जयभान सिंह पवैया:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में स्वयंसेवी एजेंसियों के माध्यम से कितनी बाल श्रम परियोजनाएं चल रही हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं के माध्यम से क्या परिणाम प्राप्त हुए?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक स्वयंसेवी एजेंसी के माध्यम से एक परियोजना कार्य कर रही है। यह 100 कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए एक कार्योन्मुखी परियोजना है।

सामान्य आर्थिक क्षेत्र

6781. **श्री नारायण दत्त तिवारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले इलाकों के लिए परिवहन, विद्युत आपूर्ति, कराधान जैसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु सामान्य आर्थिक क्षेत्र (जी.ई.जेड.) बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासियों के लाभार्थ सामान्य आर्थिक क्षेत्र बनाने की संभावना खोजने हेतु कोई अध्ययन कराने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) समान आर्थिक जोन (सीईजेड) की अवधारणा एनसीआरपीबी द्वारा दिनांक 2.9.1997 को, तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में प्रतिपादित की गई थी। सीईजेड की अवधारणा का मूल दृष्टिकोण सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के संतुलित विकास हेतु एक सुमेलित नीति विकसित करना है जिसके लिए राजकोषीय नीति जैसे करों एवं टैरिफ ढांचे (बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर, मार्ग कर, वस्तु कर, चुंगी, विद्युत, जल जैसी सेवाओं पर टैरिफ) आदि में एकरूपता का होना आवश्यक है। इस मामले के समाधान के लिए भागीदार राज्यों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श अपेक्षित है। बैठक अभी होनी है।

पेंशन योजना

6782. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई पेंशन योजना की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या पेंशन के बारे में डा. दवे समिति की सिफारिशें भी विश्व बैंक की योजना पर आधारित थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व बैंक ने 1994 में एवर्टिंग दि ओल्ड एज क्राइसिस" शीर्षक से प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लिए तीन स्तम्भीय प्रणाली की सिफारिश की है, पहले स्तम्भ में सरकार द्वारा प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा शामिल है, दूसरे स्तम्भ में सामाजिक सुरक्षा के लिए (निजी रूप से प्रबंधित लेकिन सार्वजनिक रूप से विनियमित) अनिवार्य अंशदान शामिल है, तथा तीसरे स्तम्भ में स्वैच्छिक बचत शामिल है। प्रथम स्तम्भ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए लागू है। वे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.) नामक एक सरकारी योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शासित किया जा रहा है। अनिवार्य पेंशन और भविष्य निधि योजना संबंधी दूसरा स्तम्भ कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 11% के लिए लागू है तथा यह बुनियादी तौर पर संगठित श्रमिक तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सीमित है। लगभग 89% कार्यबल के लिए कोई अनिवार्य सेवा निवृत्ति योजना नहीं है तथा उनको स्वयं अपनी स्वैच्छिक बचतों पर ही रहना होता है। दवे समिति ने मूल रूप कार्य बल के इस बड़े भाग के लिए एक स्वैच्छिक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना की सिफारिश की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कार्य बल के इस वर्ग के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा के बारे में दवे समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा जाना

6783. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर पर स्थित बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में उगाए जाने वाली फसल भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड द्वारा राजस्थान के हिस्से के पानी की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण बर्बाद हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के अनुसार राजस्थान को उसके देय हिस्से के पानी की आपूर्ति इंदिरा गांधी पोषक नहर तथा बीकानेर नहर के माध्यम से कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनु. जाति/अनु. जनजाति के अधिकारियों की विदेशों में तैनाती

6784. श्री बूटा सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2 जनवरी, 1978 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर पदों/नियुक्तियों को भरते समय अनु. जाति/अनु. जनजाति के अभ्यर्थियों के आवेदनों पर समुचित रूप से विचार करें;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न देशों में स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से संबंधित पदों/नियुक्तियों को भरने के लिए कुल कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए;

(ग) उनमें से कुल कितने व्यक्ति अनु. जाति/अनु. जनजाति के थे;

(घ) उपरोक्त श्रेणियों में तैनात कुल कर्मचारियों की तुलना में अनु. जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है;

(ङ) क्या अनु. जाति/अनु. जनजाति श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 2.1.1978 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/7/77-स्था. (रिज) के अंतर्गत सभी मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पदों को भरते समय/प्रतिनियुक्ति पर भेजते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर समुचित विचार करें। विदेश मंत्रालय उक्त कार्यालय ज्ञापन में यथा-विनिर्दिष्ट कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशनों का कड़ाई से अनुपालन करता है।

(ख) और (ग) विभिन्न देशों में विभिन्न भारतीय मिशनों/केन्द्रों में श्रेणी-1, 2, 3 और 4 वर्गों से संबंधित विभिन्न पदों/कार्यों पर प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों की संख्या 59 है। इनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के कर्मचारियों की संख्या 16 है।

(घ) से (च) चूँकि ये पद स्वरूप में अलग-थलग और कार्य दृष्टि से एक-दूसरे से भिन्न हैं अत: वर्गवार प्रतिशतता का आकलन करने से पूर्ण स्थिति नजर नहीं आ सकती है। तथापि उपरलिखित कुल पदों में अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रतिशतता 27.11 है। चयन की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों को अहमियत दी जाती है।

कृषि उत्पादन

6785. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1995-96 से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 और 1999-2000 में कृषि उत्पादन कितना रहा;

(ग) क्या बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों की औसत दैनिक सख्या में कमी देखी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में और अधिक किसानों को लाने के लिए इस क्षेत्र को लाभप्रद बनाने का है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन में, वर्ष 1997-98 तथा 1999-2000 को छोड़कर 1995-96 से सामान्यत: वृद्धि का रुख देखा गया है।

(ख) वर्ष 1995-96 तथा 1999-2000 के दौरान प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन निम्नवत है:

	उत्पादन मिलियन मीटरी टन	
फसल	1995-96	1999-2000@
अनाज	180.42	201.56
तिलहन	22.10	21.54
कपास*	12.86	10.45
गन्ना	281.10	292.64

*170 किलोग्राम की मिलियन गांठें
@27.3.2000 की स्थिति के अनुसार अग्रिम अनुमान

(ग) और (घ) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में किसानों की औसत दैनिक संख्या की जानकारी नहीं रखी जाती। बहरहाल, 1991 की जनगणना में किसान एवं खेतिहर मजदूर कुल जनसंख्या के 21.9% थे और इसकी तुलना में 1981 की जनगणना में ये 21.7% थे।

(ङ) और (च) कृषि क्षेत्र को और आकर्षक बनाने के लिए जहां सरकार एक ओर उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है वहीं दूसरी ओर मूल्य सहायता स्कीमों के अंतर्गत किसानों को लाभकारी मूल्य भी दिला रही है।

देश में अनाज का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना आदि कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों के प्रयोग, समेकित कीट प्रबंध के अनुप्रयोग, लघु सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध के प्रचार-प्रसार तथा उन्नत कृषि उपस्करों के प्रयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिये जाते हैं। भारत में अनाज उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास हेतु लगातार अनुसंधान किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के कारगर अन्तरण के लिए किसानों और खेतिहर मजदूरों के प्रशिक्षण सहित किसानों के खेतों पर प्रदर्शन भी आयोजित किये जा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी स्कीम के अंतर्गत 24 प्रमुख कृषि जिन्सों को शामिल किया गया है। प्रत्येक मौसम में इन जिन्सों के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं और इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर तक आ जाने पर अभिज्ञात शीर्ष अभिकरणों द्वारा मंडी से इन कृषि जिन्सों की खरीद की जाती है। इसके अलावा मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के तहत कुछ जिन्सों को मूल्य सहायता दी जाती है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

6786. श्री अवतार सिंह भड़ाणा: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में कितनी राशि जारी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए इसकी पुनरीक्षा की है; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं और इस योजना का लाभ शिक्षित और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में (निर्धारित दर पर लाभार्थियों को प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास आदि पर खर्च करने हेतु) सरकार द्वारा जारी की गई राशि दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी अनियमितता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान प्रशिक्षण तथा आकस्मिक खर्च आदि के लिए राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार जारी किया गया अनुदान

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998-99 की अवधि में जारी फंड	1999-2000 की अवधि में जारी फंड	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16050.50	15297.95	31348.45
2.	आसाम	13872.27	5387.60	19259.87
3.	अरुणाचल प्रदेश	478.85	303.00	781.85
4.	बिहार	1726.00	1374.25	3100.25
5.	दिल्ली	126.00	0.00	126.00
6.	गोवा	175.77	199.55	375.32
7.	गुजरात	6750.75	1434.50	8185.25
8.	हरियाणा	3059.05	0.00	3059.05
9.	हिमाचल प्रदेश	653.00	1030.30	1683.30
10.	जम्मू एवं कश्मीर	71.65	763.55	835.20
11.	कर्नाटक	10239.62	13860.25	24099.87
12.	केरल	11059.60	10247.35	21306.95
13.	मध्य प्रदेश	13255.38	14233.95	27489.33
14.	महाराष्ट्र	12105.85	27268.60	39374.45
15.	मणिपुर	598.70	101.75	700.45
16.	मेघालय	320.50	461.12	781.62
17.	मिजोरम	254.70	261.10	515.80
18.	नागालैंड	407.05	146.90	553.95
19.	उड़ीसा	6211.35	6772.05	12983.40
20.	पंजाब	6237.75	5869.25	12107.00
21.	राजस्थान	9644.50	9413.80	19058.30
22.	तमिलनाडु	6597.75	9428.90	16026.65
23.	त्रिपुरा	210.75	578.60	789.35

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	36788.85	33040.70	69829.55
25	पश्चिम बंगाल	727.50	436.00	1163.50
26.	अंडमान एवं निकोबार	226.50	113.70	340.20
27.	चंडीगढ़	179.50	83.40	262.90
28.	दमन एवं द्वीव	31.00	21.25	52.25
29.	दादर एवं नगर हवेली	22.50	37.60	60.10
30.	लक्षद्वीप	24.00	24.25	48.25
31.	पांडिचेरी	355.30	203.55	558.85
32.	सिक्किम	107.50	105.20	212.70
	कुल योग	158569.99	158499.97	317069.96

इस्त्रायल के साथ संयुक्त परियोजना

6787. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मोहक किस्म के गुलाब, कुमुदिनी और 'क्युकम्बर' के विकास हेतु 'पोली-हाउस' प्रौद्योगिकी के संबंध में इस्त्रायल के साथ कोई संयुक्त परियोजना शुरु की थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर अभी तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विकसित किस्में किसानों को कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक संयुक्त "अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन फार्म संबंधी इण्डो-इज़राइल परियोजना" चल रही है जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी अपनाते हुए व्यावसायिक कृषि के लिए एक प्रदर्शन फार्म की स्थापना करना ताकि मुख्यत: किसानों को जानकारी हस्तांतरित की जा सके।

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इज़राइल में किए गए अनुसंधान कार्य के आधार पर स्थापित नई फसल पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना। इजराइल से स्थानान्तरित किये जाने वाले उन्नत प्रौद्योगिकीय तरीकों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाएगा और प्रदर्शन फार्म के जरिए उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

इस प्रकार, यह मूल रूप से यह एक पॉली-हाऊस प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन से संबंधित परियोजना है। इस परियोजना का लक्ष्य गुलाब, लिली और क्युकम्बर की विदेशी किस्मों का विकास करना नहीं है।

(ख) और (ग) गुलाब, लिली और क्युकम्बर की कुछ किस्मों का इस्त्रायल से आयात किया गया है और उन्हें पॉली-हाऊस प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए उगाया गया है। फिलहाल, किसानों में वितरित करने के लिए इन किस्मों के बीजों/कलमों का बहुगुणन करने का कोई इरादा नहीं है।

दक्षेस देशों के लिए भावी योजना

6788. श्री साहिब सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षेस देशों के और विकास हेतु कोई भावी योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक तैयार किए जाने और अंतिम रूप देने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ने सार्क देशों के विकास के लिए कोई सार्क संदर्श योजना नहीं अपनायी है। प्रत्येक देश अपने सम्प्रभु विशेषाधिकार के अंतर्गत अपनी-अपनी राष्ट्रीय योजना बनाते हैं। तथापि, सार्क के क्रियाकलाप की समीक्षा करने और वर्ष 2020 तक के लिए क्षेत्रीय सहयोग से संबद्ध एक संदर्श योजना उपलब्ध कराये जाने के लिए माले (12-14 मई 1997) में आयोजित नौवें सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर गठित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समूह (जी ई पी) ने कोलम्बो (29-31 जुलाई, 1998) में आयोजित दसवें सार्क शिखर सम्मेलन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) और (ग) जी ई पी की अनुशंसाओं में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक समयबद्ध योजना पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल थीं: (1) 1999 तक एक दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) जिसका क्रियान्वयन 2008 तक सार्क के सभी सदस्यों द्वारा और 2010 तक सार्क के अल्प विकसित देशों द्वारा कर दिया जाए, पर बातचीत, (2) एक सार्क सीमाशुल्क संघ जिसके तहत 2020 तक बाह्य टैरिफों में तालमेल बैठाया जा सके। जी ई पी ने अल्प विकसित देशों के लिए विशेष कदमों की अनुशंसा की ताकि वे अपने आप को एक मुख्य व्यापार क्षेत्र में समायोजित करने के योग्य बना सकें। जी ई पी ने सार्क सामाजिक चार्टर अपनाये जाने की अनुशंसा की जिसमें सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को शामिल किया गया।

कोलम्बो में जुलाई, 1998 में आयोजित दसवें सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क के नेताओं ने जी ई पी की दो मुख्य अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया। नेताओं ने 2001 तक साफ्टा के लिए एक व्यापक संधि व्यवस्था का प्रारूप तैयार किये जाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित किये जाने पर सहमति व्यक्त की। विशेषज्ञ समिति की प्रथम बैठक 15-17 जुलाई, 1999 तक काठमांडू में हुई, जिसमें विचारार्थ विषयों पर सहमति व्यक्त की गयी। इसकी दूसरी बैठक आपसी सहमत तिथियों पर काठमांडू में होनी है। सामाजिक चार्टर पर कार्य आरंभ किये जाने के लिए एक अन्तरसरकारी विशेषज्ञ समूह गठित किये जाने का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मछली उत्पादन

6789. श्री हरिभाऊ शंकर महाले:
डा. यतिराम:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मछली पालन में लगे व्यक्तियों को बेहतर उत्पादन हेतु तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कितना मछली उत्पादन हुआ;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य की मौजूदा उत्पादन क्षमता पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं और तत्संबधी भंडारण क्षमता और विपणन क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) मछुआरों तथा मत्स्य कृषकों का आधुनिक जलकृषि प्रणालियों में प्रशिक्षण "ताजा जल जलकृषि का विकास" तथा "समेकित तटवर्ती जलकृषि का विकास" योजनाओं के प्रमुख घटकों में से एक है। इन योजनाओं के तहत मत्स्य कृषकों को 422 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (एफ एफ डी ए) तथा 39 खारा जल मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (बी एफ डी ए) के नेटवर्क के जरिए प्रशिक्षित किया जाता है।

मात्स्यिकी के लिए सुयोग्य मानव शक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने तथा विस्तार प्रणाली को व्यापक बनाने के उद्देश्य से "प्रशिक्षण और विस्तार" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

* मात्स्यिकी विस्तार अधिकारियों तथा जलकृषि समुद्री कृषि तथा मात्स्यिकी विकास से संबंधित अन्य पहलुओं से संबंधित मत्स्य कृषकों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत।
* प्रयोगशाला तथा शयनागार सुविधाओं के साथ जागरूकता/प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
* मात्स्यिकी कर्मियों तथा मछुआरों/मत्स्य कृषकों के उपयोग के लिए मात्स्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशन सामग्री को प्रकाशित करना।
* मात्स्यिकी प्रौद्योगिकियों पर विडियो फिल्म तैयार करना तथा मीडिया के जरिए प्रचार करना।

* सूचना के आदान-प्रदान तथा भविष्य की रणनीति स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला, सेमिनार, बैठकों आदि का आयोजन तथा संचालन।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधीन चार संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन 8 शोध संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन 9 मात्स्यिकी कालेज भी मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास गतिविधियों में लगे हुए हैं।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, जोकि मौजूदा समय में क्रियान्वित की जा रही हैं, के द्वारा राज्य की मत्स्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा रही है।

(1) निम्नलिखित के जरिए तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास

(क) परम्परागत यानों का मोटरीकरण

(ख) 20 मीटर से कम लम्बाई वाले यांत्रिकृत मतस्यन यानों द्वारा खरीदे जाने वाले एच एस डी ऑयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति; और

(ग) समुद्री मात्स्यिकी विनियमन अधिनियम का क्रियान्वयन तथा कृत्रिम चट्टानों का निर्माण।

(2) समेकित तटवर्ती जलकृषि का विकास

(3) ताजा जल जलकृषि का विकास

(4) मत्स्यन बंदरगाह तथा मछली उतारने के केन्द्रों का निर्माण

विपणन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 41 विपणन एककों को स्वीकृत किया गया है।

विवरण

वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 तथा दिसम्बर, 1999 तक के दौरान मत्स्य उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

(000 टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (दिसम्बर, 99 तक)
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	359.36	372.86	410.82	275.01
2. अरुणाचल प्रदेश	1.85	2.13	2.30	1.71
3. असम	154.61	155.13	155.71	98.83
4. बिहार	249.78	208.54	202.29	187.42
5. गोवा	97.06	92.05	69.02	46.80
6. गुजरात	725.35	816.50	630.00	500.00
7. हरियाणा	30.00	32.05	32.52	25.35
8. हिमाचल प्रदेश	6.27	6.69	6.79	3.92
9. जम्मू एवं कश्मीर	17.80	18.53	18.85	15.53
10. कर्नाटक	324.43	285.13	255.61	186.67
11. केरल	631.03	583.86	649.22	486.03
12. मध्य प्रदेश	110.53	115.16	119.59	81.02

1	2	3	4	5
23. महाराष्ट्र	590.00	580.00	520.38	381.46
24. मणिपुर	12.70	13.70	15.31	13.02
25. मेघालय	3.58	3.09	4.53	3.19
26. मिजोरम	2.55	2.70	2.78	1.93
27. नागालैंड	4.00	3.70	4.50	3.59
28. उड़ीसा	276.96	309.51	284.23	188.17
29. पंजाब	32.00	36.00	44.50	35.00
30. राजस्थान	14.30	15.10	12.00	5.50
31. सिक्किम	0.15	0.14	0.14	0.10
32. तमिलनाडु	459.79	464.60	469.75	356.80
33. त्रिपुरा	27.47	27.91	28.41	24.27
34. उत्तर प्रदेश	149.43	160.02	183.03	133.32
35. पश्चिम बंगाल	937.00	950.02	995.00	770.02
36. अंड. व नि. द्वीपसमूह	26.44	27.27	27.44	18.64
37. चण्डीगढ़	0.08	0.00	0.00	0.00
38. दादर एवं नगर हवेली	0.04	0.02	0.02	0.02
39. दमन एवं दीव	15.28	18.81	26.85	11.41
40. दिल्ली	4.00	4.20	4.42	6.75
41. लक्षद्वीप	11.75	10.55	13.54	9.20
42. पांडिचेरी	42.65	42.52	42.70	29.89
43. गहरा समुद्र मत्स्यन क्षेत्र	30.00	30.00	30.00	20.00
भारत	5,348.24	5,388.49	5,262.25	3,920.57

हिन्दी अनुवाद]

जलचर पालन

6790. **श्री रामजी मांझी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय ने तटीय क्षेत्रों में गहन और अर्द्धगहन जलचर पालन को बंद करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रभावित लोगों के लिए कोई विकल्प ढूंढा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार तटीय क्षेत्रों में जलचर पालन को बढ़ावा दे रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) 1994 का 561 में दिनांक 11.12.1996 के अपने निर्णय में पारम्परिक तथा उन्नत पारम्परिक झींगा पालन करने वाले फार्मों को छोड़कर तटवर्ती विनियमन क्षेत्र के भीतर स्थापित सभी झींगा फार्मों को बंद करने का आदेश दिया था।

(ग) और (घ) इस निर्णय के पुनरीक्षण के लिए एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है तथा मामला निर्णयाधीन है।

(ङ) और (च) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, तटवर्ती क्षेत्रों में झींगा पालन को विनियमित करने के लिए एक जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्राधिकरण ने पारिस्थितिकी अनुकूल ढंग से पारम्परिक तथा उन्नत पारम्परिक पद्धति के झींगा पालन के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

6791. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नमूने के तौर पर लोक सभा के 57 क्षेत्रों और 28 नोडल जिलों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मद में खर्च की गई राशि की नमूने के तौर पर लेखापरीक्षा कराने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर इन क्षेत्रों को लेखापरीक्षा और छानबीन के लिए चुना जाता है; और

(ग) क्या सरकार अनुदान न पाने वाले निजी विद्यालयों में इस धनराशि के उपयोग की अनुमति पहले ही दे चुकी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन् मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) अनुदानों की मांग (1998-99) के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति की दूसरी रिपोर्ट में दृढ़ संस्तुति की गई है कि किए गए व्यय का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया जाए तथा तदनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को शुरू किए जाए। इस मंत्रालय ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मूल्यांकन का कार्य, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) को सौंप दिया है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) ने 57 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 28 केन्द्रक जिलों का चयन किया है।

(ग) वर्तमान में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियां, ऐसे गैर सहायता प्राप्त परंतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विद्यालय भवनों, छात्रावासों, शैक्षिक संस्थाओं के पुस्तकालयों के भवनों के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जा सकती हैं जो न्यूनतम दो वर्ष से अस्तित्व में हैं।

निजी क्षेत्र का पेंशन फंड

6792. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दवे समिति की सिफारिशों के अनुरूप देश में निजी क्षेत्र के पेंशन फंड के प्रवेश को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक पृथक भारतीय पेंशन प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) दवे समिति ने सेवा निवृत्ति निधियों के प्रबंधन के लिए छः (6) व्यावसायिक पेंशन निधि प्रबंधकों के चयन की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) दवे समिति ने भारतीय पेंशन प्राधिकरण के नाम से एक नई नियामक एजेंसी की स्थापना की सिफारिश की है। प्रस्तावित प्राधिकरण का महत्वपूर्ण कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित पेंशन प्रणाली के कार्यकरण की देख-रेख और पर्यवेक्षण करना होगा।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए विशेष बीमा योजना

6793. श्री राजो सिंह: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषरूप से बिहार में लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्ण और अव्यवहार्य इकाइयों के लिए विशेष बीमा योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिकरण में तेजी लाने की दृष्टि से इन विकास केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) देश में विशेष रूप से बिहार में रुग्ण और जीवनक्षम न की जा सकने वाली लघु उद्योग इकाइयों हेतु विशेष बीमा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा

6794. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर और इंटरनेट में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह सच है कि अंग्रेजी-हिन्दी अनुवाद के सॉफ्टवेयर विकसित कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या सरकार ने इनको मान्यता दे दी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) हिन्दी के लिए भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समाधानों का एक स्रोत केन्द्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में स्थापित किया गया है।

(ग) से (च) अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के लिए प्रोटोटाइप प्रणालियों का विकास किया गया है। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में आंग्लभारती, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, मुम्बई द्वारा समाचारों के क्षेत्र में मात्रा, उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) द्वारा प्रशासनिक नियुक्ति पत्रों के क्षेत्र में विकसित मंत्र शामिल हैं। सरकार परिशुद्धता के स्तर में सुधार लाने तथा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए इन अनुवाद प्रणालियों की सहायता कर रही है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार के ठेका मजदूर

6795. श्री विजय गोयल: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार की विभिन्न शाखाओं विशेषकर नई दिल्ली स्थित पुष्प भवन और महादेव रोड शाखा में कार्यरत सामान पैक करने तथा ढोने वाले मजदूरों की सेवायें दस वर्ष के बाद भी पक्की नहीं हुई हैं तथा वे आज भी ठेका मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मजदूरों की सेवायें कब तक नियोजित कर दी जाएंगी;

(ग) क्या सरकार का विचार तब तक बाहर से सामान पैक करने और ढोने वाले मजदूरों की भर्ती पर रोक लगाने का है जब तक कि पुष्प भवन और महादेव रोड शाखा में कार्यरत इन मजदूरों की सेवाओं को स्थायी नहीं किया जाता; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) केन्द्रीय भण्डार द्वारा किसी भी पद पर पैकर/लोडर अर्थात् पैक करने वाले/लदान करने वाले कामगार नियुक्त/भर्ती नहीं किये जाते, अत: इन कामगारों को किसी भी पद पर स्थायी रूप से/नियमित रूप से नियुक्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। संभवत:, कई वर्षों से केन्द्रीय भण्डार से जुड़ा कार्य कर रहे इस श्रेणी के कामगारों के काम-काज का स्वरूप आकस्मिक होता है तथा कामगारों और केन्द्रीय भण्डार के पारस्परिक हित की दृष्टि से उन्हें ''कार्य-दर'' (''उजरत'') के आधार पर काम पर रखा जाता है। केन्द्रीय भण्डार, इन कामगारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करता आ रहा है।

इनमें से कुछ कामगारों ने यह प्रार्थना करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय/श्रम-न्यायालय में याचिका दायर की है कि उन्हें सभी

परिणामी लाभ देते हुए नियमित रूप से नियुक्त किया जाए। अत: मामला न्यायनिर्णयाधीन है।

जी-77 शिखर सम्मेलन

6796. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री भानसिंह भौरा:
श्री जितेन्द्र प्रसाद:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हवाना में हाल ही में हुए जी-77 शिखर सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या थे; और

(घ) इस पर अन्य प्रतिनिधिमंडलों की क्या प्रतिक्रिया रही?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) विकासशील देशों के ग्रुप-77 का दक्षिण शिखर सम्मेलन 10 से 14 अप्रैल, 2000 को हवाना, क्यूबा में हुआ था। शिखर सम्मेलन में घोषणा, कार्यवाही का हवाना कार्यक्रम और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर एक दस्तावेज नामक तीन दस्तावेज पारित किए गए।

शिखर सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया था कि उनके सभी प्रयासों में विकासशील देशों का मार्ग-दर्शन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और प्रयोजनों के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को पूर्ण सम्मान देते हुए किया जाएगा। शिखर सम्मेलन ने लोकतंत्र के संवर्धन और विधि के शासन को मजबूत करने के लिए अपनी वचनबद्धता की घोषणा की। साथ ही, सम्मेलन में सार्वभौमिक रूप से मान्यताप्राप्त सभी मानवाधिकारों और विकास के अधिकार सहित मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान बढ़ाने पर भी सहमति हुई।

दक्षिण शिखर सम्मेलन में चार व्यापक विषयों सार्वभौमिकीकरण, ज्ञान और प्रौद्योगिकी, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और उत्तर-दक्षिण संबंध, पर विचार-विमर्श हुआ। शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों और नीति निर्धारण प्रक्रियाओं में कारगर ढंग से भाग लेने की आवश्यकता पर सहमति हुई। सम्मेलन ने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को दोहराया परन्तु विकसित और विकासशील देशों के बीच की जिम्मेदारियों में अन्तर किया और स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तर के संसाधनों और प्रौद्योगिकियों तक अधिमान्य पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। शिखर-सम्मेलन में एक ऐसी निष्पक्ष, न्याय संगत और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ जिसमें विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर ध्यान रखा गया है तथा विकासशील देशों की हित-चिन्ताओं से सम्बद्ध उरुग्वे दौर के करारों के मुद्दों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए औद्योगिक राष्ट्रों का आह्वान किया। सम्मेलन ने विकासशील देशों के समान और सेवाओं के लिए अच्छे बाजार उपलब्ध कराए जाने की माँग की और श्रम मानदण्डों तथा पर्यावरण के छद्मवेष में सभी संरक्षणवादी उपायों का विरोध किया। शिखर सम्मेलन ने सार्वभौमिकीकरण के संदर्भ में विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को पुन: सक्रिय बनाने और उसे मजबूत करने का संकल्प लिया। शिखर सम्मेलन ने इसी संदर्भ में सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने तथा उसके संवर्धन की आवश्यकता को स्वीकार किया।

सम्मेलन ने उत्तर के प्रौद्योगिकी और संसाधनों तक अधिमान्य पहुँच पाने की आवश्यकता पर बल दिया। तथापि, सम्मेलन ने इस बात पर भी बल दिया कि दक्षिणी देशों को विकासशील देशों से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझा रवैया तैयार करने के अतिरिक्त अपने मानव संसाधनों के साथ-साथ निजी ज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षमता का सामूहिक रूप से उपयोग करना चाहिए। इस संदर्भ में विकासशील देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को एक प्रमुख साधन के रूप में देखा गया। दक्षिण-दक्षिण व्यापार और निवेश, धन और वित्तीय क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने और सामाजिक विकास संवर्धित करने, जिसमें क्षमता बढ़ाना शामिल है, की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

यह भी सहमति हुई कि उत्तर-दक्षिण वार्ता पुन: सक्रिय की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासात्मक मुद्दे इस वार्ता का केन्द्र बन सकें। इस संदर्भ में सम्मेलन में हुए विचार-विमर्शों में विकासशील देशों के लिए सरकारी विकास सहायता (ओ डी ए) ऋणों के पुनर्निधारण, नई वित्तीय संरचना की आवश्यकता और विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बहु-पक्षीय व्यापार व्यवस्था की महत्ता का उल्लेख किया। सार्वभौम आर्थिक मुद्दों, विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में संयुक्त राष्ट्र की रुचि को महत्वपूर्ण समझा गया।

यह भी सहमति हुई कि जी-77 के संस्थागत स्वरूप को दक्षिण शिखर सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए उन्नत किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) भारत ने हवाना में हुई बातचीतों में सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभाई। भारत ने विकासशील देशों की प्रमुख हित-चिन्ताओं को सामने लाने में और सभी बहु-पक्षीय संस्थाओं और नीति निर्धारण प्रक्रियाओं में विकास मुद्दों पर ध्यानाकर्षण के लिए दक्षिण-दक्षिण और उत्तर-दक्षिण संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही निर्धारित करने में भी सम्मेलन की मदद की।

भागीदार शिष्टमंडलों ने दक्षिण-दक्षिण और उत्तर-दक्षिण सहयोग के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। शिखर-सम्मेलन अंतिम दस्तावेजों अर्थात् कार्यवाही का हवाना कार्यक्रम और घोषणा में इन प्राथमिकताओं का उल्लेख है।

''नेरामक''–एक रुग्ण एकक

6797. श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''नेरामक'' (पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड) अपने कार्यशील होने के समय से ही घाटे में जा रही है;

(ख) यदि हां, आज तक इकट्ठे हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह निगम एक रुग्ण इकाई बन गया है और औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को इसके बारे में विचार करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस निगम को पुन: चालू करने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) 1983-84 तथा 1984-85 को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम मार्च, 1982 में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक नुकसान उठा रहा है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम को 31.03.1998 तक 16.27 करोड़ रुपये का संचित नुकसान हुआ। 16.27 करोड़ रुपये के इस संचित नुकसान को सरकार/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा जून, 1999 में मंजूर पुनरुद्धार पैकेज की शर्तों के अनुसार बट्टे खाते में डाल दिया गया है। निगम को 1998-99 के दौरान 61.10 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

(ग) और (घ) निगम रुग्ण हो गया और इसे दिसम्बर, 1996 के दौरान औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के सुपुर्द किया गया। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के दिशानिर्देशों और उसके द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार पुनरुद्धार स्कीम के आधार पर ''नेरामक'' के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने फरवरी, 1999 में एक पैकेज मंजूर किया। पुनरुद्धार स्कीम को, जैसा सरकार ने मंजूर किया था, वैसा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने भी 7 जून, 1999 को हुई अपनी आखिरी सुनवाई में मंजूर कर दिया। पुनर्वास स्कीम में अनानास तथा काजू प्रसंस्करण संयंत्र के लिए मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन, अनानास रस सांद्रण यूनिट में मौजूदा संयंत्र और मशीनरी की पूरी तरह से मरम्मत और रखरखाव, एक और अदरक प्रसंस्करण संयंत्र लगाना फालतु कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश करना, कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र को पुन: तैयार करना शामिल है ताकि इस तारीख को संचित नुकसान ''शून्य'' तक लाया जा सके। सरकार/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्कीम के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

विवरण

''नेरामक'' की अनुमोदित पुनर्वास स्कीम

(क) अनुमोदित स्कीम की लागत:

	मद	वांछित निवेश/निधि (करोड़ रु. में)
1.	(क) संयंत्र और मशीनरी	3.00
	(ख) विविध अचल परिसम्पत्तियाँ/मरम्मत	0.75
2.	पूर्व संचालन व्यय	1.00
3.	दबाव डालने वाले ऋणदाता	1.01
4.	प्रशिक्षण	0.22
5.	आकस्मिक व्यय	0.38
6.	कार्यकारी पूंजी	3.20
7.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	0.80
	कुल	10.36

(ख) अनुमोदित स्कीम को वित्त देने के स्रोत:

		(करोड़ रु.)
1.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के योजना बजट से इक्विटी (विभाग के अपने स्रोतों से)	5.15
2.	पूर्वोत्तर परिषद से सब्सिडी का बकाया	4.41
3.	राष्ट्रीय नवीकरण निधि (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के वास्ते)	0.80
		10.36

(ग) राहतें और छूट:

1. 31.3.98 तक के मौजूदा 4.78 करोड़ रु. के ऋण को बट्टे खाते में डालना।

2. 31.3.98 तक भारत सरकार के 7.27 करोड़ रु. के कुल ब्याज को बट्टे खाते में डालना।

3. 3.07 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी को बट्टे खाते में डालना।

इक्विटी को घटाकर 1.22 करोड़ रु. करना, (पूंजी को बट्टे खाते में डालने के बाद, इकट्ठा हुआ नुकसान घट कर "शून्य" हो जाएगा)

पूर्वोत्तर द्वारा बकाया सब्सिडी की 4.41 करोड़ रु. की राशि जारी करना।

टिप्पणी:

स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली सभी निधियां और राहतें/छूटें पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नैरामक) को दी जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

बांधों का निर्माण पूरा करना

6798. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री एस.डी.एन.आर. आदिधार:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्यवार और स्थानवार बड़े और मध्यम स्तरों के कितने बांधों का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) इन बांधों के लिए आज की तारीख तक अलग-अलग कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी व्यय की गई और प्रत्येक बांध को पूरा करने के लिए लक्षित तारीख क्या है;

(ग) क्या देश में लगभग सभी नहरों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि कई बांध अभी भी अधूरे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी बांधों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और उनसे कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) मौजूदा निर्माणाधीन 155 वृहद और 234 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे के साथ-साथ उनकी अद्यतन अनुमानित लागत, चरम सिंचाई क्षमता तथा उन पर व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण 1 और 2 में दिए गए हैं। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने निजी संसाधनों से तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार शुरू किया जाता है। किसी भी परियोजना के पूर्ण होने की अवधि इसके आकार, भूमि की उपलब्धता, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करना, भू वैज्ञानिक स्थितियों इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं को आबंटित की जाने वाली निधियों का भी इतन ही महत्व है।

विवरण 1

(करोड़ रुपये में) (हजार हेक्टेयर में)

	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या (वृहद)	नवीनतम अनुमानित लागत	आठवीं योजना की समाप्ति तक व्यय	नौवीं योजना में निकाली गई लागत	चरम क्षमता	आठवीं योजना की समाप्ति तक सृजित क्षमता	नौवीं योजना में सृजित क्षमता के लिए लक्ष्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	10130.44	4754.95	5375.49	1882.54	1165.65	675.21
2.	असम	4	432.82	211.48	221.34	167.89	71.40	3.00
3.	बिहार	14	7365.53	2105.27	5260.26	1275.94	99.60	305.86

	1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गोवा	1	678.59	258.65	419.94	46.06	8.27	16.22
5.	गुजरात	9	23300.92	6522.47	16777.85	2107.01	271.51	—
6.	हरियाणा	5	1013.51	725.67	287.84	801.00	242.00	69.00
7.	हिमाचल प्रदेश	1	150.78	7.47	143.31	24.76	—	2.70
8.	जम्मू और कश्मीर	1	151.18	122.84	28.34	66.78	52.88	13.90
9.	कर्नाटक	14	11190.19	5131.64	6058.55	1718.89	1036.61	737.37
10.	केरल	7	1879.50	942.41	937.09	343.34	112.20	140.64
11.	मध्य प्रदेश	23	10729.65	3131.15	7598.50	2552.25	665.70	300.15
12.	महाराष्ट्र	36	12958.17	5374.43	7583.74	2517.14	1013.52	943.66
13.	मणिपुर	2	491.65	225.85	265.80	44.67	5.10	—
14.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
15.	नागालैंड	1	111.02	2.95	108.07	10.00	—	—
16.	उड़ीसा	5	4953.85	1156.55	3797.30	1066.68	169.54	500.55
17.	पंजाब	(1-आईएस)	3379.53	2704.93	674.60	478.00	—	348.00
18.	राजस्थान	6	4692.81	2346.01	2346.80	1348.41	600.07	413.34
19.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	18	7359.44	3339.74	4019.70	4226.67	1611.27	926.37
22.	पश्चिम बंगाल	3	2037.41	933.83	1098.58	1558.24	982.61	25.00
	कुल	162	103186.89	39003.29	64183.60	22236.27	8107.93	5420.97

टिप्पण: नौवीं योजना के दौरान 7 वृहद परियोजनाएं (गुजरात में 6 और उत्तर प्रदेश में)।) पूरी कर ली गई है।

विवरण 2

नौवीं योजना में लायी गयी मध्यम परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में) (हजार हेक्टेयर में)

	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या (मध्यम)	नवीनतम अनुमानित लागत	आठवीं योजना की समाप्ति तक व्यय	नौवीं योजना में निकाली गई लागत	चरम क्षमता	आठवीं योजना की समाप्ति तक सृजित क्षमता	नौवीं योजना में सृजित क्षमता के लिए लक्ष्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	20	623.34	323.51	299.79	138.03	51.95	102.73
2.	असम	9	155.92	99.72	56.20	76.58	42.87	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3. बिहार	29	1065.18	429.37	635.81	171.52	15.88	89.50
4. गोवा	1	40.00	2.40	37.60	11.20	—	—
5. गुजरात	9	337.53	260.02	77.51	51.32	30.34	—
6. हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—
7. हिमाचल प्रदेश	1	11.30	11.26	0.04	2.41	2.41	—
8. जम्मू और कश्मीर	9	223.55	55.88	167.67	37.76	6.87	28.94
9. कर्नाटक	15	943.67	510.72	432.95	76.29	23.72	62.45
10. केरल	5	478.93	150.56	328.37	55.00	5.0	4.30
11. मध्य प्रदेश	32	1012.09	733.15	278.94	245.44	103.20	77.30
12. महाराष्ट्र	66	2076.06	1021.98	1054.08	325.81	6.40	156.40
13. मणिपुर	2	66.58	56.50	10.08	1.54	2.00	—
14. मेघालय	1	17.81	8.14	9.67	5.15	—	—
15. नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—
16. उड़ीसा	10	499.95	410.23	89.72	108.22	55.75	65.02
17. पंजाब	1	88.49	0.20	88.29	88.29	—	—
18. राजस्थान	6	240.24	127.22	113.02	44.29	10.70	31.72
19. तमिलनाडु	2	103.75	29.53	74.22	6.74	—	6.74
20. त्रिपुरा	3	154.00	92.96	61.04	26.72	2.60	24.10
21. उत्तर प्रदेश	2	54.81	39.99	14.82	7.65	3.88	3.77
22. पश्चिम बंगाल	17	90.42	60.78	29.64	37.63	35.39	2.24
कुल	240	8283.62	4424.12	3859.50	1517.59	398.96	656.21

टिप्पण: नौवीं योजना के दौरान गुजरात में 6 मध्यम परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

[अनुवाद]

उर्वरकों का उत्पादन

6799. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कृषि योग्य भूमि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का सही अनुपात क्या है;

(ख) देश में फिलहाल उर्वरकों में राज्य-वार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का क्या अनुपात रखा जा रहा है;

(ग) इस अनुपात में परिवर्तन के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में किसानों द्वारा मृदा के अनुसार उपयुक्त उर्वरक तत्वों का उपयोग प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश के राष्ट्रस्तरीय उपभोग अनुपात को अक्सर मोटे तौर पर 4:2:1 के रूप में व्यक्त किया जाता है। वास्तविक उर्वरक उपभोग पर आधारित इसका राज्यवार अनुपात संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) मृदा उर्वरता में स्थान-स्थान पर भिन्नता होती है और पौध पोषकों के लिए फसलों की आवश्यकता में भी फसलों के अनुसार भिन्नता होती है। इसलिए राज्यवार एन.पी.के. अनुपात 4:2:1 के राष्ट्रीय अनुपात के समान नहीं है।

किसानों को संतुलित उर्वरक की संकल्पना अपनाने की सलाह दी जाती है जिसमें पूरे देश में मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग की परिकल्पना है।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान उर्वरक पोषक उपभाग का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	एन	पी	के
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.8	3.4	1.0
2.	कर्नाटक	3.6	1.9	1.0
3.	केरल	1.6	0.8	1.0
4.	तमिलनाडु	2.2	0.8	1.0
5.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	3.1	1.9	1.0
6.	लक्षद्वीप	—	—	—
7.	पांडिचेरी	2.7	1.1	1.0
8.	गुजरात	11.2	4.3	1.0
9.	मध्य प्रदेश	18.8	11.4	1.0
10.	महाराष्ट्र	5.7	2.5	1.0
11.	राजस्थान	86.9	30.7	1.0
12.	दादरा और नगर हवेली	37.3	21.0	1.0
13.	गोवा	1.7	0.8	1.0
14.	दमन और द्वीव	—	—	—
15.	हरियाणा	167.7	43.4	1.0
16.	हिमाचल प्रदेश	6.9	1.2	1.0
17.	जम्मू और कश्मीर	23.9	8.1	1.0
18.	पंजाब	57.6	14.7	1.0
19.	उत्तर प्रदेश	28.4	6.4	1.0
20.	चंडीगढ़	—	—	—

1	2	3	4	5
21.	दिल्ली	37.8	3.7	1.0
22.	आसाम	4.8	2.0	1.0
23.	मणिपुर	76.5	7.4	1.0
24.	मेघालय	18.1	8.8	1.0
25.	नागालैंड	7.0	6.4	1.0
26.	सिक्किम	10.7	5.6	1.0
27.	त्रिपुरा	7.0	1.8	1.0
28.	अरुणाचल प्रदेश	3.3	1.4	1.0
29.	मिजोरम	0.6	1.4	1.0
30.	बिहार	11.9	3.0	1.0
31.	उड़ीसा	4.4	1.3	1.0
32.	पश्चिमी बंगाल	3.0	1.5	1.0
	अखिल भारत	8.5	3.1	1.0

-सूचना उपलब्ध नहीं।

मुल्लापरियार बांध

6800. श्री जार्ज ईडन:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि केरल में मुलापरियार बांध की ऊंचाई और बढ़ाये जाने से इस बांध के कमजोर पड़ जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) इस समय, मुल्लापेरियार बांध की और अधिक ऊंचाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्र की स्थापना

6801. श्री अनंत नायक: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड ने उड़ीसा में जाजपुर रोड के निकट इस्पात संयंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां; तो क्या यह संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (घ) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा में जाजपुर रोड के पास डुबुरी में कच्चे लोहे, इस्पात बिलेटों और तार छड़ों का

उत्पादन करने की प्रतिवर्ष 11 लाख टन क्षमता का एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है। यह संयंत्र चरणों में चालू किया जा रहा है। आज की स्थिति के अनुसार कच्चे लोहे के उत्पादन की परियोजना के प्रथम चरण का लगभग 75% कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 2000 के अंत तक इसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन किया जाएगा। परियोजना के दूसरे चरण, अर्थात इस्पात निर्माण से संबंधित कार्य, प्रारंभिक चरण में है तथा इसे अगले वित्तीय वर्ष (2001-02) के अंत तक चालू किये जाने की संभावना है।

पंजाब वक्फ बोर्ड की भूमि का आबंटन

6802. श्री थावर चन्द्र गेहलोत: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के साथ की भूमि का आदान-प्रदान वक्फ अधिनियम, 1995 का पूर्णत: उल्लंघन है और यह इस भूमि का बेचा जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस सारी प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र जांच का आदेश देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) जी, नहीं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के साथ वक्फ भूमि का आदान-प्रदान पंजाब वक्फ बोर्ड नियम, 1964 के नियम 5 के अनुसार भारत के राजपत्र दिनांक 29.9.1999 में उचित अधिसूचना के पश्चात् किया गया। चूंकि वक्फ भूमि का उक्त आदान-प्रदान नियमों के अनुसार किया गया था इसलिए जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

"आउटरीच सेंटर"

6803. श्री कृष्णमराजू: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की विकलांगता हेतु मिश्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने क्षेत्रीय केन्द्र "आउटरीच सेंटर" के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) राज्य-वार ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इन केन्द्रों को कौन-कौन से विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं;

(घ) क्या विकलांगता संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी संपर्क बनायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में विकलांग व्यक्तियों को संयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, इस क्षेत्र में जन शक्ति विकास के लिए तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के वास्ते 16.98 करोड़ रुपए की कुल लागत की एक योजना हाल ही में अनुमोदित की गई है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन

6804. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 212 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अलग-अलग खाद्यान्न हेतु भी अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो गेहूं, चावल, धान, कपास, दालों, तिलहन और गन्ने के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान देश में उक्त खाद्यान्नों की अनुमानित मांग कितनी है; और

(च) खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2000-2001 में

विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य निम्नवत हैं:—

(मिलियन मीटरी टन)

क्र.सं.	मद	2000-01 लक्ष्य
1.	चावल	90.00
2.	गेहूं	74.00
3.	मोटे अनाज	33.00
4.	दलहन	15.00
	कुल खाद्यान्न	212.00

(घ) कपास, तिलहन और गन्ने को "खाद्यान्न" कृषि जिस समूह में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2000/2001 में इन जिंसों के लक्ष्य निम्नवत हैं:—

(मिलियन मीटरी टन)

क्र.सं.	मद	2000-01 लक्ष्य
1.	गन्ना	325.00
2.	तिलहन	28.00
3.	कपास*	14.50

*मिलियन गांठें प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.

(ङ) राष्ट्रीय पोषण संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रीशन) हैदराबाद द्वारा विकसित मानकों के अनुसार वर्ष 2000/2001 में अनुमानत: 195.42 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी।

(च) निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:

1. प्रत्येक कृषि जलवायवीय क्षेत्रों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट रणनीति (रिजनली डिफरेन्सिएटेड स्ट्रेटेजी)।
2. कृषि क्षेत्र में ऋण को और सुलभ बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करना।
3. राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम शुरू करना।
4. पनधारा विकास कोष का सृजन, और
5. शीतागारों हेतु निवेश राजसहायता योजना।

[अनुवाद]

प्याज का उत्पादन

6805. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले मौसम की तुलना में इस वर्ष के दौरान प्याज का उत्पादन उच्च स्तर तक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "नैफेड" और इसकी सहायक संस्थाओं को प्याज की अतिरिक्त मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष के 54.7 लाख मीटरी टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान 47.5 लाख मीटरी टन होने की संभावना है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने नैफेड और अन्य राज्य विपणन संघों को वर्ष 1999-2000 के दौरान 2 लाख मीटरी टन तथा अप्रैल से मई, 2000 की अवधि के दौरान 50,000 मीटरी टन प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी। आशा है कि घरेलू बाजार में प्याज का मूल्य सामान्य रहेगा।

[हिन्दी]

एच.एस.सी.एल. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

6806. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.एस.सी.एल. में कार्यरत कर्मचारियों की विशाल संख्या कंपनी की वास्तविक आवश्यकता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच.एस.सी.एल.) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) जी, हां। हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. (एच.एस.सी.एल.) में लगभग 6000 कर्मचारी अधिक हैं। सरकार ने एच.एस.सी.एल. के लिए जुलाई, 1999 में एक पुनरुद्धार पैकेज भी अनुमोदित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 6000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से पृथक करना शामिल है।

(ग) एच.एस.सी.एल. में 1986-87 से 1998-99 तक 8068 अधिकारियों, कर्मचारियों और कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया है। इसके अतिरिक्त, मार्च, 1999 से 4.5.2000 तक 3040 अधिकारियों, कर्मचारियों और कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु आवेदन किया है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

	1986-87 से 1998-99	मार्च, 1999 से 4.5.2000
कार्यपालक	840	237
गैर-कार्यपालक	1098	371
कामगार	6130	2432
योग	8068	3040

उपग्रह द्वारा सर्वेक्षण कराया जाना

6807. **श्री राम सिंह कस्वां:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के बाढ़ और अकाल पीड़ित क्षेत्रों विशेषकर राजस्थान के बाढ़ और अकाल पीड़ित क्षेत्रों का उपग्रह द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नगरों का पुनर्विकास

6808. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाइडे:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री शिवाजी माने:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष महत्व के नगरों के पुनर्विकास के लिए शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने नगरों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) इन नगरों के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ङ) हालांकि, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन महत्व के स्थानों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के सक्रिय केन्द्र बनाने के लिए 'योजना सहायता के माध्यम से उनका विकास करने की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम को शुरू करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, विस्तृत कार्यविधियाँ, अर्थात् विकास की प्रकृति एवं विषय, वित्त-पोषण पैटर्न, नगरों के चयन हेतु मानदण्ड आदि प्राप्त नहीं हुए हैं। ये मंगवाए गए हैं।

क्षेत्रीय विकलांग केन्द्र

6809. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार की विकलांगता हेतु मिश्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में छह केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त केन्द्रों हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इन केन्द्रों से कितने विकलांग व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) जी, हां। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार तथा जम्मू व कश्मीर

राज्यों में विकलांग व्यक्तियों को संयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने तथा इस क्षेत्र में व्यावसायिकों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने हेतु संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के वास्ते 16.89 करोड़ रु. की कुल लागत की एक योजना हाल ही में अनुमोदित की गई है।

[हिन्दी]

कृषि वृद्धि दर

6810. श्री रामजी लाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:
श्री अरुण कुमार:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आने वाले वर्षों में कृषि उत्पादन की वार्षिक दर में 4.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित करते समय पिछले दशक की वार्षिक दर का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो अस्सी और नब्बे के दशक के अंत में वार्षिक दर कितनी थी; और

(ङ) सरकार द्वारा आगामी दशक में वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय विकास परिषद की दिनांक 19 फरवरी, 1999 को आयोजित बैठक में स्वीकृत नौवीं पंचवर्षीय योजना में नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1997-2002) के दौरान कृषि उत्पादन (वानिकी को छोड़कर) के मूल्य में 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) कृषि उत्पादन की पिछली वृद्धि परिवर्तनशील रही है जिसका अध्ययन पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य वृद्धि दर निश्चित करते समय किया जाता है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में कृषि उत्पादन के मूल्य में 4.5 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि, कृषि में सकल मूल्य वर्धन में 3.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर है।

पिछले दो दशकों में सकल मूल्य वर्धन की दशकीय वृद्धि दर निम्नवत है:

अवधि	वृद्धि दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)
1980 का दशक	3.33
1990 का दशक (सितम्बर 1996/97)	3.14

(ङ) सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नवत है:

(1) विभिन्न क्षेत्रों की क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए क्षेत्र विशिष्ट नीति का निरूपण;

(2) किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए ऋण में वृदिध करना;

(3) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम लागू करना;

(4) पनधारा विकास कोष का सृजन करना एवं पनधारा विकास को विस्तृत पैमाने पर प्रोत्साहन देना;

(5) शीत भण्डारों के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

6811. श्री रामदास आठवले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों और सामाजिक संगठनों से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का सख्ती से पालन करने और इन मामलों में जन प्रतिनिधियों की भूमिका सुनिश्चित करने और इन समुदायों के लोगों की हत्याओं और उनकी सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंचाने संबंधी अत्याचारों के मामले में जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक का दायित्व निर्धारण करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु कोई सुझाव या अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15(क) (2) (4) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 (2) (5) में जन प्रतिनिधियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 3 (9) में भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें गैर-सरकारी संगठनों को जागरूकता केन्द्रों की स्थापना एवं रखरखाव करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी और उन्हें जरूरी वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएंगी। जहां तक सरकारी सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई का संबंध है अपराध के लिए उकसाने/अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना करने के लिए दंड का प्रावधान क्रमशः सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 10 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 में पहले ही किया गया है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सम्बोधित अपने दिनांक 12.11.1998 के पत्र में उनसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत नीतियों/योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और मानीटरिंग को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने और इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त तंत्र पर विचार करने का अनुरोध किया है।

बांधों का निर्माण

6812. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले पांच वर्षों में देश के विभिन्न भागों में कई बड़े और मध्यम बांध और बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं चालू किये जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु संसाधन जुटाने की योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की पृथक-पृथक अंतिम तिथि क्या रखी गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन अपने संसाधनों और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। किसी भी परियोजना के पूरा होने की अवधि विभिन्न कारकों जैसे कि उनका आकार, भूमि की उपलब्धता, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अधिकरणों से स्वीकृतियां प्राप्त करने, भूवैज्ञानिक स्थितियां आदि पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं के लिए आबंटित निधियों का भी इतना ही महत्व है। विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्र की स्वीकृति के लिए 76 नई परियोजनाओं (40 वृहद और 36 मध्यम) की परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। इन परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	वृहत/ मध्यम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	पुलिचिंताला सिंचाई परियोजना	आंध्र प्रदेश	वृहत	506.20	बी
2.	श्रीराम सागर चरण-2	आंध्र प्रदेश	वृहत	697.70	बी
3.	पेडडेरू जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	26.23	बी
4.	पालेमवागु	आंध्र प्रदेश	मध्यम	29.13	बी

1	2	3	4	5	6
5.	वल्लीगल्लु जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	131.82	ए
6.	वेरावागु	आंध्र प्रदेश	मध्यम	7.73	बी
7.	वद्दावागु	आंध्र प्रदेश	मध्यम	56.48	ए
8.	पेड्डावागु	आंध्र प्रदेश	मध्यम	202.60	ए
9.	सुरामपलेम जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	46.70	बी
10.	पुगलदिया बांध (बहुद्देश्यीय)	असम	वृहत	547.69	बी
11.	बुरसुती सिंचाई स्कीम	असम	मध्यम	34.70	बी
12.	गरूफेल्ला सिंचाई स्कीम	असम	मध्यम	36.35	ए
13.	देवपानी	असम	मध्यम	29.77	ए
14.	पुनासी जलाशय	बिहार	वृहत	221.65	बी
15.	सुबनरेखा (बहुउद्देश्यीय)	बिहार	वृहत	1428.82	बी
16.	कादवान जलाशय परियोजना	बिहार	वृहत	1111.14	ए
17.	अपर सकरी जलाशय	बिहार	वृहत	137.91	बी
18.	कनहर जलाशय	बिहार	वृहत	1015.76	ए
19.	उत्तर कोयल जलाशय	बिहार	वृहत	836.11	ए
20.	बकरोल डब्ल्यू.आर. परियोजना	गुजरात	मध्यम	23.90	ए
21.	खेत पुराली बांध परियोजना	हरियाणा	मध्यम	16.92	ए
22.	रेणुका बांध	हिमाचल प्रदेश	वृहत	1224.64	बी
23.	अपरतुंगा परियोजना	कर्नाटक	वृहत	556.00	ए
24.	अपर कृष्णा चरण-2 (बहुद्देश्यीय)	कर्नाटक	वृहत	2786.17	ए
25.	मार्कण्डेय जलाशय परियोजना	कर्नाटक	वृहत	134.53	ए
26.	करपरा कुरियाकुट्टी बहुद्देश्यीय परियोजना	केरल	वृहत	231.03	ए
27.	अट्टापडी सिंचाई परियोजना	केरल	मध्यम	83.67	ए
28.	बारगी बहुद्देश्यीय परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहत	566.34	बी
29.	तनवर टैंक	मध्य प्रदेश	वृहत	24.38	बी
30.	ओमकारेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहत	1784.29	डी

1	2	3	4	5	6
31.	अपर नर्मदा परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहत	211.92	ए
32.	कोलार परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहत	139.14	बी
33.	महान	मध्य प्रदेश	वृहत	39.00	बी
34.	अरूणावती परियोजना	महाराष्ट्र	वृहत	66.48	बी
35.	लोअर पुन्ना परियोजना	महाराष्ट्र	वृहत	87.55	बी
36.	ह्यूमन नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहत	168.15	ए
37.	तिल्लारी सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहत	256.00	डी
38.	तालम्बा सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहत	289.09	बी
39.	लेन्डी सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहत	177.615	ए
40.	दुधगंगा सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहत	204.58	बी
41.	वारना सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहत	337.81	बी
42.	पुनाड सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहत	29.22	बी
43.	लोअर वर्धा	महाराष्ट्र	वृहत	61.99	ए
44.	गुंजावानी	महाराष्ट्र	वृहत	86.77	ए
45.	सकोल	महाराष्ट्र	मध्यम	10.88	बी
46.	रायगाव	महाराष्ट्र	,,	9.51	बी
47.	जाम सिंचाई	महाराष्ट्र	,,	43.83	बी
48.	मसालगा	महाराष्ट्र	,,	17.17	बी
49.	कार	महाराष्ट्र	,,	44.71	बी
50.	चन्द्रभागा	महाराष्ट्र	,,	71.14	बी
51.	पेंटाकली	महाराष्ट्र	,,	91.87	बी
52.	पूर्णा	महाराष्ट्र	,,	51.97	ए
53.	उतवाली	महाराष्ट्र	,,	35.77	बी
54.	लाल नल्ला	महाराष्ट्र	,,	19.05	ए
55.	नवरगांव	महाराष्ट्र	,,	8.72	बी
56.	रेनापुर	महाराष्ट्र	,,	51.16	बी
57.	अपर मन्जरा	महाराष्ट्र	,,	40.49	ए

1	2	3	4	5	6
58.	सैकीमाकुर धोकरा	महाराष्ट्र	मध्यम	12.47	ए
59.	पोथरा नल्ला	महाराष्ट्र	मध्यम	36.95	ए
60.	चिकोतरा	महाराष्ट्र	मध्यम	89.38	ए
61.	लाभान सरद	महाराष्ट्र	मध्यम	5.72	ए
62.	जाम्बरे	महाराष्ट्र	मध्यम	55.72	ए
63.	तिपाईमुख बांध परियोजना	मणिपुर	वृहत	2899.00	बी
64.	जुज सिंचाई	नागालैंड	मध्यम	49.00	बी
65.	ओंग बांध परियोजना	उड़ीसा	वृहत	217.73	ए
66.	कानपुर सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	वृहत	330.896	बी
67.	ईब सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	वृहत	96.60	ए
68.	शाहपुरकंडी बांध परियोजना रावी परि. यूनिट-5	पंजाब	वृहत	1400.19	ए
69.	चकन सिंचाई	राजस्थान	मध्यम	9.55	बी
70.	पिल्लाद सिंचाई	राजस्थान	मध्यम	21.88	ए
71.	गरारदा सिंचाई	राजस्थान	मध्यम	39.51	बी
72.	इरुक्कनगुडी जलाशय	तमिलनाडु	मध्यम	28.70	ए
73.	मेजा बांध को ऊंचा कसा	उत्तर प्रदेश	वृहत	65.00	बी
74.	किशाऊ बांध	उत्तर प्रदेश	वृहत	4099.00	सी
75.	मउदाहा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहत	17.70	बी
76.	चित्तौड़गढ़	उत्तर प्रदेश	वृहत	11.88	बी

स्थिति:

ए-पत्राचार चल रहा है।
बी-सलाहकार समिति को प्रस्तुत एवं टिप्पणियों के अधीन स्वीकार्य।
सी-सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।
डी-निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास लंबित।

[हिन्दी]

वित्तीय सतर्कता संबंधी अवसंरचना का विकास

6813. श्री तूफानी सरोज: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारत को वित्तीय सतर्कता संबंधी अवसंरचना का विकास करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार नशीले पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में अमरीका के विदेश विभाग की रिपोर्ट से सहमत है

जिसमें यह कहा गया है कि काले धन के लेन-देन से भारत में बर्बादी हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारत-अमरीकी द्विपक्षीय सहयोग व्यवस्थाओं के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास से सम्बद्ध अमरीकी एजेन्सी को वित्तीय संस्थानों के सुधार तथा विस्तार नामक एक कार्यक्रम के लिए चार वर्षों तक 25 मिलियन अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता प्रदान करती है जिसका उद्देश्य भारतीय वित्तीय बाजार और विनियमन अभिकरणों को सुदृढ़ करना है। विशेष रूप से वित्तीय सतर्कता अवसंरचना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने अमरीकी विदेश विभाग की 1999 की अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नीति रिपोर्ट देखी है। इस रिपोर्ट का भारत से सम्बद्ध खण्ड यह कहता है कि भारत कानूनी अफीम उत्पादन से हटने की रोकथाम के अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ इस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि भारत में काली अथवा गुप्त अर्थव्यवस्था उभरती हुई चिन्ता बन रही है। इससे निपटने के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास धन के दुरुपयोग तथा अन्य वित्तीय अपराधों के समाधान के लिए व्यापक विधान हैं।

[अनुवाद]

गेहूं के उत्पादन हेतु व्यापक योजना

6814. **श्री अब्दुल हमीद:**
श्री आर.एल. भाटिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई व्यापक योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.वी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) अनाज फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दलहन और मक्का, जो खाद्य फसलों के घटक हैं, में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा संकरों, उनके उत्पादन और रक्षण प्रौद्योगिकी और प्रजनक बीज उत्पादन के विकास पर अनुसंधान योजना के अभिन्न अंग हैं। अनुसंधान कार्यक्रम 13 फसल आधारित संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पूर्णरूप से वित्त पोषित किया जाता है और 20 बहुकेन्द्रित परियोजनाओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। गेहूं में देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित 31 केन्द्रों के साथ एक मात्र संस्थान (गेहूं अनुसंधान निदेशालय) और एक अखिल भारतीय समन्वित गेहूं परियोजना कार्यरत है।

वक्फ समितियां

6815. **श्री हरपाल सिंह साथी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश/चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकार में वक्फ सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बोर्ड द्वारा उन्हें आवंटित की गई वक्फ सम्पत्तियां क्या हैं;

(ग) उन सम्पत्तियों का विवरण दें जिन पर उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है; और

(घ) अतिक्रमण की गई/अवैध रूप से कब्जा की गई सम्पत्ति को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योग और अत्यंत लघु क्षेत्र में निवेश

6816. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 1999 को समाप्त होने वाली वर्ष के दौरान लघु उद्योग और अत्यंत लघु क्षेत्र को कुल बैंक ऋण में लगभग 14 प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और अत्यंत लघु उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या लघु उद्योगों ने सरकार से ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) वर्ष 1999-2000 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं। लघु उद्योग तथा अति लघु उद्योग क्षेत्र के क्रेडिट प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है और यह मार्च, 1991 में रु. 16783 करोड़ से बढ़कर मार्च, 1999 में रु. 42674 करोड़ हो गई जो निवल बैंक क्रेडिट का 17.3% थी।

(ग) भारत सरकार ने लघु क्षेत्र और अति लघु इकाइयों के लिए ऋण (क्रेडिट) का प्रसार बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिकता उधार क्षेत्र के अंतर्गत अति लघु क्षेत्र हेतु लघु उद्योग को 60% राशि निर्धारित करना, 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए कॉलेटरल का हटाना, क्रेडिट गारंटी योजना तैयार करना, मिश्रित ऋण सीमा को 10 लाख रुपये तक बढ़ाना, नेशनल इक्विटी फंड स्कीम के अंतर्गत परियोजना लागत सीमा को 25 लाख रु. तक बढ़ाना, लघु उद्योग बैंक की विशिष्ट शाखाएं खोलना तथा 5 करोड़ रु. तक वार्षिक टर्नओवर वाली लघु इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण की मंजूरी के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त अति लघु उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए प्लाटों के 40% को एकीकृत आधारभूत विकास योजना के अंतर्गत अति लघु इकाइयों के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

(घ) से (च) लघु उद्योग एसोसिएशनें लघु उद्योग इकाइयों के लिए ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सरकार से अनुरोध करती रही हैं। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंकों ने एक मानकीकृत एवं सरलीकृत ऋण आवेदन फार्म लागू किया है और आवेदनों का निश्चित समय के भीतर निपटान किये जाने की व्यवस्था की है।

(छ) नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र का कुल औद्योगिक उतपादन में 39.07%, निर्यात में 34.9%, सकल घरेलू उत्पाद में 6.71% अंशदान है और वर्ष 1998-99 में 171.58 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया।

स्कूल को बन्द करना

6817. श्री टी. गोविन्दन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के कासरगौड़ जिले में आई सी ए आर (कृषि मंत्रालय) के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रीय विद्यालय, एक परियोजना स्कूल को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्कूल को पुन: शुरू करने हेतु कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) कासरगोड के सी.पी.सी.आर.आई. परिसर में चल रही केन्द्रीय विद्यालय परियोजना को चरणबद्ध तरीके से बन्द करने का निर्णय लिया गया था। सन् 1998 से पहली कक्षा में प्रवेश बन्द कर दिया गया था।

(ख) यह निर्णय विद्यालय पर खर्च हो रही राशि का उपयोग अनुसंधान कार्य करने के लिए, जो कि संस्थान को सौंपा गया कार्य है, किया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सलाह पर छात्रों से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरें/स्केल निर्धारित करने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रीय विद्यालयों में अपनाए जाने वाले मार्गनिर्देश तैयार करने का प्रस्ताव है। शिक्षा सत्र 2000-2001 के लिए पहली कक्षा में प्रवेश को अंतिम रूप देने हेतु निदेशक, सी.पी.सी.आर.आई., कासरगोड को केन्द्रीय विद्यालय के लिए नियत किए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश देने की अनुमति दे दी है।

जेलों में बन्द अनिवासी भारतीय

6818. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में रहने वाले कुल कितने भारतीय विभिन्न देशों की जेलों में बन्द हैं;

(ख) उनका देशवार ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ क्या आरोप लगाये गए हैं;

(ग) क्या इस मामले को उन देशों के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन देशों से उन्हें वापस लाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ङ) एक निश्चित समय में विदेशी जेलों में नजरबंद भारतीय कैदियों की कुल संख्या 6000 से 8000 तक भिन्न-भिन्न है। 1999 के दौरान भिन्न-भिन्न देशों में गिरफ्तार भारतीयों की कुल संख्या 8937 है। इन कैद भारतीय राष्ट्रीकों की देशवार सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

इन कैदियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में आप्रवासन कानूनों का उल्लंघन, नशीली दवाओं से सम्बद्ध अपराध तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के सिविल तथा आपराधिक आरोप शामिल हैं।

जैसे ही भारतीय राजनयिक मिशन/केन्द्र को किसी भारतीय राष्ट्रिक की गिरफ्तारी के बारे में पता चलता है तब मेजबान सरकार से कौंसली सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है। मिशन/केन्द्र का एक अधिकारी नजरबंद व्यक्ति से मुलाकात करता है और गिरफ्तारी के कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। जहाँ आवश्यक होता है मिशन/केन्द्र शीघ्र और निष्पक्ष मुकदमे एवं सजा की पुनरीक्षा के लिए भी मेजबान सरकार के साथ मामले को उठाता है। कैदी आमतौर पर अपनी सजा पूरी होने पर छूट जाते हैं। तथापि, पात्र मामलों में हमारे मिशन/केन्द्र सजा माफ करवाने में सफल हुए हैं।

विवरण

1999 में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रिक

देश	गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या
1	2
अंगोला	1
कजाकिस्तान	8
बहरीन	191
बेलारूस	49
भूटान	66
बुल्गारिया	21
कनाडा	सूचना उपलब्ध नहीं है
चीन	11
मिस्र	1
फीजी	3
यूनान	54
हांगकांग	72
ईरान	7
इटली	114
जमैका	15
जोर्डन	12
कुवैत	107
मेडागास्कर	1
मालदीव	59
मारीशस	2
मोजाम्बिक	1
नेपाल	3
न्यूजीलैंड	2
पाकिस्तान	सूचना उपलब्ध नहीं है
फिलीपीन	51
रोमानिया	46
सउदी अरब	1073
दक्षिण अफ्रीका	7
श्रीलंका	62
सीरिया अरब गणराज्य	39
ट्यूनीशिया	1
तुर्कमेनिस्तान	2
संयुक्त अरब अमीरात	1320
अमरीका	109
यमन अरब गणराज्य	2

1	2
जाम्बिया	2
आस्ट्रेलिया	27
आस्ट्रिया	67
बंगलादेश	197
बेलजियम	120
ब्रूनी	52
कम्बोडिया	1
चिली	2
साईप्रस	29
फ्रांस	198
जर्मनी	72
गयाना	1
इंडोनेशिया	27
इजरायल	155
आइवरी कोस्ट	2
जापान	1
कोरिया गणराज्य	7
लेबनान	52
मलेशिया	442
माल्टा	45
मैक्सिको	10
म्यांमा	8
नीदरलैंड	65
ओमान	276
पनामा	13
कतर	236
रूसी परिसंघ	8
सिंगापुर	2845
स्पेन	65
स्वीडन	8
थाईलैंड	152
तुर्की	4
उक्रेन	195
यू.के.	27
उजबेकिस्तान	4
यूगोस्लाविया	10
योग	8937

चक्रवात पीड़ित

6819. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चक्रवात पीड़ित व्यक्तियों जैसे अनाथ बच्चों जिन्होंने अपने माता-पिता खो दिये तथा जो व्यक्ति मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक सदमे से होने वाली तन्त्रिकाओं संबंधी रोगों के शिकार हुए, को सुलझाने हेतु कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना हेतु नियत बजट कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा अनाथ बच्चों तथा विधवाओं के लिए आश्रय, अनाथालय, बनाने दवाइयां प्रदान करने आदि से संबंधित कार्रवाई शुरू की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के लिए अल्पावधि निवास स्वीकृत किए गए थे। उनके द्वारा उड़ीसा भेजे गए दल ने महिलाओं तथा बच्चों के लिए समुचित पोषण तथा स्वास्थ्य कवर सतत आधार पर सुनिश्चित करने तथा अनाथ हुए बच्चों, विधवाओं, आश्रयहीन महिलाओं पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया था। चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भेजे गए दल ने अन्य बातों के अलावा प्रभावित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के मानीटरन तथा राज्य में मानसिक स्वास्थ्य संबधी आधारभूत ढांचे के वित्त पोषण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के स्वास्थ्य सचिव की

अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित करने की सिफारिश की है। पुनर्वास, निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्य के समन्वय हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में उड़ीसा राज्य आपदा शमन प्राधिकरण का गठन किया है।

चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत उपाय करने के लिए 1999-2000 के दौरान आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश की समग्र धनराशि जो 42.50 करोड़ रुपये बनती है, तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 828.15 करोड़ रुपये की राशि उड़ीसा को जारी कर दी गई है। इसके लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं किया गया।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस

6820. श्री किरीट सोमैया: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसटीपीआई-सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस इंडिया को आई टी यूनिटों को नए पंजीकरण हेतु मार्च, 2000 के दौरान आवेदकों की भारी भीड़ का सामना करना पड़ा;

(ख) क्या वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि कर अवकाश का लाभ (टेक्स होलीडे बैनीफिट) केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अपनी एसटीपी यूनिटों का पंजीकरण 31 मार्च, 2000 से पूर्व करवाया है;

(ग) यदि हाँ, तो मार्च, 2000 में विभाग को कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(घ) क्या इन सभी आवेदनों के पंजीकरण की प्रक्रिया मार्च 31, 2000 से पूर्व पूरी की जा चुकी है;

(ङ) क्या इन सभी कानूनी रूप से वैध पंजीकृत यूनिटों को एसटीपीआई यूनिटों का निर्यात में छूट का लाभ मिलेगा; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में इकाइयों के पंजीकरण की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) बजट भाषण में 31.3.2000 को या उससे पहले मुक्त व्यापार क्षेत्र में पंजीकृत इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10क अथवा 10ख के तहत छूट देने का प्रस्ताव किया गया था। आयकर अधिनियम की धारा 10क एसटीपी इकाइयों पर लागू है।

(ग) और (घ) एसटीपी योजना के अंतर्गत एसटीपी इकाइयों की स्थापना के लिए मार्च, 2000 के दौरान 4357 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 3932 इकाइयों को पंजीकृत किया गया, जो इकाइयों की स्थापना से संबंधित मानदण्डों को पूरा करती हैं।

(ङ) और (च) वित्त विधेयक (2000) को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने कर-छूट की अंतिम तिथि को वर्ष 2010 तक बढ़ाने की घोषणा की है और इस प्रस्ताव के अनुसार, इस बिन्दु तक पंजीकृत सभी एसटीपी इकाइयाँ 2010 तक कर-छूट प्राप्त करने की पात्र होंगी।

भारत-पाक संबंध

6821. श्री आर. एल. भाटिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत में अमेरिकी राजदूत के बयान से अवगत है कि अमेरिका लाहौर प्रक्रिया को दुबारा शुरू करना चाहता है और कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच उच्चतम स्तर पर विचार का इच्छुक है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) अमरीका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मसलों का हल निकालने के लिए दोनों देशों के बीच वार्ता पुन: शुरू होने की उम्मीद जतायी है। अमरीका ने अपने दृष्टिकोण का खुलासा करते हुए संयम बरतने, नियंत्रण रेखा का सम्मान करने, हिंसा से दूर रहने तथा बातचीत को पुन: शुरू करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति क्लिंटन की दक्षिण एशिया की यात्रा के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ अमरीका ने बार-बार यह कहा है कि अमरीका भारत तथा पाकिस्तान की मध्यस्थता नहीं करेगा। अमरीका ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता की सफलता के लिए वातावरण तैयार करने में सहायता करनी चाहिए।

(ख) सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी डर तथा हिंसा से मुक्त वातावरण में शान्तिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के जरिए अपने मतभेदों का समाधान निकालने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। सरकार का यह मानना है कि पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध हिंसा, आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार का त्याग करना चाहिए और वह उपयोगी बातचीत करने के लिए उन द्विपक्षीय करारों का सम्मान करे जो उसने निष्ठापूर्वक सम्पन्न किए हैं।

[हिन्दी]

बाल श्रम पर समझौता

6822. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री तरूण गोगोई:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समझौते के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस समझौते के अंतर्गत बाल श्रम पर अंकुश लगाने हेतु उपाय किये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) शुरू शुरू में जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2001 तक के लिए और आपसी सहमति के जरिए एक और वर्ष के लिए भारत में शुरू किये गये अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम संबंधी समझौता ज्ञापन को विस्तार देने के लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने और अ.श्र.सं. ने 17 फरवरी, 2000 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में अमेरिका शामिल नहीं है।

(ख) इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम को उक्त अवधि तक चलाना है।

(ग) और (घ) भारत, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम में भाग लेता रहा है। बाल श्रम का व्यापक उन्मूलन ही इस कार्यक्रम का दीर्घकालीन लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम की राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा एक्शन प्रोग्राम को मंजूरी दिये जाने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एरिया कार्यालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों को सीधे तौर पर धन उपलब्ध कराया जाता है। एक्शन प्रोग्राम सांस्थानिक विकास, कार्यक्रम विकास, जागरूकता सृजन, पुनर्वास तथा शिक्षा आदि के लिए चलाये जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 150 से ज्यादा एक्शन प्रोग्राम शुरू किये गए हैं, जिनमें 90,000 से ज्यादा बच्चों को शामिल किया जाना है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ-अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

6823. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा इसी सेवा के प्रवर्तन अधिकारियों के साथ ही साथ लेखाधिकारियों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की और सी.बी.आई. ने कोई मामला दर्ज किया;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) क.भ.नि. संगठन द्वारा शिकायतें प्राप्त होने पर आवश्यक जांच की जाती है। क.भ.नि.सं. के पास 24 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिए जाने की सूचना है। दो मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिए गए हैं।

विवरण

1999-2000 के दौरान क.भ.नि.सं. के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रवर्तन अधिकारियों/सहायक लेखा अधिकारियों के खिलाफ क्षेत्रवार प्राप्त शिकायतों की संख्या

क्रमांक	क्षेत्र	शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश	–
2.	पंजाब	–
3.	हरियाणा	4
4.	उत्तर प्रदेश	10
5.	दिल्ली	3
6.	मुख्य कार्यालय	–
7.	आंध्र प्रदेश	14
8.	तमिलनाडु	7
9.	कर्नाटक	10
10.	केरल	7
11.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	–

1	2	3
12.	बिहार	7
13.	पश्चिम बंगाल	6
14.	उड़ीसा	1
15.	महाराष्ट्र	8
16.	मध्य प्रदेश	–
17.	राजस्थान	6
18.	गुजरात	3

मुलायम नारियलों हेतु प्रोत्साहन योजनाएं

6824. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड ने कच्चे नारियल के विपणन के लिए उत्तरी क्षेत्र के बाजारों का दोहन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम रहे; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर भारत में कच्चे नारियल की खपत को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.वी.पी.वी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि मंत्रालय के तहत नारियल विकास बोर्ड मास मीडिया, राष्ट्रीय/राज्य/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों, सेमीनार तथा कार्यशालाओं में टेंडर नारियल पानी के प्रदर्शन के माध्यम से देश में मंडी प्रोत्साहन अभियान चलाता है। बोर्ड एलानीर पंडाल आरंभ करने के लिए एक परियोजना भी कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत टेंडर नारियल पानी के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति पंडाल 5,000 रुपये की सहायता मुहैया करायी जाती है।

तेलुगु गंगा सिंचाई परियोजना

6825. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तेलुगु गंगा सिंचाई परियोजना की स्वीकृति देना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना की पूर्व अनुमानित लागत तथा वर्तमान लागत कितनी है और परियोजना के पूरा होने तक इसकी लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलुगु गंगा परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत की सूचना नहीं दी है। तथापि, आंध्र प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 637 करोड़ रुपये की मूल अनुमानित लागत की तुलना में इस परियोजना की अनुमानित लागत 1977 करोड़ रुपये (वर्ष 1993-94 के मूल्य स्तर पर) थी। इस परियोजना की स्वीकृति आंध्र प्रदेश द्वारा सह-बेसिन राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ अंतर्राज्यीय मामलों का समाधान करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है।

विलम्बित परियोजनाएं

6826. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य द्वारा संचालित विलंबित परियोजनाओं पर विवादों में कितनी धनराशि फंसी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विवादों का जल्द निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) कितनी राज्य निरीक्षित परियोजनाएं 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं और इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) निर्माण उद्योग विकास परिषद के अनुसार 8-10 वर्षों से सभी परियोजनाओं में फंसी राशि 52,000 करोड़ रुपए तक है।

(ख) विवादों के निपटान में विलम्ब को कम करने के लिए विवाचन एवं सुलह अधिनियम, 1940 को जनवरी, 1996 में संशोधित किया गया था। इस बीच निर्माण उद्योग विकास परिषद्, जो योजना आयोग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, ने विवादों के निपटान में शीघ्रता के लिए एक विवाचन समिति के गठन का प्रस्ताव किया है तथा इसे उनके बोर्ड द्वारा 15.3.2000 को अनुमोदित किया जा चुका है। इस विषय पर सरकार द्वारा विचार किया जाना है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की ऐसी 18 परियोजनाएं हैं, जिन्हें 15 वर्ष पहले अनुमोदित किया गया था। इन परियोजनाओं की मूल लागत 2,064.24 करोड़ रुपए थी, और इनकी वर्तमान अनुमानित लागत 10,686.3 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं पर अब तक हुआ संचयी व्यय 5,444.4 करोड़ रुपये है। इस संबंध में सरकार के पास बड़ी और मेगा परियोजनाओं के मासिक प्रबोधन तथा मध्यम परियोजनाओं सहित सभी परियोजनाओं के तिमाही प्रबोधन की एक प्रणाली है।

(घ) 50 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के संबंध में समय व लागत वृद्धि का अध्ययन करने तथा समय व लागत वृद्धि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों में स्थायी समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों की रिपोर्टें, समय व लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं के संशोधित लागत प्राक्कलनों के नोट का एक भाग होती है, जिन्हें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

[हिन्दी]

श्रमशक्ति का मूल्यांकन

6827. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री नारायण दत्त तिवारी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में श्रम शक्ति की मौजूदा संख्या कितनी है;

(ख) देश में कुल आबादी के अनुपात में वर्तमान में श्रमशक्ति की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) उसमें से कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में अलग अलग कितने प्रतिशत लोग नियोजित हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) देश में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा करवाये गए नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से डाटा एकत्र किया जाता है। रोजगार तथा बेरोजगारी पर व्यापक सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा पंचवार्षिक आधार पर किये जाते हैं। अंतिम पंचवर्षीय सर्वेक्षण 1993-94 वर्ष के दौरान किया गया था। पंचवार्षिक सर्वेक्षणों के अलावा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन लघु नमूना आकार के साथ वार्षिक सर्वेक्षण भी करता है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षणों के आधार पर कुल अनुमानित श्रम बल जिसमें रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार दोनों शामिल हैं, और कुल कार्यबल (नियोजित) संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

1997 में कुल अनुमानित 382.12 मिलियन रोजगार में से 1 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में रोजगार 28.245 मिलियन था।

श्रम बल सहभागिता दर (एल.एफ.पी.अप्र.) तथा कार्यबल सहभागिता दर (डब्ल्यू.एफ.पी.आर.) जो क्रमश: श्रम बल तथा कार्यबल में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है, संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

कर्मकारों का उद्योग-वार वितरण संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

विवरण 1

अनुमानित श्रम बल तथा कार्यबल (सामान्य हैसियत)
(मिलियन)

	श्रम बल	कार्यबल
1987-88 (43वां दौर)	333.49	324.29
1993-94 (50वां दौर)	381.94	374.45
1997 (53वां दौर)#	389.16	382.12

#वार्षिक दौर सर्वेक्षण

टिप्पणी: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 43वें, 50वें और 53वें दौर के सर्वेक्षण हेतु संदर्भ बिन्दु क्रमश: 1 जनवरी, 1988, 1 जनवरी, 1994 तथा 1 जुलाई, 1997 है।

विवरण 2

श्रम बाल सहभागिता दरें तथा कार्य बल सहभागिता दरें (प्रति 1000)

	श्रम बल सहभागिता दरें	कार्यबल सहभागिता दरें
1987-88 (43वां दौर)	423	412
1993-94 (50वां दौर)	428	420
1997 (53वां दौर)#	407	401

#वार्षिक दौर सर्वेक्षण

विवरण 3

रोजगार का उद्योग-वार वितरण (%)

उद्योग समूह	वितरण 1993-94	प्रतिशतता 1987-88
कृषि	64.8	66.2
खनन	0.7	0.7
विनिर्माण	10.5	10.7
बिजली, गैस तथा विद्युत आपूर्ति	0.4	0.4
निर्माण	3.1	3.7
व्यवसाय	7.4	7.0
परिवहन, भण्डारण तथा संप्रेषण	2.8	2.5
वित्तीय सेवाएं	0.9	0.5
सामुदायिक सेवाएं	9.4	8.2
समस्त	100.0	100.0
कुल रोजगार (मिलियन)	374.45	324.29

स्रोत: एन.एस.एस.ओ. के 43वें और 50वें दौर के सर्वेक्षण।

[अनुवाद]

लाबीबाजों को अधिकार में रखना

6828. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाँधी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा भाड़े पर लिए गए अमरीकी लाबीबाजों के करार के नवीनीकरण की संभावना नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान लाबीबाजों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) निष्पादन और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लाबिंग अनुबंध के संबंध में स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। मैं० ए पी सी ओ एसोसिएट्स का अनुबंध मार्च, 2000 में समाप्त हो गया है। इस अनुबंध को नवीकृत न करने का फैसला लिया गया है। यह फर्म के कार्य-निष्पादन को प्रतिबिम्बित नहीं करता है। यह इस बात को परिलक्षित करता है कि अनुबंध की निर्धारित अवधि जो विशिष्ट प्रयोजनों के लिए थी, वह पूरी हो गई है। अन्य लाबिंग फर्म मै. बर्नर लिपफर्ट का अनुबंध सितम्बर, 2000 तक वैध है। इस अनुबंध के नवीनीकरण के प्रश्न पर अनुबंध के समाप्त हो जाने से कुछ समय पूर्व कार्य-निष्पादन के विस्तृत मूल्यांकन और/अथवा भारत के राजदूतावास, वाशिंगटन से परामर्श करके आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जा सकता है।

(ग) 1998-99 के दौरान लाबिंग पर भारत सरकार ने 9,75,000 अमरीकी डालर व्यय किए थे।

तमिलनाडु में अनुसंधान संबंधी कार्य

6829. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु में धान और गन्ने का उत्पादन करने के क्षेत्र में शुरु किए गए अनुसंधान संबंधी कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए कृषि अनुसंधान संस्थानों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु में कृषि और बागवानी उत्पादों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तमिलनाडु के पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि को विकसित करने और कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदान की गई धनराशि कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तमिलनाडु में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर एवं टी एन वी एंड ए एस यू, चेन्नई में स्थित तदर्थ परियोजनाओं की मदद से अनुसंधान कार्य कर रही है। इन संस्थानों तथा परियोजनाओं के अंतर्गत परिषद ने गत दो वर्षों के दौरान किस्म सुधार, फसल प्रबंध, फसल संरक्षण तथा फसलों विशेषकर धान और गन्ने की उत्पादकता/उत्पादन से संबधित पहलुओं पर अनुसंधान कार्य किया है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए कृषि अनुसंधान संस्थानों को बजट अनुमानों के रूप में 629.25 करोड़ रु. की निधि आवंटित की गई है।

(ग) सरकार समेकित अनाज संवर्धन कार्यक्रम और गन्ने के टिकाऊ विकास आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उत्पादन में सुधार लाने हेतु तमिलनाडु राज्य के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रही है।

(घ) अनुसंधान संगठन होने के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ऐसे कार्यक्रम हाथ में नहीं लेती है।

[हिन्दी]

दरगाह अधिनियम

6830. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अजमेर के सूफी संत की प्रसिद्ध दरगाह की व्यवस्था की देखरेख के लिए ''दरगाह अधिनियम'' किस वर्ष में बनाया गया था;

(ख) क्या सरकार को इस अधिनियम में संशोधन हेतु विभिन्न संगठनों, अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से सुझाव या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस अधिनियम में कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम को दरगाह के समुचित प्रशासन तथा दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसे सामान्यत: दरगाह ख्वाजा साहेब अजमेर कहा जाता है के उचित प्रबंध के लिए 1955 में अधिनियमित किया गया।

(ख) से (घ) राजस्थान सरकार, दरगाह समिति तथा अन्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर दरगाह अधिनियम का संशोधन शुरू किया गया है। यह कार्य प्रक्रियाधीन है और इसमें समय लगने की संभावना है।

[अनुवाद]

''तत्काल'' चीनी-वीजा

6831. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापारियों को ''तत्काल'' चीनी वीजा प्रदान किया जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत का विचार भी ऐसा ही करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कदम में भारत-चीन आर्थिक संबंधों में कहाँ तक सुधार आने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ङ) चीनी दूतावास द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक माह का एकल/दोहरे प्रवेश से सम्बद्ध व्यापार वीजा चीनी प्राधिकारियों/कम्पनी का औपचारिक आमंत्रण पत्र प्रस्तुत करने पर तथा एक्सप्रेस सेवा शुल्क की अदायगी करने पर एक ही दिन में जारी किया जाता है।

वीजिंग स्थित भारतीय राजदूतावास उपयुक्त आमंत्रण पत्र प्रस्तुत करने तथा एक्सप्रेस सेवा शुल्क अदा करने पर चीनी राष्ट्रिकों को एक ही दिन में एक माह का एकल प्रवेश व्यापार वीजा जारी करता है।

सरकार चीन के साथ व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को महत्व देती है तथा व्यावसायियों की भारत यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक और उपयुक्त उपाय करती रहती है। संवर्धित व्यवसाय-स्तरीय सम्पर्क आर्थिक सहयोग सुधारने में योगदान करेंगे।

विपणन हस्तक्षेप योजना

6832. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आलू उत्पादकों की समस्या के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से विपणन हस्तक्षेप योजना (एम आई एस) से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में कृषि विपणन के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने, उन्नयन और विस्तार करने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से अनेक स्कीमें प्रचालित कर रही हैं ताकि कृषि विपणन सहकारी समितियों को मजबूत बनाया जा सके। देश में कृषि विपणन को मजबूत बनाने के लिए विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय भी परामर्शी भूमिका अदा कर रहा है। बहरहाल देश में कृषि विपणन नेटवर्क को मजबूत बनाने, उन्नयन करने तथा इसके विस्तार के लिए इस समय कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

6833. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के वार्षिक योजना परिव्यय को पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2000-2001 में बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) वर्ष 2000-2001 के लिए मध्य प्रदेश के वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग में महिला उद्यमिता

6834. श्री नारायण दत्त तिवारी: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं प्रायोजित की जा रही हैं इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक योजनाओं के संबंध में धनराशि का कितना आबंटन और प्रतिशत है;

(ग) क्या तीन वर्षों के दौरान सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नई योजना प्रायोजित की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) सरकार महिला उद्यमिता संवर्धन के लिए किसी केन्द्रीयकृत प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन नहीं कर रही है। तथापि, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के अंतर्गत वरीयता महिला उद्यमियों को दी जा रही है। महिलाओं के लिए व्यापार से संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास नाम से एक स्कीम वर्ष 1996-97 में पायलट आधार पर शुरु की गई थी और महिलाओं के समक्ष आने वाले दबावों को कम करके और व्यापार सहायता नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण द्वारा उनमें उद्यमिता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए उस स्कीम को नौवीं योजना के दौरान जारी रखा जा रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें ऋण तथा अनुदान के रूप में सहायता, व्यवसाय से संबद्ध प्रशिक्षण, व्यवसाय सूचना मार्गदर्शन, परामर्श, अनुवर्ती कार्यवाही और उत्पाद तथा विपणन विकास से संबंधित विस्तार क्रियाकलाप शामिल हैं। उद्यमिता विकास संस्थानों की स्कीम के अंतर्गत उद्यमिता विकास के लिए एक केन्द्र की स्थापना हेतु आंध्र प्रदेश के महिला उद्यमी संघ को 25.00 लाख रु. का केन्द्रीय अनुदान दिया गया है, उक्त केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु वरीयता महिलाओं (कुल प्रतिभागियों के 50% तक) को दी जानी है। लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा

आयोजित किए जाने वाले सभी उद्यमिता/प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों में महिलाएं भाग ले सकती हैं। इसके अलावा लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा केवल महिला उद्यमियों के लिए आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं।

नकली सॉफ्टवेयर

6835. श्री जी. पुट्टास्वामी: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे कौन-कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो अन्य अग्रणी कंपनियों के नकली सॉफ्टवेयरों की बिक्री और इस्तेमाल करते हुए पाई गई हैं;

(ख) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस संबंध में क्या निरोधक उपाय किए गए हैं; और

(घ) असली और नकली सॉफ्टवेयरों में भेद करने के लिए लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) भारत में, सॉफ्टवेयर का बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रतिलिप्याधिकार कानून के अंतर्गत शामिल है, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना और कारावास दोनों हो सकते हैं।

सरकार ने व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक भी संसद में पेश किया है। उम्मीद है कि इस विधेयक से सॉफ्टवेयर की चोरी रोकने में तथा इस समस्या को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

सरकार ने एक प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद का भी गठन किया है, जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा करेगी तथा इसे बेहतर ढंग से लागू करने के उपायों पर भी सलाह देगी।

पुलिस और सीमा-शुल्क अधिकारियों को सॉफ्टवेयर की चोरी से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है।

सरकार नैस्कॉम के जरिए सॉफ्टवेयर की चोरी के विरुद्ध अभियान में सहायता प्रदान कर रही है तथा विभिन्न सरकारी विभागों को सॉफ्टवेयर की केवल वैध-प्रति का इस्तेमाल करने के अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

सॉफ्टवेयर पर सीमा-शुल्क को शून्य कर दिया गया है। इससे सॉफ्टवेयर की चोरी रोकने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नैस्कॉम) ने भी चोरी के विरुद्ध हॉट-लाइन बनाई हुई है। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 1996 से पुलिस अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए आयुक्तों की सहायता से 65 से ज्यादा छापे मारे गए हैं। छापे मारे गए अधिकांश स्थान गैर कानूनी सॉफ्टवेयर की पुन: बिक्री से संबंधित स्थल तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान हैं। सीडी रॉम में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क ड्राइव तथा चोरी किए गए सॉफ्टवेयर से युक्त कम्प्यूटर जब्त किए गए हैं तथा मामले दर्ज किए गए हैं।

जबकि छापे कुछ कम्पनियों के परिसर में मारे गए हैं और चूंकि ये मामले या तो संबंधित प्राधिकारियों के पास अथवा न्यायालय में लम्बित हैं, अत: इस संबंध में इस समय किसी प्रकार के ब्यौरे देना असामयिक होगा। सरकार ने नैस्कॉम को पूर्ण सहयोग दिया है।

गेहूं का उत्पादन

6836. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान गेहूं के संभावित उत्पादन का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारी उपज और भंडारण क्षमता के अभाव को ध्यान में रखते हुए गेहूं का निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 के लिए गेहूं के उत्पादन का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगा।

(ग) और (घ) गेहूं का निर्यात भी स्टॉक कम करने का एक तरीका हो सकता है। कुछ देशों ने गेहूं के आयात संबंधी सूचनाएं मांगी हैं। तथापि भारत में गेहूं के मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में उतार चढ़ाव बहुत अधिक है इसलिए भारतीय गेहूं की निर्यात संभावनाएं पूर्णत: धूमिल ही हैं। परिणामस्वरूप, नेपाल को छोड़कर किसी अन्य देश के साथ अब तक कोई निर्यात सौदा भी नहीं किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र

6837. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे कितने केन्द्र हैं और केन्द्रीय सरकार से कितना अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) ये केन्द्र कौन-कौन से और कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन्हें कितना अनुदान दिया गया;

(घ) क्या सरकार को कुछ केन्द्रों के प्रबंधन के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) स्वैच्छिक संगठनों की परियोजना/केन्द्रों के नाम और स्थान को दर्शाने वाले विवरण क्रमश: विवरण 1 और विवरण 2 के रूप में संलग्न हैं जिन्होंने वर्ष 1999-2000 के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना तथा सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग की योजना के अंतर्गत मंत्रालय से अनुदान प्राप्त किया है।

(ग) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत अनुदान के ब्यौरे निम्नलिखित है:

(रुपए लाख में)

1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
709.41	361.70	356.80	855.32	1788.38

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) शिकायतें सामान्यत: निधियों का दुरुपयोग करने, निधियों का उपयोग नहीं करने, प्रबंधन के अप्रभावी कार्यकरण के खिलाफ अभिवेदनों के स्वरूप के हैं। शिकायत प्राप्त होने पर नामित एजेंसियों द्वारा उसकी विस्तारपूर्वक जांच कराई जाती है तथा शिकायत के समाधान होने तक अनुदान रोक दिये जाते हैं। जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करते हुए राज्य सरकार/जिला प्राधिकारियों को भी निधियों की वसूली, संगठन को काली सूची में डालने तथा परिसम्पत्तियों को जब्त करने आदि की सलाह दी जाती है।

विवरण 1

क्र.सं.	संस्था का नाम	परियोजना का नाम	केन्द्र/स्थान
1	2	3	4
1.	अभिनव सेवा संस्थान	एल.सी.पी. का पुन.	सुलतानपुर
2.	आदर्श जनता शिक्षा समिति	स्कूल व वीटीसी	इलाहाबाद
3.	आदर्श खादी ग्रामोद्योग विकास समिति	शिक्षा व वीटीसी	जे पी नगर
4.	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति	शिक्षा व वी.टी.सी.	फैजाबाद
5.	अखिल भारतीय समाज कल्याण एवं महिला विकास सेवा संस्थान	नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय स्कूल	देवरिया
6.	इलाहाबाद ग्राम स्वास्थ्य सेवा समिति	शिक्षा व वीटीसी	इलाहाबाद
7.	अम्बेडकर शिक्षा समिति	विकलांग के लिए वीटीसी	लखनऊ

1	2	3	4
8.	आनन्द चेरिटेबुल सोसाइटी	स्कूल व वी.टी.सी.	गाजियाबाद
9.	अनन्त आश्रम	एलसीपी का पुन.	लखनऊ
10.	अपंग असहाय जन विकास संस्थान	नि:शक्त के लिए आवासीय स्कूल	बिजनौर
11.	अशोक पब्लिक स्कूल	शिक्षा व वीटीसी	लखनऊ
12.	अवध संस्थान	विकलांग के लिए विशेष स्कूल	फैजाबाद
13.	बी सी जी स्कूल फार डेफ	बुनाई, रंगाई एवं छपाई इकाई	वाराणसी
14.	बी सी जी स्कूल फार डेफ	स्कूल व वीटीसी	वाराणसी
15.	बी सी जी स्कूल फार डेफ	बढ़ई इकाई	वाराणसी
16.	बाल विकास एवं महिला कल्याण परिषद	शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र	गोंडा
17.	बाल विकास एवं महिला कल्याण परिषद	एल सी पी का पुनर्वास	गोंडा
18.	भारतीय समाजोत्थान सेवा संस्थान	एल सी पी का पुन.	देवरिया
19.	भारतीय विकलांग कल्याण सोसाइटी	स्कूल व वी टी सी	मिरजापुर
20.	चेतना	एच.एच. के लिए नर्सरी	लखनऊ
21.	चेतना	एम आर के लिए स्कूल	लखनऊ
22.	चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान	शिक्षा व वीटीसी	वाराणसी
23.	डीफ एण्ड डम स्कूल	मूक एवं बधिरों के लिए स्कूल	मेरठ
24.	देव सरस्वती शिक्षा परिषद	नि:शक्त के लिए आवासीय विद्यालय	कुशीनगर
25.	डा. भीमराव अम्बेडकर समाजोत्थान समिति	शिक्षा व वीटीसी	पिथौरागढ़
26.	दृष्टि सामाजिक संस्थान	वी.एच. के लिए स्कूल व वीटीसी	लखनऊ
27.	गुंगे बहरों के लिए विद्यालय	बधिरों के लिए स्कूल	कानपुर
28.	गुंगे बहरों के लिए विद्यालय	बधिरों के लिए विद्यालय	कानपुर
29.	गुंगे बहरों का विद्यालय	बधिरों के लिए वीटीसी	कानपुर
30.	ग्राम सेवा संस्थान	एल.सी.पी. का पुनर्वास	देवरिया
31.	हेण्डिकेप्ट डवलपमेंट कौंसिल	एम आर के लिए स्कूल	आगरा

1	2	3	4
32.	हेण्डिकेप्ट डवलपमेंट कौंसिल	मकानों का निर्माण	आगरा
33.	हरिजन निर्बल वर्ग एवं आदिवासी शिक्षा कल्याण समिति	एल सी पी का पुनर्वास	इलाहाबाद
34.	इंदिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोत्थान संस्थान	स्कूल व बीटीसी	देहरादून
35.	इंटिग्रेटेड इंस्टिट्यूट फार द डिसएबल्ड	विकलांग के लिए आवासीय स्कूल	वाराणसी
36.	जहांगीर मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट	एल.सी.पी. के लिए पुनर्वास	इलाहाबाद
37.	जन जागरण समिति	एल सी पी के लिए पुन.	अलमोड़ा
38.	जन जागरण समिति	कार्यशाला का निर्माण	अल्मोड़ा
39.	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति	नि:शक्त के लिए आवासीय स्कूल	फैजाबाद
40.	जन कल्याण शिक्षा समिति	विकलांग के लिए स्कूल	कुशीनगर
41.	जनता सेवा संस्थान	एल सी पी के लिए पुनर्वास	अम्बेडकर नगर
42.	जीवन ज्योति स्कूल फार ब्लाइन्ड	नि:शक्त के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास	वाराणसी
43.	जीवन ज्योति स्कूल फार द ब्लाइंड	वी एच के लिए विशेष वि. स्कूल	वाराणसी
44.	ज्योति स्कूल फार हेन्डिकेप्ट	एम आर व बधिरों के लिए स्कूल	हरिद्वार
45.	के एस जे स्कूल	विकलांग के लिए आवा. स्कूल	मोरादाबाद
46.	मधुकर विकलांग विद्यालय समिति	शिक्षा व बीटीसी	गोरखपुर
47.	मंगलम	चल इकाई	लखनऊ
48.	मंगलम	आशुलिपिक पाठ्यक्रम	लखनऊ
49.	एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फार डेफ	बधिरों के लिए स्कूल	लखनऊ
50.	एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फार डेफ	बधिरों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण	लखनऊ
51.	नेशनल फैलोशिप रिहेबिलेटेसन सेंटर फार द ब्लाइंड	शिक्षा व प्रशिक्षण केन्द्र	इलाहाबाद
52.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोसल वेलफेयर	एल सी पी के लिए पुन.	फैजाबाद

1	2	3	4
53.	नव वानी स्कूल	विकलांग के लिए आवा. स्कूल	वाराणसी
54.	नेताजी सुभाष विद्या मंदिर	ओ एच के लिए आवा. स्कूल	रामपुर
55.	नेताजी सुभाष विद्या मंदिर	एलसीपी के लिए पुन.	रामपुर
56.	निरवान	एम आर के लिए शिक्षा व वीटीसी	लखनऊ
57.	नूर मोहम्मद मेमोरियल चेरिटेबल सोसाइटी	एल सी पी का पुनर्वास	इलाहाबाद
58.	पोहारी समिति परिषद	वी एच के लिए आवा. स्कूल	घाजीपुर
59.	प्रभात अंतरराष्ट्रीय	एल सी पी के लिए पुनर्वास	लखनऊ
60.	प्रादेशिक अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग संगठन	विकलांग के लिए विशेष स्कूल	वाराणसी
61.	प्राग नारायण मूक बधिर विद्यालय समिति	बधिरों के लिए स्कूल	अलीगढ़
62.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति	ओ एच के लिए आवा. स्कूल	प्रतापगढ़
63.	राफेल	एम आर के लिए वीटीसी	देहरादून
64.	राष्ट्रीय समाज कल्याण संघ	एलसीपी के लिए पुनर्वास	लखनऊ
65.	संकल्प	एमआरसी के लिए स्कूल	सहारनपुर
66.	सरस्वती बधिर सेवा समिति	एच.एच. के लिए आवा. स्कूल	लखनऊ
67.	सर्व कल्याण संस्थान	एल.सी.पी. के लिए पुनर्वास	लखनऊ
68.	सेवा लोक कल्याण समिति	एलसीपी के लिए पुनर्वास	लखनऊ
69.	शहीद मेमोरियल सोसाइटी	शिक्षण, प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ	लखनऊ
70.	शहीद मेमोरियल सोसाइटी	शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र कानपुर	लखनऊ
71.	शील ग्राम विकास संस्थान	शिक्षा एवं वीटीसी	बरेली
72.	श्री वृंदावन अंध महाविद्यालय	वी एच के लिए आवा. स्कूल	मथुरा
73.	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, अंध विद्यालय	वी एच के लिए आवासीय स्कूल	वाराणसी
74.	श्री कांचीलाल शास्त्री स्मारक संस्थान	नि:शक्त के लिए वीटीसी	लखनऊ
75.	सुर स्मारक मंडल	अंधो के लिए वीटीसी	आगरा

1	2	3	4
76.	सुर स्मारक मंडल	अंधों के लिए छात्रावास	आगरा
77.	स्वामी आत्मादेव गोपालानंद शिक्षा संस्थान	विकलांग के लिए स्कूल	फरुखाबाद
78.	यूपी पैरेन्टस एसो. फार वेलफेयर आफ मेंटिली हैंडिकेप्ट सिटिजन	एम.आर. के लिए वीटीसी	लखनऊ
79.	उत्तर प्रदेश डेफ एण्ड डम इन्स्टीट्यूट	वधिरों के लिए आ.सी. स्कूल	इलाहाबाद
80.	वानी (फ्रेंड्स आफ हेण्डिकेप्ट)	बधिरों के लिए स्कूल	मेरठ
81.	विकलांग केन्द्र (रोटरी स्पोन्सर्ड क्रिपल्ड युथ एण्ड वेलफेयर सोसाइटी)	पी एच के लिए वीटीसी	इलाहाबाद
82.	विकलांग केन्द्र (रोटरी स्पोन्सर्ड क्रिपल्ड युथ एण्ड वेलफेयर सोसाइटी)	ग्रामीण विकास केन्द्र	इलाहाबाद
83.	विकलांग केन्द्र (रोटरी स्पोन्सर्ड क्रिपल्ड यूथ एण्ड वेलफेयर सोसाइटी)	एम आर के लिए विशेष स्कूल	इलाहाबाद
84.	विकलांग केन्द्र (रोटरी स्पोन्सर्ड क्रिपल्ड यूथ एण्ड वेलफेयर सोसाइटी)	अर्द्ध-सरकारी एकक	इलाहाबाद

एल.सी.पी.-कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। वी.टी.सी.-व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, एम.आर.-मानसिक मंदता। ओ.एच.-अस्थि विकलांग, स्व.एच.-श्रवण विकलांग

विवरण 2

1.	उपकरण प्रतिष्ठान	इलाहाबाद
2.	विकलांग केन्द्र (रोटेरी स्पॉन्सर्ड क्रोफल्ड यूथ वैलफेयर सोसाइटी)	इलाहाबाद
3.	भारतीय रेडक्रास सोसाइटी	इलाहाबाद
4.	नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति	अमरोहा
5.	संचित विकास संस्थान	बस्ती
6.	इंस्टीट्यूट फॉर हिमालयन अवेकनिंग एण्ड इन्वायरमेंट, देहरादून	देहरादून
7.	जनता सेवा संस्थान	डा. अम्बेडकर नगर
8.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोशल वैलफेयर	फैजाबाद
9.	अवध संस्थान	फैजाबाद
10.	पूर्वांचल औद्योगिक विकास संस्थान	जौनपुर
11.	विमल शिशु शिक्षा सदन	कानपुर
12.	कृत्रिम अंग निर्माण निगम	कानपुर
13.	मंगलम	लखनऊ

14.	विविधा	लखनऊ
15.	आयाम	लखनऊ
16.	सर्व कल्याण संस्थान	लखनऊ
17.	लोहिया पब्लिक स्कूल समिति	लखनऊ
18.	सामाजिक न्याय एवं मानव कल्याण समिति	लखनऊ
19.	अनन्त आश्रम	लखनऊ
20.	आसरा	लखनऊ
21.	वर्ल्ड वैलफेयर रिपोर्टरी	लखनऊ
22.	सम्पूर्ण विकलांग कल्याण समिति	लखनऊ
23.	डा. अम्बेडकर सेवा संस्थान	लखनऊ
24.	शहीद मेमोरियल ट्रस्ट	लखनऊ
25.	भवानी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	महाराजगंज
26.	डा. अम्बेडकर शिक्षा संस्थान	महाराजगंज
27.	कल्याणम् करोति	मथुरा
28.	समाजोत्थान एवं शिक्षा प्रचारिणी संस्थान	मेरठ
29.	सरस्वती एजुकेशनल सोसाइटी	मुरादाबाद
30.	डा. बी.आर. अम्बेडकर जनसेवा समिति	मुजफ्फरनगर
31.	डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलेपमेंट एजेंसी	पीलीभीत
32.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति	प्रतापगढ़
33.	स्वामी परमानन्द डांडीह जन कल्याण समिति	रामपुर
34.	जानकी ग्रामोत्थान महिला बाल विकास संस्थान	सुल्तानपुर
35.	माध्यमिक विद्यालय पूरब गांव	सुल्तानपुर
36.	अभिनव सेवा संस्थान	सुल्तानपुर
37.	जिला पुनर्वास केन्द्र	सुल्तानपुर
38.	ग्रामीण प्रगति संस्थान	सुल्तानपुर
39.	फाउंडेशन ऑफ इंटेगरल ह्यूमन एडवान्समेंट	वाराणसी

लंबित मामले

6838. श्री सुल्तान सलाहउद्दीन ओवेसी:
डॉ. बलिराम:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में विशेषकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्रत्येक श्रम न्यायालय में इस समय कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं और इनमें से अलग-अलग कितने मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं;

(ख) श्रम न्यायालयों में पीठासीन न्याय अधिकारियों के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितने पद खाली पड़े हुए हैं और इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में वर्षवार कितने मामले निपटाये गये हैं; और

(घ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु न्यायाधीशों/पीठासीन न्यास अधिकारियों के और अधिक पदों के सृजन व और नये श्रम न्यायालय बनाये जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत द्वारा दक्षेस देशों में शिक्षा को प्रोत्साहन

6839. श्री हरिभाऊ शंकर महाले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने दक्षेस के सदस्य देशों में शिक्षा के बाधारहित विस्तार हेतु स्वेच्छा से समन्वयक के रूप में काम करने और तत्संबंधी सुविधा प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पेशकश हाल ही में आयोजित दक्षेस सम्मेलन में की गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में दिए गए सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारत ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के सदस्य देशों में शिक्षा के अनवरत प्रसार के लिए समन्वयक और सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, भारत ने एक-पक्षीय रूप से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सार्क देशों के छात्रों को दूरस्थ शिक्षा में 100 छात्रवृत्तियों की पेशकश की है। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक जनवरी, 2000 से प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन अध्ययन, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान और संगणन में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के लिए 100 छात्रवृत्तियाँ दे दी हैं। ये छात्रवृत्तियाँ (1) परम्परागत विश्वविद्यालय प्रणाली में बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका से आए छात्रों को भारत द्वारा पेशकश की गई द्विपक्षीय छात्रवृत्तियों और (2) सार्क छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सदस्य राज्यों के छात्रों के लिए पेशकश की गई छात्रवृत्तियों और अध्येतावृत्तियों के अलावा हैं। दूरस्थ छात्रवृत्तियाँ भारत सरकार की ओर से एक-पक्षीय पहल हैं और सार्क अनुमोदित कार्यक्रम का अंग नहीं हैं।

(ग) से (ङ) भारत की एक-पक्षीय पेशकश 18-19 मार्च, 1999 को न्यूबारा ईलिया, श्रीलंका में आयोजित सार्क की मंत्रिपरिषद् के 21वें अधिवेशन में की गई थीं। सार्क के अंतर्गत मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पर की गई पहल के संबंध में सार्क नेता 29-31 जुलाई, 1998 तक कोलम्बो में आयोजित 10वे सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में सहयोग मजबूत करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का सार्क मंच बनाने पर सहमत हुए थे। मंच की स्थापना के लिए रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए श्रीलंका ने कोलम्बो में 25-27 जनवरी, 1998 तक सार्क के मुक्त विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सार्क मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। 23-25 अगस्त, 1999 तक काठमांडू में हुई इस संघ की उप समिति की बैठक ने संस्थागत सार्क मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संघ और उसके लिए एक सचिवालय की स्थापना की माँग की थी। इसकी रिपोर्ट सार्क के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

मीट उत्पाद

6840. श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिक मूल्य वाले मीट और मीट उत्पाद तथा कुक्कुट उत्पाद की मात्रा का प्रसंस्करण काफी कम है और कुल मीट उत्पादन का केवल एक प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों के इतने कम संसाधित क्षमता के क्या कारण हैं; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक मूल्य वाले मीट उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) मूल्यवर्धित मांस और मांस उत्पादों तथा पाल्ट्री वस्तुओं का कम प्रसंस्करण, बूचड़खानों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं की कमी और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना हेतु अधिक पूंजी निवेश की जरूरत के कारण भी है। सरकार ने देश में मांस, पाल्ट्री और अंडा प्रसंस्करण के विकास के लिए योजना स्कीमें शुरू की हैं। बूचड़खानों के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए भी एक स्कीम शुरू की गई है।

दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन

6841. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्रीमती शीला गौतम:
श्री माधवराव सिंधिया:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूध और दुग्ध उत्पादों का कितना उत्पादन हुआ और 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इसकी राज्यवार मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या दुग्ध उत्पादन के साथ ही सभी राज्यों में दूध के मूल्य में भी वृद्धि हो गई है;

(ग) यदि हां, तो देश में इस समय दूध का औसत मूल्य कितना है;

(घ) क्या दूध का मूल्य अधिकांश व्यक्तियों विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनता की पहुंच से परे है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का 2000-2001 के दौरान नई परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में डेयरी इकाइयों/एककों के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) 1997-98 और 1998-99 के दौरान राज्यवार दूध का उत्पादन और आवश्यकता का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। 1999-2000 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान सहकारी क्षेत्र में प्रमुख दुग्ध उत्पादों का राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत के कुछ प्रमुख शहरों में सहकारी क्षेत्र द्वारा विपणित दूध का उपभोक्ता मूल्य इस प्रकार है:

शहर	वर्ष	
	मार्च, 1998	मार्च, 2000
दिल्ली	11.00	13.00
कलकत्ता	13.00	13.50
मुम्बई	10.00	10.50
चेन्नई	9.50	10.50
बंगलौर	10.00	11.00

(घ) भारत में दुग्ध उत्पादन काफी अधिक है जिस पर छोटे, सीमांत और भूमिहीन कृषकों का आधिपत्य है। उत्पादित ग्रामीण दूध का लगभग 50 प्रतिशत घरेलू स्तर पर रख लिया जाता है। रखे गए ऐसे ग्रामीण दुग्ध उत्पादन का इस्तेमाल तरल दूध के रूप में किया जाता है और इसको ग्रामीण भारत में रहने वाले गरीब परिवारों सहित छोटे, सीमांत और भूमिहीन कृषकों द्वारा घरेलू आधारित दुग्ध उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है।

(ङ) से (छ) डेयरी राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों में मदद करती हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग नौवीं योजना के दौरान दुग्ध उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

(1) राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन परियोजना

(2) चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता

(3) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

(4) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

(5) सहकारिताओं को सहायता

(6) समेकित डेयरी विकास परियोजना

विवरण 1

(000 मी. टन)

राज्य	दुग्ध उत्पादन		दूध की आवश्यकता	
	1997-98	1998-99*	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4510	4620	5891	5956
अरुणाचल प्रदेश	44	45	87	90
असम	775	798	2030	2059
बिहार	3475	3498	7647	7785
गोवा	39	41	117	121
गुजरात	4860	4903	3728	3782
हरियाणा	4373	4527	1528	1553
हिमाचल प्रदेश	707	728	501	516
जम्मू एवं कश्मीर	938	990	744	766
कर्नाटक	3970	4378	4038	4094
केरल	2348	2675	2526	2552
मध्य प्रदेश	5378	5442	6103	6215
महाराष्ट्र	5209	5608	7088	7179
मणिपुर	62	65	185	192
मेघालय	59	61	179	185
मिजोरम	20	22	70	72
नागालैंड	46	48	123	128
उड़ीसा	670	745	2806	2835
पंजाब	7350	7570	1832	1855
राजस्थान	6487	6150	4099	4176
सिक्किम	35	40	41	42
तमिलनाडु	4000	4275	4842	4889
त्रिपुरा	47	45	277	288
उत्तर प्रदेश	12934	13552	12905	13172

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	3415	3441	6114	6203
संघ शासित प्रदेश				
अंड. व निको. द्वीपसमूह	22	22	28	29
चण्डीगढ़	43	43	65	67
दादर एवं नागर हवेली	4	8	14	14
दमन और दीव	1	1	10	11
दिल्ली	266	289	1001	1047
लक्षद्वीप	1	1	5	5
पांडिचेरी	37	36	81	84
अखिल भारत	72125	74666	76704	77966

विवरण 2

1997-98 से 1999-2000 तक के दौरान सहकारिताओं में दुग्ध उत्पादों का उत्पादन

(मी.ट./वर्ष)

क्षेत्र	1997-98						
	स्किम दुग्ध चूर्ण	सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण	डेयरी वाइटनर	बटर वसा	टेबल बटर	सफेद बटर	घी
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य/उत्तर							
हरियाणा	961	—	—	—	186	483	1806
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	17
पंजाब	6082	2411	108	—	1218	260	6388
राजस्थान	1133	308	—	—	95	680	4671
उत्तर प्रदेश	4156	1101	—	66	2832	2981	3286
कुल	12332	3820	108	66	4331	4604	16148
पूर्व							
असम	—	—	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	19	469	—	—	50	54	671
नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	9	—	—	—	—	390	641
सिक्किम	—	—	—	—	—	7	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
पं. बंगाल	11	—	—	—	—	—	111
कुल	39	469	0	0	50	451	1424
पश्चिम							
गोवा	—	—	—	—	2	24	107
गुजरात	30107	5940	9994	27001	24683	6546	19077
मध्य प्रदेश	938	—	—	—	57	825	1114
महाराष्ट्र	2212	1473	—	—	68	3384	508
कुल	33257	7414	9994	27001	24789	10778	20806
दक्षिण							
आंध्र प्रदेश	4296	15	—	—	674	8167	5772
कर्नाटक	2036	11	—	—	—	5879	4153
*केरल	—	—	—	—	102	216	563
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	105
तमिलनाडु	653	—	—	—	—	5186	2089
कुल	6986	26	0	0	776	19448	12681
अखिल भारत	52613	11729	10102	27067	29947	35291	51059

*1996-97 एवं 1997-98 के लिए मालाबार शामिल नहीं।

(मी. ट./वर्ष)

क्षेत्र	1998-99						
	स्किम दुग्ध चूर्ण	सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण	डेयरी वाइटनर	बटर वसा	टेबल बटर	सफेद बटर	घी
1	9	10	11	12	13	14	15
राज्य/उत्तर							
हरियाणा	584	—	—	—	271	21	1560

1	9	10	11	12	13	14	15
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	2	—	15
पंजाब	4758	2715	70	—	622	507	5466
राजस्थान	910	40	—	—	62	558	4201
उत्तर प्रदेश	3671	960	—	—	2854	1837	3515
कुल	10123	3715	70	0	3810	2922	14757
पूर्व							
असम	—	—	—	—	—	—	0
बिहार	25	142	—	—	85	39	475
नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	—	—	—	—	—	64	662
सिक्किम	—	—	—	—	—	5	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	1
पं. बंगाल	—	—	—	—	—	—	74
कुल	25	142	0	0	85	107	1212
पश्चिम							
गोवा	—	—	—	—	1	19	30
गुजरात	21952	5851	9115	28807	19246	5913	13469
मध्य प्रदेश	740	—	—	—	43	1284	1801
महाराष्ट्र	1765	2191	—	—	72	2641	551
कुल	24457	8042	9115	28807	19362	9857	15851
दक्षिण							
आंध्र प्रदेश	4538	17	—	—	924	7224	5408
कर्नाटक	2818	—	—	—	1224	4245	4349
केरल	—	—	—	—	153	220	1117
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	102
तमिलनाडु	5536	—	—	—	748	5814	5113
कुल	12892	17	0	0	3048	20502	16090
अखिल भारत	47497	11916	9184	28807	26305	33388	47909

(मी. ट./वर्ष)

क्षेत्र	1999-2000*						
	स्किम दुग्ध चूर्ण	सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण	डेयरी वाइटनर	बटर वसा	टेबल बटर	सफेद बटर	घी
1	16	17	18	19	20	21	22
राज्य/उत्तर							
हरियाणा	640	49	—	—	235	491	1761
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	15
पंजाब	6317	1673	27	—	673	624	5866
राजस्थान	1310	60	—	—	98	1293	4723
उत्तर प्रदेश	2115	21	20	—	1449	1133	2168
कुल	10382	1802	47	0	2455	3542	14533
पूर्व							
असम	—	—	—	—	—	—	—
बिहार	97	516	—	—	97	91	691
नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	4	—	—	—	—	—	404
सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
पं. बंगाल	—	—	—	—	—	—	63
कुल	101	516	0	0	97	91	1158
पश्चिम							
गोवा	—	—	—	—	—	11	31
गुजरात	21893	5086	11519	25299	12602	4992	11016
मध्य प्रदेश	363	—	—	—	25	640	1011
महाराष्ट्र	881	1041	—	—	23	1225	207
कुल	23137	6127	11519	25299	12650	6868	12265

1	16	17	18	19	20	21	22
दक्षिण							
आंध्र प्रदेश	4364	—	—	—	720	6486	4565
कर्नाटक	5257	360	—	—	3806	4737	4146
*केरल	—	—	—	—	123	534	3132
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	203
तमिलनाडु	8152	—	—	—	47	7598	4661
कुल	17773	360	0	0	4495	19355	16707
अखिल भारत	51393	6805	11566	25299	19697	29856	44663

1996-97 एवं 1997-98 के लिए मालावार शामिल नहीं
*अप्रैल 99 से फरवरी 2000 के लिए अनंतिम
#1996-97 एवं 1997-98 के लिए मालावार शामिल नहीं

महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं

6842. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं/परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इनका कार्य-निष्पादन कैसा रहा;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई, निर्धारित और हासिल किए गए लक्ष्य क्या थे और कितने रोजगार सृजित किए गए है;

(ग) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग में योजना और कार्य निष्पादन को प्रभावी बनाने और इसे एक किफायती संगठन बनाने के उद्देश्य से इसके पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) चालू वर्ष में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की राज्य-वार कार्य-योजना क्या है और महाराष्ट्र में कौन-कौन सी नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं?

लघु उद्योग कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग महाराष्ट्र में निम्न परियोजनाएं लागू कर रहा है:

खादी, पोटरी, चूना, माचिस, अगरबत्ती, हस्तनिर्मित कागज, लाख, बांस और बेंत, कत्था, मधुमक्खी पालन, घानी तेल, पामगुड़, अनाज और दलहन प्रसंस्करण उद्योग, फल प्रसंस्करण, फाइबर, साबुन, चमड़ा, पॉलीमर, बायोगैस, बढ़ईगिरी और लुहारगिरी, एल्यूमिनियम, इलैक्ट्रानिक्स, पीतल और बेल मेटल, पोलीवस्त्र, अन्य वस्त्र और सेवा उद्योग, आदि। महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग का निष्पादन निम्न प्रकार से है:

वर्ष	उत्पादन (लाख में रुपए)
1996-97	75647.07
1997-98	69104.77
1998-99	63089.16

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित/जारी की गई निधियों और सृजित रोजगार का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) चालू वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए रोजगार सृजन के मामले में खादी ग्रामोद्योग आयोग की 'मार्जिन मनी योजना' के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य योजना का महाराष्ट्र सहित राज्यवार ब्यौरा विवरण-2 पर है। महाराष्ट्र में नई परियोजनाओं के प्रस्ताव को खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उनके वार्षिक बजट के चर्चा के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा।

विवरण 1

पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित/जारी की गई निधियों और सृजित रोजगार

(लाख रुपये में)

वर्ष	नियत निधियां	खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी निधियां		सी.बी.सी.	सृजित रोजगार लाख लोगों में
		अनुदान	ऋण		
1996-97	4884.58	1055.86	307.92	308.19	4.76
1997-98	3805.93	318.24	59.52	164.24	4.00
1998-99	4045.45	619.56	49.58	602.60	4.65

विवरण 2

ग्रामोद्योगों के अंतर्गत राज्य वार अतिरिक्त रोजगार लक्ष्य

लाख लोगों में रोजगार

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वर्ष 2000-2001
1	2	3
पूर्व क्षेत्र		
1.	अण्डमान एवं निकोबार	0.01
2.	बिहार	0.13
3.	उड़ीसा	0.17
4.	सिक्किम	0.02
5.	पश्चिमी बंगाल	0.28
	कुल	0.91
पश्चिमी क्षेत्र		
6.	दादर एवं नगर हवेली	0.01
7.	दमन एवं द्वीव	0.01
8.	गोआ	0.02
9.	गुजरात	0.17
10.	महाराष्ट्र	0.27
	कुल	0.48
1	2	3
उत्तर क्षेत्र		
11.	चंडीगढ़	0.01
12.	दिल्ली	0.01
13.	हरियाणा	0.07
14.	हिमाचल प्रदेश	0.06
15.	जम्मू एवं कश्मीर	0.07
16.	पंजाब	0.10
17.	राजस्थान	0.22
	कुल	0.54
दक्षिण क्षेत्र		
18.	आंध्र प्रदेश	0.26
19.	कर्नाटक	0.19
20.	केरल	0.15
21.	लक्षद्वीप	0.02
22.	पांडिचेरी	0.02
23.	तमिलनाडु	0.19
	कुल	0.83
केन्द्रीय क्षेत्र		
24.	मध्य प्रदेश	0.30
25.	उत्तर प्रदेश	0.61
	कुल	0.91

1	2	3
उत्तर पूर्व क्षेत्र		
26.	अरुणाचल प्रदेश	0.04
27.	आसाम	0.11
28.	मणिपुर	0.09
29.	मेघालय	0.09
30.	मिजोरम	0.02
31.	नागालैंड	0.08
32.	त्रिपुरा	0.12
	कुल	0.55
	कुल जोड़	4.22

करमापा का मुद्दा

6843. श्री जार्ज ईडन:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को करमापा के भारत प्रवास के संबंध में चीन सरकार की ओर से कोई औपचारिक सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) अपने अनुयाइयों द्वारा 17वें ग्यालवा करमापा के रूप में माने जाने वाले लामा उग्येन थिनले दोरजी 5 जनवरी, 2000 को तिब्बत से निकलकर धर्मशाला पहुँच गए। लामा उग्येन थिनले दोरजी के भारत आगमन पर चीन का सरकारी रुख यह है कि लामा उग्येन थिनले बौद्ध कर्मकाण्डों के "बाह्य-वृन्दों को प्राप्त करने और पूर्ववर्ती करमापाओं द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली काली टोपी को लेने के लिए" विदेश गये थे। चीनी पक्ष से यह अनुरोध किया गया है कि तिब्बत से भारत के लिए उनके प्रस्थान करने की परिस्थितियों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी से अवगत कराएँ। भारत और चीन राजनयिक माध्यम से सम्पर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों ने पंचशील के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और विकास के प्रति संतोष व्यक्त किया है।

सम्पत्तियों को प्राप्त करना

6844. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण से वक्फ सम्पत्तियों को वक्फ बोर्डों को दिलवाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाये जा रहे हैं;

(ख) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कब तक सारी वक्फ सम्पत्तियां वक्फ बोर्डों को वापस दिलवा दी जाएंगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चालू सिंचाई परियोजनाएं

6845. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजी लाल सुमन:
श्री रघुनाथ झा:
श्री चिंतामन वनगा:
श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक बड़े और मझौले स्तर की सिंचाई परियोजनाएं अभी तक अपूर्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई परियोजनाएं अपनी निर्धारित कार्यावधि से पीछे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार कारण क्या हैं;

(ङ) ऐसी प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उन पर अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(च) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद कितनी सिंचाई-क्षमता प्राप्त होने का अनुमान है; और

(छ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (छ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन अपने निजी संसाधनों से तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार शुरू करती हैं। वृहद परियोजनाओं के पूरा होने का सामान्य समय 10-15 वर्ष और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने का समय 5-10 वर्ष है। किसी भी परियोजना के पूरा होने की अवधि इसके आकार, भूमि की उपलब्धता, राज्यों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करना, भू वैज्ञानिक स्थितियों इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं को आबंटित की जाने वाली निधियों का भी इतना ही महत्व है। मौजूदा निर्माणाधीन 155 वृहद और 234 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के साथ-साथ वर्तमान स्थिति, उन पर खर्च की गई कुल राशि तथा उनके पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाली संभावित आकलित सिंचाई क्षमता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

(करोड़ रुपये में) (हजार हेक्टेयर में)

	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या (वृहद)	नवीनतम अनुमानित लागत	आठवीं योजना की समाप्ति तक व्यय	नौवीं योजना में निकाली गई लागत	चरम क्षमता	आठवीं योजना की समाप्ति तक सृजित क्षमता	नौवीं योजना में सृजित क्षमता के लिए लक्ष्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	10130.44	4754.95	5375.49	1882.54	1165.65	675.21
2.	असम	4	432.82	211.48	221.34	167.89	71.40	3.00
3.	बिहार	14	7365.53	2105.27	5260.26	1275.94	99.60	305.86
4.	गोवा	1	678.59	258.65	419.94	46.06	8.27	16.22
5.	गुजरात	9	23300.92	6522.47	16777.85	2107.01	271.51	—
6.	हरियाणा	5	1013.51	725.67	287.84	801.00	242.00	69.00
7.	हिमाचल प्रदेश	1	150.78	7.47	143.31	24.76	—	2.70
8.	जम्मू व कश्मीर	1	151.18	122.84	28.34	66.78	52.88	13.90
9.	कर्नाटक	14	11190.19	5131.64	6058.55	1718.89	1036.61	737.37
10.	केरल	7	1879.50	942.41	937.09	343.34	112.20	140.64
11.	मध्य प्रदेश	23	10729.65	3131.15	7598.50	2552.25	665.70	300.15
12.	महाराष्ट्र	36	12958.17	5374.43	7583.74	2517.14	1013.52	943.66
13.	मणिपुर	2	491.65	225.85	265.80	44.67	5.10	—
14.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
15.	नागालैंड	1	111.02	2.95	108.07	10.00	—	—
16.	उड़ीसा	5	4953.85	1156.55	3797.30	1066.68	169.54	500.55

1		2	3	4	5	6	7	8
17.	पंजाब	- (1-IS)	3379.53	2704.93	674.60	478.00	—	348.00
18.	राजस्थान	6	4692.81	2346.01	2346.80	1348.41	600.07	413.34
19.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	18	7359.44	3339.74	4019.70	4226.67	1611.27	926.37
22.	पश्चिम बंगाल	3	2037.41	933.83	1098.58	1558.24	982.61	25.00
	कुल	162	103186.89	39003.29	64183.60	22236.27	8107.93	5420.97

टिप्पण: नौवीं योजना के दौरान 7 वृहद परियोजनाएं (गुजरात में 6 और उत्तर प्रदेश में 1) पूरी कर ली गई हैं।

विवरण II

(करोड़ रुपये में) (हजार हेक्टेयर में)

राज्य का नाम		परियोजनाओं की संख्या (मध्यम)	नवीनतम अनुमानित लागत	आठवीं योजना की समाप्ति तक व्यय	नौवीं योजना में निकाली गई लागत	चरम क्षमता	आठवीं योजना की समाप्ति तक सृजित क्षमता	नौवीं योजना में सृजित क्षमता के लिए लक्ष्य
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	20	623.34	323.51	299.79	138.03	51.95	102.73
2.	असम	9	155.92	99.72	56.20	76.58	42.87	1.00
3.	बिहार	29	1065.18	429.37	635.81	171.52	15.88	89.50
4.	गोवा	1	40.00	2.40	37.60	11.20	—	—
5.	गुजरात	9	337.53	260.02	77.51	51.32	30.34	—
6.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	1	11.30	11.26	0.04	2.41	2.41	—
8.	जम्मू व कश्मीर	9	223.55	55.88	167.67	37.76	6.87	28.94
9.	कर्नाटक	15	943.67	510.72	432.95	76.29	23.72	62.45
10.	केरल	5	478.93	150.56	328.37	55.00	5.00	4.30
11.	मध्य प्रदेश	32	1012.09	733.15	278.94	245.44	103.20	77.30
12.	महाराष्ट्र	66	2076.06	1021.98	1054.08	325.81	6.40	156.40
13.	मणिपुर	2	66.58	56.50	10.08	1.54	2.00	—

	1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मेघालय	1	17.81	8.14	9.67	5.15	—	—
15.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—
16.	उड़ीसा	10	499.95	410.23	89.72	108.22	55.75	65.02
17.	पंजाब	1	88.49	0.20	88.29	88.29	—	—
18.	राजस्थान	6	240.24	127.22	113.02	44.29	10.70	31.72
19.	तमिलनाडु	2	103.75	29.53	74.22	6.74	—	6.72
20.	त्रिपुरा	3	154.00	92.96	61.04	26.72	2.60	24.10
21.	उत्तर प्रदेश	2	54.81	39.99	14.82	7.65	3.88	3.77
22.	पश्चिम बंगाल	17	90.42	60.78	29.64	37.63	35.39	2.24
	कुल	240	8283.62	4424.12	3859.50	1517.59	398.96	656.21

टिप्पण: नौवीं योजना के दौरान गुजरात में 6 मध्यम परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद

6846. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री किरीट सोमैया:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में 6.8 प्रतिशत का वृद्धि लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2000) की मध्यावधि मूल्यांकन की प्रक्रिया इस समय प्रगति पर है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर औसतन 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डा. बी.आर. अम्बेडकर का समाधि स्थल

6847. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा समुद्र में पुल बनाने की महत्वाकांक्षी योजना के कारण बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) "चैत्य भूमि" के नाम से प्रसिद्ध डा. बी.आर. अम्बेडकर के समाधि स्थल के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार को क्या निदेश जारी कर रही है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) सूचना महाराष्ट्र राज्य

सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्रीलंका पुलिस की हिरासत में मछुआरे

6848. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में श्रीलंका पुलिस की हिरासत में तमिलनाडु के एक मछुआरे की मौत के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकार को 28 मार्च, 2000 को श्रीलंका में एक भारतीय मछुवारे की मृत्यु का पता चलने से दुख हुआ। उसे 19 फरवरी, 2000 को श्रीलंका के जल क्षेत्र में सात अन्यों के साथ पकड़ा गया था। कोलम्बो स्थित भारत के हाई कमीशन ने उनकी रिहाई के लिए श्रीलंका के प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया, कोंसली मुलाकातों के जरिए मछुवारों के सम्पर्क में रहा तथा चिकित्सा की व्यवस्था की। बताया गया है कि उस मछुवारे ने 27 मार्च को छाती में दर्द की शिकायत की और उसे हस्पताल ले जाया गया, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार हृदय गति रुक जाने से वहां उसकी मृत्यु हो गई। कोलम्बो स्थित हमारे हाई कमीशन ने श्रीलंका के संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया जिन्होंने 31 मार्च, 2000 को मृत व्यक्ति के शव को भारत भेजने की व्यवस्था की।

पाक द्वारा अतिवादियों को संगठित करने की चेष्टा

6849. श्री अब्दुल हमीद:

श्री आर.एल. भाटिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने हुर्रियत-कांफ्रेंस के द्वारा लंदन में स्थापित केन्द्रीय समनव्य निकाय को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भारत दौरे के पूर्व कश्मीर लिबरेशन आर्मी के झंडे तले भाड़े के सैनिकों के समूहों को संगठित करने के प्रयासों को तेज कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार कीं इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकार को भारत के खिलाफ पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार पर परदा डालने के लिए लन्दन, जेनेवा और अन्य पश्चिमी देशों की राजधानियों में कार्यालय स्थापित करने के संबंध में हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं को प्रेरित करने संबंधी पाकिस्तान के प्रयास की खबरों की जानकारी है। सरकार को इन खबरों की भी जानकारी है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर तथा भारत में अन्यत्र सीमा-पार आतंकवाद को तेज करने के लिए पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित कुछ आतंकवादी संगठनों को एक बैनर के नीचे संगठित करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास भी कर रहा है।

(ग) सरकार देश की सुरक्षा और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने संबंधी अपने दृढ़ निश्चय पर अटल है। तथापि, सरकार संयम बरतने की अपनी नीति का सत्यनिष्ठापूर्वक पालन करना जारी रखेगी, पिर भी, जैसाकि विगत में प्रदर्शित किया गया है, अपनी सुरक्षा तथा क्षेत्रीय अखण्डता के प्रति किसी खतरे का प्रभावी रूप से मुंहतोड़ जवाब देगी।

भारत-अमरीका वार्ता

6850. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2000 में भारत और अमरीका के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हा, तो किन-किन मुद्दों पर बातचीत हुई; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां। भारतीय और अमरीकी अधिकारियों ने अप्रैल, 2000 में वाशिंगटन डी.सी. में संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद प्रतिकार के संबंध मे एक व्यापक अभिसमय संबंधी भारत के प्रस्ताव और निर्यात नियंत्रणों पर बातचीत की थी।

(ख) आतंकवाद संबंधी नवगठित भारत-अमरीका संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक के दौरान, जो फरवरी, 2000 में सम्पन्न हुई थी, दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए कई उपायों पर सहमत हुए थे। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, दोनों पक्ष आतंकवाद अभिसमय संबंधी भारत के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अप्रैल, 2000 में बैठक करने के लिए सहमत हुए थे। निर्यात नियंत्रणों पर चर्चा सुरक्षा, अप्रसार, निरस्त्रीकरण और संबद्ध मसलों पर चल रहे द्विपक्षीय संवाद की रूपरेखा के अंतर्गत हुई थी।

(ग) इन बैठकों के फलस्वरूप इन मसलों पर परस्पर बेहतर समझबूझ का सर्जन हुआ है। इस समय संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद अभिसमय के लिए भारत के प्रस्ताव पर अमरीका की ओर से अपेक्षाकृत अधिक समझबूझ और समर्थन है।

निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षण

6851. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री चिंतामन वनगा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कापेरिट और निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्पोरेट/निजी क्षेत्र को इस संबंध में क्या-क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विकलांगों हेतु तीन प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाने का है,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है, क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभीष्ट लाभ केवल शहरी विकलांगों को ही मिले हैं;

(च) यदि हां, तो इन लाभों का विस्तार ग्रामीण विकलांगों तक करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(छ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के 80 प्रतिशत विकलांग इन लाभों से वंचित हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से ठोस उपाय किये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) इस अधिनियम में सुधार तथा मजबूती लाने और इसे नि:शक्त व्यक्तियों की समानता को बढ़ावा देने तथा अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सशक्त साधन के रूप में बनाने के लिए नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (ज) सरकार ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के व्यापक कवरेज तथा समग्र पुनर्वास के लिए हाल ही में कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें ये शामिल हैं:

1. विकलांगता के रूप में राष्ट्रीय संस्थाओं में वाह्य विस्तार केन्द्रों के रूप में विभिन्न किस्म की विकलांगताओं के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न भागों में छ: संयुक्त क्षेत्रीय संसाधन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

2. मेरुदंड क्षति ग्रस्त तथा अस्थि विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए चार क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना संबंधी योजना के एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित करने के लिए हाल ही में अनुमोदित किया गया है।

3. उत्पादन क्षमता का विस्तार करने तथा गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र और उपकरणों आसानी से उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के 4 सहायक उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

4. विकलांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/जिला/ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अवसंरचना का सृजन करने के लिए विकलागं व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्वट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य क्षेत्र में हाल में स्वीकृत किया गया है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि निर्मुक्त की जा रही है।

5. विकलांग व्यक्तियों को उनके घरों में व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सौ से अधिक जिलों की पहचान की गई है। पहचान की गई सेवाओं में क्रमश: राष्ट्रीय संस्थान/भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम/ केन्द्र सरकार तथा जिला पुनर्वास केन्द्रों के सहयोग से मिश्रित पिटमेंट एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करना शामिल हैं।

प्याज और आलू की मांग और आपूर्ति

6852. श्री किरीट सोमैया:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्याज और आलू की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन वस्तुओं की निर्धारित न्यूनतम भंडारण क्षमता कितनी है और वर्तमान में देश में इसकी भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) गत वर्ष सड़ गए आलू और प्याज की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी वस्तुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.वी.पी.वी.के. सत्यनारायण राव): (क) आलू एवं प्याज की मांग संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आलू और प्याज का उत्पादन, जो आपूर्ति के लिए उपलब्ध था, निम्नवत रहा:

(उत्पादन: लाख मी. टन)

वर्ष	आलू	प्याज
1997-98	176.5	34.78
1998-99	224.9	54.70
1999-2000 (अग्रिम अनुमान)	246.4	47.50

(ख) शीत भण्डारों तथा भण्डारों संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार आलू के लिए 150 लाख मीटरी टन की शीत भण्डारण क्षमता की आवश्यकता है, जिसमें से 103 लाख मीटरी टन क्षमता पहले से उपलब्ध है। प्याज के भण्डारण के लिए अपेक्षित क्षमता 9.10 लाख मी. टन आंकी गई है जिसमें से 4.6 लाख मी. टन क्षमता देश में पहले ही उपलब्ध है।

(ग) आलू और प्याज सड़ जाने की मात्रा के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) भारत सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से शीत भण्डारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम कार्यान्वित कर रही है। राजसहायता उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 33.3% एवं अधिकतम 60 लाख रुपये तथा देश के अन्य राज्यों के लिए 25% तथा अधिकतम 50 लाख रुपये तक सीमित है। इसके अलावा, बोर्ड बागवानी उत्पादों के लिए विपणन अवसंरचना सहायता भी प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की भूमिका

6853. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की इस समय क्या भूमिका है;

(ख) क्या इसकी भूमिका में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने लघु उद्योग इकाइयों के वित्त-पोषण का निर्णय लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में लघु क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है:

- आसान किराया-खरीद शर्तों पर आयातित एवं देशी मशीनों की आपूर्ति।
- घरेलू एवं अन्तराष्ट्रीय में लघु उद्योग माल एवं सेवाओं का विपणन।
- सरकारी भण्डार खरीद कार्यक्रम में लघु उद्योग इकाईयों की भागीदारी को सरल बनाने के लिए सक्षम और समर्थ लघु उद्योग इकाईयों की पहचान करना।
- लघु औद्योगिक इकाइयों को देशी एवं आयातित कच्ची सामग्री उपलब्ध कराना।
- बिल वित्त पोषण का जिम्मा लेना और निर्यात क्रेडिट आयोजित करना।
- अपने तकनीकी सेवा केन्द्रों के माध्यम से पारम्परिक एवं आधुनिक तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- तकनीकी सेवा केन्द्रों के माध्यम से निकटवर्ती लघु उद्योग इकाईयों के लिए सामान्य सुविधाएं आयोजित करना।
- लघु उद्योगों की वृद्धि के लिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अन्य विकासशील देशों को सहायता देना।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से आशा की जाती है कि वह संकाय प्रस्ताव के अंतर्गत ब्राण्डिड माल के विपणन में भूमिका अदा करें।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम किराया-खरीद पर मशीनरी और उपकरण प्रदान करके लघु औद्योगिक इकाईयों का पहले ही वित्त पोषण कर रहा है और यह कच्चा माल की अधिप्राप्ति के लिए अल्पावधि आधार पर वित्त भी देता रहा है। यह बिल तथा निर्यात क्रेडिट के वित्त पोषण की व्यवस्था भी करता है।

कम्बोडियाई प्रधान मंत्री की यात्रा

6854. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2000 में कम्बोडियाई प्रधान मंत्री ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई चर्चा के मुद्दे क्या है;

(ग) क्या इस अवसर पर किन्हीं द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने भी उनसे मुलाकात की।

दोनों पक्षों ने परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सार्वभौमिक मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए सहयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की कंबोडिया के प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति समर्थन व्यक्त किया, उन्होंने उच्चतर शिक्षा, उपग्रह चित्रकला एवं मानचित्रण, बीज प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास में भारत की तकनीकी सहायता लेने की इच्छा व्यक्त की। दोनों देशों के बीच पर्यटन की प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की गई।

(ग) और (घ) यात्रा के दौरान निम्नलिखित चार करारों पर हस्ताक्षर किए गए:

(1) व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग पर संयुक्त आयोग का गठन करने से संबद्ध करार;

(2) पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन;

(3) कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन,

(4) मौजूदा सांस्कृतिक करार के अंतर्गत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर करार।

विदेशी कलाकारों/खिलाड़ियों की भारत यात्रा

6855. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार आई सी सी आर द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश-वार भारत में कितने विदेशी कलाकार/खिलाड़ी इत्यादि आए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, जिनमें विदेश स्थित इसके सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम शामिल नहीं हैं और जिनकी सूचना एकत्र की जा रही है, के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि निम्नानुसार है:

1998-1999	1232 लाख रुपए*
1998-2000	439 लाख रुपए

*इसमें वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान 50वीं वर्षगांठ के समारोहों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई 870.00 लाख रुपए की अतिरिक्त निधि शामिल है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत में आए विदेशी कलाकारों/खिलाड़ियों की संख्या नीचे दी गई हैं:

(1) मंचीय कलाकार**

1998-1999	860 कलाकार (50वीं वर्षगांठ में शामिल कलाकारों सहित)
1999-2000	377 कलाकार

**देशवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(2) खिलाड़ी-खेल विभाग ने सूचित किया है कि यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है, और यह सूचना विभिन्न स्रोतों से एकत्र की जा रही है।

विवरण

भारत आने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल
अप्रैल, 1998-मार्च, 1999

क्र.सं.	देश	कलाकारों की संख्या
1	2	3
1.	आस्ट्रिया	10
2.	बंगलादेश	49
3.	भूटान	12
4.	बुल्गारिया	2
5.	क्रोएसिया	53
6.	साइप्रस	4
7.	चेक गणराज्य	22
8.	मिस्र	30
9.	फ्रांस	16
10.	यूनान	8
11.	जर्मनी	13
12.	हंगेरी	24
13.	आयरलैण्ड	3
14.	ईटली	3
15.	किर्गीस्तान	32
16.	मालदीव	14
17.	मारीशस	53
18.	मोरक्को	3
19.	म्यामां	10
20.	नेपाल	17
21.	नीदरलैण्ड	4
22.	नाईजीरिया	20
23.	नार्वे	9
24.	ओमन	40
25.	पाकिस्तान	30
26.	पोलैण्ड	10
27.	कोरिया गणराज्य	123
28.	रूस	8
29.	सिंगापुर	22
30.	स्लोवाकिया	40
31.	दक्षिण अफ्रीका	13
32.	स्पेन	4
33.	श्रीलंका	52
34.	सीरिया	30
35.	थाईलैण्ड	25
36.	ट्यूनीशिया	9
37.	तुर्की	7
38.	यूनाइटेड किंगडम	4
39.	अमरीका	16
40.	जंजीवार	16
		860

भारत आने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल
अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000

क्र.सं.	देश	कलाकारों की संख्या
1	2	3
1.	आस्ट्रिया	108
2.	बंगलादेश	32
3.	बल्गारिया	5
4.	चीन	20
5.	मिस्र	27
6.	फ्रांस	6
7.	जर्मनी	17
8.	यूनान	9

1	2	3
9.	ईटली	29
10.	जापान	7
11.	नामीबिया	22
12.	म्यामां	15
13.	नीदरलैण्ड	2
14.	नेपाल	6
15.	दक्षिण अफ्रीका	6
16.	सिंगापुर	16
17.	श्रीलंका	13
18.	यूगांडा	7
19.	यूनाइटेड किंगडम	15
20.	वियतनाम	15
		377

निधियों का उपयोग न किया जाना

6856. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निधियों के उपयोग के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने बहुत खराब रिकार्ड प्रदर्शित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस क्षेत्र के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान कितनी योजना निधि आबंटित की गई और कितनी निधियों का उपयोग किया गया;

(ग) इस क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस क्षेत्र हेतु भविष्य में आबंटन नीति क्या होगी?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की स्कीमों के लिए आबंटित और इस्तेमाल की गई योजना निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1997-98	44.10	40.00	22.87
1998-99	44.10	30.00	30.00
1999-2000	47.00	40.00	37.78

कम मांग, कम मात्रा में उत्पादन, प्रति यूनिट अधिक लागत और फिर मांग का कम होना प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के सम्मुख आने वाली मुख्य रुकावटें हैं। अधिक जोखिम और कम लाभ के कारण अधिकतर उद्यमी इस क्षेत्र में दाखिल होने का साहस नहीं कर पाते जबकि प्राप्त सूचना के अनुसार इसमें विशाल संभावनाएँ हैं। अनुरूप वातावरण प्रदान करने एवं उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कदम उठाये जाते हैं।

वर्ष 2000-2001 के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 50 करोड़ रुपये है।

कम्प्यूटर वायरस

6857. डॉ. एस. वेणुगोपाल: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'विंची' नामक कम्प्यूटर वायरस से होने वाली क्षति का आंकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे खतरनाक वायरस के आक्रमण को रोकने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में दिनांक 27 अप्रैल, 2000 के पायनियर में प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली में कतिपय कम्प्यूटर विंची वायरस के आक्रमण का शिकार हुए थे; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) हाल ही में एक समाचार पत्र में विंची जैसे कम्प्यूटर वायरस से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की गई

थी जो कभी-कभी प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन, विंची वायरस के पलस्वरूप किसी क्षति की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) नए वायरसों को रोकने के लिए कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं है क्योंकि प्रत्येक वायरस से सुरक्षा के लिए प्रयोजन मूलक वायरस निरोधी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अब अनेक विक्रेता ज्ञात वायरसों के सॉफ्टवेयर समाधान उपलब्ध कराते हैं।

(ङ) और (च) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

अपहरण पश्चात् स्थिति का मूल्यांकन

6858. श्री आर.एल. भाटिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त कार्य समिति ने अपहरण पश्चात् स्थिति की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या किसी भी तथा प्रत्येक कागजात को वैध यात्रा कागजात मानने की वर्तमान प्रणाली को बन्द किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (क) सीमा प्रबंधन संबंधी भारत नेपाल संयुक्त कार्य दल की तीसरी बैठक 1-3 फरवरी, 2000 तक काठमांडू में सम्पन्न हुई थी। इस बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रदेशों के एक-दूसरे के विरुद्ध निदेशित गतिविधियों के उपयोग की अनुमति नहीं देने के अपने-अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने संयुक्त कार्यदल की अंतिम बैठक के समय से हुए घटनाक्रम की समीक्षा की और भारत-नेपाल सीमा के अधिक प्रभावी प्रबंधन और विनियमन संबधी तौर-तरीकों पर विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान किया। वे अवांछित गतिविधियों और सीमा पार आतंकवादियों, अपराधियों और अन्य अवांछित तत्वों के आवागमन के नियंत्रण पर सहयोग सुदृढ़ बनाने के लिए सहमत हुए। यह दोहराया गया कि दोनों देशों के राष्ट्रिकों द्वारा आरक्षित सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्बाध आवागमन की पहुँच के उपयोग के विशेषाधिकार तीसरे देश के राष्ट्रिकों सहित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारी ओर केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों की तैनाती सहित संवेदनशील सीमावर्ती चौकियों पर गश्त बढ़ाने तथा समन्वित करने संबंधी आवश्यकता पर, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सुविधा जायज उपयोग कर्ताओं के लिए उपलब्ध रहे, आरक्षित भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और दुरुपयोग की रोकथाम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई।

(ग) से (ङ) सीमा प्रबंधन संबंधी भारत-नेपाल संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक में, दोनों पक्ष उन फोटो-पहचान दस्तावेजों के प्रकारों की जाँच करने और घटाने जो वायुयान यात्रा के लिए वैध होंगे और एक-दूसरे को इस प्रकार के दस्तावेजों की संशोधित सूची अधिसूचित करने के लिए भी सहमत हुए हैं।

कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन

6859. श्री अवतार सिंह भड़ाना:
श्री जयभद्र सिंह:

क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने कृषि आधारित उद्योग खोले गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि खर्च की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) देश में कृषि आधारित उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से खादी और ग्रामोद्योग आयोग उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में "मार्जिन मनी स्कीम" का कार्यान्वयन कर रहा है। उक्त स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए निवेश, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में स्थापित कृषि आधारित उद्योगों की सूची विवरण-I में दी गई है।

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किए गए संवितरण का ब्यौरा विवरण-II और III में दिया गया है।

विवरण I

कृषि आधारित उद्योगों की राज्यवार सूची

1.	आंध्र प्रदेश	मधुमक्खी पालन, ग्राम तेल, गुड़ एवं खांडसारी, खजूर गुड, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे एवं फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	मधुमक्खी पालन, ग्राम तेल, गुड़ एवं खांडसारी दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे एवं फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
4.	बिहार	मधुमक्खी पालन, घानी तेल, ईख, गुड़ एवं खांडसारी फार्म, गुड़, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे एवं फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
5.	गोवा	मधुमक्खी पालन, ईंध गुड़ एवं खाण्डसारी, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, फल प्रसंस्करण, फाइबर
6.	गुजरात	मधुमक्खी पालन, घानी तेल, ईख गुड़ एवं खाण्डसारी, पामगुड़, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे एवं फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
7.	हरियाणा	मधुमक्खी पालन, घानी तेल, गुड़ एवं खांडसारी, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे एवं फल, फल प्रसंस्करण-फाइबर
8.	हिमाचल प्रदेश	मधु मक्खी पालन, घानी तेल, ईख गुड़ एवं खाण्डसारी, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे और फ़ल, फल प्रसंस्करण फाइबर
9.	जम्मू एवं कश्मीर	मधुमक्खी पालन, घानी तेल, ईख गुड़ एवं खाण्डसारी, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, फल प्रसंस्करण, फाइबर
10.	कर्नाटक	मधुमक्खी पालन, घानी तेल, गुड़ एवं खाण्डसारी, पामगुड़, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे एवं फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
11.	केरल	मधुमक्खी पालन, घानी तेल, गुड़ एवं खाण्डसारी, पामगुड़, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे एवं फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
12.	मध्य प्रदेश	मधु मक्खी पालन, गुड़ एवं खाण्डसारी, घानी तेल, पामगुड़, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे एवं फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
13.	महाराष्ट्र	मधुमक्खी पालन, घानी तेल, पाम गुड़, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे एवं फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
14.	मणिपुर	मधुमक्खी पालन, घानी का तेल, गुड़ और खांडसारी, दालें और अनाज, प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे और फल, फल संस्करण, फाइबर
15.	मेघालय	मधुमक्खी पालन, घानी का तेल, पामगुड़, दालें और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे और फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
16.	मिजोरम	मधुमक्खी पालन, घानी का तेल, गन्ने का गुड़ और खांडसारी, दालें और अनाज, प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे और फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर।
17.	नागालैण्ड	मधुमक्खी पालन, घानी का तेल, गुड़ और खांडसारी, दालें और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे और फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर।

18.	उड़ीसा	मधुमक्खी पालन, घानी का तेल, गन्ने का गुड़, और खांडसारी, दालें और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे और फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
19.	पंजाब	मधुमक्खी पालन, घानी का तेल, गुड़ और खांडसारी दालें और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे और फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
20.	राजस्थान	मधुमक्खी पालन, गुड़ और खांडसारी, पामगुड़, दालें और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, फल प्रसंस्करण, फाइबर
21.	सिक्किम	मधुमक्खी पालन, दालें और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, फल प्रसंस्करण
22.	तमिलनाडु	मधुमक्खी पालन, घानी का तेल, गुड़ और खांडसारी, पामगुड़, दालें और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे और फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
23.	त्रिपुरा	मधुमक्खी पालन, गुड़ और खांडसारी, पामगुड़, दालें और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे और फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
24.	उत्तर प्रदेश	मधुमक्खी पालन, घानी का तेल, गुड़ और खांडसारी, पामगुड़, दालें और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, वन पौधे और फल, फल प्रसंस्करण, फाइबर
25.	पश्चिमी बंगाल	मधुमक्खी पालन, घानी का तेल, गुड़ और खांडसारी, पामगुड़, दालें और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, फल प्रसंस्करण, फाइबर

विवरण II

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऋणों का संवितरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
		खादी	ग्रा.उ.	खादी	ग्रा.उ.	खादी	ग्रा.उ.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	383.16	258.90	63.02	17.68	19.76	31.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.33	29.42	—	—	—	—
3.	आसाम	61.43	4.68	19.43	0.37	0.79	2.00
4.	बिहार	144.81	56.34	30.17	0.14	53.83	7.02
5.	गोवा	36.65	11.30	—	31.32	—	1.55
6.	गुजरात	61.64	30.11	7.00	13.37	43.34	29.13
7.	हरियाणा	74.67	65.72	18.75	219.36	2.10	8.88
8.	हिमाचल प्रदेश	11.97	31.03	—	—	6.52	4.33

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू एवं कश्मीर	35.97	4.51	0.38	—	6.61	0.52
10.	कर्नाटक	170.98	56.66	170.75	68.05	102.75	61.58
11.	केरला	108.82	21.87	3.15	1.46	35.48	13.68
12.	मध्य प्रदेश	153.26	49.27	1.21	48.88	8.18	12.11
13.	महाराष्ट्र	87.68	220.24	10.84	48.68	7.62	41.96
14.	मणिपुर	7.42	2.84	—	—	—	0.31
15.	मेघालय	6.75	36.04	—	—	—	0.86
16.	मिजोरम	1.62	—	—	—	0.10	—
17.	नागालैंड	16.78	2.73	—	2.00	—	—
18.	उड़ीसा	116.46	9.52	18.95	3.87	6.10	8.34
19.	पंजाब	72.00	6.10	—	2.50	11.45	1.21
20.	राजस्थान	218.24	18.79	28.59	26.21	19.70	23.60
21.	सिक्किम	3.90	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	446.80	43.07	0.25	26.57	42.27	37.41
23.	त्रिपुरा	21.99	4.61	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	492.82	241.38	61.81	135.90	332.88	191.10
25.	पश्चिमी बंगाल	138.32	69.55	43.15	4.97	36.28	48.54
26.	अंडमान निकोबार	—	—	—	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
28.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
29.	एनसीटी ऑफ दिल्ली	13.69	3.38	—	—	1.65	10.11
30.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	2.06	—	—	—	—	1.29
32.	लक्ष्यद्वीप	—	5.10	—	—	—	—
33.	विभागीय	—	—	—	—	—	7.67
34.	अन्य योजनाएं	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	2904.22	1283.46	477.45	651.33	737.41	544.33

विवरण III

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुदानों का संवितरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
		खादी	ग्रा.उ.	खादी	ग्रा.उ.	खादी	ग्रा.उ.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	273.95	685.78	174.29	737.29	275.35	340.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	125.41	0.87	—	—	—
3.	आसाम	52.55	12.70	35.06	6.30	59.79	6.72
4.	बिहार	651.17	12.29	748.45	4.00	1196.53	33.96
5.	गोवा	0.60	45.35	1.00	9.84	—	40.36
6.	गुजरात	922.70	519.17	1387.00	94.71	2554.96	268.56
7.	हरियाणा	19.40	292.58	592.79	52.25	652.94	185.23
8.	हिमाचल प्रदेश	1.88	203.59	123.30	153.97	76.51	272.94
9.	जम्मू एवं कश्मीर	70.29	263.48	81.92	40.53	182.50	352.13
10.	कर्नाटक	255.57	653.33	438.63	561.35	1008.73	1228.32
11.	केरला	147.03	1175.18	322.60	15.58	205.45	395.94
12.	मध्य प्रदेश	100.60	720.64	367.27	319.06	178.49	1319.02
13.	महाराष्ट्र	260.82	795.04	32.93	285.31	310.59	308.97
14.	मणिपुर	2.38	208.16	—	281.51	—	266.93
15.	मेघालय	4.88	232.43	—	—	2.36	44.93
16.	मिजोरम	1.13	1028.05	—	49.63	0.02	344.39
17.	नागालैंड	28.32	733.46	7.18	90.00	5.37	396.94
18.	उड़ीसा	45.25	396.94	30.99	60.50	172.53	87.02
19.	पंजाब	281.01	391.05	619.41	124.79	345.73	605.12
20.	राजस्थान	860.03	636.87	105.26	314.15	1490.71	461.80
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	757.63	737.73	1268.80	58.77	2690.76	414.10

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	0.50	90.31	0.02	—	0.50	—
24.	उत्तर प्रदेश	2141.50	1589.33	1947.68	77.71	4201.30	1454.00
25.	पश्चिमी बंगाल	227.47	1011.77	235.00	7.60	595.10	20.49
26.	अंडमान निकोबार	—	42.85	—	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	-
28.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
29.	एनसीटी ऑफ दिल्ली	321.06	73.11	22.29	10.74	669.27	31.34
30.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	—	7.60	—	—	—	26.23
32.	लक्ष्यद्वीप	6.39	24.20	—	—	0.39	34.64
33.	विभागीय	229.43	3654.50	217.35	21567.01	752.48	7707.43
34.	अन्य योजनाएं	—	4866.15	—	—	—	—
	कुल योग	7663.54	21224.05	8760.09	24922.60	17628.36	16648.26

आंध्र प्रदेश में ई एस आई के अस्पताल

6860. श्री सुल्तान सलाहउद्दीन ओवेसी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में ई एस आई के अस्पतालों/औषधालयों को खोलने अथवा इनका उन्नयन करने हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में अस्पतालों/औषधालयों की कम संख्या तथा वहां कार्यबल की अत्यधिक संख्या के मद्देनजर वहां के कुछ रेफरल अस्पतालों को इसके दायरे में शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) क.रा.बी. निगम ने आंध्र प्रदेश में मौजूदा क.रा.बी. अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत करने के लिए 2,07,82,500 रु. मूल्य के उपस्करों की संस्वीकृत की है।

(ख) से (घ) क.रा.बी. निगम ने हैदराबाद में 36 औषधालयों एवं 3 क.रा.बी. अस्पतालों की स्थापना की है। आंध्र प्रदेश सरकार जो क.रा.बी. चिकित्सा देख-रेख का प्रशासन करता है, ने पहले ही अपोलो अस्पताल, मेडविन अस्पताल, मेडीसिटी अस्पताल आदि में बीमित व्यक्तियों के उच्च विशेषज्ञता इलाज के लिए टाई-अप व्यवस्था की है।

[हिन्दी]

तीर्थयात्रियों को सुविधाएं

6861. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक हज यात्री पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशों में तीर्थयात्रा पर जा रहे अन्य धर्मों के मानने वालों को हज तीर्थयात्रियों के समान ही सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) सरकार हज समिति, मुम्बई के जरिये हज जाने वाले यात्रियों को केवल रियायती हवाई यात्रा के रूप में ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक हजयात्री 12000 रु. का भुगतान करता है और विमान चार्टर कंपनी को दिये जाने वाले वास्तविक किराए तथा इस राशि (12000 रु.) के बीच के अंतर को सरकार द्वारा पूरा किया जाता है।

विगत पांच वर्ष के दौरान दी गई प्रति यात्री रियायती किराये का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	प्रतियात्री रियायत
1996	7,403
1997	14,600
1998	17,518
1999	17,640
2000	19,044

(ख) से (घ) सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयां

6862. श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण आदि हेतु सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि संबंधी स्थायी समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए सहायता हेतु विशेष पैकेज की भी सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/ प्रस्तावित है; और

(ङ) उक्त योजना के संबंध में तैयार की जाने वाली अन्य प्रक्रियाएँ क्या हैं तथा इसके परिणाम क्या होंगे?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी हां। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों समेत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा 9वीं योजना के दौरान चलाई जा रही स्कीम के तहत 25 लाख रुपये से 2.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता संगठन के स्वरूप पर निर्भर करते हुए अनुदान/ऋण के रूप में उपलब्ध है। अनुदान/ऋण की मात्रा पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित है।

(ग) से (ङ) कृषि संबंधी स्थायी समिति ने दिनांक 10 अप्रैल, 2000 की अपनी 9वीं रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ सिफारिश की है कि प्रारंभिक प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना उपज क्षेत्रों के नजदीक की जाए ताकि अधिकांश उपज को वहीं प्रसंस्कृत किया जा सके और ढुलाई पर होने वाले भारी खर्च से बचा जा सके; खाद्य-प्रसंस्करण और परिरक्षण के परम्परागत तरीकों पर अधिक जोर दिया जाए, बे-मौसम के दौरान शीतागारों (कोल्ड स्टोरेजों) हुतशीतन केन्द्रों (चिलिंग स्टेशनों) के वैकल्पिक इस्तेमाल हेतु रणनीतियां तैयार की जाएँ और घाटे में चल रहे शीतागारों आदि के पुनरुद्धार हेतु राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान की जाए।

ये सिफारिशें हाल ही में प्राप्त हुई हैं और इन्हें लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जलचर प्राणी पालन परियोजनाएं

6863. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान जलचर प्राणी पालन परियोजनाओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मूल्यांकन के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात हेतु झींगा मछली के प्रसंस्करण करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी सहित उच्च संभावना वाले वर्धनक्षम क्षेत्रों में झींगा मछली पालन पर परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने/उन्हें फिर से तेज करने की नई नीति बनाने का है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए आधुनिकीकरण करने तथा निर्यात संभावनाओं का दोहन करने के लिए राज्यवार इकाईयां शिनाख्त की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जलकृषि योजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन की वार्षिक योजना की तैयारियों के दौरान तथा कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारियों की एक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान जलकृषि योजनाओं के तहत ताजा जल जलकृषि के तहत लगभग 1.1 लाख हैक्टेयर तथा खारा जल जलकृषि के तहत 0.026 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर किया गया है। निर्धारण के लिए अपनाए गए मानकों में जल क्षेत्रों का कवरेज प्रशिक्षित मत्स्य कृषकों/मछुआरों की संख्या, उत्पादन/ हैक्टेयर इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में स्थापित जलकृषि प्राधिकरण तटवर्ती क्षेत्रों में झींगा कृषि को परिस्थितिकी अनुकूल ढंग से विनियमित करता है। प्राधिकरण ने पारम्परिक झींगा कृषकों द्वारा बढ़े हुए उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए) समुद्री भोजन प्रसंस्करण एककों के उन्नयन के लिए योजनाएं चला रहा है। हिमित संयंत्रों जो कि उन्नयन की प्रक्रिया में हैं, का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यूरोपीय संघ (ई यू) के निर्यात मानकों को पूरा करने के लिए लगभग 25 प्रतिशत प्रसंस्करण एककों (95 संख्या) का पहले ही उन्नयन किया जा चुका है तथा शेष एककों का निकट भविष्य में उन्नयन किया जाना है।

विवरण

हिमित संयंत्रों के उन्नयन का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	संख्या
आंध्र प्रदेश	52
गोवा	5
गुजरात	61
कर्नाटक	13
केरल	127
महाराष्ट्र	42
उड़ीसा	17
तमिलनाडु	43
पश्चिम बंगाल	34
योग	394

पंजाब वक्फ बोर्ड

6864. श्री थावर चन्द गेहलोत:
श्री बाजूबन रियान:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब वक्फ के पास अधिशेष निधि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) इस अधिशेष निधि को बड़े स्तर पर विकास कार्यों में उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने और उनसे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) पंजाब वक्फ बोर्ड के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की अभी तक की स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, हां। प्रबंधन को सुव्यवस्थित करके तथा व्यय को कम करके सृजित अतिरिक्त धनराशि व्यावसायिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में जमा के रूप में रखी गई है।

(ग) अनेक विकासात्मक परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(घ) वक्फ बोर्डों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से पंजाब वक्फ बोर्ड ने क्षेत्रीय कर्मचारियों की आकस्मिक जांच तथा बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय जांच की चुस्त मॉनीटरिंग जैसे अनेक उपाय किये हैं।

(ङ) पंजाब वक्फ बोर्ड ने मंत्रालय को एक व्यापक प्रस्ताव भेजा। मंत्रालय में इस प्रस्ताव की जांच राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) के परामर्श से की गई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा व्यक्त विचारों से पंजाब वक्फ बोर्ड को अवगत करा दिया गया है। तदनुसार, पंजाब वक्फ बोर्ड संबंधित सूचना एकत्र करने तथा इस मंत्रालय को संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिए आगे कार्रवाई कर रहा है।

भारत-रूस संबंध

6865. श्री अब्दुल हमीद:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की असीमित संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ग) भारत रूस संबंधों में सुधार हेतु हाल ही में क्या नई पहल की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारत-रूसी संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और निरंतरता विश्वास तथा परस्पर समझबूझ पर आधारित हैं। रूसी परिसंघ के साथ हमारे क्रिया-कलाप व्यापक और बहुआयामी हैं तथा इनमें राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, रक्षा, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्र शामिल हैं। ये संबंध समान अवधारणाओं और हितों की पारस्परिकता तथा परस्पर लाभ पर आधारित हैं।

(ग) हाल ही में 14-15 जनवरी, 2000 को नई दिल्ली में हुए भारत-रूस व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सहयोग पर अन्तर-सरकारी आयोग के छठे सत्र में व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, फार्मास्यूटिकल्स, विद्युत एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, तेल एवं गैस, कोयला, धातुर्विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों और संस्कृति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया। आयोग ने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई समग्र प्रगति पर गौर किया।

हाल ही में हुई रूसी परिसंघ के स्टेट ड्यूमा और रूसी परिसंघ की सुरक्षा परिषद के सचिव की यात्राओं के दौरान, भारत-रूस संबधों पर पूर्ण रूप से तथा उन्हें और अधिक गहन बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार-विमर्श किया गया।

भारत-रूस संबंधों को सामरिक भागीदारी में बांधा जा रहा है और भारत एवं रूसी परिसंघ के बीच सामरिक भागीदारी पर अक्तूबर, 2000 के प्रथम दस दिन के भीतर होने वाले भारत-रूसी शिखर सम्मेलन के दौरान उस समय हस्ताक्षर किए जाएंगे जब रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे।

नारियल तेल का उत्पादन

6866. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 1999 के माह में नारियल तेल के उत्पादन में लगभग 70 हजार टन की गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल के कृषकों की सहायता हेतु कोई ऋण मुआवजा योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित कृषकों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नारियल के कृषकों को किस हद तक पूर्ण बीमा सुरक्षा दिए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.वी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ओरिएंटल बीमा कम्पनी द्वारा क्रियान्वित नारियल पाम बीमा स्कीम के तहत किसी भी स्थान तथा किसी भी किस्म की मिट्टी में उगायी जाने वाली नारियल की सभी किस्मों को कवर किया गया है। यह कवरेज प्रत्यारोपण की तारीख से 3 महीने से आरंभ होकर 50 वर्ष तक हो सकती है। इस कवरेज में आग, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, झंझावात हॅरिकेन, टारनेडो, दंगे तथा हड़ताल, बाढ़, आतंकवादी गतिविधियों, भूकम्प इत्यादि जैसी दुर्घटनाओं के अतिरिक्त कृमियों और रोगों के कारण होने वाली क्षति शामिल हैं। कवरेज की सीमा खड़ी फसलों की आदान लागत और बाजार मूल्य तक बढ़ा दी गई है।

मंत्रियों का वैयक्तिक स्टाफ

6867. श्री सुल्तान सल्लाहउद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री अथवा वे व्यक्ति जिन्हें कैबिनेट/राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनके निजी स्टाफ की नियुक्ति का क्या मानदण्ड है;

(ख) क्या कैबिनेट मंत्रियों/राज्य मंत्रियों और उनके समकक्ष व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में अपना निजी स्टाफ नियुक्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक सरकर के समक्ष ऐसे कितने मामले आए हैं;

(घ) क्या सरकार ने मंत्रालयों/विभागों आदि को मंत्रियों और उनके समकक्ष अन्य व्यक्तियों द्वारा निजी स्टाफ की नियुक्तियों को सीमित करने के नए आदेश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन लोगों के निजी स्टाफ का नियुक्ति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (च) मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में स्वीकार्य पदों की संख्या और उनका स्तर संलग्न विवरण में दर्शाया जा रहा है। इस बारे में सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अक्तूबर, 1994 के परिपत्र में निर्धारित मानदंडों का सख्ती से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है जिसके अनुसार वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त-मंत्रालय का पूर्वानुमोदन लिए बिना मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में कोई भी अतिरिक्त पद सृजित नहीं कर सकते। संस्वीकृत पदों की संख्या से अधिक पदों के सृजन की अनुमति तभी दी जाती है जब हकदारी के दायरे के अंतर्गत आने वाले पदों में से कुछ पद अभ्यर्पित करके, बराबर की (उतने ही धन की) बचत की जाए। सभी केन्द्रीय मंत्री, इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं और किसी के भी द्वारा उपर्युक्त मानदंडों से किसी विचलन के बारे में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित, मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन से, मंत्री के कार्यालय में अनौपचारिक रूप से वैयक्तिक कर्मचारी नहीं लिए जाने के बारे में इस विभाग ने जनवरी, 1998 में सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश भी जारी किए।

विवरण

स्वीकार्य पदों की संख्या

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	कैबिनेट मंत्री	स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री	राज्य मंत्री	उप मंत्री
1.	निजी सचिव	(14300-18300 रुपये)/ 12000-16500 रुपये)	1	1	1	1
2.	अपर निजी सचिव	(10000-15200 रुपये)	2	1	1	–
3.	सहायक निजी सचिव	(6500-10500 रुपये)	2	2	1	–
4.	प्रथम वैयक्तिक सहायक	(6500-10500 रुपये)	1	1	1	1
5.	द्वितीय वैयक्तिक सहायक	(5500-9000 रुपये)	1	2	2	1
6.	हिन्दी आशुलिपिक	(5000-8000 रुपये)	1	1	1	–
7.	लिपिक	(3050-4590 रुपये)	1	1	1	1
8.	वाहन-चालक	(3050-4590 रुपये)	1	1	1	1
9.	परिचर	(2610-3540 रुपये)	1	1	1	1
10.	चपरासी	(2550-3200 रुपये)	4	3	3	1
		योग	15	14	13	7

अंडा प्रसंस्करण उद्योग

6868. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटिल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू अंडा प्रसंस्करण उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या दो अंडे चूर्ण संयंत्रों को पहले ही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के हवाले किया जा चुका है;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्यात किए गए प्रत्येक किलो के अंडे चूर्ण पर राज सहायता देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में अंडा प्रसंस्करण उद्योग के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (च) मै. वेस्टर्न फूड्स लि. (341-342, सैक्टर-35 बी, चण्डीगढ़) का एक अण्डा पाउडर संयंत्र अगस्त, 1999 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास पंजीकृत किया गया है। सरकार का विचार अण्डा पाउडर के निर्यात के लिए सब्सिडी देने का नहीं है। लेकिन, सरकार ने सुनिश्चित गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों तथा प्रसंस्करण यूनिटों में आवश्यक प्रौद्योगिकीय सुधार लाने के बाबत घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए पॉल्ट्री तथा अंडा प्रसंस्करण उद्योगों के विकास/सुधार के लिए योजना स्कीमें शुरू की हैं। स्कीम के तहत अण्डा और पॉल्ट्री प्रसंस्करण उद्योग को आसान शर्तों पर ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार निर्यात किये जाने वाले अंडा उत्पादों के गुणवत्ता की जांच भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद के मार्फत भी करती है ताकि भारतीय अंडा उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में विदेशी ग्राहकों में विश्वास पैदा हो।

[हिन्दी]

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

6869. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान के लिए कितनी निधि नियत की गई है; और

(ख) इस अर्जित निधि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को विभिन्न कार्यकलाप शुरू करने के लिए 200 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है, जैसे डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना, डा. अम्बेडकर स्मारक, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अनुसंधान के लिए डा. अम्बेडकर पीठें, डा. अम्बेडकर फैलोशिपें, डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा हिन्दी और भारतीय भाषाओं में डा. अम्बेडकर के संग्रहित कृतियों का प्रकाशन।

[अनुवाद]

भारत का इस्लामी देशों के साथ संबंध

6870. श्री अब्दुल हमीद: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2000 के अंतिम सप्ताह में मोरक्को तथा सऊदी अरब से उच्च स्तरीय शिष्टमंडल की यात्रा के बाद, इस्लामी देशों के साथ भारत के संबंध और सुदृढ़ हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारत सदैव मुस्लिम बहुत जनसंख्या वाले देशों सहित सभी देशों के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। तदनुसार, आपसी हितों के मसलों पर चर्चा करने के लिए इन देशों के बीच नियमित रूप से यात्राओं का आदान-प्रदान किया जाता है। फरवरी के महीने में मोरक्को के प्रधानमत्री अब्दर रहमान अल यूसुफी तथा सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री निजार ओबेद मदनी ने भारत की यात्रा की। इन दोनों यात्राओं के दौरान प्रमुख सार्वभौमिक, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त मोरक्को के प्रधानमंत्री की यात्रा के समय बहुत से करार सम्पन्न किए गए। इन करारों में व्यापार, नौवहन एवं सामुद्रिक मामलों संबंधी करार, भू विज्ञान तथा खनन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन तथा प्रसार भारती, दूरदर्शन तथा रेडियो डिफ्यूजन टेलीविजन मारोकेनी के बीच करार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय उद्योग मंडल एवं मोरक्को में इसके समकक्ष संगठन के बीच संयुक्त व्यापार परिषद के गठन के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड

6871. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश स्थित स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड को बेचे जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय स्पंज आयरन इंडियन लिमिटेड की प्रचालन स्थिति क्या है;

(घ) क्या स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड लक्ष्य से 80 प्रतिशत तक स्पंज आयरन का उत्पादन कर रहा है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड के आर्थिक प्रचालन का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने अपनी 11वीं रिपोर्ट में तुलन-पत्र को संतुलित करने के पश्चात अर्थात भारत सरकार के ऋण और उस पर संचित ब्याज को बट्टे खाते डालकर, स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल) में भारत सरकार की शत-प्रतिशत साम्या का विनिवेश करने की सिफारिश की है। आयोग ने स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड को सरकारी क्षेत्र के गैर-महत्वपूर्ण उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया है।

(ग) इस समय, स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए 30,000-30,000 टन वार्षिक क्षमता के दो भट्टों का प्रचालन कर रहा है। कम्पनी भट्टे की अपशिष्ट गैसों से ताप की प्राप्ति पर आधारित विद्युत संयंत्र भी चला रही है।

(घ) 1999-2000 के दौरान कंपनी ने उत्पादन लक्ष्य की 82.39% उपलब्धि प्राप्त की। कंपनी वर्ष 1998-99 को छोड़कर 1995-96 से उत्पादन लक्ष्य की 80% से अधिक उपलब्धि प्राप्त कर रही है।

(ङ) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, 1995-96 को छोड़कर 1993-94 से लगातार घाटे में चल रही है। पिछले तीन वर्षों में कंपनी को हुआ घाटा नीचे दिया गया है:

1997-98	3.36 करोड़ रुपए
1998-99	9.64 करोड़ रुपए
1999-2000 (अनंतिम)	10.60 करोड़ रुपए

स्थानीय भाषा के सॉफ्टवेयर

6872. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचना प्रौद्योगिकी की साक्षरता को आम लोगों तक पहुंचाने हेतु सभी स्तरों पर स्थानीय भाषा के सॉफ्टवेयर के उपयोग का विकास करने/को प्रोत्साहन देने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की भूमिका क्या है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार का विचार इस दिशा में क्या कदम उठाने का है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) केन्द्र सरकार जन-सामान्य में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के उद्देश्य से स्थानीय भाषा के सॉफ्टवेयर के उपयोग के विकास/संवर्धन को बढ़ावा देती है। यह कार्य विभिन्न अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के जरिए अपेक्षित भाषा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित कर किया जाता है। हाल ही में, संविधान की सभी सरकारी भाषाओं को सम्मिलित करते हुए भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समाधानों के स्रोत केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार विकसित प्रौद्योगिकियों से राज्य सरकारें लाभ उठा सकती हैं। जन-सामान्य में सूचना-प्रौद्योगिकी साक्षरता के प्रसार के लिए उनकी पृथक राज्य-स्तरीय योजना है।

सी.ए.सी.पी. का संघटन

6873. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि लागत तथा मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) आयोग के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) आयोग को उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार इसकी उपलब्धियों से संतुष्ट है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इसके कार्यकरण को नया रूप प्रदान करने हेतु क्या-क्या उपाय करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सात सदस्यीय परामर्शी संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, दो सरकारी सदस्य, तीन गैर-सरकारी सदस्य एक सदस्य-सचिव शामिल हैं।

(ख) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के संदर्भ में एक सन्तुलित तथा समेकित मूल्य संरचना सृजित करने एवं उत्पादकों व उपभोक्ताओं के हितों का समुचित ध्यान रखने की दृष्टि से कृषि जिन्सों की मूल्य नीति के संबंध में सरकार को सलाह देना है।

(ग) और (घ) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों से सरकार को कृषि जिन्सों की मूल्य नीति तैयार करने में मदद मिलती है। यह मूल्य नीति अब तक ईजाद प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं के पैकेज के माध्यम से उत्पादन, उत्पादकता एवं निवेश में सतत् आधार पर वृद्धि करने में लाभप्रद सिद्ध हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोग

6874. श्री अमर राय प्रधान: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/ स्वायत्त निकाय, अधीनस्थ कार्यालयों, विशेषकर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया?

लघु उद्योग कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

कीटनाशी अधिनियम/बीज अधिनियम में संशोधन

6875. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से कीटनाशी अधिनियम, 1968 और बीज अधिनियम, 1966 में संशोधन करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने एफ.आई. द्वारा उत्पादित बीजों के पंजीकरण केरेक्टर, प्रसंस्करण संयंत्रों के पंजीकरण आदि का भी सुझाव दिया था; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार सहित विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों के आधार पर कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000 लोक सभा में दिनांक 24.4.2000 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

बीज अधिनियम, 1966 संबंधी मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग

6876. श्री राजो सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रह रहे हैं, उनके प्रतिशत की संवीक्षा करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा विशेषरूप से बिहार के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने प्राक्कलनों का संशोधन किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में संशोधन का सुझाव दिया है। बिहार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने सुझावों पर विचार किया तथा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत सिर्फ अनाज के आबंटन के मामले में ही प्रयोग हेतु गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत को संशोधित किया।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद

6877. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं द्वारा अपने घरों में किए गए योगदान को देश के सकल घरेलू उत्पाद में दर्शाने के लिए घरेलू कामकाज हेतु एक मौद्रिक समतुल्य तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) की अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए तैयार किये जाते हैं। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) यह अनुशंसा नहीं करती है कि घरेलू कामकाज, चाहे वे महिलाओं द्वारा किए गए हों अथवा पुरुषों द्वारा, को उत्पादन सीमा के अंतर्गत आर्थिक गतिविधि के रूप में शामिल किया जाए, इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

(1) परिवारों की ऐसी सेवाओं (घरेलू कामकाज) का योगदान, अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं पर सीमित अप्रत्यक्ष प्रभाव सहित एक स्वनिहित गतिविधि है।

(2) क्योंकि, घरेलू कामकाज संबधी सेवाएं बाजार में बिक्री हेतु नहीं होतीं, अत: इनकी ऐसी कोई प्रतिरूपी कीमतें नहीं हैं, जो ऐसी सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए संतोषप्रद रूप से उपयोग की जा सकें तथा अनुमानित मूल्य विश्लेषणात्मक अथवा नीतिगत उद्देश्यों के लिए मौद्रिक मूल्यों के समतुल्य नहीं होंगे।

(3) यदि परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निजी उपभोग हेतु की गई ऐसी सेवाएं आर्थिक गतिविधि के रूप में शामिल की जाएं तो इन गतिविधियों में लगे सभी व्यक्ति स्व-रोजगार प्राप्त हो जाएंगे, जो यथार्थ रूप में बेरोजगारी को असंभव दर्शाएगी।

[हिन्दी]

श्रम-सचिवों का सम्मेलन

6878. श्री जय प्रकाश: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में दिल्ली में आयोजित श्रम सचिवों के एक दिवसीय सम्मेलन के दौरान विचार किए गए विषयों का ब्यौरा क्या है और किन विषयों पर सहमति हुई;

(ख) क्या सरकार का सम्मेलन के दौरान सुझाए गए मुद्दों पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अपने निर्णय कब तक घोषित किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) राज्य श्रम सचिवों की एक बैठक 13.4.2000 को मुख्यत: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में विभिन्न संशोधन प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के लिए हुई थी। बैठक में जिन अन्य विषयों पर चर्चा हुई वे हैं-(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास तथा 2000-2001 के लिए कार्रवाई कार्यक्रम (2) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का निष्पादन और कार्य से मुक्त कराए गए बच्चों का पुनर्वास तथा 2000-2001 के लिए कार्रवाई कार्यक्रम और (3) श्रम सांख्यिकीय की प्रणाली को सुदृढ़ करना।

(ख) और (ग) बैठक में व्यक्त किए गए सुझावों विचारों और उन पर राज्यों की सहमति को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, के संशोधन प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा। तथापि, संशोधन को अंतिम रूप देने में अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाओं/कदमों के कारण समय-सीमा का उल्लेख कर पाना संभव नहीं होगा। बैठक में अन्य 3 मदों पर विचार करने का प्रयोजन राज्य सरकारों के साथ निष्पादन की समीक्षा करना और उन पर योजना को अधिक कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए अपने स्तर पर समुचित प्रबोधन एवं समीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालना तथा पूर्ण एवं समय से सांख्यिकीय सूचना प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना था।

खाद्यान्नों का उत्पादन

6879. श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री अरुण कुमार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रतिवर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में खाद्यान्नों का वास्तविक रूप से कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) उपर्युक्त वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों की कितनी खपत हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.वी.पी.वी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नवत् हैं:-

(मिलियन मी. टन)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1997-98	202.00	192.26
1998-99	210.00	203.04
1999-2000	210.00	201.56 (अ)

(अ-अनंतिम)

(घ) उपर्युक्त वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की उपलब्धता, जिसे खपत ही माना जाता है। निम्नवत थी:

(मिलियन मी. टन)

वर्ष	उपलब्धता/खपत
1997	201.45
1998(अ)	182.88
1999(अ)	193.54

(अ-अनंतिम)

मनिसाना वेतन बोर्ड

6880. श्री रामदास आठवले: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्रकारों ने मनिसाना वेतन बोर्ड की अंतरिम रिपोर्ट पर असंतोष तथा अत्यधिक चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली पत्रकार संघ से इसके विरोध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा पत्रकारों को संतुष्ट करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं या उठाए जाने वाले हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) मणिसाना वेतन बोर्ड ने 21.12.1999 को सरकार को अनंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए थे जिन्हें राजपत्र में 30.12.99 को प्रकाशित किया गया था। नियोजक एवं कर्मचारी संगठनों और मजदूरी की दरों में संशोधन के इच्छुक अन्य व्यक्तियों से अनंतिम प्रस्तावों के संबंध में उनके अभिमत मांगे गए थे। उपर्युक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में 72 पार्टियों ने अपने अभिमत प्रस्तुत किए और दिल्ली पत्रकार संघ सहित 42 ने मौखिक सुनवाइयों के लिए अनुरोध किया। अभिमतों/आपत्तियों के बारे में मौखिक सुनवाइयाँ 22.25 फरवरी 14-17 मार्च, और 27-31 मार्च, 2000 के दौरान तीन दौरों में पूरी की गई। वेतन बोर्ड रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय इस निवेदनों को ध्यान में रखेगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

6881. श्री टी. गोविन्दन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कतिपय दिशा-निर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानदंडों का उल्लंघन कर रही इन आईटीसी केन्द्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (औ.प्र.सं./औ.प्र.के.) के माध्यम से क्रियान्वित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना भारत सरकार द्वारा उद्योग की मांग को पूरा करने हेतु कुशल कामगारों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरंभ की गई थी। व्यावसायिक प्रशिक्ष व केन्द्र और राज्य सरकारों का समवर्ती विषय है। निर्धारित मानकों, नियमों, पाठ्यचर्चा, नीति, व्यवसाय परीक्षा का आयोजन तथा प्रमाण पत्र प्रदान करना भारत सरकार का उत्तरदायित्व है जबकि दैनंदिन प्रशासन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। भारत सरकार को विभिन्न नीतिगत मामलों, नियमों तथा मानकों के लिए परामर्श हेतु केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक त्रि-सदस्यीय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) का गठन किया गया है। इन नियमों का

विशिष्ट व्यवसायों के संबंध में, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से संबंधन प्राप्त करने के इच्छुक अथवा पहले से संबधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा अनुपालन किया जाता है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशासन, स्थान तथा आवश्यक विद्युत, संस्थान के कर्मचारी, व्यवसायों हेतु उपस्कर एवं उपकरण, प्रवेश अर्हता, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि, संबंधन/असंबंधन प्रक्रिया, व्यवसाय परीक्षाएं तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करना इत्यादि मामलों के लिए दिशा-निर्देश एवं नियम निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित दिशा-निर्देश/नियम ''औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल'' में दिए गए हैं।

(ग) यदि निर्धारित नियमों के अनुरूप सुविधाएं नहीं पाई जाती; तो व्यवसायों/इकाइयों को पहले से प्रदत्त संबंधन को रद्द करने का प्रावधान है। ये नियम प्रशिक्षण मैनुअल में असंबंधन प्रक्रिया में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त संबंधन तब तक प्रदान नहीं किया जाता जब तक कि निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं कर लिये जाते।

भारतीय दूतावासों को रेडियो संचार माध्यमों के जरिए जोड़ना

6882. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में स्थित कितने भारतीय दूतावासों को उन्नत रेडियो संचार माध्यमों के जरिए विदेश मंत्रालय के साथ जोड़ा गया है; और

(ख) इसके क्या कारण है और यह परियोजना कितनी सफल हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) इस परियोजना के लिए प्रारम्भ में 27 मिशनों की पहचान की गई थी जिनमें से विदेश स्थित 22 मिशनों को विदेश मंत्रालय के साथ जोड़ने के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार नेटवर्क की स्थापना की गई थी।

(ख) भारत और लक्षित मिशनों के बीच तात्कालिक संचार व्यवस्थाओं को विकल्प प्रदान करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार नेटवर्क की स्थापना की गई थी जिसका उपयोग ऐसी दशा में किया जाना था जब सामान्य संचार चैनलों में रुकावट पैदा हो जाए। तथापि इस परियोजना को सीमित मात्रा में ही सफलता मिल सकी और इसका कार्य-निष्पादन ईष्टतम स्तर से काफी कम रहा इसलिए मंत्रालय ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया है कि इस परियोजना को बंद कर दिया जाए और इसके स्थान पर अधिक लागत प्रभावी और उपग्रह आधारित संचार की दक्ष प्रणाली प्रयोग में लाई जाए।

'साप्टा'/'साफ्टा' का महत्व

6883 श्री साहिब सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षेस के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था के विकास में 'साप्टा' और 'साफ्टा' किस हद तक योगदान कर रहे हैं; और

(ख) आने वाले दिनों में दोनों तत्वों से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत उत्तरोत्तर व्यापारिक उदारीकरण के साथ-साथ सार्क सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत सदस्य देशों से अन्तर-क्षेत्रीय व्यापार और क्षेत्रीय आर्थिक एकता को सुसाध्य बनाने के द्वारा सार्क के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास में सकारात्मक योगदान देने की उम्मीद की जाती है। साप्टा/द्विपक्षीय मुक्त व्यापार व्यवस्थाओं के अंतर्गत क्रियान्वित उपाय भागीदार देशों को अपेक्षाकृत बड़ी मंडियों और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लाभ प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेंगे और वे दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्तियां अधिग्रहीत कर सकेंगे तथा भौगोलिक निकटता के कारण काफी कम लागत पर वस्तुओं का निर्माण कर सकेंगे। पड़ोसी देशों के सामान पर भारत की बड़ी मंडियों की बढ़ी हुई पहुंच उन्हें भारत को निर्यात करने के उद्देश्य से वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रत्यक्ष विदेशी और घरेलू निवेश के बेहतर अन्त:प्रवाह के प्रति आकर्षित कर सकेंगे इस प्रकार उनकी अर्थव्यवस्थाएं विविधता तथा सुदृढ़ता की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।

भारत के निर्यात को पड़ोसी देशों द्वारा टैरिफ तथा गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने से भी लाभान्वित होने की संभावना है। इस प्रकार क्रियान्वयन के अधीन व्यापार उदारीकरण सभी भागीदार देशों की अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने की दृढ़ संभावना प्रदान करेगा। इस प्रकार प्रबल प्रतिस्पर्धात्मक सार्वभौमिक वातावरण का सामना करने में वे सक्षम हो सकेंगे। एकबार दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर यह प्रक्रिया भागीदारी देशों के भीतर वस्तुओं के मुक्त आवागमन को सुगमन बनाते हुए अपने तर्कसंगत परिणाम तक पहुँच सकेगी।

उत्तर प्रदेश में बाल-श्रम

6884. श्री जयभद्र सिंह: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में बाल श्रम को कम करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समेकित बाल विकास सेवा में विश्व बैंक या कोई अन्य वित्तीय संस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की मदद कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को तत्परता से कार्यान्वित किया जा रहा है। बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए 1997, 1999 और 2000 में तीन सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं। अभियोजनों की संस्वीकृति प्रदान की गयी है और 270 स्कूल खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम बहुल 23 जिलों के लिए 1.15 करोड़ रुपए की एक विपुल (कारपस) निधि की भी स्थापना की है। सभी जिलों के लिए जिला बाल श्रम उन्मूलन समितियाँ गठित की गयी हैं।

विश्व बैंक से सहयोग से, राज्य के लिए 110 विकास खण्डों में 274.31 करोड़ रुपए वाली आई.सी.डी.एस. III परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बेरोजगारी

6885. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या देश के विभिन्न भागों में तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर में उनकी संख्या कितनी है;

(ग) जम्मू और कश्मीर में अनेक लघु उद्योगों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोजगार प्रदान करने हेतु क्या उपाय किये गये है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किये गये हैं और इस संबंध में क्या सफलता मिली है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, में वृद्धि का रुझान दिखाई दिया है।

(ख) 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, लगभग 1.6 लाख थी।

(ग) से (ङ) नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य, बेरोजगारी व अल्प रोजगार की उच्च दर वाले श्रम सघन क्षेत्रों में, सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान संकेन्द्रित करके विकास प्रक्रिया में स्वत: ही उच्च उत्पादक रोजगार सृजित करना है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना एक स्व-रोजगार योजना है जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक दृष्टि से सभी व्यावहारिक गतिविधियों में माइक्रो उद्यम स्थापित करने में सहायता दी जाती है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (जनवरी 2000 तक) जिन व्यक्तियों को ऋणों की स्वीकृति व संवितरण किया गया उनकी संख्या विवरण में दी गई है। अखिल भारतीय मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों के लगभग 98% मामलों में उद्यम स्थापित कर लिए गए। संवितरण डाटा उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों से संबंधित है।

विवरण

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पिछले तीन वर्षों यथा; 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (जनवरी 2000 के अंत तक) के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत हुई प्रगति

(रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुम्बई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

वर्ष	लक्ष्य (संख्या)	स्वीकृत (संख्या)	संवितरित (संख्या)
1997-98	3500	2882	1969
1998-99	5000	1459	864
1999-2000 (जन. 2000 तक)	4000	1030	683

अखिल भारतीय मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों में से लगभग 98% मामलों में उद्यम स्थापित कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

6886. श्री सुनील खां: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में एक्सल और व्हील को पलटने जैसे कार्य कारखाने के बाहर ठेकेदार से कराये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के शेड में इस कार्य को करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (ग) ऐक्सल और व्हील, दोनों का मशीनी कार्य दुर्गापुर इस्पात संयंत्र परिसर में ही नियमित आधार पर किया जा रहा है। तथापि, रेलवे की ऐक्सल और व्हील संबंधी आवश्यकता का कुछ कार्य, जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की मशीनी क्षमता से बाहर है, उसे बाहरी विक्रेताओं के माध्यम से करवाया जा रहा है।

भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच आपसी संबंध

6887. श्री कृष्णमराजू: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाकिस्तान मैत्री मंच द्वारा हाल ही में दिल्ली में कोई छायाचित्र-प्रदर्शनी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके बदले में पाकिस्तान में भारतीय शिष्टमंडल भेजने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) 6-8 अप्रैल, 2000 को बंगलौर में सम्पन्न पाकिस्तान इंडिया पीपुल्स फोरम फार पीस एण्ड डेमोक्रेसी (पी आई पी एफ पी डी) के पांचवें संयुक्त अभिसमय में भाग लेने वाले कुछ पाकिस्तानियों ने 14-16 अप्रैल, 2000 तक दिल्ली में एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की। फोटो प्रदर्शनी अथवा बंगलौर में संयुक्त अभिसमय के आयोजन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ग) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिविल अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

6888. श्री जी.एम. बसवराज: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत केन्द्र सरकार इस योजना में लगी लागत का 50 प्रतिशत अंशदान राज्य को देगी;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्रमश: 341.52 लाख रु. (इसमें 50 प्रतिशत केन्द्रीय भागीदारी शामिल है) की व्यवस्था की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार अपना हिस्सा जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करेगी ताकि राज्य सरकार योजनाओं को समय पर लागू कर सके?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान, कर्नाटक सरकार ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए 595.10 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव किया। राज्य सरकार ने 249.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया। भारत सरकार ने वर्ष 1998-99 की व्यय न की गई राशि तथा वचनबद्ध देयता को ध्यान में रखते हुए 170.70 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की। वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

ढांचागत सुविधाएं

6889. डा. बलिराम: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में ढांचागत सुविधाओं के त्वरित विकास और उनकी पर्याप्त मात्रा में सृजन हेतु कोई उच्चाधिकार प्राप्त विकास बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशु बीमा

6890. श्री रामजी मांझी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु बीमा संबंधी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के तहत, गरीबी रेखा के नीचे रहने तथा बीमे के लिए गोपशु रखने वाले परिवार बीमा प्रीमियम में रियायत प्राप्त करने के पात्र हैं। प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की सामान्य प्रीमियम के बजाय, केवल 2.25 प्रतिशत की रियायती प्रीमियम दर ली जाएगी। तथापि, इस योजना के तहत प्रति परिवार दो से अधिक पशुओं का बीमा नहीं किया जाएगा।

आरंभ में यह योजना निम्नलिखित आठ जिलों में पायलट आधार पर प्रयोग की जाएगी नामत: गुमला, जयपुर, रतलाम, यवतमाल, नागपुर, लखीमपुर खीरी, महबूबनगर तथा धरमापुरी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पैकेज

6891. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश को सूखा राहत सहायता के अंतर्गत खाद्य सहायता नहीं मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में स्थिति का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों के लिए "गरीबी रेखा से नीचे" की दर पर 1 लाख मी. टन चावल का आबंटन किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सूखे से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए कुछ समय पूर्व एक केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। सभी संबंधित कारकों को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 75.36 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है। यह धनराशि राज्य को 31.2.2000 को जारी की गई। यह धनराशि उक्त राज्य को आपदा राहत निधि के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए किए गए आवंटन के अतिरिक्त है। वर्ष 2000-2001 के लिए आपदा राहत निधि के अंतर्गत 77.78 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम तौर पर पहले ही जारी की जा चुकी है।

बन्धुआ मजदूर

6892. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में अभी भी बन्धुआ मजदूर कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उनके उपयुक्त पुनर्वास के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन हेतु कितना धन नियत किया गया है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर देश के कुछ भागों में बंधुआ श्रम की घटनाएं सूचित की गई हैं।

(ख) बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने और उन्हें मुक्त कराने के लिए जिला और उप मंडल स्तर पर सतर्कता समितियाँ गठित की गई हैं।

(ग) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के तहत केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु प्रति बंधुआ श्रमिक (50:50) के समान अंशदान के आधार पर 5000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बंधुआ श्रमिकों का स्थायी रूप से पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं का स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ एकीकरण सामंजस्य स्थापित करें, ताकि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों को एकीकृत किया जा सके।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के तहत 20 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को 523.46 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

संसद-सदस्यों के पत्र

6893. श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 12 महीनों में प्रत्येक माह में केन्द्रीय भंडार, एन.सी.सी.एफ. और सुपर बाजार के संबंध में प्रधान मंत्री और कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री को संसद-सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए और उनकी स्थिति क्या है;

(ख) लम्बित पत्रों का शीघ्र उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन पत्रों का उत्तर देने में विलम्ब करने हेतु उत्तरदायी प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) इस बारे में विवरण संलग्न है।

(ख) संसद-सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर तत्परता से ध्यान दिया जाता है और उनका उत्तर यथाशीघ्र दे दिया जाता है। फिर भी, जब कुछ मामलों में जानकारी अन्य कार्यालयों से हासिल की जानी अपेक्षित होती है अथवा जब ऐसे पत्रों से जुड़े मुद्दों की विस्तृत जांच-पड़ताल की जानी अपेक्षित होती है तब ऐसे पत्रों के उत्तर भेजने में कुछ विलंब होना अपरिहार्य हो जाता है। लंबित चल रहे पत्रों का उत्तर भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्र.सं.	मास	प्राप्त हुए पत्रों की संख्या	उन पत्रों की संख्या जिनका उत्तर दे दिया गया	लंबित चल रहे पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	मई, 1999	2	2	शून्य

1	2	3	4	5
2.	जून, 1999	5	5	शून्य
3.	जुलाई, 1999	–	–	–
4.	अगस्त, 1999	1	1	शून्य
5.	सितम्बर, 1999	–	–	–
6.	अक्तूबर, 1999	–	–	–
7.	नवम्बर, 1999	6	6	शून्य
8.	दिसम्बर, 1999	1	–	1
9.	जनवरी, 2000	–	–	–
10.	फरवरी, 2000	2	1	1
11.	मार्च, 2000	14	3	11
12.	अप्रैल, 2000	1	–	1
	योग	32	18	14

एन.सी.डी.सी. के लिए पेंशन योजना

6894. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पेंशन योजना का लाभ सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी मिलने की संभावना है; और

(ग) योजना के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

रोस्टर प्रणाली

6895. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
सरदार बूटा सिंह:
श्री सुशील कुमार शिन्दे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग ने दिनांक 2 जुलाई, 1997 से "रिक्ति आधारित रोस्टर प्रणाली" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर प्रणाली" अपनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) "रिक्ति-आधारित आरक्षण-प्रणाली" को "पद आधारित आक्षरण-प्रणाली" में परिवर्तित किए जाने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) जे.सी. मलिक बनाम भारत-संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय के साथ पठित, आर.के. सब्बरवाल बनाम पंजाब-राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कार्यान्वित करने के कारण, पहले वाली "रिक्ति-आधारित रोस्टर-प्रणाली" के स्थान पर "पद-आधारित रोस्टर-प्रणाली" का चयन शुरू कर दिया गया।

प्राकृतिक महाआपदाओं का सामना करने संबंधी योजना

6896. श्री दिनशा पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात के चक्रवात-ग्रस्त क्षेत्र की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी प्राकृतिक महाआपदाओं का सामना करने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना तैयार करने का है;

(ग) क्या सरकार को गुजरात राज्य सरकार से चक्रवात के लिए दीर्घकालीन योजना हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) गुजरात सरकार से वांछित उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इस संबंध में आवश्यक क़दम उठाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसमें भारत सरकार समय-समय पर नियुक्त वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार संसाधन प्रदान कर राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करती है।

(ग) और (घ) इस संबंध में गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने विश्व बैंक के सामने रखा है और विश्व बैंक के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण

6897. श्री वैको:
डॉ. संजय पासवान:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न श्रम अदालतों में लंबित पड़े मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए राज्यों के विभिन्न शहरों में केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई स्वीकृति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त न्यायाधिकरणों के कब तक गठित होने की संभावना है;

(ङ) विभिन्न श्रम अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(च) इन न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति हेतु नियम और शर्तें बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) औद्योगिक विवादों और लम्बित पड़े विवादों के निपटान के लिए निर्धारित किए गए प्रतिमानकों को ध्यान में रखते हुए, नौवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय खोले जाने का प्रस्ताव समाविष्ट किया गया है, इसके लिए मानदण्ड किसी क्षेत्र में उद्योगों की बहुलता और औद्योगिक विवादों की संख्या होगा। इसके एक भाग के रूप में और शुरुआती तौर पर लखनऊ, नागपुर, चेन्नई, भुवनेश्वर और हैदराबाद प्रत्येक में एक-एक तथा कुल पांच नए के.स.औ.अ.-सह-श्रम न्यायालय खोले गए हैं। विद्यमान 17 के अतिरिक्त और अधिक के.स.औ.अ.-सह-श्रम न्यायालय गठित किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हैं। इनके कार्य आरंभ करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा सूचित करना कठिन है क्योंकि इनके गठन के लिए अनेक एजेंसियों का अनुमोदन अपेक्षित है। अत: विलम्ब संबंधी प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) लम्बित पड़े मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में, सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाये जा रहे हैं।

(2) पीठासीन अधिकारियों के साथ समय-समय पर मामला उठाते हुए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लम्बित औद्योगिक विवाद मामलों की संख्या में कमी लाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।

(3) सभी पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक 6.4.99 को आयोजित की गई थी जिसमें लम्बित मामलों के निपटान की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

(4) के.स.औ. अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के उपयोग के लिए प्रक्रिया संबधी विभागीय मैनुअल को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यह आशा की जाती है कि यह मैनुअल मामलों के शीघ्र निपटान करने में पीठासीन अधिकारियों के लिए उपयोगी होगा।

(च) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तों की एक प्रति विवरण-I, II, III के रूप में संलग्न है।

विवरण I

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें

(क) **अवधि:** पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगी।

(ख) **वेतन:** वेतन का निर्धारण 26,000 रु. निश्चित की दर से होगा जिसमें सकल पेंशन शामिल होगी।

(ग) **महंगाई भत्ता:** अधिकारी महंगाई भत्ते का पात्र होगा जैसे कि रू. 6700 प्रतिमाह और अधिक वेतन पाने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को देय है बशर्ते कि विधि मंत्रालय के दिनांक 4 अगस्त, 1978 के पत्र संख्या 166/2/78-जस्टिस में दिए गए अनुदेशों के अनुसार पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान ली गई परिलब्धि में से पेंशन राहत की कटौती की गई हो।

(घ) औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के मुख्यालय पर नगर प्रतिकर भत्ता जैसा कि उच्च न्यायालयों में सेवारत न्यायाधीशों को देय हो।

(ङ) पुनर्नियोजन पर कोई सत्कार भत्ता देय नहीं होगा।

(च) पुनर्नियोजन के समय की दरों पर उनकी पात्रता के अनुसार यात्रा व महंगाई भत्ता देय होगा।

(छ) औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय में कार्यारंभ करने के लिए गृह नगर से मुख्यालय और कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से गृह नगर तक के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता जैसा कि उच्चतम ग्रेड के किसी सरकारी कर्मचारी को देय है।

(ज) बिना किराए का सज्जित आवास या उसके बदले में वेतन का 30% मकान किराया भत्ता।

(झ) के.स.स्वा.से. की चिकित्सा सुविधाएं, यदि तैनाती के स्थान पर उपलब्ध हों, जहां के.स.स्वा.से. सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहां वह कैबिनेट मंत्रियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का पात्र होगा।

(ञ) छुट्टी जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अंतर्गत अन्य पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों को देय है।

(ट) स्वयं व परिवार के लिए छुट्टी यात्रा रियायत जैसा कि पुनर्नियोजित पेंशन-भोगियों को देय है और पात्रता वही होगी जो केन्द्रीय सरकार में उच्चतम ग्रेड के लिए है।

(ठ) **वाहन भत्ता:** वह एक स्टाफ कार, ड्राईवर और 150 लीटर पैट्रोल प्रतिमाह या पैट्रोल की वास्तविक खपत, जो भी कम हो, के बदले एक मुश्त भुगतान के रूप में 3000 रु. प्रतिमाह लेने का पात्र होगा।

विवरण II

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें

(क) **अवधि:** पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की सामान्य अवधि वर्ष दर वर्ष आधार पर तीन वर्ष की होगी।

(ख) **वेतन:** वेतन का निर्धारण, 14,300-400-18,3000 रु. के वेतनमान में होगा जिसमें सकल पेंशन, अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के बराबर पेंशन, यदि कोई हो, शामिल होंगे।

(ग) **महंगाई भत्ता:** अधिकारी महंगाई भत्ते का पात्र होगा जैसाकि समय-समय पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नियमानुसार लागू होगा बशर्ते कि विधि मंत्रालय के दिनांक 4 अगस्त, 1978 के पत्र संख्या 66/2/78-जस्टिस में दिए गए अनुदेशों के अनुसार पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान ली गई परिलब्धि में से पेंशन राहत की कटौती की गई हो।

(घ) नगर प्रतिकर भत्ता/मकान किराया भत्ता/चिकित्सा रियायत/यात्रा भत्ता: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नियमों के अंतर्गत विनियमन किया जाना है।

(ङ) **छुट्टी:** पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान अधिकारी समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियमावली) 1972 द्वारा प्रशासित होगा।

(च) **आवास:** वह केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार आवास का पात्र होगा।

(छ) पुनर्नियोजन की अवधि पीठासीन अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन के.स.औ.अ.-सह-श्रम-न्यायालय के पद का प्रभार संभाल लेने की तिथि से आरंभ होगी।

(ज) रोजगार की समाप्ति किसी भी ओर से एक माह के नोटिस पर की जा सकती है।

विवरण III

सेवारत न्यायिक अधिकारियों की केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की सेवा शर्तें

(क) **अवधि:** पीठासीन अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि वर्ष दर वर्ष आधार पर तीन वर्ष की होगी।

(ख) **वेतन:** वेतन का निर्धारण 14,300-400-18,300 रु. के वेतनमान में होगा। अधिकारी के पास समय-समय पर आशोधित शर्तों के अनुसार और उनके अध्यधीन अपना वेतन सामान्य नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पद पर निर्धारित करवाने या मूल विभाग में धारित पद का वेतन जमा प्रतिनियुक्ति कार्य भत्ता लेने का विकल्प होगा।

(ग) **महंगाई भत्ता:** अधिकारी मूल सरकार में लागू नियमों के अंतर्गत या आदाता सरकार के नियमों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का पात्र होगा उसी प्रकार जैसे उसने मूल सरकार के अंतर्गत अपना वेतनमान चुना हो या आदाता सरकार के अंतर्गत पद से सम्बद्ध वेतन ले रहा हो।

(घ) **नगर प्रतिकर भत्ता/चिकित्सा रियायत/प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान कार्य संबंधी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता/कार्यग्रहण अवधि का वेतन और स्थानांतरण यात्रा भत्ता:** आदाता सरकार के नियमों के अंतर्गत विनियमन किया जाएगा।

(ङ) **छुट्टी पेंशन:** अस्थायी स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अधिकारी ऐसे स्थानांतरण से पहले उस पर लागू मूल नियोक्ता के छुट्टी और पेंशन नियमों द्वारा प्रशासित होता रहेगा किंतु वह पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान किसी अवकाश छुट्टी का पात्र नहीं होगा।

(च) **आवास:** वह उस सरकार के नियमों के अनुसार आवास का पात्र होगा। जहां उसे तैनात किया गया हो।

(छ) पुनर्नियोजन की अवधि केन्द्रीय सरकार के अधीन पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से आरंभ होगी और उस तिथि को समाप्त होगी जब अधिकारी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत पद का कार्य-भार छोड़ देगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं

6898. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कौन-कौन सी केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं आरम्भ की गई;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं निर्धारित अवधि के भीतर पूरी की गई;

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) ऐसी कितनी परियोजनाएं पीछे चल रही हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप परियोजना-वार लागत में कितनी वृद्धि हुई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान 3 वर्ष के विलम्ब से 15.3.98 को यातायात के लिए खोली गई लूनी-मारवार (72 कि.मी.) गेज परिवर्तन परियोजना तथा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन की दो माह के विलम्ब वाली कूलैंट चैनल रिप्लेसमेंट नामक दो परियोजनाएं पूरी की गईं। अजमेर-उदयपुर गेज परिवर्तन परियोजना, जिसे 1999-2000 के दौरान पूर्ण होना था, निधियों के अभाव के कारण प्रगति नहीं कर सकी। वर्तमान में, राजस्थान राज्य में 20 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक लागत वाली, केन्द्रीय क्षेत्र की 6 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। इन परियोजनाओं की लागत, व्यय तथा इनके पूर्ण होने की तिथि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दिसम्बर, 1999 में सूचित संचयी व्यय, 3,491 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में 2,122 करोड़ रुपए के क्रम में है।

(घ) सभी छह परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है।

(ङ) परियोजना-वार लागत वृद्धि अनुबंध में दी गई है।

विवरण

इकाई: (लागत/व्यय करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता	सरकार के अनुमोदन की तिथि (मूल)	शुरू होने की तारीख			समय वृद्धि		लागत		वृद्धि में मूल लागत का प्रति. (संशो.)	3/1999 तक व्यय	1999-2000 व.अ. (प.अ.)	संचयी व्यय
				मूल (संशो.)	प्रत्याशित (अ.रि.)	कुल (मूल पर प्रति)	अंतिम तिमाही में अति.	कुल (संशो. का %)	अनुमोदन मूल (संशो.)	प्रत्याशित				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सेक्टर: परमाणु ऊर्जा														
एनपीसी														
1.	आरएपीपी 3व	मेगावाट	1986/11	1995/11	2000/11	60	0	42	711.56	2511.00	253	1884.15	280.00	2052.00
		2×235	1995/08	1997/05		56		33	2107.00		19		290.00	
	4 कोटा, राजस्थान													
सेक्टर रेलवे														
जीसी														
2.	लूनी-जोधपुर उ.रे. राजस्थान	32 कि.मी.	1995/04	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	31.77	51.18	61	48.53	-	50.19	
			1998/01	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.			61				
3.	अजमेर-उदयपुर चित्तौड़गढ़ प.रे. राजस्थान	300 किमी.	1996/09	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	262.00	428.47	64	2.97	25.00	6.12
				2000/03	2000/03	अनु.		अनु.			64			
				2000/03										
4.	लूनी-बाड़मेर मनबॉव, उ.रे. राजस्थान	297 कि.मी.	1997/04	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	240.00	240.89	0	10.91	30.00	11.62
						अनु.		अनु.			0			
एनएल														
5.	दौसा-गंगापुर शहर प.रे., राजस्थान	92.67 कि.मी.	1997/02	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	151.84	217.93	44	0.02	1.00	0.07
						अनु.		अनु.			44			
एनआरजेड														
6.	उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन (परे) जयपुर, राजस्थान		1997/02	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	41.66	41.66	0	1.88	-	1.88
					अनु.		अनु.				0			

संकेत:

अनु.-अनुपलब्ध, एनपीसी-न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन, जीसी-गेज कन्वर्जन, एम.आर.जेड.-नार्दन रेलवे जोन एनएल-न्यू लाईन

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय जल ववाद

6899. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक और तमिलनाडु में अंतर्राज्यीय जल विवाद का अब तक समाधान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने और विवाद का हल निकालने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करती रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के बीच कावेरी जल विवाद को 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण को भेज दिया गया है। इस अधिकरण ने तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को राहत देते हुए 25 जून, 1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है। केन्द्र सरकार ने इसे अंतिम रूप देते हुए और विवाद से जुड़े हुए पक्षकारों पर बाध्यकारी बनाते हुए 10.12.91 को शासकीय राजपत्र में उक्त अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत अंतरिम आदेश प्रकाशित किया। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 9.4.1997 के आदेश के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने अंतरिम आदेश और इससे संबंधित अनुवर्ती आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6(क) के अंतर्गत एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम में कावेरी नदी प्राधिकरण शामिल है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। इस अधिकरण की सहायता मानीटरिंग समिति द्वारा की जाती है। सचिव, जल संसाधन इसके अध्यक्ष हैं।

[हिन्दी]

उद्योग विभाग का विलय

6900. श्री रामजीलाल सुमन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उद्योग मंत्रालय के कतिपय विभागों का विलय करने के संबंध में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये विभाग कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इस कदम से कर्मचारियों की संख्या और उसके बाद सरकारी खर्चे में कमी आने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इससे कर्मचारियों में कितनी कमी आने की संभावना है और इससे कितनी वार्षिक बचत होगी; और

(ङ) इस निर्णय को क्रियान्वित करने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ङ) सरकार ने हाल ही में, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 3 अप्रैल, 2000 को जारी की गई अधिसूचना के द्वारा औद्योगिक विकास विभाग का औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के साथ विलय करने का निर्णय लिया है। औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग को कहा गया है कि वे पूर्ववर्ती औद्योगिक विकास विभाग में अपनी आवश्यकता से फालतू समझे जाने वाले पदों को समाप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। इससे होने वाली संभावित वार्षिक वित्तीय बचत, विलय के परिणामस्वरूप समाप्त किये जाने वाले पदों की संख्या पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

एडवांस्ड अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता

6901. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत/विदेशों में एडवांस्ड अध्ययन हेतु केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत के एडवांस्ड अध्ययन हेतु कुल कितने केन्द्र खोले गए; और

(ग) सरकार द्वारा भारत और दक्षिण एशिया के संबंध में शैक्षिक कार्य बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) शून्य।

(ख) शून्य।

(ग) भारत और दक्षिण एशिया पर शैक्षिक अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए यह मंत्रालय संगोष्टियों के आयोजन, दक्षिण एसिया पर अनुसंधान करने तथा पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। सार्क देशों से 100 से भी अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिले

6902. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से पिछड़े उन और जिलों का पता लगाने का है जो अल्पसंख्यक समुदाय बहुल है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे और कितने जिलों का पता लगाया जाना है;

(ग) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों का पता भी लगा सकती है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान का कार्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को गरीबी और पिछड़ेपन की व्यापकता के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सिफारिश करने के अनुरोध के साथ सौंप दिया गया है।

[हिन्दी]

अपहर्ताओं की गिरफ्तारी

6903. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री तरुण गोगोई:

क्या **विदेश मंत्री** 24.2.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने किस तिथि को पाकिस्तान से अपहर्त्ताओं को सौंपने को कहा था;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब जबकि पाकिस्तान ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है, भारत सरकार का कौन सा कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) 15 जनवरी, 2000 को सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को आई सी-814 के अपहरण में पाकिस्तान के राष्ट्रिकों की संलिप्तता के साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए औपचारिक संदेश भेजा था। पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया गया था कि आतंकवाद के विरुद्ध बहुत से अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, 1972 में शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में यह अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारिता है कि वह अपहर्त्ताओं को बन्दी बनाकर उन्हें भारत को प्रत्यार्पित कर दे। 4 फरवरी, 2000 को पाकिस्तान की सरकार को सौंपे गए बाद के संदेश में इसे पुन: दोहराया गया है।

(ख) पाकिस्तान की सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में अपनी सामान्य स्थिति दोहराई कि वह अपने क्षेत्र में तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसी किसी भी व्यक्ति को पकड़ेगा और मुकदमा चलाएगा जिस पर अपहरण संबंधी अपराध किये जाने का शक होगा। चूँकि उन्होंने साथ ही साथ हमारी कार्यवाही को रद्द कर दिया, पाकिस्तान की सामान्य वचनबद्धता को तदनुसार आंका जाना चाहिए।

(ग) आईसी-814 के अपहरण की घटना से पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद तथा भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के लगातार प्रयासों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता तीव्र हुई है। सरकार भी देश की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा करने के लिए लगातार सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

[अनुवाद]

भारत-जापान समझौता

6904. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान के वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार भारत आये और उन्होंने जापान के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने तथा ग्रेटर एशिया में नेतृत्व की भूमिका निभाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत का विचार जापान के साथ नीतिगत संबंध बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) कीव विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रोफेसर तथा जापान के वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार श्री इसुकि सकाकिबारा मार्च, 2000 में भारत आए। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद तथा भारतीय उद्योग मंडल के तत्वाधान में 27 मार्च को "जापान की भूमिका तथा उभरता हुआ एशिया" विषय पर भाषण दिया। भाषण में उन्होंने भारत और जापान द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने तथा एशिया में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता पर चर्चा की।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कार्यकरण

6905. श्री तूफानी सरोज: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए इसके संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए किसी विदेशी एजेंसी को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो उस एजेन्सी का नाम क्या है;

(ग) क्या उस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वह कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देगी?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक न्यायालय

6906. श्री अनंत गुढ़े:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मामलों के निपटान में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक न्यायालयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और कानून व्यवसाय से जुड़े लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) शीघ्र न्याय देने और बड़ी मात्रा में लम्बित पड़े मामले निपटाने हेतु क्या अन्य नवीन कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) मार्च, 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के नेतृत्व में सरकार के एक शिष्टमण्डल की सिंगापुर यात्रा के दौरान इसने कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों का दौरा किया। दौरे के दौरान अवधारणा एवं एकत्रित सामग्रियों से संबधित प्राधिकारियों को अवगत कराया गया है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के वाद सूची का निर्माण तथा कार्यान्वयन किया है। लंबित मामलों के बारे में ऑन-लाइन पूछताछ के लिए उच्चतम न्यायालय में परस्पर सक्रिय ध्वनि अनुक्रिया प्रणाली प्रतिस्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त एनआईसी ने देश के 430 जिला न्यायालयों में जिला न्यायालय सूचना प्रणाली को कार्यान्वित किया है। विभिन्न कानूनी व्यवसायविदों के उपयोग के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के पाट पर आधारित खोज का प्रयोग करने वाले "जुडिस-सीडी संस्करण 2.0" नामक सॉफ्टवेयर जारी कर दिया गया है।

श्रम कानून

6907. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री जय प्रकाश:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मजदूर संघ से आर्थिक सुधारों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने का आग्रह किया है ताकि और अधिक रोजगार का सृजन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वेतन संबंधी मामलों पर सिफारिश देने के लिए किसी मंत्रि-समूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या श्रम कानूनों में कोई प्रमुख परिवर्तन करने से पूर्व अन्य संबंधित मंत्रालयों मजदूर संघों और राज्य सरकारों के विचारों पर भी विचार किये जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (छ) श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और संशोधन/नए विधान समीक्षा के परिणामों के आधार पर किये जाते हैं। सरकार द्वारा 15.10.1999 को जारी संकल्प के जरिए सरकार द्वारा गठित द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, आर्थिक नीति में हो रहे सामान्य परिवर्तनों के अनुरूप श्रम कानूनों की निरन्तरता और श्रमजीवी वर्ष को अधिक कल्याण मुहैया कराने दोनों को सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानून की व्यापक समीक्षा करेगा। संबंधित मंत्रालयों/विशेषज्ञों आदि सहित सभी संबंधित लोगों के विचारों को विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन करते समय ध्यान में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 15-16 अप्रैल, 2000 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 36वें सत्र का उद्घाटन करते समय आर्थिक सुधारों के प्रति सकारात्मक और समर्थक दृष्टिकोण अपनाने तथा श्रम कानूनों में सुधार करने के लिए श्रमिक संघों की जरूरतों पर प्रकाश डाला था।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अन्य बातों के साथ मजदूरी संशोधन की आवधिकता पर विचार करने के लिए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 9.2.2000 को मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है।

ब्याज मुक्त ऋण

6908. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) सहकारी बैंकों की उधार क्षमता में वृद्धि हेतु उनके तुलन पत्रों को संतुलित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से 348.29 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) सहकारी बैंकों के तुलन पत्र को संतुलित करने के संबंध में निर्णय तभी लिया जाएगा जब सहकारी ऋण संस्थानों के अध्ययन एवं उनके पुनर्जीवन/पुनर्संरचना के लिए पैकेज सुझाने हेतु गठित उच्च स्तरीय कार्य बल अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

ग्रामीण बाजार के संबंध में नीति

6909. श्री सुबोध मोहिते: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने उत्पादों को ग्रामीण बाजार में बड़ी मात्रा में लाने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गांवों की मांग का मूल्यांकन करने के लिए कोई परामर्शदाता प्राधिकारी नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुमान लगाया गया है;

(ङ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण का विचार इस्पात वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण सेवा केन्द्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (च) ग्रामीण बाजार की संभाव्यता का पता लगाने के लिए रणनीति के एक भाग के रूप में सेल ने गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के ग्रामीण बाजार में इस्पात सामग्री की मांग की मौजूदा प्रवृत्ति का अध्ययन करने का कार्य ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनन्द (आई.आर.एस.) को सौंपा है। आई.आर.एम. की अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट विपणन कार्यों का सुझाव देने तथा सेवा केन्द्रों की अवधारणा को बढ़ावा देने की आवश्यकता का आकलन करने का कार्य भी करना है।

ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनन्द ने अभी अपनी अध्ययन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें

6910. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें की गयीं और सरकार द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें की गयीं;

(ख) कौन-कौन सी अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) सरकार द्वारा किन कारणों से इन सिफारिशों को स्वीकृत नहीं किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में किसी वर्ग को शामिल करने संबंधी अनुरोधों की जांच करता है और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग को अधिक शामिल करने अथवा कम शामिल करने सबंधी शिकायतों की सुनवाई करता है और केन्द्र सरकार को ऐसी सलाह देता है जो यह उपयुक्त समझता है। आयोग की सिफारिशों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेश/संशोधन के बारे में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद इसे समय-समय पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

6911. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) वर्तमान में इस योजना में कितने लाभार्थी अंशदान कर रहे हैं; और

(ग) श्रमिकों को लाभ उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्या योगदान दिया जा रहा है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना को क्षेत्रवार, धीरे-धीरे, चरणबद्ध रूप में लागू किया जा रहा है। प्रारम्भ में यह योजना दिल्ली और कानपुर में 24 फरवरी, 1952 को लागू की गई थी। 31.3.99 के अनुसार पूरे देश में 642 विभिन्न केन्द्रों पर 80.05 लाख कर्मचारी क.रा.बी. योजना में अपना अंशदान जमा करवा रहे हैं। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है एवं बीमारी, प्रसूति, अपंगता, मृत्यु आदि की स्थिति में कतिपय नकद हितलाभों का भुगतान भी किया जाता है। योजना के अधीन नियोक्ता मासिक वेतन पर 4.75% तथा कर्मचारी 1.75% अंशदान जमा करवाते हैं। क.रा.बी. योजना के अधीन नकद हितलाभों से संबधित प्रशासन क.रा.बी. निगम द्वारा चलाया जाता है। चिकित्सा देखरेख का प्रशासन दिल्ली एवं नोएडा के अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा चलाया जाता है। क.रा.बी. योजना के अधीन चिकित्सा देखरेख पर होने वाला व्यय क.रा.बी. निगम एवं राज्य सरकारों के बीच इस संबंध में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन, 7:1 के अनुपात में वहन किया जाता है।

[हिन्दी]

तिलहनों का उत्पादन

6912. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिलहनों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन दर गेहूं, धान और दालों के उत्पादन से कम होता है;

(ख) यदि हां, तो देश में गेहूं, धान, दालों, आलू, प्याज, कपास, मक्का और गन्ने का प्रति हैक्टेयर उत्पादन दर कितनी है;

(ग) क्या गत तीन वर्ष के दौरान आई.सी.ए.आर. ने कृषि अनुसंधान क्षेत्र में उन्नत किस्म के तिलहन विकसित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में चावल, गेहूं, मक्का, दलहनों, आलू,

प्याज, कपास, तिलहनों तथा गन्ने के प्रति हैक्टेयर उत्पादन दरें निम्नवत हैं:

फसल	कि.ग्रा./हैक्टेयर
1	2
चावल	1985
गेहूं	2621
मक्का	1655
तिलहन	608
आलू	18568
प्याज	10085
कपास	205
तिलहन	855
गन्ना	71969

(ग) और (घ) वर्ष 1997 और 1999 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्मुक्त तिलहन की उन्नत किस्मों का ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्मुक्त तिलहन की किस्में

फसल	किस्म का नाम	जारी करने का वर्ष	उपज (किग्रा/है.)	अनुकूलन क्षेत्र
1	2	3	4	5
सूरजमुखी	सनजेने-85 (एच)	1997	1700	अखिल भारतीय
	पीएसी-36 (एच)	1997	1600	अखिल भारतीय
	पीएसी-1091 (एच)	1997	1600	अखिल भारतीय
	सिद्धेश्वर (एसएस 2)	1999	1500	गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
एरण्ड	जीसीएच-5 (एच)	1997	2500(1)	गुजरात और राजस्थान
	डीसीएच-32 (एच)	1997	1800(आर)	वर्षा सिंचित स्थितियों के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र
			2800(1)	वर्षा सिंचित स्थितियों के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात
	जीसीएच-6	1999	1800-1900	गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र
सूरजमुखी	डीएसएच129(एच)	1997	1900	सिंचित और वर्षा सिंचित स्थितियों के अंतर्गत सूरजमुखी उत्पादक सभी राज्य
	एमकेएच-2 (एच)	1997	1900	-वही-
मूंगफली	सीएसएमजी 884	1999	2400	उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र
	एचएनजी-10	1999	2400	उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश
सरसों एवं तोरिया	पूसा बोल्ड	1997	1800	बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल
	सीएस-52	1997	1100	उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान की सोडिक तथा लवणीय मृदा

1	2	3	4	5
	पूसा अगरानी	1997	1700	पंजाब, हरियाणा व दिल्ली का सिंचित क्षेत्र
	किरन	1997	2350	हरियाणा, पंजाब व दिल्ली
	पीसीआर-7	1997	2000	राजस्थान और गुजरात
	वीसीएल-5	1999	1800	उत्तर प्रदेश और राजस्थान का सिंचित क्षेत्र
सोयाबीन	एमएयूएस-2	1997	2450	महाराष्ट्र और कर्नाटक
	एमएसीएस-450	1999	2500	महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश
तिल	टीकेजी-55	1999	630	पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्य
अलसी	एलसीके 9216	1999	1000 (बीज) 720 (फीबरे)	उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल असम और कोटा व राजस्थान का सिंचित क्षेत्र
	एलएमएच-62	1999	940	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश का सिंचित क्षेत्र

एच-हाईब्रिड, आर-वर्षा सिंचित स्थितियां, आई-सिंचित स्थितियां

जाली पासपोर्ट

6913. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जाली पासपोर्ट के जरिए बच्चों को देश से बाहर भेजने का कारोबार फलफूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो माह के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या कार्रवाई की गयी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) इस प्रकार की घटनाएं सरकार की जानकारी में नहीं आई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

6914. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय में अनुकम्पा के आधार पर कितनी नियुक्तियां की गई;

(ख) कितने मामले अभी लंबित हैं; और

(ग) लंबित मामले कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) विगत तीन वर्षों नामत: 1997, 1998 और 1999 के दौरान ग्यारह नियुक्तियां की गई है।

(ख) तीस (30)

(ग) लम्बित मामलों को रिक्तियों की स्थिति पर मार्ग निर्देशनों के अनुसार निपटाया जाता है इसलिए किसी प्रकार की समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है।

एसिड पुनरोत्पादन इकाई

6915. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डे: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने भिलाई इस्पात संयंत्र में एसिड पुनरोत्पादन इकाई की स्थापना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस इकाई पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या स्थापित की जाने वाली इकाई के उद्देश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (ङ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. ने भिलाई इस्पात संयंत्र में 1.99 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एसिड पुनरोत्पादन इकाई की स्थापना को अनुमोदित किया है। यह इकाई, जिसकी संकल्पना एसिड अवपंक से एसिड तथा अन्य अवयवों को पृथक करके प्रदूषण की समस्या का निदान करने के लिए की गई थी, उपस्करों में अनपेक्षित जंग/अपरदन के कारण रुक-रुक कर कार्य करती रही है। उपचारात्मक कदम के रूप में जंगयुक्त पंपों और वाल्वों को उपयुक्त वैकल्पिक सामग्री से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

कृषि के लिए अनुदान

6916. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि अनुसंधान केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या इन केन्द्रों द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य से किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार निकट भविष्य में अनुदान राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों को प्रदान की गई अनुदान की राशि निम्नलिखित है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	अनुदान की राशि
1997-98	880.85
1998-99	1001.66
1999-2000	1298.88

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान कार्य के जरिए हुई प्रगति से किसानों के पास अब लगभग सभी कृषि तथा बागवानी फसलों की अधिक उपजशील किस्मों के गुणवत्ता वाले बीज तथा रोपण सामग्री उपलब्ध है। अधिक उपजशील किस्मों के बीजों, समय तथा ऊर्जा बचाने वाले फार्म उपकरणों एवं मशीनरी तथा बेहतर संसाधन प्रबंध से किसान अपनी फसलों में अधिक पैदावार प्राप्त कर रहे हैं जिससे उनकी हैसियत/वित्तीय स्थिति में सुधार का पता चलता है। इसी प्रकार उन्नत अनुसंधान पद्धतियों के इस्तेमाल से पशुधन, डेरी तथा मत्स्य उत्पादों में भी उत्पादन बढ़ा है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है।

(घ) और (ङ) भविष्य के लिए अनुदान बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र का कम होना

6917. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री शिवाजी माने:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षा की कमी के कारण देश के विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.वी.पी.वी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान खाद्यान्न, तिलहन एवं कपास के अंतर्गत क्षेत्र 1998-99 की तुलना में कम है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सिंचाई के तहत अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत पहल एवं कार्यक्रम शुरू किये गए हैं। प्रस्तावित हैं। इनमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) में संशोधन, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की अधिकता वाले बैसिनों से पानी भेजने के लिए राष्ट्रीय संदर्श

योजना तैयार करना, जल प्रबंध पद्धतियों को बढ़ावा देना विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी का कुशलतापूर्वक एवं किफायती प्रयोग, नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित विभिन्न विधियों के माध्यम से जल संरक्षण पर बल देना एवं विविध प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु जल प्रबंध में जल सहभागिता शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में सिंचाई विकास की नीतियों में एक नीति चालू परियोजनाओं को पूरा करने की है. खास तौर से वे परियोजनाएं जो पांचवीं योजनावधि से पूर्व अथवा इसके दौरान शुरू की गई, उनमें पहले से किए गए निवेश के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाना इस नीति में शामिल है। इस नीति को ध्यान में रखकर चुनिंदा चालू परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में शुरू किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को नौवीं योजना में भी जारी रखा गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 1999-2000 से लागू संशोधित वित्त पोषण व्यवस्था सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 2:1 (केन्द्र: राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता तथा विशेष श्रेणी में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्यों जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम के पर्वतीय राज्य तथा उड़ीसा के सूखा प्रवण जिलों अर्थात कालाहांडी, बोलांगिर, कोरापुट के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता 3:1 के अनुपात में है। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए छोटी सिंचाई स्कीमों के अंतर्गत 1999-2000 से केन्द्रीय ऋण सहायता 3:1 (केन्द्र: राज्य) आधार पर दी जा रही है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 तथा 1998-99 में क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण

क्षेत्र (000 हे.)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	खाद्यान्न			तिलहन			गन्ना			कपास		
	1999-2000	1998-1999	अन्तर	1999-2000	1998-1999	अन्तर	1999-2000	1998-1999	अन्तर	1999-2000	1998-1999	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	6602	7189	-587	2547	2736	-189	221	214	7	1015	1278	-263
असम	2822	2668	154	372	327	45	30	30	0	2	2	0
बिहार	9076	8960	116	219	224	-5	109	108	1			0
गुजरात	3570	3904	-334	2972	2932	40	220	196	24	1516	1607	-91
हरियाणा	4023	4490	-467	536	558	-22	150	125	25	510	582	-72
हिमाचल प्रदेश	854	844	10	19	20	-1	4	3	1			0
जम्मू कश्मीर	878	879	-1	77	70	7			0			0
कर्नाटक	7141	7381	-240	2233	2618	-385	314	312	2	600	608	-8
केरल	502	391	111	21	14	7	6	6	0	12	12	0
मध्य प्रदेश	17389	17786	-397	5926	6157	-231	51	50	1	514	502	12
महाराष्ट्र	13490	13094	396	2721	2675	46	590	530	60	3254	3199	55
उड़ीसा	5486	5378	108	399	383	16	45	22	23	60	29	31
पंजाब	6209	6124	85	120	176	-56	108	103	5	475	562	-87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस्थान	11569	13462	-1893	3779	4303	-524	20	23	-3	465	645	-180
तमिलनाडु	4320	4452	-132	1057	1319	-262	203	348	-145	225	243	-18
उत्तर प्रदेश	20717	20518	199	1508	1600	-92	1963	1971	-8	10	9	1
प. बंगाल	7120	6538	582	594	486	108	24	27	-3			0
अन्य	1392	1298	94	103	115	-12	7	6	-1	10	9	1
अखिल भारत	123160	125356	-2196	25203	26713	-1510	4065	4076	-11	8668	9287	-619

[हिन्दी]

अपहरणकर्त्ताओं को शरण देना

6918. श्री तूफानी सरोज: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा ने 1984 में इंडियन एअरलाइंस के विमान का अपहरण करने वाले भारतीय नागरिक को अपने यहां शरण दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कनाडा सरकार के साथ विरोध व्यक्त किया था;

(घ) यदि हां तो इस पर कनाडा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ङ) 1984 में इंडियन एयरलाइंस के अपहर्ताओं में से एक परमिन्दर सिंह सैनी ने पाकिस्तान में 10 वर्ष की सजा काटने के पश्चात अवैध रूप से 1995 में कनाडा में प्रवेश कर लिया। कनाडा के आप्रवासन प्राधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे वापस भेजने की प्रक्रिया आरंभ की। तत्पश्चात उसे वापस भेजे जाने का आदेश दिया गया। सैनी ने एक क्षमा, जिसे उसके वकीलों ने पाकिस्तानी प्राधिकारियों से प्राप्त किया था, के आधार पर संघीय न्यायालय में इस प्रत्यावर्तन के विरुद्ध अपील की। कनाडा के संघीय न्यायालय ने इस क्षमता के आधार पर प्रत्यावर्तन स्थगित कर दिया और कहा कि आवेदक दोष सिद्धि से मुक्त हो चुका है और इस आधार पर उसका प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता है।

कनाडा सरकार ने संघीय न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील करने का निर्णय लिया है और वह परमिन्दर सिंह सैनी को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए अन्य उपायों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मामले की भी समीक्षा कर रही है।

[अनुवाद]

इटली के विदेश मंत्री की यात्रा

6919. डॉ. जसवंत सिंह यादव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इटली के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इनके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) जी, नहीं। इटली के विदेश मंत्री ने हाल में भारत की यात्रा नहीं की है। इटली के विदेश राज्य मंत्री श्री फ्रांको डेनियली नई दिल्ली में इटली के सांस्कृतिक केन्द्र की नींव रखने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए। इस केन्द्र की नींव 31 मार्च 2000 को संयुक्त रूप से विदेश राज्य मंत्री के साथ रखी गई।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिक्त पद

6920. श्री होलखोमांगहौकिप: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से संबंधित विभिन्न ग्रेडों में कितने आरक्षित पद है और वे कब से लंबित पड़े है; और

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है और इन्हें कब तक भर लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाड़ी देशों में आश्रय स्थल

6921. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुवैत में भारतीय दूतावास द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थल को बन्द कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान में आश्रय स्थलों को दिए जाने वाले वार्षिक अनुरक्षण अनुदान को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार खाड़ी देशों में कुछ नए आश्रय स्थल आरम्भ करने का है; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) इस मामले की बराबर समीक्षा की जा रही है और जब, जब कभी आवश्यक हो जाएगा, समुचित उपायों पर विचार किया जाएगा।

खाद्यान्न उत्पादन

6922. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि आजादी के पश्चात खाद्यान्नों के उत्पादन में चार गुना वृद्धि के बाद भी भारत की एक तिहाई आबादी भूखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार गरीबी/भुखमरी को दूर करने हेतु खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हेतु एक नई योजना तैयार करने का है और उन्हें प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, भारत (अक्तूबर, 1999) द्वारा कराए गए अध्ययन, भारत में जनसंख्या, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण में उल्लेख है कि यहां की जनसंख्या का एक तिहाई-यानी, 1997 में 320 मिलियन-भोजन के मामले में असुरक्षित है जो न्यूनतम ऊर्जा पोषक का 80% ही उपयोग कर पाते हैं।

(ग) और (घ) नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए कृषि विकास नीति मूलत: खाद्य सुरक्षा की नीति पर आधारित है जिसके तहत सरकार ने दस वर्षों में खाद्य उत्पादन को दोगुना करने और भारत को भूख मुक्त करने की घोषणा की है। इस उद्देश्य को पाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि की पूर्ण संभावना को साकार करने हेतु कृषि-जलवायु क्षेत्रीय नियोजन, जो कृषि-आर्थिक, जलवायुविक एवं पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखता है, के आधार पर क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीति अपनाई गई है।

वक्फ सम्पत्ति

6923. श्री हरपाल सिंह साथी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में वक्फ समिति को किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) वक्फ संपत्ति में सरकारी स्थान अधिनियम के विस्तार और सभी राज्यों में इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) किराया नियंत्रण राज्य का विषय है। असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पांडिचेरी और उत्तर प्रदेश में वक्फ सम्पत्तियों को किराया नियंत्रण अधिनियम के क्षेत्राधिकार से अलग रखा गया है। इस मामले को अन्य राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के साथ उठाया जा रहा है जिन्होंने अभी तक छूट प्रदान नहीं की है। पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट का विस्तार वक्फ सम्पत्तियों तक करने संबंधी मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति

6924. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार इस समय मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कितनी संस्थाएं कहां-कहां कार्य कर रही हैं;

(ख) केन्द्र सरकार से राज्य-वार कितने और कौन-कौन से स्वैच्छिक संगठन कब से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) इन संस्थाओं के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा लोगों में विशेषकर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान शीर्ष स्तर का एक राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय सिकन्दराबाद में है। क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई में स्थित है।

(ख) उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनको 1999-2000 के दौरान सहायता की मंजूरी दी गई है तो जो विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए पहचान की गई परियोजनाओं पर पर्याप्त रूप से कार्य कर रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने की योजना पिछले वित्तीय वर्ष से ही चल रही है।

(ग) उपर्युक्त संदर्भित योजना के अंतर्गत जो स्वैच्छिक संगठन सहायता मांगते हैं, वे संगम ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ अपने-अपने उद्देश्य के रूप में मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए कार्य को सुगम बनाने हेतु एक धारा का प्रावधान करते हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान तथा इसके क्षेत्रीय केन्द्रों के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष शिक्षा प्रदान करना।
2. मानसिक रूप से मंद लोगों को नैदानिक निर्धारण तथा चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना।
3. जल्दी प्रेरक सेवाएं प्रदान करना।
4. व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(घ) यह मंत्रालय मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित "विकलांग व्यक्तियों" के लक्षित वर्ग के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सहायता की योजनाएं चलाता है। योजनाओं के लाभ तथा सहायता मांगने की प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों के बारे में मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे देश की संबंधित एजेंसियों के सम्मेलन तथा बैठकें करके मीडिया के माध्यम से समय-समय पर प्रचार किया जाता है।

विवरण

राज्य का नाम तथा संख्या	संगठन का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	आत्मीय मानसिक विकास केन्द्रम
2.	आंध्र महिला सभा ट्रस्ट
3.	अनुराग
4.	ए पी सोसाइटी फार रिहेबिलिटेशन एण्ड वेलफेयर आफ द हेण्डिकेप्ट
5.	अरुण स्पेशल सेंटर
6.	आशिसी सिस्टरस आफ मेरी इमाक्यूलेट

1	2
7.	केयर लैंड
8.	हेलेनकेलर्स स्कूल फार डेफ एण्ड मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन
9.	करीमनगर डिस्ट्रिक्ट फीडमफाइटर ट्रस्ट
10.	तरुणोदय इंस्टिट्यूट फार एम आर
11.	लेवेनसेलफिफि स्पेसल स्कूल फार मेंटली हेन्डीकेप्ट
12.	मनसा
13.	मानसिक विकास केन्द्रम
14.	न्यू डान बोस्को एजुकेशनल सोसाइटी
15.	पामेनकेप (करीमनगर)
16.	पामनकेप (सिकन्दराबाद)
17.	पेरेन्टस एसोसियेसन आफ ए.जी. आफीस इम्पलाईज
18.	पास
19.	पवनी इंस्टीट्यूट फार मल्टीपुल हेन्डीकेप्ट एण्ड स्पास्टिक्स
20.	प्रगति रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन
21.	राधा इंस्टिट्यूट फार मैंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन
22.	राष्ट्रीय सेवा समिति
23.	सहज सेवा संस्थान
24.	साई सेवा संघ
25.	शांति निकेतन
26.	श्री इंस्टिट्यूट फार मेंटली हेन्डीकेप्ट
27.	श्रीमती मरला रमम्मा मेमोरियल ट्रस्ट
28.	स्नेह सोसाइटी फार रूरल रिकंस्ट्रन
29.	श्री साई पब्लिक स्कूल, एजुकेशनल सोसाइटी
30.	श्री निवास महिला मंडली
31.	सूर्यकिरण पेरेन्टस एसोसिएशन फार दी वेलफेयर आफ एम.एच.
32.	स्वयं कृषि
33.	स्वयं सेवा एसोसिएशन फार पेरेन्ट्स आफ रूरल चिल्ड्रेन
34.	स्वीकार रिहेबिलेटेशन इंस्टिट्यूट फार हेन्डिकेप्ट
35.	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टिट्यूट फार रिसर्च एण्ड रिहेबिलिटेशन
36.	उमा मनोविकास केन्द्रम काकीनाडा
37.	उमा मनोविकास केन्द्रम (अंगुल)
38.	वीमेन एण्ड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर
39.	जिला सर्वोदय एजुकेशनल सोसाइटी
असम	
1.	गुवाहाटी मेंटल वेलफेयर सोसाइटी
बिहार	
1.	आयुर्वेदिक एण्ड मेगनेटोथेरेपी
2.	बिहार इंस्टिट्यूट आप स्पीच एण्ड हियरिंग रिसर्च सेंटर
दिल्ली	
1.	आरोह
2.	एसोसिएशन फार नेशनल ब्रदरहुड फार सोसल वेलफेयर
3.	बलवन्तराय मेहता विद्याभन
4.	दिल्ली सोसाइटी फार द वेलफेयर आफ मेंटली रिटाड्रेड चिल्ड्रेन
5.	एकलेट सोसाइटी फार द वेलफेयर आफ मेंटली रिटार्डेड
6.	फेडरेशन फार द वेलफेयर आफ द मेंटली रिटार्डेड
7.	फाउंडेसन फार स्पास्टक एण्ड मेंटली हैंडिकेप्ट (उड़ान)
8.	पेरेन्ट्स एसोसिएशन फार द वेलफेयर आफ चिल्ड्रेन विथ मेंटल हैंडिकेप्ट

1	2
9.	संजीवनी
10.	सोसाइटी फार चाइल्ड डेवलपमेंट
11.	स्पास्टीक्स सोसाइटी आफ नार्दन इंडिया
12.	तमन्ना
गुजरात	
1.	मेडिकल केयर सेंटर
2.	सोपान
3.	वनियन सीटी जयसी एजुकेसन ट्रस्ट
4.	द सोसाइटी फार द मेंटली रिटार्डेड
हरियाणा	
1.	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी (अंबाला)
2.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी (हिसार)
3.	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी (रोहतक)
4.	खुसबू वेलफेयर सोसाइटी
5.	नेशनल एसो. फार द इंटिग्रेसन एण्ड रिहेबिलिटेसन
6.	सदभावना चेरिटेबुल ट्रस्ट
7.	डत्थान इंस्टीट्यूट आफ द डवलपमेंट एण्ड स्टडीज
जम्मू और कश्मीर	
1.	रोटरी इनर व्हील होम फार द मेंटली रिटार्डेड
कर्नाटक	
1.	अंगविकलारा आशा किरण ट्रस्ट
2.	एसो. फार द रिहेबिलिटेसन आफ द डिसेएवल्ड
3.	बापूजी विद्या संस्था
4.	च्यवन आयुर्वेदिक एजुकेशन सोसाइटी
5.	दिव्या सशांति क्रिश्चियन एसोसियेशन
6.	कृष्णा ट्रस्ट
7.	लाइंस चेरिटेबल ट्रस्ट

1	2
8.	मंजू एजुकेसन सोसाइटी
9.	श्री दूदना विकास शिक्षण संस्था
10.	श्री रेणुका विद्या वर्धक संघ
11.	श्री वदी राजा ट्रस्ट
12.	स्पासथ्टक सोसाइटी आफ कर्नाटक
13.	दि एसो. फार मेंटली हेंडिकेप्ट
केरल	
1.	आल केरल एसो. फार मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन
2.	अलफान्स सोसल सेंटर
3.	आशा किरण एसो. फार मेंटली चिल्ड्रेन
4.	आशानिलयम सोसल सर्विस सेंटर
5.	असरयम स्पेसल स्कूल सोसाइटी फार मेंटली डिफिसियेंट चिल्ड्रेन
6.	एसो. फार वेलफेयर आफ द हेंडिकेप्ट
7.	बाल विकास सोसाइटी
8.	विथानिया रिहेबिलिटेसन सेंटर फार डिसएबुल्ड वीमेन
9.	कार्मेल ज्योति सेंटर फार मेंअली रिटार्डेड चिल्ड्रेन
10.	चेरिटेबुल सोसाइटी फार वेलफेयर आफ डिसऐबल्ड
11.	स्वैच्छिक कार्रवाई निदेशालय
12.	एर्नाकुलम महिला संघ
13.	फेथ इंडिया
14.	जेसी विकलांग पुनर्वास सोसाइटी
15.	वी. वेलायूधम स्मारक न्यास
16.	मेडोना
17.	मानसिक विकलांगों के लिए म.वि.वि. (स्कूल)
18.	मेरिन सर्विस सोसाइटी
19.	मर्सी होम फार मेटली हैंडीकैप्ड

1	2
20.	पदमा शैक्षिक तथा धर्मार्थ न्यास
21.	पोप जान पाल शांति गृह
22.	प्रतीक्षा भवन
23.	प्रतीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र
24.	मा. वि. बच्चों की देखभाल हेतु रक्षा सोसाइटी
25.	जरूरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए रोटरी संस्थान
26.	सनातन अद्वैत आश्रम
27.	संजोसी कल्याण केन्द्र
28.	विकलांग बच्चों के लिए सान्थीनिलयम
29.	शान्तिमार्गम समाज कल्याण सेवा सोसाइटी
30.	सेवा निकेतन
31.	मा. वि. बच्चों के लिए नि. स्कूल शिक्षा सदन
32.	स्नेहभवन सोसाइटी 76/74
33.	स्नेहाराम प्रशिक्षण केन्द्र
34.	समाज कल्याण केन्द्र
35.	सैंटे कार्मिल्स प्रशिक्षण केन्द्र
36.	ट्रोपिकल स्वास्थ्य परिसंघ-भारत
37.	विकास सामाजिक सेवा सोसाइटी
38.	विमला महिला समाजम्
39.	महिला कल्याण केन्द्र
40.	यंग मैन क्रिश्चियन संघ
मध्य प्रदेश	
1.	अंकूर
2.	दिगदर्शिका पुनर्वास अनुसंधान संस्थान
3.	क्रांति कला संगम
4.	प्रेम सागर विशेष स्कूल
महाराष्ट्र	
1.	सायली
2.	मंद व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास सोसाइटी
3.	स्वामी विवेकानन्द ध्यान प्रसारक मंडल
4.	मा. वि. के लिए बल्लभ दास डागरा भारतीय सोसाइटी
मणिपुर	
1.	अखिल मणिपुर मानसिक विकलांग कल्याण संगठन
2.	सेंटर फार मेंटल हाइजीन
उड़ीसा	
1.	अखिल भारत महिला सम्मेलन
2.	सामाजिक पुनर्निर्माण कार्यालय संघ
3.	निलांचल सेवा प्रतिष्ठान
4.	ओपेन लर्निंग पद्धति
5.	सेवा
6.	यूनियन फार लर्निंग, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास कार्यकलाप
पंजाब	
1.	आशादीप कल्याण सोसाइटी
2.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी (फरीदकोट)
3.	नवजीवनी विशेष शिक्षा स्कूल
राजस्थान	
1.	मानसिक विकलांग कल्याण सोसाइटी

1	2
तमिलनाडु	
1.	बाल विकास (मानसिक विकलांग स्कूल)
2.	एम.आर. के लिए विशेष सारजेंट होम एण्ड स्कूल
3.	डा. दत्तु राव स्मारक धर्मार्थ न्यास
4.	एम.एस. चेलयामुथु न्यास तथा अनुसंधान प्रतिष्ठान
5.	मधुराम नारायण सेन्टर फार एक्से. चिल्ड्रेन
6.	तमिलनाडु स्पास्टिक सोसाइटी
7.	विद्या विकासिनी आपारच्यूनिटी स्कूल
8.	विजय ह्यूमन सर्विसेज
उत्तर प्रदेश	
1.	चेतना
2.	विकलांग विकास परिषद
3.	विकलांगों के लिए ज्योति स्कूल
4.	निर्वाण
5.	राफेयल
6.	संकल्प
7.	मा.वि.ना. के कल्याणार्थ उ.प्र. माता-पिता संघ
8.	विकलांग केन्द्र प्रा.लि. यूथ एण्ड सोसाइटी
पश्चिम बंगाल	
1.	अलकेन्दू बोध निकेतन आवासीय
2.	मानसिक सेवा देखभाल के लिए आनन्द निकेतन सो.
3.	विकासायायन
4.	दुलाल स्मृति संसद
5.	ग्रीनफिल्ड
6.	भारतीय प्रमस्तिष्क अंगघात संस्थान
7.	जयतीया जराधी संसद
8.	मनोविकास केन्द्र
9.	मेटोड
10.	उत्तरी बंगाल विकलांग पुनर्वास सोसाइटी
11.	मानसिक विकलांगों के लिए प्रवर्तक संस्था
12.	प्रतिबंधी कल्याण केन्द्र
13.	सेवक
14.	शेल्टर
15.	कूच विहार स्पास्टिक सोसायटी
16.	श्रीरामपुर बॉल मार्गदर्शन केन्द्र
17.	पश्चिम बंगाल बाल कल्याण परिषद

खाद्यान्नों का उत्पादन

6925. डा. गिरिजा व्यास: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रमुख कृषि आदानों के मूल्यों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रमुख खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) पूर्वोक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान मुख्य कृषि आदानों के मूल्यों में प्रतिशत-वृद्धि दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) मुख्य खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि से संबंधित ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) वर्ष 1998-99 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 5.61 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जिसके वर्ष 1999-2000 में 0.73 प्रतिशत तक गिरने की संभावना है।

विवरण I

पिछले वर्षों की समान अवधि में 25.3.2000 तक मुख्य कृषि आदानों के थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि का प्रतिशत

मद	प्रतिशत वृद्धि	
	28.3.1998 से 29.3.1999	27.3.1999 से 25.3.2000
चारा	-20.1	31.3
एच.एस. डीजल तेल	-8.2	41.2
लाइट डीजल तेल	-7.3	58.6
लुब्रीकेंट	4.8	-
कृषि के लिए बिजली	5.2	-
मवेशी चारा	9.0	13.0
उर्वरक	3.9	8.4
कृमिनाशी	0.2	0.2
गैर विद्युत. यंत्री. एवं कलपुर्जे	3.9	1.0
ट्रैक्टर घटक	-	-

(-) स्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है।

विवरण II

मुख्य खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि

फसल	प्रतिशत वृद्धि	
	1998-99	1999-2000
धान-सामान्य	6.0	11.4
धान-श्रेणी 'क'	5.6	10.6
ज्वार	8.3	6.4
बाजरा	8.3	6.4
मक्का	8.3	6.4
रागी	8.3	6.4
गेहूं	7.8	5.5
जौ	10.0	11.7
तूर (अरहर)	6.7	15.1
मूंग	6.7	15.1
उड़द	6.7	15.1
चना	9.8	13.4

महिला सहकारी समितियां

6926. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किन-किन महिला सहकारी समितियों का वित्तीय सहायता हेतु चयन किया गया है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु वर्ष 1999-2000 हेतु ग्यारह महिला सहकारी समितियों की सिफारिश की गई है। उनका संलग्न नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सभी ग्यारह सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

विवरण

कर्नाटक में वित्तीय सहायता के लिए मंजूर सहकारी समितियों की सूची

क्र.सं.	समितियों का नाम और पता
1	2
1.	शारदा अनु. जाति/अनु. जनजाति महिला बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि., दावणगेरे
2.	अन्नपूर्णा अनु. जाति/अनु. जनजाति महिला बहु उद्देश्यीय सहकारी समिति लि., दावणगेरे
3.	रोशन अल्पसंख्यक महिला बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि., दावणगेरे
4.	नसीब महिला बहु उदेशीय सहकारी समिति लि., दावणगेरे
5.	शाहीन अल्पसंख्यक महिला बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि., दावणगेरे
6.	चेतना महिला बहु उद्देशीय सहकारी समिति, चिरदोनी, चन्नागिरी

1	2
7.	अन्नपूर्णेश्वरी महिला बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि., दावणगेरे
8.	यशस्विनी महिला अनु. जाति/अनु. जनजाति कल्याण बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि., दावणगेरे
9.	श्री पद्माम्बा महिला बहु उद्देशीय सहकारी समिति, जगलुर
10.	होम्बलघट्टा महिला बहु उद्देशीय उद्योगिक सहकारी समिति होम्बलघट्टा, हरप्पनहल्ली तालुक
11.	श्री सिदानुमनहल्ले मुरीगम्मा महिला बहु उद्देशीय औद्योगिक सहकारी समिति, हलवागिलु, हरप्पनहल्ले तालुक

विकलांग व्यक्तियों हेतु आवासीय सुविधाएं

6927. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मानसिक तथा शारीरकि रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही आवासीय सुविधाओं के लिए अभी भी 350 रु. प्रतिमाह की अनुदान सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं; और

(ग) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान सहायता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) जी, नहीं। नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को विकलांगों के कल्याणार्थ शुरू की गई विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की गई सहायता की कुल राशि उस परियोजना के लिए जिसके लिए सहायता की मांग की जाती है और परियोजना के भीतर विभिन्न घटकों के लिए सहायता तथा राज्य सरकार के निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा संस्तुत राशि और इन घटकों के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा संबंधी मानदंडों पर निर्भर करती है। इस समय विभिन्न घटकों के लिए उच्चतम सीमा की धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुपारी का उत्पादन

6928. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सुपारी का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या देश में सुपारी के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के लिए सुपारी उत्पादन का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है:

(उत्पादन '000 मी. टन)

..ज्य	1995-96	1996-97	1997-98
आंध्र प्रदेश	0.1	0.5	0.5
असम	52.4	64.0	64.0
गोवा	1.7	1.8	1.8
कर्नाटक	114.2	121.0	128.3
केरल	91.2	80.1	94.0
महाराष्ट्र	3.8	4.7	7.5
मेघालय	10.3	12.0	12.1
मिजोरम	0.1	0.1	0.1
तमिलनाडु	3.3	4.0	4.3
त्रिपुरा	3.4	3.5	3.5
पश्चिम बंगाल	9.8	10.7	12.4
पांडिचेरी	0.2	0.2	0.2
अंडमान	5.0	5.1	5.2
अखिल भारतीय	295.5	307.7	333.9

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को एम-11 प्रक्षेपास्त्रों की सप्लाई

6929. श्री आर.एल. भाटिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के दौरान पाकिस्तान को एम-11 प्रक्षेपास्त्रों की सप्लाई का मामला भी उठाया गया था; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सुरक्षा अप्रसार, निरस्त्रीकरण और संबद्ध मसलों पर भारत और अमरीका के बीच जारी वार्ता के भाग के रूप में तथा अन्य उपयुक्त मंचों पर चीन तथा पाकिस्तान के बीच सहयोग सहित हमारे पड़ोस में प्रक्षेपास्त्र प्रसार के मसले पर अनेक अवसरों पर अमरीका के साथ चर्चा की गयी है। राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ वार्ता में चीन द्वारा पाकिस्तान को एम-11 दिये जाने के मसले पर विशेषकर चर्चा नहीं हुई।

किसानों को मिर्च की फसल का मूल्य

6930. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के व्यापारी किसानों के रूप में पड़ोसी राज्यों में ऊंचे मूल्यों पर मिर्च की बिक्री कर रहे हैं और आयकर और वाणिज्य कर की चोरी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मिर्च उगाने वाले किसानों को शोषण से बचाने और उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) कृषि मंत्रालय को आंध्र प्रदेश में व्यापारियों द्वारा स्वयं को किसानों के रूप में प्रस्तुत करके लाभ प्राप्त करने संबंधी भ्रष्टाचार के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसान अपने उत्पाद को आंध्र प्रदेश के किसी भी अधिसूचित विपणन केन्द्र में बिक्री कर सकते हैं जहां मिर्च की खरीद पर 1% एडवेलोरम मंडी शुल्क लगाया जाता है। हालांकि उत्पादों के उनके अपने होने के संबंध में किसानों को प्रमाणपत्र के रूप में प्रमाणपत्र देने होंगे, तभी बिक्री के लिए उनके उत्पादों का आवागमन हो सकेगा।

किसानों द्वारा, मूल्यों के आर्थिक स्तर से नीचे गिर जाने की स्थिति में मजबूरन बिक्री रोकने हेतु, भारत सरकार महत्वपूर्ण बागवानी फसलों की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित कर रही है। स्कीम को संबद्ध राज्य सरकार द्वारा लिखित अनुरोध किए जाने पर क्रियान्वित किया जाता है। इसमें यह प्रावधान होता है कि स्कीम के तहत परस्पर स्वीकृत मूल्यों पर मंडी प्रचालन कार्यों में हानि होने पर कुल हानि का 50% राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

भारतीय मछुआरों को अनुमति देना

6931. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डेल्फ द्वीप के दक्षिण में मछली पकड़ने के लिए भारतीय मछुआरों के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर श्रीलंका सरकार के साथ बात की गई है;

(ग) क्या 1976 में एक समझौते के तहत श्रीलंकाई मछुआरों को भारतीय समुद्री-सीमा में इस बार मछली मारने की अनुमति दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने श्रीलंका सरकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमारेखा (आई.बी.एल.) के पार भारतीय मछुआरों को इसी प्रकार से मछली मारने की अनुमति देने की ऐसी कोई मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ङ) भारत सरकार ने कई अवसरों पर श्रीलंका के समुद्र में लाइसेंस के आधार पर भारतीय नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने का प्रस्ताव रखा है। तथापि, श्रीलंका की सरकार प्रस्ताव से सहमत नहीं है।

विनिवेश

6932. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विनिवेश से संबंधित सभी निर्णय लेने से पूर्व परामर्श हेतु एक त्रिपक्षीय समिति के गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने विनिवेश के समय कामगार संबंधी मामलों की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विनिवेश की घोषित नीति के अनुसार, भारत सरकार उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कामगारों के हित के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है जिनमें विनिवेश किया जाना है। इस संबंध में विनिवेश वाली कंपनियों के शेयरधारक करारनामों में मामला दर मामला अपेक्षाओं के आधार पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति फोरम के सांसदों का अभ्यावेदन

6933. श्री ए.के.एस. विजयन:
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:
श्री सुशील कुमार शिन्दे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सांसदों के फोरम ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1996, 1 सितम्बर, 1997 और 23 जुलाई, 1998 को प्रधान मंत्री को प्रस्तुत अभ्यावेदन में प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक/न्यायिक प्रशासन के उच्च पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) जनवरी, 1996 तक केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में उक्त पदों की कुल संख्या कितनी थी और ऐसे पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई तथा ऐसे पदों के लिए उनका तुलनात्मक प्रतिशत क्या था;

(घ) वर्ष, 1996-1999 के दौरान उक्त पदों पर कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे; और

(ङ) ऐसे पदों के लिए नामों का निर्मय करने वाली समितियों/बोर्डों का स्वरूप क्या है और उनमें कितने सदस्य होते हैं तथा ऐसी समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) प्रशासन और न्यायिक-कल्प/न्यायिक प्रशासन के पद-सोपान में उच्चतर पदों पर तैनाती/नियुक्ति किसी जातिगत लिहाज के आधार पर नहीं की जाती। 1.1.1996 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों की कुल संख्या 66 थी और वर्ष, 1996 से 1999 के दौरान इन पदों पर कुल 61 नियुक्तियाँ की गईं।

(ङ) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर की जाती है। फिर भी, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु नाम संस्तुत करने के प्रयोजन से, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किए गए, उच्चतम नययालय में कार्यरत एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक गैर सांविधिक समिति गठित की गई है। उपर्युक्त समिति के अन्य पदेन सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, विधि-कार्य-विभाग के सचिव और कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के सचिव होते हैं।

विकिरण का रिसाव

6934. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:
श्री ब्रह्मानंद मंडल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु रिएक्टरों से निकलने वाले विकिरण से विभिन्न परमाणु ईकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी और अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मिता सुरक्षा आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं, परमाणु रिएक्टरों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण का, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के विभिन्न यूनिटों में काम कर रहे कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है और देश में सभी परमाणु विद्युत रिएक्टरों/संयंत्रों का परिचालन कर रहा है, ने परमाणु बिजलीघरों में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवारों के नानपदिक रोगविज्ञान संबंधी अध्ययन करने के लिए टाटा स्मारक अस्पताल (टीएमएच), मुंबई को नियुक्ति किया है। तारापुर (महाराष्ट्र), रावतभाटा (राजस्थान) तथा ककरापार (गुजरात) स्थिति परमाणु बिजलीगरों मं विकिरण से जुड़े कार्य करने वाले कई हजार कार्मिकों की जांच पूरी कर ली गई है। इन जाँच अध्ययनों से, विकिरण से जुड़े कार्य न करने वाले कार्मिकों की तुलना में, विकिरण से जुड़े कार्य करने वाले कार्मिकों में स्वास्थ्य पर विकिरण से संबद्ध प्रभावों के मामलों में कोई वृद्धि होने का पता नहीं चला है, न ही संबद्ध जनसामान्य के एक नियंत्रित वर्ग की तुलना में, पति/पत्नी और कर्मचारियों की सन्तानों में स्वास्थ्य पर विकिरण से संबद्ध प्रभावों के मामलों में कोई अन्तर पाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। परमाणु ऊर्जा विभाग की नाभिकीय संस्थापनाओं में काम करने वाले कार्मिकों पर विकिरण से पड़ने वाले प्रभावों की मात्रा को सतत रूप में मापा जाता है। ये मात्राएं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर ही होती हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड इन सीमाओं का निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रीय वैकिरणिकी बचाव आयोग (आईसीआरपी) और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) की सिफारिशों के आधार पर करता है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

6935. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री मानसिंह पटेल:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कितने छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या बीमा दावे की बढ़ी राशि निपटान के लिए बकाया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषत: महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में बकाया दावों का निपटान कब तक कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) रबी 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसानों का राज्यवार कवरेज निम्नवत है:

राज्य	कवर किए गए छोटे और सीमांत किसानों की सं.
असम	1053
गोवा	51
गुजरात	4265
हिमाचल प्रदेश	22
केरल	Nil
मध्य प्रदेश	77107
महाराष्ट्र	19169
उड़ीसा	215933
पांडिचेरी	17

(ख) से (घ) निवर्तमान व्यापक फसल बीमा स्कीम और प्रायोगिक फसल बीमा स्कीम के तहत सभी स्वीकार्य दावे भारत सरकार अनुमोदित कर चुकी है। इस स्कीम के क्रियान्वयन अभिकरण

के अनुसार, कुछ ऐसे दावें हैं (महाराष्ट्र के खरीफ, 1999 के दावे सहित) जिन्हें संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा एक-तिहाई योगदान नहीं करने के कारण अभी नहीं निपटाया गया है। इन बकाया दावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। गुजरात के संबंध में खरीफ 1998 एवं 1999 मौसम के दावे और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ 1999 मौसम के दावे क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कुछ विसंगतियां पाए जाने के कारण नहीं निपटाए गए हैं। बकाया दावों को राज्य सरकारों से वांछित योगदान मिलने और जांच पूरी होने के बाद निपटाया जाएगा।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मौसम	राशि
व्यापक फसल बीमा स्कीम			
1.	आंध्र प्रदेश	खरीफ 1997	61.46
2.	उड़ीसा	रबी 1998-99	282.52
		खरीफ 1999	6654.24
3.	पश्चिम बंगाल	रबी 1998-99	89.41
		खरीफ 1999	249.22
4.	बिहार	खरीफ 1999	82.21
5.	केरल	खरीफ 1999	37.44
6.	मध्य प्रदेश	खरीफ 1999	426.25
7.	महाराष्ट्र	खरीफ 1999	587.35
प्रायोगिक फसल बीमा स्कीम			
रबी 1997-98 के दौरान क्रियान्वित			
1.	असम		43.03
2.	कर्नाटक		799.82

[हिन्दी]

कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

6936. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के चिकित्सा प्राधिकारी शहर में कर्मचारियों तथा गैर-कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में चिकित्सा प्रभारों में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्मचारियों तथा गैर-कर्मचारियों से संबंधित चिकित्सा प्रभारों में हुई वृद्धि को वापिस लेने का निवेदन हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) जी, हां। बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) अपने कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। अन्य के लिए चिकित्सा सुविधाएं शुल्क लेकर प्रदान की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-जर्मनी सहयोग

6937. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जर्मनी उच्च प्रौद्योगिकी विशेषताओं के संबंध में बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जर्मनी के सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ भारत को सहायता देने पर सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जर्मनी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त उद्यमों में सहायता देने पर सहमत हो गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारत और जर्मनी 1974 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबधी सतत वार्ता एवं कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एडवांस्ड मैटीरियल, इलैक्ट्रानिक्स,

अंतरिक्ष विज्ञान आदि जैसे उच्च प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्त्ताओं का आदान-प्रदान का प्रावधान है।

(ग) से (च) 10-11 अप्रैल, 2000 को बर्लिन में भारत-जर्मन संयुक्त आयोग 2 की संपन्न बैठक में दोनों सरकारों ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की सम्भाव्यताओं पर चर्चा की। ज्ञान आधारित उद्योग से सम्बद्ध भारत-जर्मन संयुक्त कार्यदल की स्थापना संबंधी प्रश्न दोनों सरकारों के विचाराधीन है यह कार्यदल अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच तकनीक और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान एवं संयुक्त उद्यमों की स्थापना द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अधिक सहयोग को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगा।

भू-जल का स्तर

6938. श्री रामसागर रावत: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भू-जल का स्तर बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी उपलब्धि हासिल की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में भूजल स्तर की वृद्धि करने संबंधी किसी परियोजना का केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा वित्त वित्त प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपक्षीय समिति

6939. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उनके मंत्रालय से संबंधित त्रिपक्षीय समिति नियमित रूप से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक त्रिपक्षीय समिति के लिए बनाए गए उपनियमों का ब्यौरा क्या है और उनके उत्तरदायित्व क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक समिति ने कितनी बैठकें की और बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इन समितियों के कार्यकरण को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि ये समितियां नियमित रूप से चर्चा करने हेतु बैठकें कर सके?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उड़ीसा को उपलब्ध कराई गई सहायता

6940. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उड़ीसा को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कितने व्यक्तियों को ऋण दिए गए?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान उड़ीसा राज्य को निम्न राशियां संवितरित की हैं:

(रुपये लाख में)

वर्ष	के.वी.आई.सी. द्वारा संवितरित राशि (बजटीय स्रोत)			बैंक ऋण
	अनुदान	ऋण	योग	सहायता
1998-99	259.55	14.44	273.99	199.48
1999-2000	275.83	36.68	312.51	362.12

(ख) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान 61 पंजीकृत संस्थानों, 3 सहकारी समितियों और 418 व्यक्तियों को ऋण दिए गए।

मत्स्य परियोजनाएं

6941. श्री ए. नरेन्द्र: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की ऐसी कितनी मत्स्य परियोजना और हैं जिनको विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) क्या निकट भविष्य में विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए नई परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में झींगा आहार की कमी है;

(ङ) क्या किसी विदेशी संगठन ने भारत में झींगा आहार उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर सहमति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) देश में चार मात्स्यिकी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिन्हें अन्य देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) जी, हां। अगस्त, 1991 से फरवरी, 2000 की अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार तीन विदेशी सहयोगी भारत में- प्रॉन/झींगा आहार निर्माण संयंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गए थे। वे हैं:

1. ग्रोबेस्ट इंटरनेशनल डेवलपमेंट, हाँगकांग।
2. ग्रोबेस्ट कारपोरेशन लिमिटेड, थाईलैंड।
3. मैसर्स सी.पी. एक्वाकल्चर विजनिस ग्रुप, बैंकाक।

अलीगढ़ में बाल श्रम

6942. श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् भी अलीगढ़ में ताला उद्योग में अनेक बच्चे कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ताला उद्योग और अन्य राज्य विशेषकर तमिलनाडु में खतरनाक उद्योगों में इस समय कितने बच्चे कार्य कर रहे हैं;

(ग) बच्चों पर लगाने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार ताला उद्योग में बच्चों को काम पर लगाने से रोकने और इन बच्चों के लिए कल्याण परियोजनाएं शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, रिट याचिका 465/1999 एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में तीन सर्वेक्षण करवाए गए हैं। तत्पश्चात् बच्चों का संगठित से गृह आधारित उद्योगों में प्रवसन हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार, कुल 1511 बाल श्रमिकों की पहचान की गयी है जिसमें से 623 खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए हैं। 260 नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाए गए हैं तथा प्रति बालक 20,000 रुपए की वसूली के आदेश दे दिए गए हैं। जिलाधीशों की अध्यक्षता में जिला बाल श्रम उन्मूलन समितियाँ गठित की गयी हैं। जागरूकता लाने वाले कार्यकलाप शुरू किये गये हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत, अलीगढ़ में कार्य से हटाए गए 2500 बच्चों को शामिल करने के लिए 30 विशेष स्कूल/पुनर्वास केन्द्र कार्यान्वित किये जा रहे हैं। कुल 2212 बच्चों को औपचारिक स्कूलों की मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है। उपर्युक्त के अलावा, जिला स्तर पर कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं में बाल श्रमिकों को प्राथमिकता दी गयी है।

तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनसार, अप्रैल, 1997 में करवाए गए एक सर्वेक्षण और अनुपूरक सर्वेक्षण के आधार पर खतरनाक उद्योगों में 10,110 बाल श्रमिकों की पहचान की गयी। सर्वेक्षण के दौरान बाल श्रमिकों को नियोजित किये पाए गए नियोजकों के विरुद्ध 8799 मामले दायर किए गए।

मृदा जल संरक्षण परियोजना

6943. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998 में स्वीकृति प्राप्त कबानी रीवरलैंड वाटर कंसरवेशन प्रोजेक्ट को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है तथा इसे कर्नाटक तथा केरल के वायानाड तक बढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की कुल लागत और मुख्य उद्देश्य क्या है;

(घ) यह कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की जा चुकी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (घ) जी, हां। काबानी जलग्रहण क्षेत्र को वर्ष 1998-99 के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में शामिल किया गया है। काबानी के जलग्रहण क्षेत्र में 1.64 लाख है. केरल में है और 0.49 लाख है. कर्नाटक में है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य जलाशय में मलबे का प्रवाह रोकना और अवक्रमित भूमि की उत्पादकता में सुधार करना है। उपचार योग्य भूमि के निर्धारिण के लिए सर्वे कार्य केरल में पूरा कर लिया गया है जबकि यह कार्य कर्नाटक मे प्रगति पर है। इसकी समाप्ति के संबंध में निर्णय तभी लिया जा सकता है जब सर्वे कार्य पूर्ण हो जाए और स्कीम के तहत धन उपलब्ध हों। केरल के सर्वेक्षण किये जा चुके क्षेत्रों में कार्य आरंभ हो चुका है।

(ङ) राज्य के पास बकाया रकम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कुल 163.00 लाख रुपए की स्वीकृत राशि में से 108.88 लाख रुपए निर्मुक्त कर दिए हैं।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र

6944. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष, 1991 से पूर्व बोकारो इस्पात संयंत्र के वायलर में ट्राइसोडियम फास्फेट, तरल अमोनिया और हाइड्रोजन इन तीन रसायनों का फीड वाटर के साथ इस्तेमाल होता था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1991 के बाद इस संयंत्र में नए रसायन एलोगैड-86 का इस्तेमाल शुरू करके उक्त रसायनों का प्रयोग बन्द कर दिया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1996 में एलोगैड-86 रसायन का प्रयोग पुन: बन्द कर दिया गया और कैमिकल मैक्सट्रीट-3330 नामक एक अन्य कम्पनी को उक्त संयंत्र को रसायन आपूर्ति का ठेका दिया गया;

(घ) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र ने एलोगैड-86 रसायन की बेहतर गुणवत्ता के कारण 4.66 करोड़ रुपये का लाभार्जन किया था;

(ङ) यदि हां, तो इस रसायन का प्रयोग बन्द करने और नई कम्पनी मैक्सट्रीट 3330 को ठेका देने के क्या कारण हैं;

(च) क्या वर्ष 1991 में संयंत्र में जिन रसायनों-ट्राइसोडियम फास्पेट, तरल अमोनिया और हाइड्रोजन का प्रयोग बन्द किया गया था उनका इस्तेमाल दुबारा शुरू कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) 1991 के पश्चात, ट्राईसोडियम फॉस्फेट, तरल अमोनिया और हाइड्रेजाइन हाइड्रेट का इस्तेमाल बन्द करने के बाद एलोगैड-86 का इस्तेमाल किया गया था।

(ग) 1996 में एलोगैड-86 का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। तथापि, कैमीकल मैक्सरीट-3330 नामक किसी कंपनी को कोई ठेका नहीं दिया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) एलोगार्ड-84/मैक्सट्रीट रसायनों की समान डोजिंग से ट्यूब से विफल होने की घटनाएं नहीं रुकी थीं। अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला बोकारो इस्पात संयंत्र, लोहा और इस्पात अनुसंधान और विकास केन्द्र, रांची तथा मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा जब विफल होने के कारणों का विश्लेषण किया गया तो निम्नलिखित कारणों का पता चला:

(1) रसायन के आपूर्तिकर्त्ता द्वारा फिल्म सुरक्षा के संबंध में किए गए दावों के वांछित परिणाम सामने नहीं आए।

(2) ट्यूब में एकत्र हुए पदार्थों में तांबे और लोहे के होने से बॉयलर पूर्वक्षय होने की पुष्टि हुई।

(3) ये रसायन क्षयकारी प्रकृति के थे।

इन कारणों से एलोगार्ड-86 और मैक्सट्रीट रसायनों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था।

(च) जी, हां।

(छ) एलोगार्ड-86 और मैक्सट्रीट 3330 का इस्तेमाल उपयुक्त नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

गाय के दूध पर चर्चा

6945. श्री जय प्रकाश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ''गाय के दूध से स्वास्थ्य को खतरा'' विषय पर चल रही राष्ट्रीय बहस पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मत क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने गाय के दूध पर प्रकाशित लेख देखा है।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के विचार से, दूध मानव भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजन में दूध के अभाव से मानव का विकास ठीक नहीं हो पाता तथा विभिन्न रोगों के उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। भारत जैसे देश में जहां अधिकतर लोग शाकाहारी हैं, पौषणिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूध का उपभोग अनिवार्य है। मनुष्य के तीन मुख्य पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन हैं। इनके अलावा, मनुष्य को विभिन्न विटामिनों तथा खनिजों को आवश्यकता होती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। गाय के दूध में सभी प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ तथा सभी आयु वर्ग के मनुष्यों द्वारा अपेक्षित अधिकांश सूक्ष्म पोषक पदार्थ भी शामिल हैं। गाय के दूध में 20 से भी अधिक इम्यूनोजेनिक प्रोटीन हैं जो विभिन्न संक्रामक रोगों के विरुद्ध रोग प्रतिकारक के विकास में सहायक होते हैं।

आम के वृक्षों पर लगी बीमारी

6946. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आम का उत्पादन वाले क्षेत्रों में आम के वृक्षों को कौन-कौन से रोग प्रभावित कर रहे हैं;

(ख) क्या अब तक इसका कोई उपचार ढूंढा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में आम के वृक्षों पर कुछ कीड़े लग रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने आम के वृक्षों की इन बीमारियों का अध्ययन करने और इनके उपचार का उपाय सुझाने के लिए कोई विशेषज्ञ दल भेजा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) आम के वृक्षों को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग पाउडरी मिल्डयू, एन्थ्रेक्नोज, फोमा ब्लाइट, डाइबैक रेड रस्ट, सूटी मोल्ड आदि हैं।

(ख) और (ग) इन रोगों पर नियंत्रण हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संस्तुत सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) कृषि आयुक्त कार्यालय महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आम के वृक्षों पर किसी गंभीर कीटप्रकोप की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) में उल्लिखित तथ्यों के मद्देनजर आम के वृक्षों के रोगों के अध्ययन हेतु किसी विशेषज्ञ दल को भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आम के रोग और उनके नियंत्रण उपाय

रोग	नियंत्रण उपाय
1	2
पाऊडरी मिल्डयू	1. बौर आने पर 0.2 प्रतिशत (2 किग्रा/ली. जल) वेटेबल सल्फर का छिड़काव
	2. पहले छिड़काव के 10-15 दिन बाद 0.1 प्रतिशत (1 मि.ली./ली. जल) ट्राइडेमार्फ का छिड़काव।
	3. दूसरे छिड़काव के 10-15 दिन बाद 0.1 प्रतिशत (1 मि.ली./ली. जल) डाइनोकैप का छिड़काव।

1	2
एन्थ्रेक्नाज	फूलों में संक्रमण के नियंत्रण के लिए फूल खिलने के दौरान 15 दिन के अंतर से 0.1 प्रतिशत (1 ग्रा./ली. जल) कार्बेण्डेजिम का दो बार छिड़काव/मानसून के दौरान 0.3 प्रतिशत (3 ग्रा./लीटर जल) कापर आक्सीक्लोराइड के छिड़काव से पुष्पण संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सकता है।
फोमा ब्लाइट	अक्तूबर के दौरान रोग का पता चलने पर 15 दिन के अंतर से 0.3 प्रतिशत (3 ग्रा./लीटर जल) कापर आक्सीक्लोराइड का दो बार छिड़काव।
डाइबैक	1. अक्तूबर में, जिस स्थान पर संक्रमण हो उससे 7.5 से.मी. नीचे टहनी काट दें। 2. काटे गए स्थान पर कापर आक्सीक्लोराइड पेस्ट लगाएं। 3. अक्तूबर-नवम्बर के दौरान 15 दिन के अंतर से 0.3 प्रतिशत (3 ग्रा./ली. जल) कापर आक्सीक्लोराइड का दो बार छिड़काव।
रेड रस्ट	मानसून शुरू होने पर 15 दिन के अंतर से 0.3 प्रतिशत (3 ग्रा./लीटर जल) कापर आक्सीक्लोराइड का दो अथवा तीन बार छिड़काव।
सूटी मोल्ड	रोग का पता चलने पर 10-15 दिन के अंतर से वेटेबल सल्फर+मिथाइल पैराथियान+बबूल के गोन्द (0.2+0.1+0.3%) का तीन बार छिड़काव।

फल प्रसंस्करण उद्योग

6947. श्री पी. कुमारासामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में ओड्डछत्रम से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहां और इसके आसपास के क्षेत्र में फल और सब्जियां काफी मात्रा में उपलब्ध हैं और यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है, वहां एक फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के बारे में विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन, विभाग के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन संबंधी एक स्कीम है जिसके तहत क्षेत्र और स्थान के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन/व्यवहार्यता रिपोर्टें/सर्वेक्षण आदि संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए 3 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये अध्ययन राज्य सरकार के संगठनों, परामर्शदात्री संगठनों या राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा चलाए जा सकते हैं।

यदि अध्ययन/सर्वेक्षण/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयुक्त किसी भी संगठन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो विभाग अपने नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उस पर विचार करेगा।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

6948. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्रालय ने सरकार से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ की राशि को 4 करोड़ करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने इस पहल की आलोचना की है और इस राशि में वृद्धि करने से इंकार किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के आरंभ होने के समय से सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी राशि जारी की जा चुकी है;

(ङ) इसमें से कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(च) उक्त राशि के उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या नए संसद सदस्यों को उनके पूर्व सांसदों की शेष राशि को खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) कुछ सांसदों ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों के आबंटन को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए अथवा अधिक करने की अनुशंसा की है। इस मंत्रालय ने आवंटन को बढ़ाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। दिसंबर, 1998 में प्रति सांसद आवंटन बढ़ाकर दोगुना किया गया था। 31.3.2000 तक विभिन्न राज्यों में उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि 1795.59 करोड़ रुपए है।

(घ) से (च) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के आरंभ होने के समय से अब तक सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 5016 करोड़ रुपये की राशि अवमोचित की जा चुकी है। इस राशि में से 1795.59 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त पड़ी है। उपयोग न होने के कारणों में शामिल हैं, बारंबार चुनाव, सांसदों द्वारा कार्यों की अनुशंसा में विलंब, कार्यस्थल के लिए भूमि हस्तांतरण में विलंब, कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब इत्यादि।

(छ) और (ज) दिशा निर्देशों के पैरा 3.9 के अनुसार नए संसद सदस्य अपने पूर्ववर्ती सांसदों की अप्रयुक्त शेष राशि खर्च करने के लिए अधिकृत हैं।

रिरोलिंग मिलों में ऊर्जा संरक्षण

6949. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। लघु उद्योगों के सहयोग से रिरोलिंग मिलों में ऊर्जा संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यशाला का आयोजन उचित समय पर किया गया क्योंकि बिजली और ईंधन की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है जो रिरोलिंग मिलों में ऊर्जा संरक्षण संबंधी लागत का एक बड़ा भाग है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यशाला में क्या मुख्य बातें सुझायी गयी हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(ङ) इनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय गौण इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एस.एस.टी.) ने 15.3.2000 को नागपुर में संस्थान के नागपुर केन्द्र और स्थानीय लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला आयोजित की थी। ईंधन और विद्युत में ऊर्जा संरक्षण से पुनर्बेलन मिलों में लागत में कमी आएगी।

(ग) कार्यशाला में दिए गए मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे:

(1) पुनर्स्थापन भट्टियों का बेहतर डिजाइन, पुनर्बेलन मिल क्षमता से भट्टी की क्षमता की अनुरूपता।

(2) प्रचालन प्रक्रियाओं में सुधार करके कोयले/तेल की खपत इष्टतम करना।

(3) अतिरिक्त वायु को नियंत्रित करके दहन क्षति को कम करना।

(4) हानि को कम करने के लिए उचित रिफ्रैक्ट्रियों और इन्सुलेटिंग सामग्री का चयन करना।

(5) विद्युत खपत में कमी करने के लिए अच्छे रोल-पास-डिजाइन का उपयोग करना।

(6) प्रेषण प्रणाली में ऊर्जा क्षति को कम करना।

(घ) एन.आई.एस.एस.टी. द्वारा दिए गए सुझावों को उद्योग द्वारा अपनी लागत और इनकी अपनी पहल से कार्यान्वित किया जाना है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन हेतु रणनीति

6950. डा. सुशील इन्दौरा:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के एक सदस्य ने विकास की रणनीति के अनुपूरक के रूप में एक सशक्त गरीबी उन्मूलन रणनीति तैयार करने की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रति व्यक्ति आय में 2 प्रतिशत से भी कम वृद्धि वाली वर्तमान योजनाएं विकास दर को दोगुनी किए बिना गरीबी उन्मूलन में सक्षम नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में गरीबी की दर बहुत धीरे-धीरे कम हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या खराब आर्थिक दशा के लिए जिम्मेदार राज्य संबधी विशिष्ट पहलुओं की पहचान करके गरीबी उन्मूलन की रणनीति तैयार करने का सुझाव दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या जनसंख्या में गरीबों का प्रतिशत 1983 में 44.4 से कम होकर 1987-88 में 38.8 और 1993-94 में 35.9 था;

(च) क्या गरीबी उन्मूलन हेतु भविष्य में अपनाई जाने वाली कोई रणनीति तैयार की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) डा. एस.पी. गुप्ता, सदस्य, योजना आयोग ने ''ट्रिकल डाउन थ्योरी रीविजिटेड'' नामक पेपर में गरीबी और बेरोजगारी के समाधान के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की अनन्य नीति के दावे पर प्रश्न उठाया है और गरीबी की स्थिति में सुधार के एक प्रमुख उपाय के रूप में रोजगार सृजन पर विशेष बल दिए जाने की मांग की है।

(ख) से (ङ) गरीबी के प्रभाव क्षेत्र के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों का प्रतिशत 1973-74 के 54.88 प्रतिशत से गिरकर 1983 में 44.48 प्रतिशत पर आ गया और 1993-94, वह नवीनतम वर्ष जिसके लिए गरीबी के अनुमान उपलब्ध हैं, में और गिरकर 35.97 प्रतिशत पर आ गया। 1973-74 से 1993-94 की अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के प्रतिशत में गिरावट की वार्षिक दर 2.1 प्रतिशत रही है।

पेपर में यह टिप्पणी करते हुए कि केवल बाजार चालित विकास पर आधारित कोई भी मैक्रो नीति भारत में गरीबी अथवा बेरोजगारी के संबंध में सफल नहीं हो सकती, सुझाव दिया गया है कि विशेष रूप से थोड़ी अवधि के लिए विभिन्न प्रत्यक्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण गरीबों के संबंध में सकारात्मक रोजगार सृजन नीति की आवश्यकता है। शिक्षा, प्रशिक्षण में सुधार के लिए और ग्रामीण गरीबों के लिए मध्यम और दीर्घ अवधि के अवसरों के सृजन के लिए एक नीति पैकेज की आवश्यकता है ताकि वे भी ग्रामीण क्षेत्रकों में गैर-कृषि कार्यकलापों अथवा फसलोत्तर कार्यकलापों सहित उच्च उतपादकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें। यह सीमांत भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों की उत्पादकता बेहतरी में और उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि और विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रकों में सेवाओं, जो छोटे और बहुत छोटे उद्योगों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक व्यवसाय उपलब्ध कराती है, को न्यायसंगत सिद्ध करती है।

(च) से (छ) सरकार ने गरीबी कम करने के लिए तीन तरफा कार्यनीति अपनाई है। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है: (1) रोजगार गहन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तीव्र आर्थिक विकास, (2) गरीबों की क्षमताओं में सुधार के उद्देश्य से न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास (3) स्व-रोजगार और अनुपूरक मजदूरी रोजगार के माध्यम से आय सृजन की स्कीमों द्वारा लक्षित गरीबीरोधी कार्यक्रम।

इसके अलावा, प्रभावी रूप से गरीबी का उन्मूलन तभी किया जा सकता है जब विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी द्वारा गरीब विकास में योगदान देना शुरु कर दें। कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, बढ़ते हुए रूप में उन दृष्टिकोणों और उपायों पर आधारित होना चाहिए जो गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में गरीबों को शामिल करते हैं। यह सामाजिक प्रेरणा, भागीदारी दृष्टिकोण और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया और पंचायती राज संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित स्वयंसेवी दलों को शामिल करके गरीबों को अधिकार प्रदान करने के माध्यम से संभव है।

राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना

6951. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 दिसम्बर, 1999 को जनसत्ता, नई दिल्ली में ''राजस्थान के एटमी बिजलीघर अपशिष्ट प्लूटोनियम रखने के संकट का शिकार'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में जांच के बाद सुधारात्मक कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार को अन्य राज्यों में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हाँ।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीगर, रावतभाटा में भुक्तशेष ईंधन के भंडारण के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं मौजूद हैं;

(ग) देश में स्थापित परमाणु विद्युत संयंत्रों में से किसी में भी भुक्तशेष ईंधन के बण्डलों के भण्डारण की कोई समस्या नहीं है;

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

6952. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के बेरोजगार ग्रामीणों के पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों और कृषि उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए चलायी जा रही योजनाओं का राज्य-वार विशेषत: गुजरात का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान इस कार्य हेतु किए गए वित्तीय आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है औरइस अवधि के दौरान कितने आवंटन का उपयोग किया गया?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) गुजरात सहित देश भर में ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग एवं कृषि उद्योग के संवर्धन के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, बेरोजगार ग्रामीण लोगों के प्रवास की जांच-पड़ताल करने के लिए, सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, जैसे माइक्रो उद्यमों को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.), एकीकृत आधारिक संरचना विकास (आई.आई.डी.) योजना, लघु उद्योग सेवा संस्थानों तथा औजार कक्षों आदि के माध्यम से उद्यमिता तथा प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा तकनीकी कौशल विकास ग्रामीण क्षेत्रों में लघु इकाइयों के कलस्टरों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्योगीकरण राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) आसान किराया क्रय पद्धति शर्तों पर घरेलू तथा आयातित मशीनों की आपूर्ति में सहयोग देता है, विपणन तथा निर्यात में सहायता करता है, प्रोटोटाइप मशीनों का विकास करता है तथा प्रशिक्षण देता है। इसी प्रकार, खादी तथा ग्रामोद्योग निगम (के.वी.आई.सी.), खादी तथा ग्राम उद्योगों, जैसे-ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, मार्जिन मनी स्कीम आदि के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं बनाता है, उनका संवर्धन करता है, कार्यक्रमों का आयोजन करता है तथा सहायता करता है।

(ख) लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान पूरे देश के लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास तथा संवर्धन के लिए क्रमश: रुपये 735.10 करोड़ तथा रु. 708.30 करोड़ व्यय किया है। वर्ष 1999-2000 में रु. 640.00 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए निधियां योजना-वार जारी की जाती हैं तथा राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती हैं।

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि

6953. श्री रामजी मांझी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि हर वर्ष बढ़ाई जा रही है तथा प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति को, जिस विभाग में वो प्रतिनियुक्ति पर है, पदोन्नति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि तथा प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति को पदोन्नति देने संबंधी मार्ग-निर्देश क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर केन्द्रीय भण्डार में अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति की अवधि को मनमाने ढंग से, पक्षपातपूर्ण तथा अवांछनीय रूप से बढ़ाए जाने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रतिनियुक्ति की अवधि को इस प्रकार बढ़ाए जाने के संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है तथा कितने अधिकारियों को सजा दी गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सामान्यत:, किसी संवर्ग के फीडर ग्रेड में संगत भर्ती नियमों में निर्धारित पात्रता से संबंधित शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नत करने के बारे में विचार किया जाता है। किसी संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त अधिकारी की उस कार्यालय में पदोन्नति करने के बारे में विचार नहीं किया जाता जिसमें वह प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हो, क्योंकि वह उक्त शर्त पूरी नहीं करता। संवर्ग बाह्य पद के भर्ती-नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अपने मूल विभागों में ही केन्द्रीय सरकार के और किन्हीं अन्य विभागों में/राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन/स्थानीय निकायों अथवा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में और विलोमत: प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा के आधार पर नियुक्त किये जाते रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण आदि से संबंधित विभिन्न मामलों के विनियमन के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपना दिनांक 5.1.1994 का एक विस्तृत कार्यालय-ज्ञापन सं. 2/29/91-स्थापना (वेतन-2) जारी किया है। जिन पदों के भर्ती-नियमों में अपेक्षाकृत अधिक लम्बा कार्यकाल निर्धारित हो, उनके सिवाय, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने मूल विभाग से, उसे अपनी सेवा में लेने वाले विभाग में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर रह सकता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा के आधार पर अपनी सेवा में लेने वाला मंत्रालय/संगठन, प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा की अवधि तीन वर्ष से अधिक अथवा सामान्य कार्यकाल से आगे एक वर्ष तक अथवा उसके आगे पहले वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के मामले में अपने सचिव, किसी राज्य-सरकार के मामले में अपने मुख्य सचिव और अन्य मामलों में समकक्ष स्तर के अधिकारी का आदेश लेने के बाद उन्हीं मामलों में बढ़ा सकता है जिनमें यह लोक-हित में आवश्यक समझा जाए। विरली और आपवादिक परिस्थितियों में तथा लोक-हित में, जिन मामलों में नितांत आवश्यक हो उनमें, किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर लेने वाले मंत्रालय/विभाग, अपने मंत्री के पूर्वानुमोदन विशेष से और अन्य संगठनों के मामले में संबधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की अवधि पांचवें वर्ष तक अथवा भर्ती-नियमों में निर्धारित अवधि से आगे दूसरे वर्ष तक बढ़ाने में सक्षम हैं। ऐसा अपने कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर भेजने वाले संगठन और जहां कहीं आवश्यक हो, वहां संघ-लोक-सेवा-आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग और मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति (ए.सी.सी.) के पूर्वानुमोदन से किया जाता है। जिन मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि पांचवें वर्ष से आगे अथवा भर्ती-नियमों में निर्धारित अवधि से आगे, दूसरे वर्ष से अधिक बढ़ाई जानी हो, उनमें प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा की ऐसी अवधि, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लेने के उपरांत ही बढ़ाई जाने दी जाए।

(ग) और (घ) सरकार, सहकारी समिति-अधिनियम, दिल्ली के अंतर्गत, पंजीकृत उपभोक्ता-सहकारी-समिति के रूप में कार्यरत केन्द्रीय भंडार के रोजमर्रा के काम-काज में हस्तक्षेप नहीं करती। यह समिति, सहकारी समिति, दिल्ली के पंजीयक द्वारा अनुमोदित उपनियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है। उपर्युक्त उपनियमों के अंतर्गत, केन्द्रीय भंडार का बोर्ड उन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने में पूर्णत: सक्षम है जो केन्द्रीय भंडार में प्रतिनियुक्ति पर हों। प्रतिनियक्ति की अवधि बढ़ाने के बारे में कोई भी निर्णय लेते समय उपर्युक्त बोर्ड केन्द्रीय भंडार के हित को सर्वोपरि रखता है। उपर्युक्त बोर्ड में सरकार द्वारा नामित 9 निदेशक होते हैं। अत: केन्द्रीय भंडार के किसी भी कर्मचारी को दण्डित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं

6954. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितनी जैव निगंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई और प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) केन्द्र सरकार ने 30 जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार अनुदान सहायता प्रदान की है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

विवरण

राज्य जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए राज्यों को दी गई अनुदान सहायता

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शा.प्र.	आबंटित प्रयोगशालाओं की संख्या	आबंटित निधियां (लाख रुपए में)	अब तक जारी निधियां (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	50	47.50
2.	असम	1	50	50.00
3.	बिहार	1	50	50.00
4.	गुजरात	1	50	30.00
5.	हरियाणा	1	50	47.50
6.	हिमाचल प्रदेश	1	50	50.00
7.	जम्मू व कश्मीर	1	50	25.00
8.	कर्नाटक	1	50	50.00
9.	केरल	1	50	50.00
10.	महाराष्ट्र	1	50	47.50
11.	मध्य प्रदेश	1	50	47.50
12.	मणिपुर	1	50	50.00
13.	उड़ीसा	1	50	50.00
14.	पंजाब	1	50	50.00
15.	राजस्थान	1	50	50.00
16.	तमिलनाडु	1	50	30.00
17.	उत्तर प्रदेश	2	100	60.00
18.	पश्चिम बंगाल	1	50	30.00
19.	नागालैण्ड	1	50	50.00
20.	त्रिपुरा	1	50	50.00
21.	मेघालय	1	50	50.00
22.	मिजोरम	1	50	50.00
23.	अरुणाचल प्रदेश	1	50	50.00
24.	सिक्किम	1	50	50.00

1	2	3	4	5
25.	गोवा	1	50	25.00
26.	पांडिचेरी	1	50	50.00
27.	दिल्ली	1	50	–
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप	1	50	50.00
29.	लक्ष्यद्वीप	1	50	50.00
	कुल	30	1500	1290.00

बेरोजगारी

6955. प्रो. दुखा भगत: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार, विशेषकर स्नातकों तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों में बेरोजगारी हटाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं पर राज्य-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्नातकों एवं स्नातकोत्तरों को शामिल करते हुए शिक्षितों में बेरोजगारी उन्मूलन हेतु प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा स्वर्ण जयंती।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पीएमआरवाई* के अंतर्गत केन्द्र द्वारा जारी अंशदान (रु. हजार में.) 1997-2000	**एसजेएसआरवाई के अंतर्गत जारी केन्द्रीय अनुदान (रु. लाख में) 1997-2000
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	49595.95	3602.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	24976.87	204.65
3.	असम	1124.50	1554.53
4.	बिहार	6495.25	1693.94
5.	दिल्ली	126.00	235.31
6.	गोवा	555.32	84.06
7.	गुजरात	10142.75	1650.76

1	2	3	4
8.	हरियाणा	7263.30	403.89
9.	हिमाचल प्रदेश	2167.30	196.39
10.	जम्मू और कश्मीर	1021.70	233.61
11.	कर्नाटक	36085.12	3190.65
12.	केरल	24432.20	1028.40
13.	मध्य प्रदेश	44688.42	4275.16
14.	महाराष्ट्र	46309.20	4160.89
15.	मणिपुर	1237.20	358.31
16.	मेघालय	1202.37	218.99
17.	मिजोरम	828.22	341.57
18.	नागालैंड	835.95	219.83
19.	उडीसा	19833.80	1044.38
20.	पंजाब	20720.10	364.54
21.	राजस्थान	27254.80	1280.66
22.	सिक्किम	270.20	81.51
23.	तमिलनाडु	27833.15	2913.27
24.	त्रिपुरा	1469.60	334.24
25.	उत्तर प्रदेश	106724.46	5513.47
26.	पश्चिम बंगाल	9259.25	1626.16
27.	अ. और नि. द्वीप समूह	423.45	261.06
28.	चंडीगढ़	353.90	129.40
29.	दादर और नगर हवेली	242.75	104.23
30.	दमन और दीव	108.85	161.63
31.	लक्षद्वीप	85.50	—
32.	पाण्डिचेरी	825.32	119.65
	कुल योग	474492.75	37587.16

टिप्पणी: * प्रधानमंत्री रोजगार योजना

** स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

विवरण II

विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त बेरोजगार/नियोजित व्यक्ति

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000 (अनंतिम)
1.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)			
	(क) शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसइपी)	10382 (सहायता प्राप्त व्यक्ति)	42643 (सहायता प्राप्त व्यक्ति)	127849 (सहायता प्राप्त व्यक्ति)
	(ख) शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूइपी)	5.11 (लाख मानव दिवस)	66.02 (लाख मानव दिवस)	89.42 (लाख मानव दिवस)
2.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)	263361 (अनुमोदित मामले)	262125 (अनुमोदित मामले)	114587 (अनुमोदित मामले)

प्रबंधन में मजदूरों की भूमिका

6956. **श्री जी.जे. जावीया:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी अनिवार्य बनाने के स्थान पर स्वैच्छिक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा भागीदारी स्वैच्छिक करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता योजना के स्वैच्छिक स्वरूप को बनाए रखने की तुलना में प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता संबंधी विधान लाने की आवश्यकता पर अलग-अलग विचार हैं। नियोजक और कर्मकार संगठनों के दृष्टिकोण सक्षम प्राधिकारी को भेज दिए गए हैं।

औद्योगिक जिले

6957. **श्री प्रभात सामंतराय:**
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में छोटे और बहुत छोटे उद्योगों को और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्यों से विशेषकर तमिलनाडु से और अधिक औद्योगिक जिलों के विकास और लघु उद्योगों के लिए बेहतर ढांचागत सुविधाएं सृजित करन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारत सरकार ने अति लघु क्षेत्र सहित लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण (क्रेडिट) का प्रसार बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के

साथ-साथ प्राथमिकता उधार क्षेत्र के अंतर्गत अति लघु क्षेत्र हेतु लघु उद्योग को 60% राशि निर्धारित करना, 5 लाख रु. तक ऋणों को सम्पार्श्विक ढंग से प्रदान किया जाना, क्रेडिट गारन्टी स्कीम का बनाना, संयुक्त ऋण सीमा को 10 लाख रु. तक बढ़ाना, नैशनल इक्विटी फण्ड स्कीम के अंतर्गत परियोजना लागत सीमा को 25 लाख रु. तक बढ़ाना, लघु उद्योग बैंक की विशिष्ट शाखाएं खोलना, इकाइयों की प्रक्षेपित वार्षिक कुल बिक्री के 20% की सामान्य उपेक्षा के आधार पर 5 करोड़ रु. तक की कार्यशील ऋण की संस्वीकृति हेतु प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पूर्णतया मूल्य निरूपित) के आधार पर मार्च, 1994 से एकीकृत बुनियादी संरचना विकास (आई.आई.डी.) योजना शुरु किए जाने से अब तक 53 आई.आई.डी. केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है, इनमें चार केन्द्र तमिलनाडु में उरंगपट्टी (जिला मदुराई), तिरुमुडीवक्कम (जिला कांचीपुरम), किट्टमपलायम (जिला कोयम्बटूर) और कटूर अवधी (जिला चेंगाई एम.जी.आर.) शामिल है। इस समय सरकार के पास तमिलनाडु से और अधिक आई.आई.डी. केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति

6958. **श्री ब्रज भूषण शरण सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के संबंध में स्थानांतरण नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए एक स्थानान्तरण नीति तैयार की है। स्थानान्तरण नीति में स्थानान्तरण के समय, एक स्थान पर किसी अधिकारी के कार्यकाल, अधिकारियों को घर के आसपास रहने देने, निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए छूट आदि संबंधी व्यवस्था की गई है।

(घ) और (ङ) कुछ भविष्य निधि आयुक्तों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आवश्यक कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

6959. **श्री रामानन्द सिंह:** क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान मध्य प्रदेश के कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रधान मंत्री बेरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) इस वित्तीय वर्ष हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा लक्ष्य को प्राप्त नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाएगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) मध्य प्रदेश में, वर्ष 1998-99 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 33,426 शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण संस्वीकृत किये गये थे जिनमें से 22,811 लोगों को ऋण संवितरित कर दिए गए। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 1999-2000 के लिए 33,118 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण स्वीकृत किये गये हैं। अब तक 9,273 लोगों को ऋण संवितरित किये गये हैं।

(ख) वित्त वर्ष 1999-2000 के लिए निर्धारित लक्ष्य 31,600 था। शिक्षित बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत करने के मामले में लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। पहले ही 9,273 व्यक्तियों को ऋण संवितरित कर दिए गए हैं, और आगे भी संवितरण जारी है।

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 16,200 का अनंतिम लक्ष्य सूचित कर दिया गया है।

अपराह्न 12.0$^{1}/_{2}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): महोदय, मैं श्री जार्ज फर्नांडिस की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2000 का संख्यांक 5)-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1883/2000)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

(1) भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के जुलाई, 1994 से जून, 1995 तक की अवधि के पैंतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1884/2000)

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूँ:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1885/2000)

(3) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य माध्यस्थम् योजना के खंड 21 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य माध्यस्थम् के अधीन माध्यस्थम् बोर्ड (बीओए) द्वारा दिए गए अधिनिर्णय में संशोधन के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा अनुबंध-I और अनुबंध-II

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1886/2000)

(4) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 140 जो 22 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 4 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 754(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) सा.का.नि. 141 जो 22 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 13 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 375 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1887/2000)

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1888/2000)

(2) एमएसटीसी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1889/2000)

(3) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1890/2000)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कर्नाटक एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1891/2000)

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1892/2000)

(ग) (एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1893/2000)

(घ) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1894/2000)

(ङ) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1895/2000)

(च) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1896/2000)

(छ) (एक) असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1897/2000)

(ज) (एक) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1898/2000)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1899/2000)

(ख) (एक) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1900/2000)

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2000 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 2 मई, 2000 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे वित्त विधेयक, 2000 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 4 मई, 2000 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.02½ बजे

संचार संबंधी स्थायी समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय मैं संचार संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आकाशवाणी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संबंधित प्रतिवेदन (1992-93) संबंधी 5वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 12वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(2) (एक) डाक सेवाओं (दो) दूर संचार सेवाओं सहित संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) संबंधी छठे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) संबंधी 7वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(4) फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संबंधी 9वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्गवाही संबंधी 20वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(5) राष्ट्रीय बाल तथा युवा चलचित्र केन्द्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबंधी 10वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(6) डाक विभाग, संचार मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन (1992-93) संबंधी चौथे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 23वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(7) भारतीय राष्ट्रीय चलचित्र अभिलेखागार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबंधी 11वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(8) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (1995-96) संबंधी 17वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 25वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(9) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (1995-96) संबंधी 17वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 26वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(10) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) संबंधी 16वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(11) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड-सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबंधी 8वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 28वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(12) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम-सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबंधी 14वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(13) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी पहले प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(14) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(15) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक

सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवें, प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(16) मूल टेलीफोन सेवाओं का निजीकरण-दूरसंचार विभाग संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(17) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी ग्यारहवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(18) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी दसवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(19) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी 12वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 5वें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(20) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (1998-99) संबंधी पहले प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

(21) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (1998-99) संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विवरण।

अपराह्न 12.04 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मैं सेना और वायु सेना (निजी सम्पत्ति का निपटान) संशोधन विधेयक, 1999 के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की 1998-99 की अनुदानों की मांगों से संबंधित समिति के सातवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर लगी कंटीली बाड़ के निकट जिन किसानों की भूमि अवस्थित है उनकी समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर (राजस्थान) जो भारत-

[श्री निहाल चन्द चौहान]

पाक सीमा पर स्थित है तथा किसानों की काफी भूमि कंटीली तार में आ गयी, किसानों को बी.एस.एफ. के जवान खेती करने में बाधक बन गये हैं। सही समय पर कृषक बीज नहीं बो सकता, सही समय पर सिंचाई नहीं कर सकता, किसान सही समय पर फसल नहीं काट सकता, किसान बहुत ज्यादा दुखी है।

मेरा आपसे तथा सरकार से निवेदन है कि सरकार कटीली तार में आई भूमि की अनुमानित लागत तय कर किसानों को मुआवजा दे या फिर इसी जमीन के बदले किसानों को दूसरी जमीन दे ताकि किसान खुशहाल हो सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बाद में बुलाऊँगा, अभी नहीं।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचुर): आप 'शून्य काल' से संबंधित मामलों पर कब चर्चा करेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: संविधान (संशोधन) विधेयक के संबंध में मंत्री जी के उत्तर के बाद हम 'शून्य-काल' से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जब जीरो ऑवर होगा तब आप बोलिये।

...(व्यवधान)

(दो) राजस्थान के सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं को पांचवीं कक्षा तक आवासीय विद्यालय योजना का लाभ प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालक, बालिकाओं के लिए सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय (समाज कल्याण) द्वारा शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी अनेकों प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। ये सभी योजनाएं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा इन अत्यन्त लाभ की योजनाओं का उपयोग क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है और न ही जन प्रतिनिधि को मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति की जानकारी दी जाती है। इस संबंध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति के चयनित परिवारों की बालिकाओं हेतु आपके द्वारा आवासीय विद्यालय की 25 बालिकाओं की योजना जिला परिषद के माध्यम से स्वीकृत की जाती है। इस योजना के तहत बालिकाओं को मात्र एक वर्ष के लिए ही शिक्षा हेतु साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे ही बालिका कक्षा-2 में आती है, योजना द्वारा बालिका को अग्रिम कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अत: यह एक अपूर्ण योजना ही है जिसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। ये बालिकाएं स्वयं ही शिक्षा लाभ से वंचित रह जाती हैं। यदि इस योजना को कक्षा-5 तक के लिए स्वीकृत कर दिया जाए तो प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे और गरीब परिवारों को इसका लाभ भी मिलेगा।

अत: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आपके विभाग द्वारा स्वीकृत योजना एवं धनराशि का ब्यौरा योजना के शुरू में उपलब्ध करा दिया जाए और स्वयं सेवी संस्थाओं को भी यह निर्देश दिया जाए कि वे जन प्रतिनिधियों को भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी कराते रहें। साथ ही आवासीय विद्यालय की बालिकाओं के लिए शिक्षा 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दिया जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश में धूरियापार में चीनी मिल को अर्थक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बांसगांव छोटी-बड़ी 9 (नौ) नदियों के संगम में बसा हुआ है तथा यह क्षेत्र बाढ़ और सूखे से हमेशा प्रभावित रहता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में उद्योग पूर्ण शून्य है।

कुछ वर्ष पूर्व मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत धूरियापार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई थी जो गत वर्ष कुछ दिन चलकर बंद कर दी गई। इसकी वजह से मेरे क्षेत्र के लोगों में काफी रोष व्याप्त है।

मुझे विदित हुआ है कि उ.प्र. सरकार उस चीनी मिल को निजी क्षेत्र में बेचने के बारे में विचार कर रही है जो उचित नहीं है। यदि ऐसा होता है तो धूरियापार क्षेत्र के किसानों में नारी असन्तोष उत्पन्न हो जाएगा।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह उ.प्र. सरकार को निर्देशित करे कि धूरियपार में स्थापित की गई नई चीनी मिल को बेचा न जाए और उसे सरकारी स्तर पर ही चलाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए।

(चार) रेलगाड़ियों के गुजरने के उद्देश्य से पारसला रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर इसे ब्लाक स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वी.एस. शिवकुमार (तिरुअनन्तपुरम्): मैं पारसला रेलवे स्टेशन को क्रासिंग स्टेशन में बदलने के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पारसला स्टेशन कन्याकुमारी सैक्शन के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण रेल के व्यस्ततम मार्गों में से एक है। कन्याकुमारी का पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। पारसला के दक्षिण में रेल जिस ब्लाक स्टेशन से गुजरती है वह स्टेशन है: कुजीतुरई और उत्तर से नयाधिकांश। इन दो स्टेशनों के बीच लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है। रेलों को इन दो स्टेशनों से गुजरने के लिए कुजीतुरई अथवा नयाधिकारा स्टेशन पर 45 मिनट से अधिक रुकना पड़ता है। इससे इस मार्ग पर रेल सेवा में बहुत विलम्ब होता है। अत: अनुरोध है कि रेलों के गुजरने के उद्देश्य से पारसला स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर इसे ब्लाक स्टेशन बना दिया जाये।

(पांच) अरब खाड़ी देशों में नियोजित भारतीयों की समस्या के समाधान के लिए दम्माम, सऊदी अरब में एक अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास खोले जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): अरब की खाड़ी के देशों में लगभग 30 लाख भारतीय कार्यरत हैं। इनमें से 50 प्रतिशत से भी अधिक नागरिक केरल के हैं। विदेशों में कार्य कर रहे कर्मचारी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनके द्वारा झेली जा रही समस्याओं को उचित महत्व के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से इन लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन भारतीय मिशन बढ़ती हुई माँग के अनुरूप कार्य नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण यह है कि इन मिशनों में कर्मचारियों की संख्या कम है। खाड़ी क्षेत्रों के मिशनों में अपेक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करना आवश्यक है ताकि प्रवास समस्याओं से प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने के लिए व्यवस्था की जा सके। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जद्दाह स्थित वाणिज्य दूतावास में अधिक कार्यभार को देखते हुए और यहाँ कि भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दमाम में एक अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास खोलने की आवश्यकता है।

(छह) चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने में अत्यधिक देरी हुई है। केन्द्र सरकार के लगभग 25 हजार कर्मचारी और 10 हजार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति चंडीगढ़ और इसके आस-पास के नगरों में रहते हैं। इस औषधालय के अभाव में वे उस सुविधा से वंचित है जिसके वे हकदार हैं। सेवानिवृत्त व्यक्ति विशेष रूप से अधिक प्रभावित हैं। समाज की सेवा करने के बाद और अपने जीवन का अच्छा समय हमें समर्पित करने के बाद, अपनी जीवन संध्या में वे इस सुविधा के अधिकारी हैं। वे पिछले दो दशकों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने की मांग कर रहे हैं। इसकी स्थापना से इस मांग को पूरा करने के साथ-साथ इस समय हो रहे चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी खर्चों की भी बचत होगी। यह उन वरिष्ठ नागरिकों के प्रति राज्य का एक महत्वपूर्ण सामाजिक औचित्य है जो इलाज के लिए दिल्ली तक यात्रा नहीं कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि चंडीगढ़ में अविलम्ब केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोला जाये।

(सात) मैलाहान और वाराणसी के बीच बरूणानदी के तल से गंद निकालने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर फूलपुर-तहसील) इलाहाबाद, यू.पी. में मइलहन ग्राम से होकर वाराणसी तक वरुणा (बरना) नदी जाती है, (बरना) नदी की (पेटा) तलहटी की सफाई न होने के कारण बरसात शुरू होते ही लगभग सैकड़ों गांव एवं हजारों हैक्टेयर कृषियुक्त भूमि जून-जुलाई से फरवरी-मार्च तक जल भराव से प्रभावित रहती है, जिसके कारण किसान अपना सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। खरीफ एवं रबी की फसल की बुआई भी नहीं हो पाती है। फसल की बुआई नहीं होने के कारण प्रभावित क्षेत्र के किसान, खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, वे आर्थिक रूप से टूट चुके हैं एवं अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा व शादी ब्याह भी नहीं कर पा रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि वरुणा (बरना) पूरी नदी का सर्वेक्षण करा कर नदी की सफाई के लिए अविलम्ब कार्रवाई की जाये।

(आठ) उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घोसी चीनी मिल और अश्वनी संयंत्र से निकलने वाले कचरे से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र घोसी जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश के घोसी स्थित चीनी मिल तथा आसवनी प्लांट द्वारा निकलने वाले कचरे से हो रहे वायु एवं जल प्रदूषण की ओर दिलाना चाहता हूं। उपरोक्त मिलों का कचरा लगभग दस किलोमीटर लम्बे नाले में बहाया जाता है, जिसका रुख टौंस नदी की ओर है। यह कचरा गाढ़ा घोल के रूप में होने के कारण पूरे नाले में जमा रहता है, जिससे आस पास के गांवों के लाखों निवासी अनेक तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उक्त नाले का प्रदूषित घोल पशुओं द्वारा पी लिये जाने से उनकी मृत्यु हो रही है तथा आस पास के तालाबों की मछलियां भी मर रही हैं। प्रदूषित घोल से पैदा होने वाले तरह-तरह के कीड़े ग्रामीणों के घरों में पहुंच कर वीभत्स वातावरण पैदा कर रहे हैं।

उपरोक्त समस्याओं को लेकर पांच वर्ष पहले हजारों ग्रामीणों ने आन्दोलन प्रदर्शन करके अपना रोष प्रकट किया था और प्रदूषित जल निकास हेतु पाइप लाइन की व्यवस्था अथवा फिल्टर प्लांट की मांग की थी, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त प्लांट स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में फिल्टर प्लांट बन्द कर दिया गया, जिससे प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण त्रस्त हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी योजना बनाई जाये, जिसके तहत राज्यों में प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में समस्या के समाधान हेतु धनराशि दिये जाने की व्यवस्था हो। साथ ही यह भी अनुरोध है कि घोसी चीनी एवं आसवानी मिल के कचरे से उत्पन्न प्रदूषण को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाये।

(नौ) मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए तमिलनाडु सरकार को एन्नोर रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे की जमीन सौंपना और स्टेंले अस्पताल के नजदीक एक सबवे के निर्माण की मंजूरी देने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हजारों गरीब लोगों की काफी समय से यह मांग है कि एन्नोर रेलवे स्टेशन के नजदीक वल्लावर नगर, एम.जी.आर. नगर और संजय गांधी नगर नामक चार स्थानों पर फैली मलिन बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों को नियमित किया जाये। तमिलनाडु सरकार भी इन कालोनियों को नियमित करना चाहती थी और रेलवे से जमीन खरीद कर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को औपचारिक रूप से पट्टे पर आबंटित करना चाहती थी। चूंकि यह जमीन बेकार पड़ी है और, रेलवे के लिए उपयोगहीन हैं। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इन झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार को रेलवे की भूमि सौंप दें।

सामान्यत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र चेन्नई उत्तर में मिनट के नजदीक स्टेले अस्पताल नामक एक बड़े सरकारी अस्पताल के नजदीक लेवल क्रासिंग अधिकांश समय सड़क परिवहन के लिए बंद रहती है और इसके फलस्वरूप यातायात जाम लग जाता है। अत: मौजूदा लेवल क्रासिंग के स्थान पर सबवे के निर्माण की मांग है। इसके परिणामस्वरूप स्टैले अस्पताल के दो स्कंध आपस में जुड़ सकेंगे और शहर के बीचोंबीच यातायात आसानी से चलेगा।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की उपरोक्त दोनों माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये और एन्नोर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे की भूमि राज्य सरकार को सौंपने और उत्तर मद्रास में मौजूदा लेवल-क्रासिंग के स्थान पर स्टेले अस्पताल के नजदीक एक सबवे के निर्माण के लिए मंत्रालय की मंजूरी दी जाये।

(दस) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म स्थल कटक में जानकीनाथ भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1987 को कटक में जानकी नाथ भवन नामक पैतृक आवास में हुआ था जिसमें इस समय नेताजी सेवा सदन ट्रस्ट द्वारा संचालित एक प्रसूति गृह चलाया जा रहा है। नेताजी की जन्म शताब्दी समारोह से पहले ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया था कि सुभाष चन्द्र के जन्म स्थान को म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया जाए और खाली भूमि को प्रसूति गृह बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तदनुसार ट्रस्ट ने उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र को संकल्प भेज दिए थे। सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जानकीनाथ भवन को राष्ट्रीय स्मारक में परिवर्तित कर दिया गया है और सम्बद्ध मंत्रालय इसका रख-रखाव करेगा। लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि नेताजी के जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और इसका इस तरह से संरक्षण किया जाए जैसा कि इस देश के अन्य महान् सपूतों के जन्म स्थानों का किया जाता है। इसके साथ-साथ उक्त

अहाते में एक प्रसूति गृह और बाल-रोग केन्द्र का निर्माण करने के लिए केन्द्र तथा नेताजी जन्म शताब्दी समिति द्वारा पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाए जैसा कि आरम्भ में विचार किया गया था।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री अली मोहम्मद नायक बोलेंगे।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): माननीय अधयक्ष महोदय, मैंने यह मामला तीन दिन पहले उर्दू में भेजा था लेकिन मुझे यह कहकर वापस दे दिया गया था कि लोक सभा सचिवालय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे उर्दू में दिए गए मामले का अंग्रेजी में अनवुाद करे।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल अपना लिखित भाषण पढ़ दें। इसके अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अली मोहम्मद नायक: महोदय, मैं आशा करता हूँ कि उर्दू अनुभाग की स्थापना की जाएगी और इस संसद में उर्दू जानने वाले लोग उपलब्ध करवाये जायंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप अपना स्वीकृत लिखित भाषण पढ़े।

(ग्यारह) जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुगलमार्ग का निर्माण कार्य शुरू किये जाने और राज्य में जोजीला में एक सुरंग का निर्माम किए जाने की आवश्यकता

श्री अली मोहम्मद नायक (अनन्तनाग): महोदय, जम्मू-कश्मीर राज्य देश के अन्य भागों से केवल एक राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ा है। यह मार्ग पठानकोट से शुरू होता है और श्रीनगर को जोड़ता है। पठानकोट और जम्मू के बीच सड़क पूरे वर्ष खुली रहती है। इस सड़क का दूसरा भाग जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और यह अक्सर वर्षा और बर्फ के कारण बंद रहता है। इस सड़क का तीसरा भाग श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और जोजीला में भारी हिमपात के कारण यह छह महीने बंद रहता है। इस सड़क की ऐसी स्थिति के कारण राज्य के लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य में आतंकवाद और पाकिस्तान की ओर से अघोषित युद्ध के मद्देनजर सैनिक गश्त भी अधिकतर प्रभावित होती है। सरकार ने घोषणा की है कि वह मुगल रोड के नाम से एक नया मार्ग शुरू करेगी। इस संबंध में कार्य शुरू किया गया था लेकिन फिर उसे रोक दिया।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह मुगल रोड के निर्माण को तुरंत शुरू करे और जोजीला में एक सुरंग बनवाये ताकि यह सड़क लेह तक पूरे वर्ष खुली रहे।

(बारह) मध्य प्रदेश में विदिशा में खारी फाटक रोड रेलवे क्रासिंग पर एक पिचले पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा के विदिशा नगर में खरीफाटक रोड पर रेलवे गेट से बड़ी संख्या में वाहनों का आना-जाना होता है। कृषि उपज मंडी होने के कारण हजारों ट्रैक्टर तथा ट्राली भी इसी रास्ते से आते तथा जाते हैं। यहां पर सभी महत्वपूर्ण विद्यालय होने के कारण हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का आवागमन भी इसी गेट से होता है, किंतु रेलों के आवागमन के कारण यह गेट अधिकांश समय बंद ही रहता है। इस कारण हजारों लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि खरीफाटक रोड के पास ही एक अंडरब्रिज बना दिया जाये जिसके लिए एक बार सर्वे हुआ था तो इस असुविधा से जनता को बचाया जा सकता है। अंडरब्रिज के निर्माण के बाद रेलवे के इस गेट को भी बंद किया जा सकता है, जिसके कारण रेलवे पर आने वाला वित्तीय भार भी कम किया जा सकता है। अत: उक्त स्थान पर अंडरब्रिज बनाने हेतु सभी औपचारिकताएं तत्काल पूर्ण करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं एक विशेष मामले के रूप में श्री पी. मोहन को बोलने की अनुमति देता है।

[अनुवाद]

(तेरह) निजी क्षेत्र के बैंकों विशेष रूप से सिटी यूनियन बैंक, जिसका मुख्यालय कुम्बाकोनम, तमिलनाडु में है, में छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त विधान बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): महोदय, यह पता चला है कि तमिलनाडु में एक निजी क्षेत्र के बैंक सिटी यूनियन बैंक में भ्रष्टाचार के अनेक मामले हुए हैं इसका मुख्यालय कुम्बाकोनम, तमिलनाडु में है। इस बैंक द्वारा दिए गये कुल 650 करोड़ रुपये के ऋण में से 115 करोड़ को वसूल न हो सकने वाला ऋण घोषित कर दिया है।

यह भी पता चला है कि करीब 15 करोड़ रुपये को मनमाने ढंग से बट्टे खाते में डाल दिया गया है। यह अभी तक रहस्य है क्यों, किसे और कैसे वसूल न हो सकने वाला ऋण की स्वीकृति दी गयी, क्या पर्याप्त संपत्ति और जमानत की प्रतिज्ञा ली गई थी और क्यों इतनी अधिक राशि को बांटा गया।

[श्री पी. मोहन]

कई शिकायतें मिलने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक भा.रि.बै. के एक अधिकारी को सिटी यूनियन बैंक के खातों का निरीक्षण करने भेजा और एक रिपोर्ट जमा करने को कहा। जिसके अनुसार, संबंधित अधिकारी ने रिपोर्ट जमा की, जिसे चेन्नई के सहायक महाप्रबंधक ने आवश्यक कार्यवाही हेतु विधिवत् आगे भेजा। परंतु ऐसा लगता है कि इस मामले पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मुझे यह भी पता चला है कि तमिलनाडु मंत्रिमंडल के एक मंत्री के रिश्तेदार इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से लिप्त है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पूरे मामले की सीबीआई द्वारा जांच कराएं और इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाही करें।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूँ कि उन लोगों की बचत की सुरक्षा के लिए जो अपने पैसे निजी क्षेत्र के बैंकों में रखते हैं उपयुक्त कानून बनाए। यह भी बताया जा रहा है कि इस बैंक के निर्देशक मंडल के चुनाव को लगातार स्थगित किया जा रहा है। सरकार को ऐसे स्थगन की अनुमति नहीं देनी चाहिए और इस बैंक के निदेशक मंडल के शीघ्र चुनाव का आदेश देना चाहिए।

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम): महोदय, कृपया क्या मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकती हूँ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको उत्तर पूर्ण होने के पश्चात अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी: आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। हम दो महिला सदस्या एक मामले पर व्यक्ति गल रूप से श्री राम जेठमलानी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): श्री जेठमलानीजी, आपको महिलाओं का कुछ ख्याल रखना चाहिए ...*(व्यवधान)*

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): एक महिला सदस्या ने बड़ी विनम्रता दिखाई। इसलिए, आप भी कुछ नम्रता क्यों नहीं दिखाती? ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.23 बजे

संविधान (नब्बेवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी लंबे वाद-विवाद के बाद, जो कल मध्य रात्रि तक चली, मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं उत्तर दूं।

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद छह घंटे और चौतीस मिनट तक चली।

श्री राम जेठमलानी: मुझे लगता है कि 38 सम्माननीय सदस्यों ने इस सभा की चर्चा में भाग लिया, शुरुआत मेरे मित्र श्री बूटा सिंह जी से हुई और समापन हमारे पूर्वोत्तर के शौकिन मिजाज मित्र श्री बैसीमुथियारी जी ने किया।

यह देख कर बड़ी खुशी होती है कि इस सभा के जो भी सदस्य बोलें उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया।

मैं इस सभा के सभी सदस्यों का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने सामान्यत: इस चर्चा के स्तर को ऊंचा रखा और दो या तीन सदस्यों को छोड़कर, किसी ने भी इन भाषणों द्वारा राजनैतिक लाभ लेने का प्रयत्न नहीं किया। चूंकि इस सभा के सभी सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है, मैं संक्षेप में बोलूंगा। परंतु मैं अपने कर्त्तव्यों से चूकूँगा यदि मैं कम से कम उन मित्रों को कब जिन्होंने कुछ राजनैतिक मुद्दे उठाने का प्रयत्न किया उत्तर न दूं, जिनमें अग्रणी रहे मेरे मित्र, श्री बनातवाला जी।

बहुत ही शक्तिशाली और आतुर भाषण में, उन्होंने मेरे प्रधानमंत्री और मेरी सरकार पर उनके शब्दों में देश के प्रति गद्दारी के आरोप लगाए। मुझे नहीं पता कि उन्हें इसका पता कहाँ से चला। यदि यह दिमाग के गर्म होने या देर रात तक या दिन के अधिक समय तक कार्य करने का नतीजा है, तो मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ, परंतु, महोदय, मुझे लगता है, वे इसे गंभीरता से कह रहे थे ...*(व्यवधान)*

मेरे मित्र, सरदार बूटा सिंह भी एक शिकायत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और साथ ही मेरे मित्र, श्री मुनीयप्पा भी। मैं नहीं जानता कि वे उपस्थित है या नहीं। मैं उनके द्वारा उठाये मुद्दे पर उत्तर दूंगा। हम आज पांच आपत्तिजनक परिपत्रों में से एक को लेंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): महोदय, मंत्री जी से मैंने भी एक सवाल किया है, जवाब देने के लिए। फ्रांस में जब राष्ट्रपति जी गए, तो उनको अछूत माना गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने अभी अपने उत्तर की शुरुआत की है। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: इस बारे में न प्रधान मंत्री जी ने, न किसी वरिष्ठ नेता ने कोई टिप्पणी की। आज मानसिकता बनी हुई है। क्या उनको अछूत और छोटा मानेंगे। फ्रांस में हमारे राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है। इस बारे में मुलायम सिंह के प्रश्न का जवाब दें, क्यों टिप्पणी नहीं की गई?

श्री राम जेठमलानी: आप बैठिए। आपने जो कल कहा, उसको मैंने दोनों कानों से सुना और उसके बारे में मुझे जो कुछ कहना है, वह मैं बता दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव: धन्यवाद। उच्च मानसिकता तो बदलनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी: महोदय, सर्वप्रथम, यह बताना आवश्यक है कि उक्त पांच परिपत्र किन परिस्थितियों में अस्तित्व में आए। वे जनवरी और अगस्त, 1997 में अस्तित्व में आए थे। सभा के माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि हमारी तेरह-दिनों की सरकार इससे पहले ही गिर गई थी। हम 1998 में वापस आए। मुझे नहीं पता कि सरकार के गिरने से किसे फायदा हुआ, पर कम से कम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को तो नहीं हुआ। इन पांच आपत्तिजनक परिपत्रों के कारण यह सरकार गिरने का संवेदनाहीन कार्य हुआ, जो हमारा कार्य नहीं है, परंतु हमसे सरकार को गिराने के उस घृणित कार्य के घृणित परिणाम को समाप्त करने को कहा जा रहा है।

महोदय, मुझे याद है, कि अक्तूबर 1999 में, मैं इस सभा में आरक्षण की अवधि को दस साल बढ़ाए जाने के विधेयक का प्रस्ताव लेकर आया था। उस अवसर पर, पुन: वह विधेयक विवादास्पद नहीं था, कई भाषण दिये गये-शायद बीस होंगे। इस सम्माननीय सभा के सभी सदस्य एकमत थे कि-संविधान के निर्माताओं के सपनों को पिछले पचास सालों में पूर्णत: तोड़ दिया गया।

सरदार बूटा सिंह (जालौर): यह राजनैतिक वक्तव्य नहीं है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरदार बूटा सिंह, कृपया माननीय मंत्री के वक्तव्य में व्यवधान मत डालिए। पहले उन्हें सुनिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब काफी हो चुका।

...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: मैं, इस सम्माननीय सभा से, कम से यह उम्मीद रखता हूँ कि उन्हें अपने विरोधियों के कटु सत्यों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और उन्हें धैर्यपूर्वक से सुनना चाहिए जैसा कि हमने कल सुना। मैं यहाँ मध्य रात्रि तक बैठा रहा। क्या मैंने एक भी सदस्य के वक्तव्य के मध्य व्यवधान उपस्थित किया?

महोदय, वे भाषण यही हैं, इनमें सरदार बूटा सिंह जी का भी भाषण शामिल है। वे उसे स्वयं पढ़ सकते हैं। इसके विपरीत, यहाँ जो कुछ कहा गया उससे कोई राजनैतिक फायदा उठाने का प्रयत्न न करते हुए, मैंने यह कहा था कि यह कहना सही नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया गया। कुछ परिणामों को निश्चित ही प्राप्त किया गया। परंतु सभी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की जा सकी और हमें अभी बहुत दूर जाना है। इसी भावना के साथ, इसी सभा में मैंने कहा था कि बहुत कम समय के अन्दर हम इस सभा इसके साथ दूसरी सभा के सभी सदस्यों का सम्मेलन करने वाला हूँ और हम तीन दिन तक बैठ कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हमारे मित्रों की समस्याओं और उनके कष्टों पर चर्चा करेंगे। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि कुछ सदस्य उपस्थित हैं और कुछ उपस्थित नहीं है, कुल मिला कर उपस्थिति अच्छी रही और पूरे तीन दिनों तक समस्याओं पर चर्चा होती रही। माननीय प्रधान मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से आए और सम्मेलन का उद्घाटन किया। मैं केवल प्रधान मंत्री के भाषण से जो उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कही थी से दो वाक्य उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा था,

[श्री राम जेठमलानी]

"मुझे पता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिये जाने से संबंधित कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किये गये संक्रियात्मक दिशानिर्देशों ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है। ये दिशानिर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई कुल घोषणाओं के पश्चात् तत्कालीन सरकार द्वारा जारी किये गये थे। मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि संसद में दिए गए मेरे आश्वासन के अनुसरण में, इस सरकार ने दिशानिर्देशों की संवीक्षा हेतु कदमों को उठाया है।"

ये कदम न केवल उठाए गए थे बल्कि इनको ठोस आकार भी दिया गया था और उनमें से एक ठोस कदम प्राप्त प्रस्तावों में से एक है, वर्तमान विधेयक है जिस पर यह सभा विचार कर रही है।

महोदय हम सभी तीन दिनों तक उपस्थित रहे। कम से कम संगोष्ठी में शामिल होने वाले माननीय सदस्य मुझे सभी तीन दिनों में उपस्थित रहने का श्रेय देंगे। इस संगोष्ठी में मूल्यवान योगदान दिया गया थे। अंतिम रूप से, इन विचार विमर्शों के फलस्वरूप अस्तित्व में आई प्रारूप समिति द्वारा सर्वसम्मति से तैयार किया गया एक सहमति पत्रक सामने आया था। मेरी बहन, कुमारी मायावती वहाँ मौजूद थी। वे इस दस्तावेज के हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से एक हैं। मैं एक बात से बहुत प्रसन्न हूँ। कल के वाद-विवाद में, मैंने यह महसूस किया कि बहन मायावती के हृदय में मेरे लिए काफी ऊंचा स्थान था। यह उत्थान इस प्रकार है कि पहले वह मुझे मनुवादी समझती थी, परन्तु अब सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती हैं कि वे मुझमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का एक अच्छा मित्र देखती हैं। मुझे इस उन्नति पर गर्व है तथा मुझे गर्व है-मैं इसे वात्सल्य एवं स्नेह कह सकता हूँ-जो उन्होंने मुझे संगोष्ठी के दौरान दर्शाया। मैं फिर से प्रारूप समिति के सदस्यों को बुलाए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे इन प्रस्तावों-विभिन्न मंत्रालयों जिन्हें यह प्रस्ताव भेजे गए थे, की क्या कदम उठाए, क्या उठाया जाना अपेक्षित है एवं कुछ कारणों से क्या उठाए नहीं जा सकते, की पूरी जानकारी प्राप्त है। हम इस प्रारूप समिति की बैठक का आयोजन फिर करेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसका कार्यान्वयन करने में हम कहाँ असफल रहे तथा क्या किया जाना अपेक्षित है। मैं वायदा करता हूँ संसद के बजट सत्र के तुरन्त बाद यह होगा। इस बीच में प्रारूप समिति के प्रतिष्ठित सदस्यों को यह अनुपालन रिपोर्ट परिचालित करूँगा।

महोदय, आज इस विधेयक का मुख्य प्रायोजन एक परिपत्र को रद्द करने के लिए एक उपबंध बनाना है। न्यायालय के फैसले ने यह व्यवस्था दी है कि किसी विशेष अवधि में उपयुक्त रूप से योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध न हो पाने के कारण यदि आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने में असफलता मिलती हैं, तो हम उन्हें अगले वर्ष में भरे जाने के लिए अगले वर्ष में, आगे ले जा सकते हैं। हम इसे अगले वर्ष पूरा कर सकते हैं, अगले वर्ष से आगे के एक वर्ष और इसी प्रकार आगे जारी रख सकते हैं। परन्तु, उच्चतम न्यायालय का कहना है कि अंततः हम इसे जोड़ते हुए 50 प्रतिशत से आगे जा पाने में असमर्थ होंगे।

अब, मैं अपने एक मित्र, श्री बनातवाला, को स्मरण कराना चाहता हूं, जिन्होंने कहा है कि इस विधेयक में हम इस 50 प्रतिशत को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। सबसे पहले, मेरे मित्र को गलत जानकारी दी गई है। तमिलनाडु राज्य की प्रबुद्ध सरकार, जो कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रति वचनबद्ध है, ने 69 प्रतिशत तक आरक्षण किया है। दुर्भाग्यवश, इस उपबंध की वैधता को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने इस उपबंध को शक्ति-बाह्य करार दिया है। अब, यह मामला अपील के कारण उच्चतम न्यायालय में लंबित है। भारत संघ तमिलनाडु सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है। हमने महान्यायवादी एवं उनके विधि अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय में एक विशेष याचिका अवश्य दायर करने हेतु अनुदेश दिए हैं। इस मामले को अवश्य ...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, यह 69 प्रतिशत आरक्षण वर्तमान सरकार द्वारा नहीं किया गया था बल्कि पिछली सरकार द्वारा किया गया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय आपसे सहमत नहीं हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: जिस सरकार ने ऐसा किया था, श्रेय उसी सरकार को जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपको इसका जवाब नहीं देना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री राम जेठमलानी: महोदय, क्या मैं कह सकता हूँ कि उस प्रबुद्ध उपाय का श्रेय ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): महोदय, आपने इसे कार्यवाही वृत्तांत से क्यों निकाल दिया है? यह गलत कैसे है? माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि श्रेय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय आपसे सहमत नहीं हैं। यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, आप इसे मंत्री जी के उत्तर के बाद प्राप्त कर सकते हैं, अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आपसे सहमत नहीं है। आप सभा में नई प्रक्रिया क्यों शुरू कर रहे हैं? अगर आप किसी स्पष्टीकरण की इच्छा रखते हैं, तो आप इसे मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं।

श्री राम जेठमलानी: मैं अभी भी नहीं जान पाया हूँ कि वे किस बात से सहमत नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री महोदय के जवाब में बाधा कैसे पहुँचा सकते हैं?

श्री राम जेठमलानी: मुझे इसे स्पष्ट करने दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आपसे सहमत नहीं है। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री पांडियन, वह आपसे सहमत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मणि शंकर अय्यर, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना इसे कैसे उठा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, कार्यवाही वृत्तांत को सुव्यवस्थित रहने दें।

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। वे सहमत नहीं हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: मंत्री महोदय, क्या आप कार्यवाही वृत्तांत को सुव्यवस्थित रखना चाहते हैं? कृपया मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1991-96 के दौरान डा. जयललिता की तात्कालिन ए आई ए डी एम की सरकार द्वारा 69 प्रतिशत आरक्षण किया गया और इसे नौवीं अनुसूची में रख दिया गया था। तब, इसे चुनौती दी गई थी और अब यह लंबित है। इस प्रकार, इसका श्रेय उन्हें जाता है।

श्री राम जेठमलानी: क्या मैंने किसी को श्रेय दिया था? मैंने कहा है ''तमिलनाडु की प्रबुद्ध सरकार''। यदि आप यह कहना चाहते हैं कि वे डा. जयललिता थी तो वे डा. जयललिता ही होंगी।

महोदय, मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि सारा श्रेय श्री मणिशंकर अय्यर को जाता है।

श्री मणि शंकर अय्यर: आपने श्रेय देने के लिए गलत व्यक्ति का चुनाव किया है। यह डा. जयललिता को जाता है।

श्री राम जेठमलानी: महोदय, 50 प्रतिशत की सीमा का प्रश्न कब उठा जिसके बारे में श्री बनातवाला ने कल बड़े वाक्पटुता से भाषण दिया? यह सबसे पहले 1963 में बालाजी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में उठा।

महोदय, मेरे मित्र बूटा सिंह मुझे माफ करेंगे। मैं उन्हें, इस तथ्य के बावजूद कि उनसे ज्यादा किसी भी सदस्य ने मुझे अपशब्द नहीं कहे होंगे, अपना मित्र समझता हूँ।

[हिन्दी]

मैं आपको कहता हूं कि यदि आप सिर्फ इसी पाप का प्रायश्चित करेंगे तो हिन्दू जाति दो हजार बरसों का पाप प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाएगी।

[अनुवाद]

मैंने उनके अपशब्दों को पिछले 20 वर्षों से इस सभा में सहन किया है और फिर भी वे मेरे मित्र हैं।

अब, मैं उन लोगों को, जो यह सोचते हैं कि हमने 50 प्रतिशत की सीमा को स्वीकार कर लिया है, यह कहना चाहता हूँ कि हमने इसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और हम यह देखना चाह रहे हैं कि 50 प्रतिशत की यह सीमा न रहे। कल, मैंने इस सभा को

[श्री राम जेठमलानी]

सूचित किया और मैं इन्द्रा साहनी मामले से एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ जिसके अनुसार श्री जेठमलानी ने 100 प्रतिशत आरक्षण की अनुमेयता की वकालत की है। उस दल के वकील कहाँ थे? लालू प्रसाद यादव की पार्टी एवं तमिलनाडु की पार्टी के अलावा, मैं यह अवश्य कहूँगा कि सभी ने अनुसूचित जातियों के अधिकारों को निष्फल करने का प्रयास किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, आप मंत्री महोदय को बैठने पर मजबूर नहीं कर सकते।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मेरे विद्वान वरिष्ठ मित्र ने कहा है कि तमिलनाडु में इन्द्रा साहनी मामले से कोई भी विक्षुब्ध नहीं हुआ है।

यह याचिका सं. 1114/90 थी। उस मामले में याचिकाकर्ता के रूप में मैंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने पर तर्क दिया। मैं उच्चतम न्यायालय में मामला दायर करने वालों में से पहला व्यक्ति था और मैंने एक पार्टी के रूप में व्यक्तिगत तौर पर इसका समर्थन किया। ऐसा 1990 के फैसले में दिया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि पूरी सभा ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश अम्बेडकर, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बैसीमुणियारी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): चूँकि, इस पर सर्वसम्मति है और स्वयं मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इसमें राजनीति नहीं लाई जानी चाहिए, वे इससे स्वयं को बचाए और इसे पारित करवाएं।

श्री राम जेठमलानी: मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किये हैं। मुझे मालूम है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। परन्तु इससे कोई वास्ता नहीं है। यदि आप कड़वे सच को नहीं सुनना चाहते तो हमें सभा के कार्य के साथ आगे बढ़ने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्षम होदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री राम जेठमलानी: ऐसे पांच परिपत्र है ...*(व्यवधान)* मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मणि शंकर अय्यर, कृपया अपने स्थान में बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। उनका उत्तर अधूरा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम इतने महत्वपूर्ण विषय में चर्चा कर रहे हैं और आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): महोदय, जब हम इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए तैयार हैं तो मंत्रीजी इसे विवादास्पद बनाने की कोशिश कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के उत्तर के सिवाय, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री राम जेठमलानी: इन आपत्तिजनक नियमों को 1963 तथा 1964 में विहित किया गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जो कि अनुसूचित जातियों के लिए हर समय चीखते चिल्लाते रहते हैं कि उनका दिल उनके लिए दर्द से भरा हुआ है इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए। ये लोग 1963-64 में क्या कर रहे थे? हमारी सरकार ज्योंही सत्ता में आई और जिस क्षण हमारे प्रधानंत्री बने उसी क्षण उन्होंने तत्परता से कार्रवाई की और कुछ

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ही महीनों में इसे कर दिखाया, जबकि पिछले 40 वर्षों से ये नियम चलते आ रहे थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया, समझने की कोशिश करें कि हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और पूरा देश आपके व्यवहार को देख रहा है।

श्री राम जेठमलानी: अब, एक और तथ्य को सुनिए ...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह तथा श्री मुनियप्पा ने एक तकनीकी मांग की है कि हमें इस सैक्शन के संचलनात्मक खण्ड में 'वैकलॉग' शब्द का प्रयोग करना चाहिए। महोदय, संविधियों को प्रारूप देने वाले व्यक्ति होने के नाते, मैं सभा के माननीय सदस्यों, विशेषरूप से उन सदस्यों को आश्वस्त करने की कामना करता हूँ, जो कि इस विषय में गहन रुचि ले रहे हैं कि प्रारूप में 'बैकलाग' शब्द जोड़ने से संविधि अस्पष्ट हो जाएगी। तब, हमें 'वैकलाग' की दूसरी परिभाषा रखनी होगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर ही इसने लागू होना है क्योंकि वही एक मात्र क्षेत्र है जहाँ वास्तविक रूप से 'बैकलॉग' का संबंध है। अन्य पिछड़ी जातियों में 'बैकलॉग' नहीं हैं। लेकिन जैसी कि यह संविधि है इसे समानरूप से अन्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू किया जाना है। अत: 'बैकलाग' शब्द का संबंध सामान्य भाषा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से ही होगा।

सरदार बूटा सिंह: इसमें कुछ शरारत है।

श्री रामजेठमलानी: श्री बूटा सिंह जी इसमें कोई शरारत नहीं है। इसमें क्या शरारत हो सकती है? मैं सभा में वक्तव्य दे रहा हूँ। इस विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों का कथन जोकि संलग्न है वह भी इस संविधि का अंग हैं।

उद्देश्य एवं कारणों के कथन में प्रयुक्त 'बैकलॉग' शब्द इसी में परिभाषित किया गया है और यह इसी संविधि का अंग है। आज यह विनिर्धारित विधि है कि जब सरकार की ओर से एक अधिकारिक वक्तव्य दिया जाता है जो विधेयक का मार्ग प्रशस्त करता है तो वह न्यायालय सहित प्रत्येक व्यक्ति पर दायित्व डाल देता है और वह व्यक्ति उस तथ्य को न्यायिक सूचना के रूप में लेता है। इसलिए आप मान कर चलें कि इसें किसी तरह को अन्यत्र मंशा नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई गुप्त कार्यसूची नहीं है जिस पर कि आप हर समय सन्देह करते रहते हैं ...*(व्यवधान)*

अत: मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस वैकलॉग की मांग को त्याग देंगे, मुझे आशा है कि श्री बनातवाला अपने संशोधन पर भी जोर नहीं डालेंगे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में 50 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी गई है। हम यथासम्भव प्रयास कर रहे हैं और सुनिश्चित रहें कि यदि सर्वोच्च न्यायालय हमारे खिलाफ निर्णय देता है तो हम फिर भी इस विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे लेकिन वह मूल विशेषताओं के सिद्धांत के अधीन होगा। किसी ने भी ऐसी घोषणा नहीं की कि 50 प्रतिशत संविधान की मूल विशेषता है। इसलिए सभा आश्वस्त हो सकती है कि 50 प्रतिशत आरक्षण की वैधानिकता को बनाए रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी: अन्य परिपत्रों के संबंध में कदम उठाये जा रहे हैं कि उनका प्रभाव निष्प्रभावी हो। सभा स्वयं को आश्वस्त कर सकती है कि इस सरकार की संवैधानिक शक्तियों की सीमा तक सभी परिपत्रों को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा।

सभा को सच्चाई बताने वाले इन शब्दों जिन्हें कि मैं कहना चाहता था के साथ मैं सिफारिश करता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाये और उसे स्वीकृत किया जाए ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: महोदय, मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण पूछना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अब नहीं, माननीय मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया को बोलने दीजिए।

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा सरकार और संविधान (संशोधन) विधेयक के प्रति व्यक्त की गई प्रतिक्रिया और समर्थन के लिए सभा को धन्यवाद देना चाहूंगी। यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18 मार्च 1999 को सभा में दिए गए बचन को पूरा किये जाने को प्रतिबिम्बित करता है। यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है।

आरक्षण नीति का दायरा अपने आप में काफी विस्तृत है और सभी माननीय सदस्यों ने वैद्य मुद्दों को उठाया है। मैं अनुसूचित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती बसुन्धरा राजे]

जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी चिंता की प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह सीमित दायरा है। प्रत्येक वर्ष भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को बैकलॉग रिक्तियों में शामिल न करने का विषय भी बहुत कम है। सरकार विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के संबंध में विभिन्न वैधानिक एवं संवैधानिक पहलुओं का अध्ययन करती रही है। दूसरे कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा भी पूरी कर ली गई है तथा पात्रता के अंकों में शिथिलता की बहाली के साथ-साथ पदोन्नति के मामलों में मूल्यांकन मानक के लिए संवैधनिक संशोधन विधेयक 23 दिसम्बर को 1999 को राज्य सभा में पुर: स्थापित किया गया है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वे इस विधेयक की परिधि की प्रसंशा करें ताकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग उन वैकलॉग रिक्तियों को भरने में त्वरितता का पुन: लाभ उठा सकें जो कि 29 अगस्त, 1997 के कार्यालय ज्ञापन के जारी करने से पहले उपलब्ध थीं।

इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं सभा की स्वीकृति के लिए विधेयक रखती हूँ। *...(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: महोदय, मैं स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं। उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा में इस विधेयक पर मतदान करने पर विचार करने के लिए प्रस्ताव करने से पूर्व मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि यह संवैधानिक (संशोधन) विधेयक होने के नाते मतदान, मत-विभाजन द्वारा होना है।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री मुलायम सिंह यादव, मंत्री जी ने पहले ही उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: दीर्घाएं खाली हो गई है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि लाबियाँ खाली हो गई हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग करते समय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए:

1. मत विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाएं और वहीं से इस प्रणाली का उपयोग करें।
2. जैसा कि दिख ही रहा है मेरी कुर्सी के दोनों ओर ''प्रदर्शन पट्ट के ऊपर लाल बल्ब'' जल रहे हैं। इसका अर्थ है कि मतदान प्रणाली शुरू हो चुकी है।
3. मतदान के लिए पहली घंटी के तुरंत बाद दोनों बटनों को एक साथ दबाएं, यथा:

(1) हेड फोन प्लेट पर सदस्य के सामने एक ''लाल'' बटन, और

(2) सीटों के डेस्कों के ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन:

'पक्ष में – हरा रंग

'विपक्ष में' -- लाल रंग

'भाग नहीं लिया' – पीला बटन

4. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना जरूरी है जब तक दूसरी घंटी न सुनाई दे और लाल बल्ब ''बुझ'' न जाएं।

माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि यदि दूसरी घंटी बजने तक दोनों बटनों को दबाये नहीं रखा जाएगा तो उनका मत दर्ज नहीं होगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

5. मत विभाजन के दौरान पीले बटन (पी) को न दबाएं।

6. सदस्य अपने मत को प्रदर्शन बोर्ड और अपनी डेस्क पर भी देख सकते हैं। यदि उनका मत दर्ज नहीं होता तो वे पर्चियों द्वारा मतदान के लिए कह सकते हैं।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अपराह्न 1.05 बजे

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 6] [अपराह्न 1.05 बजे]

पक्ष में

अजय कुमार, श्री एस.
अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा
अनंत कुमार, श्री
अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.
अम्बरीश, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर
अर्गल, श्री अशोक
अलवी, श्री राशिद
आंग्ले, श्री रमाकांत
*आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री कीर्ति झा
आठवले, श्री रामदास
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदि शंकर, श्री
आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता
आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट
इन्दौरा, डा. सुशील कुमार
ईडन, श्री जार्ज
उमा भारती, कुमारी
उराम, श्री जुएल
उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम
ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)
एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी.
एम. मास्टर मथान, श्री
एलानगोवन, श्री पी.डी.
ओला, श्री शीश राम
कटारिया, श्री रतन लाल
कटियार, श्री विनय
कथीरिया, डा. वल्लभभाई
कन्नप्पन, श्री एम.
कश्यप, श्री बली राम
कस्वां, श्री राम सिंह
कानूनगो, श्री त्रिलोचन
काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव
किन्डिया, श्री पी.आर.
कुप्पुसामी, श्री सी.
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुमारामंगलम, श्री पी.आर.
कुरूप, श्री सुरेश
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृपलानी, श्री श्रीचन्द
कृष्णदास, श्री एन.एन.
कृष्णन, डा. सी.
कृष्णमराजू, श्री
कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.
कृष्णास्वामी, श्री ए.
कौर, श्रीमती प्रेनीत
कौशल, श्री रघुवीर सिंह
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खावरी, श्री बृजलाल

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी. आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद)

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

*गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

गामलिन, श्री जारबोम

गलिब, श्री जी.एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गीते, श्री अनंत गंगाराम

*गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

*चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर)

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री समर

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती रेणुका

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए.डी.के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी.जे.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जैन, श्री पुष्प
जोशी, डा. मुरली मनोहर
जोशी, श्री मनोहर
जोस, श्री ए.सी.
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन
ठाकुर, डा. सी.पी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
ठाकुर, श्री रामशेठ
डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
डूडी, श्री रामेश्वर
डोम, डा. राम चन्द्र
ढिकले, श्री उत्तमराव
तिरुनावकरसू, श्री
तिवारी, श्री नारायण दत्त
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तिवारी, श्री सुन्दर लाल
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाटी, श्री ब्रजकिशोर
*थामस, श्री पी.सी.
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दाहाल, श्री भीम
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
*दीपक, कुमार, श्री
दुराई, श्री एम.
दूलो, श्री शमशेर सिंह
देव, श्री बिक्रम केशरी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

देव, श्री संतोष मोहन
देवी, श्रीमती कैलाशो
नरह, श्रीमती रानी
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतिश कुमार, श्री
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
*पटेल, श्री आत्माराम भाई
*पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री धर्म राज सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा
परस्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री प्रकाश
पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.
पवार, श्री शरद
पवैया, श्री जयभान सिंह
पांजा, डा. रंजीत कुमार
पांजा, श्री अजित कुमार
पांडियन, श्री पी.एच.
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल, श्री बसनगौड़ा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.
पाटील, श्री उत्तमराव
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री शिवराज वी.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पायलट, श्री राजेश

पार्थसारथी, श्री बी.के.

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्रा

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पासी, श्री सुरेश

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रसाद, श्री जितेन्द्र

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम.ओ.एच.

बंगरप्पा, श्री एस.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

*बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह

बचदा, श्री बची सिंह रावत

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी.एम.

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल

बब्बन राजभर, श्री

बब्बर, श्री राज

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़, श्री जे.एस.

बर्मन, श्री रनेन

बलिराम, डा.

बसवनागौड, श्री कोलुर (बेल्लारी)

बालू, श्री टी.आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोस, श्रीमती कृष्णा

बौरी, श्रीमती संध्या

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगत, प्रो. दुखा

भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भौरा, श्री भान सिंह

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलयसामी, श्री के.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्याला, श्री राजैया
मल्होत्रा, डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महताब, श्री भर्तृहरि
महतो, श्री बीर सिंह
महतो, श्रीमती आभा
महरिया, श्री सुभाष
महाजन, श्री वाई.जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
मांझी, श्री रामजी
मांझी, श्री परसुराम
माने, श्री शिवाजी
माने, श्रीमती निवेदिता
मायावती, कुमारी
मारन, श्री मुरासोली
मेहता, श्रीमती जयवंती
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री एस.बी.
मुण्डा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.
मेहता, श्रीमती जयवंती
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन, श्री पी.
मोहले, श्री पुन्नू लाल
मोहिते, श्री सुबोध
यादव, श्री अखिलेश
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
*यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री रमाकान्त
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
येरननायडू, श्री के.
रमण, डा.
रमैया, डा. वी.बी.
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजा, श्री ए.
राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेन्द्रन, श्री पी.
राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री सी.पी.
राधाकृष्णन, श्री पोन
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री
रामैया, श्री गुनीपाटी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राय, श्री विष्णु पद

राय, श्री सुबोध

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, श्री डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री वाई.वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावत, श्री रामसागर

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेनू कुमारी, श्रीमती

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

लाहिड़ी, श्री समीक

लेपचा, श्री एस.पी.

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राजेश

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त

शांडिल्य, (कर्नल सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिवकुमार, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

शेरवानी, श्री सलीम आई

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

*संघाणी, श्री दिलीप

सईद, श्री पी.एम.

सनदी, प्रो. आई.जी.

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्रीमती सुशीला

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री तारांचद

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, कुंवर अखिलेश महाराजगंज

सिंह, कुंवर सर्वराज

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री जयभद्र

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

टीएच, चाओबा

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज)

सिंह, श्री बलबीर

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामजीवन (बलिया)

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्री साहिब

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सिंह देव, श्री के.पी.

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजी लाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाईं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

*हमीद, श्री अब्दुल्ला

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

विपक्ष में

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है:

पक्ष में : 409

विपक्ष में : 2

"प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2, अनुच्छेद 16 का संशोधन

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1,-

पंक्ति 10 के पश्चात

"स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षण का अवधारण करने में आर्थिक मानदण्ड लागू नहीं होंगे।" (1)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: दीर्घाएँ पहले से ही खाली हो चुकी हैं। अब मैं खण्ड 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें।"

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से अपना मतदान किया।

पक्ष में : 409+प्रो. चमन लाल गुप्त, श्री चंद्रेश पटेल, श्री दिलीप संघाणी, श्री दिनेश चन्द्र यादव, कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली, श्री दीपक कुमार, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री पी.सी. थामस, श्री बसुदेव आचार्य, श्री पवन कुमार बंसल, श्री अब्दुल हमीद, श्री आत्माराम भाई पटेल - 421

विपक्ष में: 1 (-श्री पवन कुमार बंसल ने पर्ची के माध्यम से पक्ष में मतदान देकर गलती को सुधारा) - 01

अपराह्न 1.07 बजे

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या 7] [अपराह्न 1.07 बजे]

पक्ष में

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अम्बरीश, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

*आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

ईडन, श्री जार्ज

*उमा भारती, कुमारी

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

ए. नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी.डी.

कटारिया, श्री रतन लाल

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारमंगलम, श्री पी.आर.

कुरुप, श्री सुरेश

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णदास, श्री एन.एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खावरी, श्री बृजलाल

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

गामलिन, श्री जारबोम

गालिब, श्री जी.एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गीते, श्री अनंत गंगाराम

*गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

*चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर)

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री निखिल कुमार

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री समर

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती रेणुका

*चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्य नारायण

जयशीलन, डा. ए.डी.के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए.सी.

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन, बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

ठाकुर, श्री रामशेठ

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

ढूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिरुनावकरसू, श्री

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित वरण

*तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

थामस, श्री पी.सी.

वग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दाहाल, श्री भीम

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरवानी

दीपक कुमार, श्री

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

देवी, श्रीमती कैलाशो

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नीतिश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री दहयाभाई वल्लभभाई

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांजा, श्री अजित कुमार

पांडियन, श्री पी.एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री शिवराज वी.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पायलट, श्री राजेश

पार्थसारथी, श्री बी.के.

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पासी, श्री सुरेश

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

*प्रसाद, श्री जितेन्द्र

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारुक, श्री एम.ओ.एच.

बंगरप्पा, श्री एस.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह

बचदा, श्री बची सिंह रावत

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी.एम.

बन्शीवाल, श्री जी.एम.

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल

बब्बन राजभर, श्री

बब्बर, श्री राज

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़, श्री जे.एस.

अय्यर, श्री रमेश

बलिराम, डा.

बसवनागौड़, श्री कोलूर

बालू, श्री टी.आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोस, श्रीमती कृष्णा

बौरी, श्रीमती संध्या

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगत, प्रो. दुखा

भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव. श्री गिरधारी लाल

भौरा, श्री भान सिंह

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलयसामी, श्री के.

*मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.

मल्होत्रा, डा. विजयकुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

माने, श्री शिवाजी

माने, श्रीमती निवेदिता

मायावती, कुमारी

मारन, श्री मुरासोली

मल्याला, श्री राजैया

मिश्र, श्री राम नगीना

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस.बी.

मुण्डा, श्री कडिया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर

मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहले श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

यादव, श्री अखिलेश

यादव, डा. जसवंत सिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री बलराम सिंह

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री रमाकान्त

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

रमैया, डा. बी.बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए.

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी.पी.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामशकल, श्री

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री विष्णु पद

राय, श्री सुबोध

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, श्री डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री वाई.वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावत, श्री रामसागर

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेनु कुमारी, श्रीमती

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

लाहिड़ी, श्री समीक

लेपचा, श्री एस.पी.

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राजेश

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त

शहाबुद्दीन, मोहम्मद

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिवकुमार, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

शेरवानी, श्री सलीम आई

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

संघाणी, श्री दिलीप

सईद, श्री पी.एम.

सनदी, प्रो. आई.जी.

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री तारांचद

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कुंवर सर्वराज

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, श्री खेलसाय

*सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

*सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री जयभद्र

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, टीएच. चाओबा

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बलबीर

*सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्री साहिब

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, सरदार बूटा

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सिंह देव, श्री के.पी.

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजी लाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

सवाईं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से अपना मतदान किया।

पक्ष में: 405+कुमारी उमा भारती, प्रो. चमन लाल गुप्त, श्री चन्द्र प्रताप सिंह, श्री बहादुर सिंह, डा. रमेश चन्द तोमर, श्री छत्रपाल सिंह, श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, श्रीमती संतोष चौधरी, श्री बसुदेव आचार्य, श्री जितेन्द्र प्रसाद - 416

अनुपस्थित: 1 - श्री बहादुर सिंह (शुद्धि के पश्चात् पक्ष में माना गया)-शून्य

विपक्ष में

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है:

पक्ष में : 405

विपक्ष में : 1

"प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 2

"(नब्बेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2000" के स्थान पर "(इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं खण्ड 1 को, संशोधित रूप में, सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: दीर्घाएँ पहले से ही खाली हो चुकी हैं। अब मैं प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

अपराह्न 1.09 बजे

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 8] [अपराह्न 1.09 बजे

पक्ष में

अजय कुमार, श्री एस.

अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

*अम्बरीश, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

ईडन, श्री जार्ज

उमा भारती, कुमारी

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी. (नामनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी.डी.

ओला, श्री शीश राम

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारामंगलम, श्री पी.आर.

कुरूप, श्री सुरेश

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णदास, श्री एन.एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजु, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णस्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खान, श्री हसन

खाबरी, श्री बृजलाल

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

गामलिन, श्री जारबोम

गालिब, श्री जी.एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गीते, श्री अनंत गंगाराम

*गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलिया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री समर

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती रेणुका

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए.डी.के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए.सी.

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन, बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

ठाकुर, श्री रामशेठ

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिरुनावकरसू, श्री

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित वरण

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

थामस, श्री पी.सी.

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दाहाल, श्री भीम

*दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दीपक कुमार, श्री

दुराई, श्री एम.

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष महोन

देवी, श्रीमती कैलाशो

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतिश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांजा, श्री अजित कुमार

पांडियन, श्री पी.एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री बसनगौड़ा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटील, श्री शिवराज वी.
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार
पायलट, श्री राजेश
पार्थसारथी, श्री बी.के.
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री राजनारायण
पासी, श्री सुरेश
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.
प्रसाद, श्री जितेन्द्र
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
प्रेमाजम, प्रो. ए.के.
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फारूक, श्री एम.ओ.एच.
बंगरप्पा, श्री एस.
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
बंसल, श्री पवन कुमार
बखला, श्री जोवाकिम
बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह
बचदा, श्री बची सिंह रावत
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी.एम.
बन्शीवाल, श्री श्याम लाल
बब्बन राजभर, श्री
बब्बर, श्री राज
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
बराड़, श्री जे.एस.
बसवनागौड़, श्री कोलूर
बर्मन, श्री रनेन
बलिराम, डा.
बालू, श्री टी.आर.
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
बोस, श्रीमती कृष्णा
बौरी, श्रीमती संध्या
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगत, प्रो. दुखा
भगोरा, श्री ताराचन्द
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भौरा, श्री भान सिंह
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
मरांडी, श्री बाबू लाल
मलिक, श्री जगन्नाथ
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महताब, श्री भर्तृहरि
महतो, श्री बीर सिंह
महतो, श्रीमती आभा
महरिया, श्री सुभाष
महाजन, श्री वाई.जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
मांझी, श्री रामजी
मांझी, श्री परसुराम
माने, श्री सिवाजी
माने, श्रीमती निवेदिता
मायावती, कुमारी
मारन, श्री मुरासोली
मल्याला, श्री राजैया
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री एस.बी.
मुण्डा, श्री .कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.
मेहता, श्रीमती जयवंती
मोल्लाह. श्री हन्नान
मोहन, श्री पी.
मोहले श्री पुन्नू लाल
मोहिते, श्री सुबोध
यादव, श्री अखिलेश
यादव, डा. जसवंत सिंह
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री रमाकान्त
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
येरननायडू, श्री के.
रमण, डा.
रमैया, डा. बी.बी.
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजा, श्री ए.
राजूखेडी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेन्द्रन, श्री पी.
राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राधाकृष्णन, श्री सी.पी.
राधाकृष्णन, श्री पोन
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.
रामैया, श्री गुनीपाटी
राय, श्री विष्णु पद
राय, श्री सुबोध

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, श्री डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री वाई.वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

*रावत, श्री रामसागर

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेनू, कुमारी श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

लेपचा, श्री एस.पी.

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राजेश

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

बुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शर्मा, श्री विष्णु दत्त

शहाबुद्दीन, मोहम्मद

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिवकुमार, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

शेरवानी, श्री सलीम आई.

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

संघाणी, श्री दिलीप

सईद, श्री पी.एम.

सनदी, प्रो. आई.जी.

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्रीमती सुशीला

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचंद

सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिंह, कुंवर अखिलेश
सिंह, कुंवर सर्वराज
सिंह, कैप्टन (सेवानवृत्त) इन्द्र
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, राजकुमारी रत्ना
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र भूषण
सिंह, श्री चन्द्र विजय
सिंह, श्री चन्द्रनाथ
सिंह, श्री छत्रपाल
सिंह, श्री जयभद्र
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री दिग्विजय
सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री बृजभूषण शरण
सिंह, श्री महेश्वर
सिंह, श्री राजो
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्री साहिब
सिंह, श्रीमती कान्ति
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह, सरदार बूटा
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री मनोज
सिन्हा, श्री यशवन्त
सिंह देव, श्री के.पी.
सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.
सुब्बा, श्री एम.के.
सुमन, श्री रामजी लाल
सुरेश, श्री कोडीकुनील
सेठ, श्री लक्ष्मण
सेठी, श्री अर्जुन
सेन, श्रीमती मिनाती
सेनगुप्ता, डा. नीतिश
सेल्वागनपति, श्री टी.एम.
सोमैया, श्री किरीट
सोराके, श्री विनय कुमार
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह
स्वाईं, श्री खारबेल
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
हंसदा, श्री थामस
हमीद, श्री अब्दुल
हान्दिक, श्री विजय
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम*

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने अपना मतदान पर्चियों द्वारा किया:
पक्ष में : 418+प्रो. चमन लाल गुप्ता, श्री किशन लाल दिलेर, श्री राम सागर रावत, श्री राम रघुनाथ चौधरी, श्री अम्बरीश - 423

इस प्रकार है:

पक्ष में : 418

विपक्ष में : 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब यह सभा शून्य काल पर चर्चा करेगी। श्रीमती रेणुका चौधरी।

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम): महोदय, मैं आंध्र प्रदेश के खम्माम निर्वाचन क्षेत्र के जिला कलेक्टर के विरुद्ध विशेषाधिकार का गंभीर मामला उठाना चाहती हूँ। इस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है और हमें सूचना एकत्र करने से रोका है। *...(व्यवधान)* इसने मुझे एक संसद सदस्य के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करने से रोका है और संसद की एक अन्य महिला सदस्या का भी अपमान किया था। *...(व्यवधान)* उसने उनकी जाति का अपमान किया था। *...(व्यवधान)* उसने हम दोनों को धमकी दी थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको मालूम होना चाहिए कि आपने विशेषाधिकार का नोटिस दिया था। मैं इस पर विचार कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमने इस मामले के तथ्यों की मांग पहले ही मांग **कर** चुके हैं।

श्रीमती रेणुका चौधरी: जी नहीं, महोदय, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, इस समय आप कुछ नहीं कह सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह मेरे विचाराधीन है.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्रीमती रेणुका चौधरी: महोदय, एक अन्य महिला सदस्या, जो विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही है, ने भी मुझे इस मामले के संबंध में बोलने की अनुमति दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं एक-एक करके बुलाऊंगा। आज मुझे 47 नोटिस मिले हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला सरोज (मिसरिख): अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो कल प्रदर्शन किया था, मैं आपको यह अखबार दिखाना चाहती हूं कि वहां पर एक भी महिला पुलिस नहीं थी। *...(व्यवधान)* पुलिस ने जबर्दस्ती एक महिला को ऊपर उठा लिया। *...(व्यवधान)* मैं सदन के सामने दिखाना चाहती हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगर आप इस मामले के संबंध में शून्य काल में यह मामला उठाना चाहते हैं तो सभा की कार्यवाही चलाना काफी कठिन होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास एक सूची है। मैं एक-एक करके बुलाऊंगा। इस तरह से नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला सरोज: अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका नहीं है। *...(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में जहां से हम लोग चुनकर

[श्रीमती सुशीला सरोज]

आये हैं, वहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं चाहे वह गरीब महिला हो या सवर्ण महिला हो। महिलाओं के ऊपर अत्याचार किये जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* सीतापुर जिले में एक महिला और उसके पति को ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बाद में बोलिएगा। आप बैठिए। आप इसके बाद बोलिए। इसके बाद आपको बुलाऊंगा। अभी आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सुरेश कुरूप जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ निर्दयता पूर्वक पुलिस का व्यवहार ...*(व्यवधान)* जब महिलाएं वहां प्रदर्शन कर रही थीं तो महिला पुलिस का रहना अनिवार्य था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणुका चौधरी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस मामले को पहले ही उठा चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले मेरी बात सुनिए। यह सब क्या है

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी: वह बोलना चाहती हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप उनके नाम की सिफारिश क्यों कर रही हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह सीधे ही मामले को उठा सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं; आप विशेषाधिकार से संबधित मामला उठा चुके हैं। आप नोटिस दे चुके हैं। यह मेरे विचाराधीन है। मैं तथ्यों की मांग पहले ही कर चुका हूँ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस तरह मामला कैसे उठा सकते हैं?

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, यह बहुत ही ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। ...*(व्यवधान)* आगरा के लोग प्रधान मंत्री जी के आवास पर पानी मांगने के लिए जब धरना दे रहे थे, उस समय महिला प्रदर्शनकारियों के साथ जिस बेरहमी, निर्दयता और असभ्यता का व्यवहार पुलिस सिपाहियों के द्वारा किया गया, यह निहायत ही शर्मनाक है। ...*(व्यवधान)* इससे यह साफ है कि महिलाओं के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगर आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर): जो सरकार पानी तक नहीं पिला सकती, उसको एक मिनट भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब यह सभा अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.22 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर बाईस मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए।]

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, श्री राम जेठमलानी भारतीय कम्पनी (विदेशी हित) अधिनियम, 1918 और कम्पनी लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन अधिनियम, 1974 का निरसन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानल): कलेक्टर ने इस महिला का अपमान किया है। वह विशेषाधिकार नोटिस की बात कर रही है। कलेक्टर ने महिला संसद सदस्या का अपमान किया है।

सभापति महोदय: वह यह मामला कल उठा सकती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला सरोज (मिसरिख): महोदय, महिलाओं की समस्या का मामला है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अभी बैठ जाइए, कल बोलिए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आप लंच के बाद भी रोज जीरो ऑवर चलाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप सदन के साथ ऐसे मत करिए। *...(व्यवधान)* मैं आपकी बात मानता हूं। आप इस पर कल बोलिए और जितना चाहे बोलिए, लेकिन ऐसा मत करिए। यह ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)* आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, हमारी बात सुन लीजिए, यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए। आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप जीरो ऑवर में इस मामले को उठा चुके हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, यह गंभीर मामला है, आप सुन लें। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप महिलाओं की बात को सुन लें।

सभापति महोदय: सुमन जी, आप बैठ जाइये।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, महिलाओं का मामला है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुशीला सरोज: सभापति जी, महिलाओं की समस्या है, आप दो मिनट का समय दीजिए। *...(व्यवधान)* यह किसी एक दल की बात नहीं है, पूरे महिला समाज की बात है, आप दो मिनट का समय दे दीजिए।

सभापति महोदय: आज नहीं, कल बोलियेगा, कल इजाजत मिलेगी।

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, गंभीर मामला है, प्रदर्शन के दौरान कोई महिला पुलिस नहीं थी। पुलसि ने महिलाओं पर लाठी बरसाई हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला सरोज: सभापति जी, गर्मी के कारण जलस्तर बहुत नीचे चला गया है और लोग वहां पर एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आगरा से सासंद श्री राज बब्बर के नेतृत्व में अपनी मागों को लेकर महिलाएं दिल्ली आई थीं। आज आपने अखबारों में भी देखा होगा। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है।

सभापति महोदय: इस बात को खुद राज बब्बर जी कल उठा चुके हैं। वे खुद इस पर कल बोल चुके हैं।

श्रीमती सुशीला सरोज: मैं माननीय सांसदों से भी चाहूंगी कि वे इस मसले पर सहयोग दें। यह कोई समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की बात नहीं है, यह महिलाओं पर ज्यादती की बात है। जब भी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आती हैं तो महिला पुलिस को न लगाकर पुरुष पुलिसकर्मियों को लगाया जाता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सुशीला सरोज]

है, जो महिलाओं को निर्वस्त्र करते हैं। यह गंभीर मामला है। इस पर महिलाओं की एक समिति बनाकर इस मामले की जांच करवाई जाये तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अपराह्न 2.30 बजे

भारतीय कम्पनी (विदेशी हित) और कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) निरसन विधेयक*

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि भारतीय कंपनी (विदेशी हित) अधिनियम, 1918 और कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) अधिनियम, 1974 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक स्वच्छता अभियान है। यह हमारी संविधि पुस्तक के उन 1,300 संविधियों का ही हिस्सा है जिनको विशेषज्ञों ने एकदम अप्रचलित और निरर्थक घोषित किया है। धीरे-धीरे, हर बार, हमारे पास मंत्रालय से संबंधित और उनके निरसन से संबंधित ऐसे दो अथवा तीन मामले आ रहे हैं। उनको निरसित करना ही होगा क्योंकि वे अप्रचलित और निरर्थक हो गए हैं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि भारतीय कंपनी (विदेशी हित) अधिनियम, 1918 और कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) अधिनियम, 1974 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मुझे नहीं लगता कि इस विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा की कोई आवश्यकता है।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। सभा को इस तथ्य की जानकारी होगी ही कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा और प्रशासन के सभी पहलुओं में प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे।

जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश का आर्थिक परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहा है। आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप कानूनों को बदलना होगा, प्रक्रियाओं को बदलना होगा और अप्रचलित कानूनों को निरसित करना होगा, रद्द करता होगा अथवा नए कानूनों में विलय करना होगा। इस विशेष अधिनियम और परवर्ती विधेयक जो इस सभा में कुछ समय के बाद आएगा, का उद्देश्य यही है।

1991-92 तक भारतीय अर्थव्यवस्था कमान अर्थव्यवस्था थी। सार्वजनिक क्षेत्र ने कमान ऊंचाईयों को छुआ था। परन्तु वर्तमान समय में बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है जब आप बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में जाएंगे तो हमें नई प्रक्रियाओं और नए अधिनियमों के बारे में सोचना होगा।

आपको जानकारी होगी कि विधि आयोग ने अपनी 159वीं रिपोर्ट में सलाह दी थी कि कई अप्रचलित कानूनों को बदला जाना चाहिए। उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1998 में एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, श्री जैन की अध्यक्षता में जैन आयोग का गठन किया गया था। जैन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कुछ कानूनों को बदलने की आवश्यकता है ताकि जो अर्थव्यवस्था पूर्णत: एक अलग रुख अपना रही है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कानूनों को लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को सुगम बनाना होगा। पहले पारित हुए बहुत से अधिनियमों को बदलने की आवश्यकता है। इन कानूनों को बदलने समय नीति गत प्रक्रिया को ध्यान में रखना होगा। नीतिगत प्रक्रिया की मौजूदा कठिनाई चौगुनी है। कठिनाइयां चौगुनी हैं। बहुपक्षीय एजेंसियों के बढ़ते हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप स्वायत्ता में कमी आ रही है, केन्द्रीकरण बढ़ रहा है, स्वनिन्दा का संकट और चौथा संकट विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच का है। जो कानून अब निरसित किये जा रहे हैं वे विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच की अंतिम श्रेणी से संबंधित है।

दो बहुत पुराने अधिनियम, से एक 1918 का और दूसरा 1974 का है, जिनको निरसित करने का प्रस्ताव है और यह उचित भी है। मैं विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973 का एक उदाहरण देता हूँ। अधिनिर्णयन बोर्डों की स्थापना की गई थी और इस प्रकार की सभी बातें उसमें थीं। परंतु 1999 में इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए पुन: परिवर्तन कर दिया गया। यहां विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार के संबंध में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया चालू है और विदेशी व्यापार में पिछले दो वर्षों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 10.5.2000 में प्रकाशित।

मैंने अभी नीतिगत संकट का चौथे संकट के रूप में उल्लेख किया था। शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, चालू खातों की परिवर्तनीयता, विदेशों में भारतीय निवेशों का उदारीकरण, बाह्य वाणिज्यिक ऋणों की बढ़ती पहुंच और विदेशी संस्थानों के पूंजी निवेशकों की भागीदारी इन सभी बातों ने आर्थिक दृश्य बदल दिया है। पहले के अप्रचलित कानूनों का निरसन करना होगा ताकि हम सुधारों के सुचारू कार्यकरण से आगे बढ़ सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारीलाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, यह सत्य है कि लॉ कमीशन जब से बनाया गया है, उसमें 1300 कानून अलग अलग मंत्रालय के हैं जो सदन के सामने लाये जायेंगे, वे निष्क्रिय कानून हो गये हैं, उनका किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं रहा है। हमारी एन.डी.ए. की सरकार चाहत है कि जिन पुराने कानूनों से जनता में अड़चन आ रही है, वे समाप्त हों और जनता के हित में नये कानून बनाये जायें। माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, लॉ कमीशन और जैन कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने आनी थी जिसके आधार पर यह कानून समाप्त किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लाइब्रेरी में उसकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री जे से मेरा निवेदन है कि वे अधिकारियों को ताकीद करें, यदि यह रिपोर्ट सदन में आ जाती तो हम लोगों का ज्ञानवर्द्धन हो जाता। इस बिल में आगे कहा गया है कि इस पर विचार हो सकता है। सरकार ने इस बारे में यह अच्छा कदम उठाया है क्योंकि कमीशन की रिव्यु रिपोर्ट 8.5.1998 की है जब यहां कांग्रेस पार्टी का राज था। यदि वह रिपोर्ट आ जाती तो अच्छा होता। यह आजादी से पहले का एक्ट है, जो बहुत पुराना हो गया है। आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, पुराना युग बीत गया है, इसलिए आप नया कानून लेकर आयेंगे।

सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि सरकार भारतीय कम्पनी (विदेशी हित अधिनियम, 1918 और कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) अधिनियम, 1974 का निरसन कर नया विधेयक लायंगे और लॉ कमीशन की रिव्यु रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश करेंगे ताकि आने वाले विधेयक पर विचार कर सकें।

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी: मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो यहां पर बोले हैं और उससे अधिक उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो यहां पर नहीं बोले।

डा. बी.डी. रमैया (एलूरु): सभापति महोदय, जो आयोग 1998 में नियुक्त किया गया था वह मुख्यत: उन अधिनियमनों के बारे में सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था जो पुराने और अप्रचलित हो गए हैं। जैसे कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि वर्तमान विधेयक उन अधिनियमों से संबंधित है जो वर्ष 1918 और 1974 से संबंधित हैं और पुराने तथा अप्रचलित हो गए हैं। हम जानते हैं कि हमने लाभांश और अन्य वस्तुओं पर पाबंदी लगाई थी। चूंकि आधारभूत विकास में विदेशी निवेश के लिए हमारी संसाधनों की आवश्यकता इतनी ज्यादा है कि हमें इसकी बाहर से भी आवश्यकता पड़ती है। अत: हमने पहले जो भी पाबंदियां लगाई हैं हम उन्हें रद्द करना चाहते हैं। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि हमें इन अधिनियमों का निरसन करने के लिए सही कदम उठाना होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अप्रवासी भारतीयों और अन्य एजेंसियों को निधियां लाने के लिए आकर्षित करना होगा क्योंकि फूटी अर्थव्यवस्था बाजार की स्थिति के वर्तमान परिदृश्य से जुड़ी हुई है। अब हमें वर्तमान स्थिति को देखना होगा। वर्तमान परिस्थितियों में जब तक हम अपने को विश्व की अर्थव्यवस्था के अनुरूप नहीं ढाल लेते तब तक हमें अधिक आकर्षक निबंधन और शर्तें प्राप्त नहीं होंगी और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन और बचत नहीं है। इसे देखते हुए हमें वर्तमान स्थिति के अनुसार चलना होगा। मैं दृढ़ता से इसका समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय कंपनी (विदेशी हित) अधिनियम, 1918 और कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) अधिनियमन, 1974 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बना।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री राम जेठमलानी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.41 बजे

प्रत्यक्ष-कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री यशवन्त सिन्हा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि प्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ अधिनियमनों को निरस्त करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार): महोदय अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री यशवन्त सिन्हा की ओर से मैं प्रत्यक्ष कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

यह विधेयक प्रत्यक्ष करों से संबंधित कुछ अधिनियमनों के निरसन से संबंधित है जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। प्रशासनिक कानूनों की पुनरीक्षा के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा श्री पी सी जैन की अध्यक्षता में 8 मई 1998 को एक आयोग गठित किया गया था। इस आयोग का गठन प्रत्यक्षत: प्रशासनिक कानूनों की पुनरीक्षा करने और निरसन के लिए सिफारिशें करने/कानूनों में संशोधन के लिए किया गया था। सांविधिक पुस्तक को ठीक करने के लिए आयोग ने निरसन के लिए कुछ कानूनों की सिफारिश और पहचान की है क्योंकि उन कानूनों की जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है।

आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने विधेयक की अनुसूची में उल्लिखित प्रत्यक्ष करों से संबंधित 18 अधिनियमनों के निरसन का निर्णय लिया है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि जिन विनियमों का अभी निरसन होना है उनके प्रावधानों के अंतर्गत किया गया कोई कार्य, विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत बच जाए और जो कुछ नहीं किया गया समझा गया उसको इस विधेयक के पारित होने से, जिसे मैं अब सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ कोई कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:*

"प्रत्यक्ष करों से संबंधित कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"प्रत्यक्ष करों से संबंधित कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री चरकला राधाकृष्णन् (चिरायिंकिल): महोदय, प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं कुछ असंगतियों की ओर संकेत करना चाहता हूँ। अब यह एक शोध कार्य है और कुछ शोध कार्य अभी पूरा किया जाना होगा। इस अधिनियम से 18 केन्द्रीय कानूनों का निरसन कर दिया गया है जिसका दैनिक जीवन में तथा सरकारी कार्यसंचालन में प्रयोग नहीं था। इन 18 अधिनियमों को, जो लागू नहीं थे, अब एक अधिनियम-प्रत्यक्ष-कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन विधेयक से निरसन कर दिया गया है।

यहाँ आखिरी मद में दो अध्यादेश शामिल किए गए हैं। एक अध्यादेश 1942 में जारी किया गया था। 1942 में जारी किए गए इस अध्यादेश को इस अधिनियम द्वारा निरस्त किया जाना है मैं इसके पीछे के तर्क को समझ नहीं पाया।

इसका निरसन क्यों किया जाना चाहिए? इसे पहले ही जबरदस्ती निरस्त कर दिया गया है। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक अध्यादेश पुर:स्थापित किया था। हमारे स्वतंत्रता अधिनियम ने एक सांविधिक नियम से इन सब असंगतियों को दूर कर दिया है। यह अध्यादेश इस स्वतंत्रता अधिनियम से समाप्त हो जायेगा। यह विधि में हो सकता है परन्तु इसे निरस्त करने की आवश्यकता नहीं हो सकती।

फिर एक अन्य अध्यादेश है दि एक्सेस प्राफिट टैक्स एक्ट 1940 अतिरिक्त लाभ कर अध्यादेश, यह अध्यादेश ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रस्थापति किया गया था मुझे यह नहीं पता कि यह स्वतंत्रता से पूर्व था या बाद में यदि यह स्वतंत्रता के पश्चात् था तो इसे केन्द्रीय विधायकों द्वारा छ: सप्ताह की अवधि के भीतर स्वीकृति प्रदान की जानी थी। यदि यह मामला है तो मुझे 1943 के अतिरिक्त लाभ कर अध्यादेश को निरस्त किये जाने के पीछे कोई तर्क दिखाई नहीं देता।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 10.5.2000 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

फिर एक और अधिनियम है 1926 का दि सरकारी व्यापार कराधान अधिनियम, इस अधिनियम को भी ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। मुझे अभी भी संदेह है कि यह अधिनियम मान्य है अथवा नहीं सांविधिक दर्जा प्राप्त किये बिना यह अधिनियम अब स्वयं निरस्त हो गया है। अत: इसे निरस्त करने के लिए इस प्रकार के संशोधित अधिनियम की आवश्यकता नहीं थी। यदि सरकार सांविधिक पुस्तक में से कुछ अधिनियम करना चहती है तो ठीक है। परन्तु वैधानिक रूप से इन अधिनियमों को निरस्त करने के लिए इस संशोधित विधेयक की आवश्यकता नहीं है।

महोदय 1940 का अतिरिक्त लाभकर अधिकारिक नामक एक और अधिनियम है। यह सांविधिक पुस्तिका में शामिल है। परन्तु कौन इसकी परवाह करता है? हमें इसे निरस्त करने को क्यों कहा जा रहा है? यह सम्माननीय सभा में है। हमारा चुनाव यहाँ कुछ काम करने के लिए हुआ है परन्तु अब सरकार अंग्रेजों द्वारा पारित अधिनियमों को, जो इतिहास की वस्तु बन चुके हैं। निरस्त करवाने के लिए सभा के समक्ष आई है। आज इनकी कोई संगतता नहीं है परन्तु फिर भी इन्हें निरस्त करना होगा।

अब इस प्रावधान की रक्षा के लिए विधेयक में एक रक्षक खण्ड के रूप में एक खण्ड 3 जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है।

"इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमित के निरसन से,-

(क) किसी ऐसी अन्य अधिनियमिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसको निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, जिसमें वह सम्मिलित की गई है या जिसके प्रति वह निर्दिष्ट की गई है;

(ख) पहले की गई या सहन की गई किसी बात अथवा पहले ही अर्जित, उद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, उन्मुक्ति, बाध्यता या दायित्व या उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से निर्मोचन या उन्मोचन अथवा पहले दिए गए किसी परित्राण या किसी पूर्त कार्य या बात के सबूत की विधिमानयता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही वह, यथास्थिति, इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से प्रतिज्ञान का मान्यताप्राप्त या व्युत्पन्न क्यों न हुए हों;

इसमें आगे यह भी कहा गया है:-

"उपधारा (1) में उल्लिखित विशिष्ट विषय, निरसनों के प्रभाव की बाबत, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या उसे प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।"

खण्ड 3 में सब कुछ सम्मिलित है। जो कुछ भी किया जाता है उसे खण्ड 3 में अपवाद की संज्ञा दी जाती है। यदि इन सभी 18 सांविधिक अधिनियमितियों के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ किया जा सकता है तो इन अठारह अधिनियमितियों के प्रावधानों के अंतर्गत की गई कार्यवाही वैध ठहराई जाती है। इन सांविधिक अधिनियमितियों के निरसन की कोई आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आती। इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता।

अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह स्थिति स्पष्ट करें। यदि मंत्री महोदय इन अधिनियमों को शामिल करने के वैध कारण बताएँ जो इतिहास का अंग बन चुके थे, तो मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूँ। मन लीजिए यदि आपको कराधान संबंधी मार्गनिर्देश मिलें तो कुछ सांविधिक अधिनियमितियां हैं जो कराधान के प्रावधानों के अंतर्गत भी नहीं आते।

उदाहरणार्थ स्वैच्छिक निक्षेप (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम 1991 लें। कराधान के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई राशियां भी शामिल हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह यह स्पष्ट करें कि उन्होंने निरसन विधेयक में ये 18 सांविधिक अधिनियमितियां क्यों शामिल की हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम.वी.वी.एम. मूर्ति (विशाखापट्टनम): सभापति महोदय, इस निरसन विधेयक का उद्देश्य लोगों के दिमाग में पैदा हुये भ्रम को दूर करना है। यह विधेयक अनेक अधिनियमितियों को निरस्त करने के लिए लाया गया है जो संविधान पुस्तिका में मात्र विद्यमान है। इन सभी अधिनियमितियों को समेकित करने के लिए प्रत्यक्ष कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित किया गया। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वैच्छिक निक्षेप (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम 1991 को इसमें शामिल किया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि 8 मई 1998 की सिफारिश के अनुरूप कुछ अन्य विधेयकों के निरसन की भी सम्भावना है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वे एक व्यापक विधेयक को संसद में प्रस्तुत करें ताकि उन्हें बार-बार अधिनियमितियों को निरस्त करने के लिए संसद में न आना पड़े। एक समेकित निरसन विधेयक बेहतर होगा। इससे संसद में बार-बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन: टुकड़ों में निरसन अच्छा नहीं होगा।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: टुकड़ों में अधिनियमितियों के निरसन की बजाय एक व्यापक अधिनियम लानी होगी ताकि यह स्पष्ट रहे कि कौन-कौन से अधिनियम लागू हैं और कौन से अधिनियम लागू नहीं होते।

इन शब्दों के साथ मैं प्रत्यक्ष कर विधि प्रकीर्ण निरसन विधेयक 2000 का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सन् 1998 में सरकार ने फैसला लेकर एक आयोग का गठन किया। इसके तहत जो कानून अनावश्यक हैं या प्रयोग में आने वाले नहीं हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि ज्यादा कानून रहने से बड़ा झमेला होता है। इसी कारण हम कई दिनों से देख रहे हैं कि जो पुराने कानून हैं, वे रिपील के लिए, निरसन के लिए आ रहे हैं। वित्त मंत्री जी, अभी जो विधेयक रिपील करने के लिए लाये हैं, वह हमें बड़ा खतरनाक मामला दिखता है। वह खतरनाक इसलिए है कि इसके उद्देश्य और कारण बहुत संक्षिप्त हैं। ये एक साथ 20 पुराने कानूनों को रिपील कर रहे हैं। इसके लिए केवल इन्होंने चार लाइनों का उद्देश्य दिया है। इसमें भी नहीं बताया गया कि वह कानून बेकार था, किसी गड़बड़ी के चलते लागू नहीं हुआ या इसके बदले कोई दूसरा कानून बन गया है। अगर इस तरह से गड़बड़ी होगी और 20 कानूनों को एक साथ खत्म किया जायेगा, तो वह ठीक नहीं है। ये सभी उपयोगी कानून हैं। आप कैसे इन कानूनों को खत्म कर रहे हैं, इस बारे में सदन को कुछ भी नहीं बताया।

मैं एक-एक कानून के बारे में बताऊंगा। आयोग ने आपको रिपोर्ट दे दी और उस रिपोर्ट के अनुसार आप एक झटके में 20 कानूनों को एक कलम से खत्म कर रहे हैं। इसमें एक आय और धन स्वैच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976 है, यानी आमद और धन को प्रकट करने का एक कानून बना हुआ था। क्या इस कानून के बदले दूसरा कोई कानून बना है? इसे जान-बूझकर लागू नहीं किया गया। देखने में तो यह कानून ठीक लगता है। आय और धन स्वैच्छया प्रकटन में कितनी आमदनी है और धन कितना है, उसको प्रकट करना होता है ताकि देश के लोग इसे जानें। बहुत से लोग नाजायद आमदनी करके धन जमा कर लेते हैं इसलिए यह कानून ठीक है। हमको लगता है कि सब कानून ठीक से लागू नहीं हुए और जानकारी के अभाव में 20 कानूनों को एक साथ खत्म करने के लिए आप यहां लेकर आये हैं। इसके बारे में आपने कुछ बताया भी नहीं है।

इसके बदले दूसरा कानून है या अनावश्यक हो गया या लागू क्यों नहीं हुआ, बताना चाहिए। बीस कानून खत्म कर रहे हैं और चार लाइन में उद्देश्य, कारण बताये हैं। हमें इस बात पर घोर आपत्ति है। कंपनी आयकर पर अधिभार अधिनियम-1971, यह कानून खत्म करके तथा आयकर संशोधन अधिनियम-1965, सम्पदा शुल्क वितरण अधिनियम-1962, सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953, इन सब कानून के बारे में कहीं भी इन्होंने जिक्र नहीं किया कि ये अनावश्यक कानून थे, लागू नहीं हुए। इंकम टैक्स एंड एक्सैस प्रॉफिट टैक्स (एमजैंसी) ऑर्डिनेंस 1942, अब इसे ही कैसे खत्म कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस तो छः महीने में ही लैप्स हो जाता है। इसको खत्म करने के लिए कैसे कानून लाये? एक कानून नहीं, बीस कानून को खत्म कर देंगे और एक लाइन नहीं बताई गई है कि ये सब लागू क्यों नहीं हुए या ये सब फालतू कानून थे, इसलिए हमें घोर आपत्ति है। माननीय मंत्री जी को बताना पड़ेगा कि बीसों कानून को एक ही कानून से क्यों खत्म कर रहे हैं? आय और धन स्वैच्छिक प्रकटन अधिनियम था, इसे क्यों खत्म कर रहे हैं? यह ठीक कानून है कि लोगों को अपना धन प्रकट करना चाहिए, इसे लागू होना चाहिए। टेलीफोन की डायरेक्टरी की तरह सब लोगों का धन उसमें लिखा रहना चाहिए, जैसे टेलीफोन का नंबर लिखा रहता है, उसी तरह से लोग उलटकर देख लेंगे कि इनका कितना धन कागज में है और असल में कितना धन है। यह गरीब आदमी के लिए कंजूस हैं, आम आदमी के लिए दरिद्र है लेकिन अमीर व्यक्तियों के लिए अमीर हैं। बीसों कानून को एक कानून से खत्म कर रहे हैं। सदन के लोग गरीब आदमी पर ध्यान नहीं देते। इस तरह के कानून को हमने देखा है और देखकर लगता है कि कोई न कोई इसमें पेंच है, खतरा है, इसलिए सरकार को बीसों कानून के संबंध में स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में इसकी क्या स्थिति है, क्यों लागू नहीं हुआ अथवा कोई नया कानून हुआ जिसके चलते ऐसा हुआ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय सभापति जी, बात वही की वहीं है कि 1300 कानून में संशोधन क्या वह रद्द हो जाएंगे। जो पुराना इंकम टैक्स एक्ट बना था, सदन में कई बार यह बात कही गई है कि इंकम टैक्स का नया कानून बनकर देश के सामने पेश होगा क्योंकि इंकम टैक्स कानून में बहुत से रद्दोबदल हो गए हैं जिसके कारण इंकम टैक्स देने वाले को और इंकम टैक्स लेने वाले को बहुत बड़ी कठिनाई होती है। मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि जो 8 मई को एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम बना था, उन्होंने जो-जो कहा है कि उन कानून को समाप्त कर दिया जाये। कांग्रेस के वक्त में आपका फॉर्मेट बना था, उसमे जो-जो बात कही गई है, माननीय मंत्री जी उस सारी बात को मान रहे हैं और मानकर उन सारे कानूनों को रिपील कर रहे हैं।

मेरा इतना ही निवेदन है कि इंकम टैक्स एक्ट नया बने, कब तक नया बन जाएगा क्योंकि सुनते-सुनते अनेक वर्ष हो गये हैं। 9वीं लोक सभा से मैं यहां पर सदस्य हूं और बार-बार सुन रहा हूं कि इंकम टैक्स एक्ट नया बनेगा, लोगों को राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि नया इंकम टैक्स एक्ट बनकर आये और जो ये कानून समाप्त हो रहे हैं, इनके बारे में आपको कोई विशेष बात नहीं कहनी है, जो नयी सरकार बनी है, जनता की सरकार बनी है, जनता से वोट लेकर हम यहां आये हैं, जनता के हितार्थ हम सारे कानून बनायें, मेरा इतना ही कहना है और इंकम टैक्स एक्ट नया कब तक बनकर आएगा, इस संबंध में भी उल्लेख करेंगे, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.00 बजे

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक के समर्थन में बोलने देने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह हमारी कानून प्रणाली के रास्ते में आई जटिलताओं को समाप्त करने तथा मूल स्थिति को वापस लाने के लिए एक उचित विधेयक है। मैं सरकार को गत शतक के 1920 के दशक की ओर अपना मस्तिष्क ले जाने संबंधी रोचक अनुसंधान की ओर ले जाने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ जब ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन में सभी के लिए आयकर अस्तित्व में आया ही था। तब सरकार व्यापार कराधान लायी थी। तब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दूसरा अधिनियम आया जब भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने व्यापार समुदाय से अर्जित लाभ का एक अंश साम्राज्य की रक्षा के लिए लेना चाहा। हमारी प्रणाली में कुछ परिस्थितियाँ कुछ अधिनियम को जन्म देती है परन्तु यह अधिनियम मूल परिस्थिति आने के बाद भी लागू रहा। भूमि का आर्थिक प्रशासनिक विस्तार खराब गंध उत्पन्न करता है तथा चारों तरफ जटिलताएँ उत्पन्न कर देता है। यह लाभ अध्यादेश अधिनियम, 1943 इस प्रकार का था। संयोगवश श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा उठाया गया मुद्दा जायज है। एक अध्यादेश सामान्य रूप से छह महीने के अन्दर अपनी वैधता खो देता है जब तक कि इसे कानून न बनाया जाये। लेकिन मैं नहीं जानता कि उस अध्यादेश का निरसन करना क्यों आवश्यक है जब यह अस्तित्व में नहीं है जबकि इसे उचित कानून में नहीं बदला गया।

इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे याद है श्री आर. वेंकटरमन वित्त मंत्री थे जब विशेष वाहक बंधपत्र (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1981 अस्तित्व में आया। यह योजना तीन माह की अवधि के अन्दर समाप्त होनी थी। मैं यह समझने में बिल्कुल असमर्थ हूँ कि उस कानून को सीधे-सादे ढंग से निरसित क्यों नहीं किया गया तथा हमारे पास ऐसे प्रावधान क्यों नहीं हैं जब यह कानून पारित किया गया था। जब वाहक बंधपत्र लिए गए, तब वह कानून अपने आप समाप्त हो जाना चाहिए था। यह मुझे आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1965 की याद दिलाता है। लेकिन आयकर अधिनियम को वास्तव में संशोधित करने में क्या हर्ज है?

जब आयकर शुरु हुआ, यह सामान्य सा अधिनियम था। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में (क) से (छ) तक तथा बाद में (कक), (खख) तथा (जज) विमुक्तियाँ जोड़ी गई। यह भी पर्याप्त नहीं था। आज जबकि आयकर दरों को काफी उचित बनाया गया है, सरकार क्यों नहीं जितना संभव हो, उतनी छूट से समाप्त कर देती है सिवाय उन्हें छोड़कर जो निर्यात या निवेश या रोजगार में सहायता प्रदान करती हैं? अन्य सभी छूट सीधी तरह से समाप्त कर देनी चाहिए तथा नये अधिनियम शुरू किये जाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे इस विधेयक का समर्थन करते हुए अत्यधिक खुशी हो रही है। अभी भी देरी नहीं हुई है। इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं इस वर्तमान सरकार को सही दिशा दिखाकर इन सभी अधिनियमों, जो अप्रचलित हो गए हैं तथा अस्तित्व में नहीं हैं, को समाप्त करने के लिए बधाई देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (धोसी): सभापति महोदय, डायरैक्ट टैक्स रिपील बिल पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

यह सही है कि इस देश और समाज को कानून के चाल से बचाना चाहिए। कुछ स्पष्ट और निश्चित कानून होने चाहिए, जिसको आम जनता समझ सके। यह बिल 18 अधिनियमों को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इससे संबंधित मैं कुछ बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बिल में आजादी के पहले के अधिनियम हैं, जो स्वाभाविक रूप से तत्कालीन अंग्रेजी साम्राज्यवाद का पक्ष-पोषण करते रहे होंगे।

महोदय, आजादी के बाद जो एक्ट्स बने हैं, वे निश्चित रूप से कुछ न कुछ सामाजिक, आर्थिक उद्देश्य रखते होंगे। डायरेक्ट टैक्स का जो प्रावधान किया गया था, वास्तव में वह इस देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए, देश में जो अमीर तबके के लोग हैं उनकी सम्पदाओं पर टैक्स लगा कर गरीब और कमजोर तबके के लोगों को सहायता देने के लिए किया गया प्रयास था। इस एक्ट को निरसित करने के कारण, एस्टेट ड्यूटी एक्ट, 1953 से जो राजस्व आता था वह एस्टेट ड्यूटी (डिस्ट्रीब्यूशन)

[श्री बालकृष्ण चौहान]

एक्ट, 1962 के तहत प्रदेशों को जाता था। अभी तक इन कानूनों के होने के बावजूद भी देश में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती चली जा रही है, सम्पदा कर निरसित करने के बाद स्थिति क्या होगी, यह भी स्पष्ट नहीं हैं।

महोदय, आज के जमाने में भी देश में ऐसे तमाम पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां दो-दो महिलाएं एक साड़ी में गुजारा करती हैं। हमारे देश के तमाम बेरोजगार किसान भूख से तिलमिला कर आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसी सिथति में अमीर तबकों को इसी तरह छोड़ देना और उनसे जो निर्धारित अंश लेते थे, उसे लेना बंद कर देना गरीबों के हित में नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको निरसन के पूर्व वैकल्पिक उपाय करना आवश्यक है और सम्पत्ति वाले लोगों पर टैक्स लगाना चाहिए। इस देश की तमाम आबादी ऐसी है जिनके पास अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी जमीन नहीं है और कुछ ऐसे तबकों के लोग हैं जिनके पास हजारों-हजार एकड़ जमीन है। इसलिए आजादी के बाद जो विधियां समाज को आगे बढ़ाने के लिए बनी हुई हैं, सभी तबकों के बीच में संतुलन और अमीरी-गरीबी की खाई को कम करने के लिए जो विधियां बनी हैं उन्हें निरसित करने से पहले उनका वैकल्पिक उपाय करने की कृपा करेंगे, यह मेरा मंत्री जी से निवेदन है।

श्री वी. धनंजय कुमार: सभापति महोदय, मै सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं तथा सरकार द्वारा किए गए उपायों का समर्थन किया है, को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने वरिष्ठ सहकर्मी श्री वरकला राधाकृष्णन, जिन्होंने कुछ शंकाएँ प्रकट की हैं, को धनय्वाद नहीं देना चाहता हूँ। डा. नीतिश सेनगुप्ता ने भी तीन अध्यादेशों को निरसित करने के सरकार के अभियान के संदर्भ में एक स्पष्टीकरण मांगा।

मैं आपके माध्यम से इस महान सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये तीन अध्यादेश युद्ध के समय पारित किए गए थे। चूंकि ये तीनों अध्यादेश विशेष प्रकृति के थे इनका जीवन स्थाई था। इस अर्थ में इनका जीवन स्थायी था जब तक कि इन्हें विरसित न किया जाए ये अध्यादेश लागू रहेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): ऐसी परिस्थितियों में अध्यादेश को विधायी मान्यता नहीं मिलेगी। बिना विधायी मान्यता के अध्यादेश किस प्रकार रह सकते हैं? अध्यादेश को बाद में कम से कम सेंट्रल लेजीस्लेचर से अनुमोदन कराना पड़ेगा। महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय: जब वह अपनी बात समाप्त करते हैं तब आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं सरकार की पहल का समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन जो अध्यादेश नहीं है उसे निरसित करने की प्रथा ठीक नहीं है।

श्री वी. धनंजय कुमार: महोदय ये तीनों अध्यादेश, दि इनकम टैक्स एण्ड एक्सेस प्रौफिट्स टैक्स इमर्जेन्सी ऑडिनेन्स 1942; इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स वेलिडिटी आर्डिनेंस 1943, एक्सेस प्रॉफिट्स टैक्स ऑडिनेन्स 1943 जैसा कि मैंने बताया, युद्ध के समय लागू किये गये थे। दि इनकम टैक्स एण्ड एक्सेस प्रौफिट्स टैक्स इमर्जैंसी आर्डिनेंस 1942 में आयकर एकत्रीकरण में दस्तावेजों तथा रिकार्डों के नुकसान से उत्पन्न कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के लिए बनाया गया था, तथा एक्सेस प्रौफिट्स टैक्स आर्डिनेन्स को नागरिक दंगों के कारण प्रख्यापित किया गया था। इन अध्यादेशों ने अपनी उपयोगिता पूरी कर ली। जहाँ तक इनकम टैक्स प्रोसिडिंग्स वेलिडीटी आर्डिनेंस, 1943 का संबंध है यह आयकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आयकर अधिकारियों की कतिपय नियुक्तियों को वैधता देने के लिए प्रख्यापित किया गया था। ऐतिहासिक महत्व का अध्यादेश होने के कारण इसने अपनी उपयोगिता खो दी है। तीसरा, एक्सेस प्रौफिट्स टैक्स आर्डिनेंस 1943 में एक्सेस प्रौफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1940 के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ के संबंध में कुछ प्रावधान करने के लिए प्रख्यापित किया गया था। जैसा कि मद संख्या 2 में ऊपर उल्लेख किया गया है, इस अधिनियम ने भी अपनी उपयोगिता खो दी है। अत एव, ये तीनों अध्यादेश केवल ऐतिहासिक महत्व की चीजें बनकर रह गई हैं।

वरिष्ठ सदस्य, श्री वरकला राधाकृष्णन ने पूछा जब तक कि ये तीनों अध्यादेश अधिनियमित न किए जायें, तब तक कैसे बने रह सकते हैं? मैंने पहले ही बता दिया है कि ये तीनों अध्यादेश विशेष प्रकृति के थे तथा युद्ध के समय प्रख्यापित किए गए थे। उनका यह प्रभाव था कि वे तब तक लागू रहेंगे जब तक कि वे इस विधेयक में दिए गए प्रावधानों द्वारा निरसित न किये जाये। हमारा प्रयास कानून की किताब को स्वच्छ बनाना है। मैं 'बार' में काम करता हुआ वकील हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या वरकला राधाकृष्णन भी वही काम करते हैं या नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं 38 वर्ष से वकालत करता हुआ वकील रहा हूँ।

श्री वी. धनंजय कुमार: मैं अपने वरिष्ठ सहकर्मी द्वारा व्यक्त की गई भावना का सम्मान करता हूँ। यह हमारा अनुभव रहा है कि कानून की किताब में ऐसे कई कानून हैं जिन्होंने अपनी उपयोगिता खो दी है। अब वे केवल कानून की किताब का मोटापा

बढ़ाने में योगदान करते हैं। इसीलिए, इस सरकार ने जैसे ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योग्य नेतृत्व में कार्यभार संभाला, एक आयोग गठित किया गया तथा इस आयोग ने न्यूनतम संभव समय में अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार के बाद केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने श्री एस.डी. कपिला, जो आयकर आयुक्त रहे हैं, की अध्यक्षता में आयकर से संबधित कानूनों की रिपोर्ट का कानूनी परिणाम का अध्ययन करने के लिए एक कार्यबल गठित किया।

सिफारिशों पर विचार करने के बाद कार्यबल ने यह निर्णय लिया कि 18 कानूनों को निरसित करने से, जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, इन कानूनों, जो इस विधेयक के प्रावधानों द्वारा निरसित किये जा रहे हैं, के वांछित उद्देश्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महोदय, जैसा कि मैंने शुरु में कहा, निरसित किए जा रहे अध्यादेश तथा कानूनों के प्रभावों से बचाव करने के लिए सरकार ने पर्याप्त सतर्कता बरती है। इन कानूनों के वांछनीय परिणाम और उनकी वैधता अथवा अवैधता, पहले से की गई कार्रवाई अथवा उस पर प्रतिकूल प्रभाव या किसी उचित शीर्षक, उन्मुक्तता, दायित्व अथवा पहले से निर्धारित अथवा निर्धारित की जाने वाली देनदारी अथवा कोई अन्य उपचार अथवा मृत्युदंड और देनदारी, दावा, या मांग या प्रदान की गई किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या विगत कार्य का प्रमाण अथवा अन्य बातों को ध्यान में रखा गया है। मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। श्री वरकला राधाकृष्णन मुझसे निश्चित रूप से सहमत होंगे कि विधेयक के अंग में ये सारी बातें विस्तृत रूप से दी गई हैं। मेरा प्रयास केवल इतना कहना है कि सरकार ने इन सभी उचित शीर्षकों या इन कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत जो भी देनदारी होती है जिन्हें निरसित किया जा रहा है, को बचाने में अत्यधिक सावधानी बरती है।

महोदय, मेरे पास अन्य कानूनों की भी एक सूची है। मैं सभी 18 कानूनों का कारण सहित विस्तृत ब्यौरा दे सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस सभा के माननीय सदस्य मुझसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं। सदस्यों का बहुमत पहले ही इस विधेयक से सहमत है। कई विधेयक स्वतंत्रतापूर्व दिनों से संबधित हैं तथा वे कानून स्वतंत्रता के बाद बेहतर कानून द्वारा प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्थापित किये गये हैं। जब से वर्तमान प्रजातंत्र आया है, हम इन पुराने कानूनों की जगह नए कानून लाने की कोशिश में लगे हैं।

महोदय, अन्त में मैं श्री चौहान द्वारा पूछें गए प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। वे सम्पदा शुल्क समाप्त करने के कारण राजकोष को होने वाले घाटे के बारे में बोल रहे थे। महोदय हम इस विधेयक के प्रावधानों द्वारा सम्पदा शुल्क को समाप्त करने अथवा उससे छूट की मांग नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः, माननीय सदस्य को सभा की तरह इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि यह अधिनियम का अनावश्यक प्रावधान है जिसका प्रभाव बहुत पहले समाप्त हो चुका है। सम्पदा शुल्क अब लागू नहीं है। अतः, राजकोष को तत्काल कोई घाटा नहीं है और अन्य संसाधनों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने का ध्यान रखा गया है। अतः, राजकोष को बिल्कुल भी घाटा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों को जाने वाले हिस्से को भी कम नहीं किया गया है। वस्तुतः, हमने राज्यों को अधकाधिक सहायता करने की कोशिश की है। इसके अगले दिन हमने संविधान (संशोधन) विधेयक पारित किया जिसके द्वारा भारत सरकार ने संग्रहित करों का 29% अंतरित करने का निर्णय लिया है।

महोदय, इसके साथ ही मैं सरकार द्वारा किए गए उपायों का समर्थन करने के लिए सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, श्री वरकला राधाकृष्णन को स्पष्टीकरण दिया गया है। परिषद में गवर्नर जनरल ने युद्ध काल में कतिपय अध्यादेश जारी किए थे जो कानून के समान थे। डी. आई. आर. का समान स्थान था। वर्ष 1944 में मेरे राज्य उड़ीसा में परिषद् में गवर्नर जनरल ने आदिवासी भूमि को पृथक करने के संबंध में अध्यादेश जारी किया। जब इसे 1956 के उड़ीसा विनियम (2) के साथ विलय किया गया, तो यह अध्यादेश 1956 में रद्द हो गया। इसका वही स्थान था जो अन्य कानूनों का होता है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रत्यक्ष करों से संबंधित कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये। अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री वी. धनंजय कुमार: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.22 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

इंडियन एयरलाइन्स के विमान आईसी-814 का अपहरण

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): माननीय सभापति महोदय, इंडियन एअरलाइन्स के विमान आई.सी.-814 के अपहरण के संबंध में जो घटना आज से चार महीने पहले हुई, उस पर विस्तार से, नियम 193 के अंतर्गत, आपने मुझे चर्चा उठाने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, दिसम्बर, 1999 का आखिरी सप्ताह भारत के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जायेगा। जिस समय सारा विश्व नई शताब्दी और नई सहस्त्राब्दी का स्वागत और जश्न मना रहा था, हमारा भारत देश और हमारी भारत की सरकार इंडियन एअरलाइन्स आई.सी.-814 के अपहरण के कारण शोक के सागर में डूबी हुई थी। हमारे 165 नागरिक जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। इन चार महीनों में विमान अपहरण के कारणों का विस्तार से सरकार द्वारा उल्लेख किया गया और जो कुछ भी कहा गया, वे बातें हमारे सामने आई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने इस अपहरण के मामले को निपटाया, उससे विश्वभर में भारत का सिर शर्म से झुक गया है। कुछ मुट्ठीभर आतंकवादियों के सामने इस सरकार को घुटने टेकने पड़े क्योंकि हमारे 165 नागरिक जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। इस दौरान समूचे भारत का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक आदर्श भी आतंकवादियों के बंधक रहे। भारत ही नहीं, समूचे विश्व की शान्तिप्रियता, राष्ट्रीय व्यवहार की मर्यादा, मानवीय निकटता और सभ्य जीवन बंधक रहे। इसकी परिणति क्या हुई? सभ्य समाज के जो श्रेष्ठ तत्व होते हैं, उनकी हार हुई, उसकी पराजय हुई और हमारे देश के परराष्ट्र मंत्री को जिस प्रकार तीन खूंखार आतंकवादियों को कंधार ले जाना पड़ा, तब जाकर बंधकों की रिहाई हुई।

इस कार्रवाई से उन दिनों हर भारतीय की जुबान पर एक ही बात थी कि यह सरकार कमजोर है जो 8 दिनों तक इन बंधकों को नहीं छुड़ा सकी, इस मामले को नहीं सुलझा सकी। एक प्रश्न सबके सामने उठता है कि जो आतंकवादियों का मुकाबला नहीं करती, वह सरकार देश की सुरक्षा के बारे में क्या करेगी? सबसे दुख की बात है कि उन दिनों प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, विदेश मंत्री तथा नागरिक उड्डयन मंत्रियों को इस घटना की सूचना करीब दो घंटे बाद मिली। देशवासियों और सरकार को भी फॉरेन मीडिया चैनलों से इस अपहरण की जानकारी मिली। सभापति जी, दो घंटे आज के इनफॉर्मेशन और टैक्नोलॉजी के युग में बहुत पर्याप्त होते हैं। किसी भी देश को इन दो घंटों में बरबाद किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की सरकार को और सरकार चलाने वाले मंत्रिमंडल के लोगों को इस बारे में दो घंटे बाद जानकारी मिली और इससे हमारी सरकार कितनी मजबूत है, उसका पता चलता है। सच बात तो यह है कि उन दिनों इस देश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। चारों और अराजकता का वातावरण था। कोई भी बात अपहरण के बारे में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही थी। एक बयान हमारे आदरणीय विदेश मंत्री जी ने इस संबंध में दिया। उसमें कहा है कि घटना के तुरन्त बाद इस पर कार्रवाई शुरू हुई। सुबह से शाम तक सिर्फ कैबिनेट मीटिंग होती रहीं लेकिन कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया। मेरे मन में आदरणीय प्रधान मंत्री जी के लिए अत्यंत आदर है। कई सालों से वे इस देश के अग्रणी नेता रहे हैं। एक विशाल अनुभव उनके साथ है, लेकिन जब इस मामले पर हम गौर करते हैं तो इस अपहरण कांड में उनके अनुभव का लाभ इस सरकार को नहीं मिला। उन दिनों वह भी स्तब्ध रहे, खामोश रहे और इससे लगता है कि वे कोई फैसला नहीं ले सके। ऐसा लगता है कि रिमोट कंट्रोल कहीं और था और कोई विदेशी दबाव उस वक्त काम कर रहा था और ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे अनिर्णय का शिकार हो गए। इसी सदन में काफी पहले वाजपेयी जी ने पंडित नेहरू जी के लिए कहा था कि कभी तो वे चर्चिल बन जाते हैं, लेकिन काम के समय वे ज्यादातर चैम्बरलिन बन जाते हैं और हथियार डाल देते हैं। अब ऐसे संकट की घड़ी में अटल जी को चर्चिल कहें या चैम्बरलिन कहें, इसका जवाब उनको ही देना है। इस मौके पर तो उन्होंने हथियार डाल दिये थे।

इस पूरे घटनाक्रम में आतंकवादियों को ठोस सबक सिखाने की जरूरत थी। लेकिन वह तो नहीं हुआ। आतंकवादियों को छोड़कर अपहरणकर्त्ताओं के सामने समर्पण किया गया। उन्हें सेफ पैसेज देकर देश के साथ धोखा किया गया, ऐसी देशवासियों की मानसिकता है। उसे मद्देनजर रखते हुए मैं नम्र होकर प्रधान मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं वे उन्हें सही

सलाह नहीं दे रहे हैं, उन्हें बहकाने का काम कर रहे हैं। वे समय रहते सावधान हो जाएं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री आडवाणी जी की तुलना सरदार पटेल से की जाती है। उनका कहना है कि भारत सॉफ्ट स्टेट है, लेकिन इस मामले को लेकर पूरे देश की मिट्टी पलीत कर दी। इन सारे दिनों में अपहरण के पूरे सप्ताह में खोखले आश्वासन और तरह तरह के बयान आडवाणी जी देते रहे और अंत में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कथनी और करनी में कितना अंतर है।

सभापति महोदय, एक तरफ तो कमांडोज भेजकर हमारे बंधकों को छुड़ाने का प्रयत्न किया गया और दूसरी ओर प्रत्यक्ष में तीन खूंखार आतंकवादियों को वी.आई.पी. की तरह, हमारे परराष्ट्र मंत्री कंधार ले गए और इस प्रकार का व्यवहार करके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ाया गया। हमारे विदेश मंत्री श्री जसवन्त सिंह जी उनके साथ गए, इसके पीछे क्या कारण हैं, उसका पूरा खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने केवल एक बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि कंधार एयरपोर्ट बहुत छोटा है और उस पर पहले से हमारा आई.सी.-814 विमान खड़ा था इसलिए वहां इतनी जगह नहीं थी कि एक प्लेन वहां और लैंड कर सके। अत: वे भी उन तीन आतंकवादियों के साथ गए। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि यदि मौके पर कोई दूसरा मामला खड़ा होता है, तो उसे तुरन्त निपटाया जा सके, इसलिए भी वे साथ गए। लेकिन क्या वे एक या दो दिन पहले कंधार नहीं जा सकते थे? जब हमारे बंधक थे, भारतीय थे, उनसे मिलने के लिए पहले जाया जा सकता था। ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी कि उन्हीं तीन आतंकवादियों के साथ जाना पड़ा? इसके कारण हमारे देश और सिस्टम का दुनियाभर में नाम खराब हुआ है। इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, आज इस अवसर पर मैं मृतक रूपेन कटियाल के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने इस हादसे में अपने प्राणों का बलिदान किया, लेकिन उनके बलिदान को एन.डी.ए. की सरकार ने ठीक ढंग से नहीं आंका। आठ दिन हमारे यात्री वहां बंधक रहे और इस प्रकार श्री रूपेन कटियाल का बलिदान बेकार गया। 24 तारीख को विमान अपहरण की यह घटना घटी और वह भी नेपाल में घटी। यदि महोदय, हम इस पूरी घटना की तरफ देखें, तो इसमें हमें तीन मुद्दे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण नजर आएंगे-एक तो नेपाल का त्रिभुवन हवाई अड्डा, दूसरे अमृतसर का हवाई अड्डा और तीसरे कंधार हवाई अड्डा तथा बीच में लाहौर व दुबई हवाई अड्डे। जहां तक नेपाल का संबंध है, हमारे देश में नेपाल के रास्ते आतंकवादी गतिविधियां चलाने और आतंकवादियों के आने के सवाल पर इस सदन में अनेक बार चिन्ता व्यक्त की जा चुकी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर नियम 193 में, नवंबर के महीने में चर्चा का इनीशिएटिव मैंने किया था और तब भी मैंने आगाह किया था कि आने वाले समय में, नए साल में, ईद के अवसर पर देश में आतंकवादियों की तरफ से हमले करने की कार्रवाई हो सकती है, इसलिए हमें सजग रहना चाहिए। मैंने यह भी स्पष्ट किया था कि आई.एस.आई. द्वारा नेपाल के रास्ते आतंकवादी भारत भेजे जा रहे हैं और यह सारी कार्रवाई नेपाल के रास्ते आई.एस.आई. की तरफ से चलाई जा रही है। उसका आडवाणी जी ने जवाब दिया कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

सभापति महोदय, विमान का अपहरण पहली बार नहीं हुआ है। विमान अपहरण इस देश में 13 बार हो चुके हैं। कई बार तो छोटे-छोटे कारणों से विमान अपहरण होते रहे हैं। सिर्फ दो अपहरण छोटे-छोटे कारणों से हुए, जिनमें एक मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने तथा दूसरा महाविद्यालय के छात्रों द्वारा की जा रही हड़ताल के कारण, उनकी मांगों को मनवाने के लिए। उसके अलावा जितने भी अपहरण हुए हैं, वे सब पाकिस्तान के कारण हुए हैं। पिछले दिनों जिस तरह से आई.एस.आई. की गतिविधियां बढ़ीं, उनके मद्दे नजर रखते हुए और नेपाल में जिस तरह की सुरक्षा है उसे देखते हुए, विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये सब बातें सरकार के ध्यान में पहले ही इस सदन में नियम 193 के माध्यम से हुई चर्चा के दौरान मैंने ला दी थीं। यदि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई होती, तो यह घटना नहीं घटती। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि हमारे माननीय परराष्ट्र मंत्री जी ने नेपाल सरकार के साथ सुरक्षा के विषय में क्या बातचीत की?

उसके क्या परिणाम हुए, इस बारे में कोई भी बात सामने नहीं आई। 1990 से आई.एस.आई. नेपाल में सक्रिय है। नेपाल का ड्रग माफिया अथवा अन्य तत्व आई.एस.आई. के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहे हैं। अब यह जग जाहिर है कि इंडियन एयरलाईंस के विमान के अपहरण के पीछे आई.एस.आई. का हाथ था। अपहरणकर्त्ता पाकिस्तान एयरवेज के विमान से बिना सिक्योरिटी चैक कराये, इंडियन एयरलाइंस के विमान में बैठे थे। मैं जानना चाहता हूं कि काठमांडू में सुरक्षा उपायों को कड़ा करने के संबंध में भारत सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये? क्या इसमें इंटेलीजैंस की विफलता भी है जिन्होंने समय रहते नेपाल और भारत सरकार को चेतावनी नहीं दी? क्या हमारे विदेश मंत्री इस संबंध में एक विस्तृत जानकारी सभागृह को देंगे? क्या भारत सरकार ने अन्य देशों से अनुरोध किया था कि वह पाकिस्तान पर दबाव डाले कि वह इन विमान अपहरणकर्त्ताओं सहित आतंकवादियों को भारत को सौंप दिया जाए?

[श्री विलास मुत्तेमवार]

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दो घंटे तक विमान अपहरण की जानकारी सरकार को पर्याप्त रूप से न मिलने के कारण भी यह घटना घटी। अमृतसर में विमान आने से पहले, वह लाहौर गया और इतने समय में हमारी सरकार, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय वहां की सरकार को मानवीय दृष्टिकोण से आगाह कर सकता था तथा वहां हमारे बंधकों को छुड़ाकर इस मामले को रफा-दफा किया जा सकता था लेकिन इस ओर कोई भी कोशिश नहीं की गई। अमृतसर में भी यह विमान करीबन 50 मनट रुका रहा। इस विमान के साथ क्या करना है, इसके भी कोई दिशा-निर्देश हमारी सरकार की तरफ से नहीं दिये गये। वहां विमान को इम्मोबलाईज अथवा ग्राउंड किया जा सकता था लेकिन हवाई अड्डे के अधिकारी ऐसी ऐमरजैसी के लिए शायद तैयार नहीं थे। उनके पास पर्याप्त आदेश नहीं थे। अपहरण के मामले में जो भी कन्वेंशन हैं, उन्हें भी ताक पर रख दिया गया। उसमें कोताही बरती गयी। इस बात की जांच की गई है लेकिन अभी तक जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, उस बारे में सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो ऑफ सिविल ऐविएशन सिक्योरिटी ने देश के कई हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया और पाया कि वहां सुरक्षा की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हवाई अड्डों पर स्थायी रूप से क्रैक नैशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडों की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त क्या अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए ऐविएशन सिक्योरिटी फोर्स के गठन का प्रावधान किया गया है? यह भी कहा गया है कि 37 अतिसंवेदनशील हवाई अड्डों और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर उनकी तैनाती की जायेगी। इसी संदर्भ में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के क्रू को भी सुरक्षा उपायों के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा। हमारे जो मुख्य हवाई अड्डे हैं, वे सी.आई.एस.एफ. को सौंप दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डों पर कार्यरत विभिन्न एजेंसियों को एक ही अधिकारी अथवा प्राधिकरण के अंतर्गत लाने का प्रयास हो रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा सके। क्या संवेदनशील हवाई अड्डों से चल रही उड़ानों में भी स्काई मार्शल भेजने की व्यवस्था की जा रही है-इन सबके बारे में हम माननीय मंत्री जी से जवाब चाहेंगे।

सभापति जी, आठ दिन तक यह अपहरण का नाटक होता रहा।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन तीनों खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना था तो फिर उसके लिए आठ दिन क्यों लगा? क्या ऐसा कोई पर्याय हमारे सामने नहीं था जिससे बंधकों को छुड़ाया जा सकता था, जैसा कि मालूम है पाकिस्तान और कांधार दोनों से ही हमारे राजनैतिक संबंध इतने अच्छे नहीं हैं और यह भी कोशिश की गई कि दुनिया भर के लोगों से समर्थन मांगा गया और बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की गई। फिर भी कोई पर्याय हमारे सामने क्यों नहीं आया? सच बात यह है कि कहीं तो हमारे सिस्टम में, हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से आठ दिन तक यह नाटक चलता रहा और अखिर में सरकार को झुकना पड़ा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इससे हमारे उन बहादुर सिपाहियों का जो कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा? तीन खूंखार आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद अजर और अहमद उमर सैयद शेख, इन तीनों खूंखार आतंकवादियों ने कई लोगों की जानें ली हैं और इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भी लोगों ने प्राणों का बलिदान दिया है और हम उन खूंखार आतंकवादियों को बा-इज्जत कांधार ले गये और सारी दुनिया जानती है कि वहां से वे सीधे पाकिस्तान चले गये। क्या इन सारी घटनाओं से जो सिपाही आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे हैं, उनका मनोबल नहीं गिरेगा या ऐसी वारदातें फिर भविष्य में न हों, इसके लिए क्या सरकार ने कोई ठोस कदम उठाये हैं? इसके पहले भी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबी सईद के लिए हमने खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा था।

अपराह्न 3.43 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): आपने ऐसी परम्परा क्यों बनायी?

श्री विलास मुत्तेमवार: हमारे वक्त में नहीं बनी थी। ...*(व्यवधान)* यह रोजमर्रा की बातें हो गई हैं कि पहले हमदर्द बनाना और फिर आतंकवादियों को छुड़ाकर ले जाना, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए। मैं जसवंत सिंह जी से कहूंगा और हमारे तमाम राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए उसमें कोई राजनीति नहीं लानी चाहिए। इस मामले में भी सरकार अगर कोई कार्यक्रम बनाती है तो मेरे दल की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप हिम्मत से सामने आइए। चार महीने हो गए। दिसम्बर का महीना हम सबके लिए एक काला महीना था जब पैसेंजरों को बंधक बनाया गया था। चार महीने हो गये, हम दिन-ब-दिन भूलते जा रहे हैं लेकिन सरकार को इस ओर गौर करना चाहिए और भविष्य में ऐसी वारदात न हो, इसके लिए सरकार को ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए, ठोस उपाय करने चाहिए और उसकी जानकारी सदन को मिलनी चाहिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से जसवंत सिंह जी ने जो एक दस्तावेज

दिया है, वह केवल लीपापोती है। इसमें राजनीति लाने की जरूरत नहीं है। गलती हुई है। सरकार किस तरह से कमजोर है, सब लोगों ने देखा है लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की घटना नहीं होगी, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विपक्ष के माननीय सदस्य श्री विलास मुत्तेमवार ने बहुत सुपरिचित प्रश्न उठाए हैं जिनका उल्लेख न केवल माननीय विदेश मंत्री वरन् प्रधानमंत्री ने भी किया है। यह और भी आश्चर्यजनक है कि भारत की जनता ने, यद्यपि अनिच्छा से ही सरकार के तर्क को स्वीकार कर लिया है, मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष के माननीय सदस्य सभा के अंदर और बाहर बार-बार ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार: यह चार माह के बाद आ रहा है *...(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं: माननीय सदस्य, श्री विलास मुत्तेमवार मुख्य विपक्षी दल-कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मुझे अधिक आश्चर्य इस बात है कि यद्यपि यह मामला चार माह के पश्चात् इस सभा में उठाया जा रहा है फिर भी उन्होंने एक भी नया मुद्दा नहीं उठाया है। माननीय विदेश मंत्री स्वत: स्पष्ट वक्तव्य दे चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले निम्नलिखित प्रश्नों का पूर्वानुमान लगा चुके हैं। अमृतसर में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? माननीय विदेश मंत्री अकेले कंधार क्यों गए और कोई क्यों नहीं गया? वे उन आतंकवादियों जिन्हें बाद में विदेश मुक्त कर दिया गया था, उस विमान में क्यों ले गए जिसमें वे स्वयं यात्रा कर रहे थे। ये सभी प्रश्न बहुत पुराने हैं। लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्य ने पुन: इन प्रश्नों को उठाया है। इस देश में अनेक बार विमानों का अपहरण हुआ है। लेकिन उन दिनों टेलीविजन नहीं होता था। टेलीविजन ने कभी भी कारगिल अथवा आई.सी.-814 के अपहरण जैसी किसी बात को बढ़ाया-चढ़ाया नहीं। इसकी एक-एक बात को दूरदर्शन पर दिखाया गया। विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों सहित इस देश की पूरी जनता ने उन लोगों को जिन्हें बंधक बनाया गया था, के रिश्तेदारों का व्यवहार देखा है। वे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सरकार को कोस रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे और कह रहे थे कि यदि कोई बंधक किसी मंत्री का बेटा या बेटी होती तो सरकार काफी पहले कोई कार्यवाही कर चुकी होती। लेकिन क्योंकि हम मंत्री नहीं है, हम सत्तारूढ़ दल के नहीं है। इसलिए सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

मेरा विश्वास है कि यदि सरकार अपहरणकर्त्ताओं, तालिबान से बातचीत न करने के निर्णय पर डटी रहती और इसके परिणामस्वरूप विमान में कुछ लोग मर जाते तो यही विपक्ष कहता कि यह वह सरकार है जिसके हाथ इस देश के निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए हैं। यदि आपने बातचीत की और उन्हें स्वतंत्र किया तो आप गलत हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते, लोगों को मरने देते तो भी आप गलत हैं। इस तरह, केवल विपक्ष ही इस सरकार पर आरोप लगाने के उपाय ढूंढती रहती है क्योंकि उनके पास इस सरकार के विरुद्ध उठाने के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है कि सरकार ने इस परीक्षा की घड़ी में सबसे बढ़िया काम किया है; बदतर विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प लिया है जोकि इन परिस्थितियों में उपलब्ध था।

अमृतसर में, विमान मुश्किल से 49 मिनट तक रुका। कोई नहीं जानता था कि यह अमृतसर में रुकेगा। हर कोई यह जानता था कि अपहरण के बाद यह लाहौर जाएगा और वास्तव में विमान वहां लाया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को विश्व को यह दिखाना था कि वास्तव में वे संसार में सबसे बड़ी सती सावित्री है और उनका अपहरणकर्ताओं से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रारंभ में कहा कि वे विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति नहीं देंगे। विमान पुन: अमृतसर आया। लेकिन तब भारत सरकार यह कैसे जानती कि यह वापस अमृतसर आएगा।

श्री विलास मुत्तेमवार: शुरू से ही वे कहते रहे कि वे विमान को लाहौर ले जाएंगे *...(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं: महोदय, जब इन्होंने इस सरकार के बारे में बहुत सी बातें कहीं तो मैंने उन्हें बहुत ध्यान से सुना और कभी भी आपत्ति नहीं की। इसलिए मैं उनसे अपील करता हूं कि वे मेरी बात भी धैर्यपूर्वक सुनें *...(व्यवधान)* मैं आखरी वक्ता नहीं हूँ और मेरे बात बोलने के लिए कई वक्ता मौजूद है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें और आपस में बातचीत न करें। यदि आपको कुछ कहना है तो अपनी बारी आने पर कहें।

...(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं: महोदय, मैं एक साधारण सदस्य हूं न कि मंत्री। माननीय मंत्री यहां मौजूद हैं और यदि मैं कुछ गलत कहूंगा तो वे अपने उत्तर में इसे सही कर देंगे।

[श्री खारबेल स्वाईं]

जब विमान लाहौर में उतरा तो सरकार को विमान में मौजूद अपहरणकर्त्ताओं की संख्या, उनके पास हथियारों और उपकरणों के बारे में व्यापक जानकारी नहीं थी। दूसरा, विमान का पायलट पूरे समय सरकार को बताता रहा कि अपहरणकर्त्ताओं द्वारा चार यात्री मारे जा चुके हैं यद्यपि पायलट ने ऐसा अपहरणकर्त्ताओं के दबाव में किया। लेकिन हमें कैसे पता चलता कि वे सही अथवा गलत जानकारी दे रहे हैं? वह स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। उस समय सब कुछ संभव था। यदि उस समय उसने यह जानकारी दी कि चार यात्री मर चुके हैं तो सरकार के पास इसे मान लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। तीसरा, विमान का इंजन पूरे समय चालू रहा। उन्होंने इंजन बंद नहीं किया और विमान को रोका नहीं। विमान को अनेक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते रहे। तत्पश्चात् विमान में ईंधन भरने के लिए एक टैंकर भेजा गया लेकिन टैंकर जब मिवान से 300 गज की दूरी पर था तो अपहरणकर्त्ताओं को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने ठीक ही संदेह किया कि केवल विमान को रोकने के लिए बाउंसर आ रहा है। अत:, अचानक उन्होंने पायलट को उड़ान भरने के लिए कहा। मैं नहीं समझता कि उस समय सरकार के पास कोई अन्य विकल्प था।

सरकार उनको रोक सकती थी लेकिन जैसाकि सब जानते हैं पहले दिन अपहरणकर्त्ताओं ने किसी के साथ वार्ता शुरु नहीं की क्योंकि सामान्यत: वे बहुत तनावपूर्ण और वे कोई भी कार्यवाही कर सकते थे जो उस समय करनी संभव होती। वे कई यात्रियों को मार सकते थे क्योंकि उस समय पायलट ने सरकार को यह बताया था कि उनके पास पिस्तौल और हथगोले हैं।

अन्तत:, मैं यह कहना चाहूँगा कि तालिबान अपहरणकर्त्ताओं से मिले हुए थे। उन्होंने न केवल अपहरणकर्त्ताओं बल्कि भारत सरकार द्वारा छोड़े गये सभी उग्रवादियों को रिहा किया गया। महोदय, क्या आपने विश्व में कहीं देखा है कि देश छोड़ने के लिए अपहरणकर्त्ताओं को 10 घन्टे का समय दिया गया हो?

इसलिए, हमारा तालिबान के साथ कोई राजनयिक सम्बन्ध नहीं है। हमारी सरकार को मजबूर होकर इस्लामाबाद में अपने उच्चायुक्त के माध्यम से उनसे बात करनी पड़ी। उन्होंने अच्छा कार्य किया है। आरम्भ में, पाकिस्तान सरकार लाहौर आने के लिए उन्हें हेलिकाप्टर उपलब्ध कराना चाहती थी लेकिन उनके लाहौर पहुँचने से पहले ही विमान लाहौर से उड़ान भर चुका था। पाकिस्तान उनसे मिला हुआ है। तालिबान उनसे मिला हुआ है। वहाँ चारों ओर विदेशी थे। मैं यह कहना चाहूँगा कि कंधार हवाई अड्डे पर बहुत ही कम आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसलिए भारत सरकार के पास केवल तीन कैदियों को छोड़ने की सम्भव माँग को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था जिससे कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता।

महोदय, यहाँ एक प्रश्न उठता है, जिसका मंत्री महोदय उत्तर देंगे कि वे वहाँ क्यों गये थे। मेरे विचार से उन्होंने सही किया था क्योंकि अंतिम क्षण में यदि वहाँ कुछ हो जाता तो अंतिम निर्णय कौन लेता। यदि वहाँ सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है जिसकी अत्यधिक जिम्मेदारी है और जो वरिष्ठ सदस्य है, तो स्थान पर तत्काल कौन निर्णय लेता। विदेश मंत्री ने यह अच्छा ही किया कि वे वहाँ गये और यह सुनिश्चित किया कि बंधकों को शान्तिपूर्ण ढंग से छोड़ दिया गया है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं दो अथवा तीन प्रश्न उठाऊँगा। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को उसमें मिला दिया जाये क्योंकि उनका विचार है कि विश्व में धर्म पर आधारित मुस्लिम देश केवल पाकिस्तान ही है और क्योंकि कश्मीर घाटी में अधिकांश लोग मुसलमान हैं अत: इसे पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाना चाहिए। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान भी उसी दो राष्ट्र वाले सिद्धांत का प्रचार कर रहा है, जिसका प्रचार पहले किया जाता था। पिछले 52 वर्षों से पाकिस्तान के लोगों को केवल यही सिद्धांत सिखाया जाता है। यह भारत विरोधी है। भारत एक हिन्दु राज्य है। कश्मीर मुसलमान बहुमत वाला राज्य है और इसलिए कश्मीर को भारत के साथ नहीं रहना चाहिए बल्कि इसे पाकिस्तान के साथ आना चाहिए। यदि प्रत्येक देश के मुसलमानों को एक ही देश में रहना चाहिए तो अफगानिस्तान अलग देश क्यों बनता, ईरान और इराक ने आठ वर्षों तक युद्ध क्यों लड़ा, और मध्य पूर्व में इतने अधिक मुस्लिम देश क्यों होते और यूरोप में इतने देश क्यों होते हालांकि उनका संबंध ईसाई धर्म से है? इसलिए यदि धर्म राज्य का आधार है तो एक धर्म के सभी राज्यों को एक राज्य में ही आ जाना चाहिए। लक्जमबर्ग, जो एक इकाई राज्य भी है, जैसे छोटे राज्य क्यों है?

दो राष्ट्र वाला सिद्धांत भारत को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देश का धर्म में कोई आधार नहीं होता। संस्कृति किसी भी धर्म से उत्पन्न नहीं होती। संस्कृति जीवन पद्धति है। यही कारण है कि विश्व में इतने अधिक देश है, हालाँकि वे एक धर्म से ही सम्बन्ध रखते हैं।

महोदय, नेपाल हिन्दु देश है। नेपाल का राजा हिन्दु है। यदि आप यह कहें कि नेपाल को भारत में मिला दिया जाना चाहिए तो ऐसा नहीं होगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भारत की एक संस्कृति है भारत के सभी लोग, चाहे वे इसाई, अथवा हिन्दु अथवा मुसलमान हैं, वे एक ही संस्कृति से संबंध रखते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जायेंगे तो आप पायेंगे कि एक भारतीय पिता कन्याकुमारी में भी उसी तरीके से व्यवहार करेगा जिस तरीके से वह कश्मीर में व्यवहार कर रहा है अथवा करेगा। वह कन्याकुमारी में उसी तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा क्योंकि उसकी सोच भारतीय है ...*(व्यवधान)* महोदय, आपको अधिक जानकारी हो सकती है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता क्योंकि हमेशा आप खड़े होकर प्रत्येक पर रोक लगा देते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): जब भी मैं बोलता हूँ, आप बीच में रोक देते हैं। मैंने कभी भी आपके व्यवधान पर आपत्ति नहीं की। मैं केवल यही पूछ रहा था कि आप कृपया विमान के अपहरण पर ध्यान दें ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: यह मेरे लिए एक खबर ही है कि मैं हर समय उसकी बात पर आपत्ति करता हूँ। महोदय, यह मेरे लिए खबर है।

मेरे कहने का यह अर्थ है कि हमें उस विभाजन की जानकारी है जिससे वे आये हैं। उन्होंने 1947 में दो राष्ट्र वाला सिद्धांत स्वीकार कर लिया था हालाँकि वह व्यक्ति, जिसने इस पर आपत्ति व्यक्त की थी, वास्तव में उनके दल का मुख्य व्यक्ति था। इसके बावजूद महात्मा गांधी ने भारत के विभाजन के लिए सहमति व्यक्त नहीं की। कांग्रेस के लोग, जिनसे उनका संबंध है, यह ही चाहते थे कि देश को दो भागों में बांट दिया जाये और वे उस तरीके से इस दो राष्ट्र वाले सिद्धांत पर सहमत हो गये।

महोदय, मुझे इस बात से अधिक आश्चर्य नहीं हुआ कि जब मैं इस दो राष्ट्र वाले सिद्धांत पर आपत्ति कर रहा हूँ तो उन्हें भी इस पर आपत्ति करनी चाहिए ...*(व्यवधान)* मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि उन्होंने इसे गोपनीय ढंग से स्वीकार किया था। हालाँकि उन्होंने ऐसा नहीं बताया लेकिन वास्तव में उन्होंने इस दो राष्ट्र वाले सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। लेकिन दो राष्ट्र वाला सिद्धांत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अब हम जमात-ए-उलमाही-इस्लामी और जमात-ऊल-इस्लामी, जिन्हें न केवल आज के बल्कि जिया-उल हक से लेकर बेनजीर भुट्टों तक पाकिस्तान के सभी शासकों ने समर्थन दिया था, द्वारा पाकिस्तान में स्थापित किये गये मदरसों में जेहादों के प्रशिक्षण पर बात करते हैं।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय दे दें। मैं अपनी बात पूरी कर दूँगा।

उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया। किसी ने जमात-ए-उलमाही-इस्लामी को और किसी ने जमात-ऊल-इस्लामी को प्रोत्साहित किया। इन सभी उग्रवादी संगठनों, जिन्होंने विश्व में भारत और गैर-मुस्लिम लोगों के खिलाफ जेहाद का प्रचार किया, को पाकिस्तान के शासकों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। जेहाद न केवल कश्मीर के खिलाफ है बल्कि यह भारत और मानव सभ्यता के खिलाफ भी है। वे चाहते हैं कि सम्पूर्ण मानवीय सभ्यता समाप्त हो जाये और वे केवल उग्रवादियों के अधीन आ जाये और यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

मैं माननीय विदेश मंत्री और माननीय विदेश मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को यह अपील करूंगा कि हमें न केवल पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए बल्कि हमें स्वयं को मजबूत भी रखना चाहिए। केवल अपने आप को मजबूत रख कर ही हम पाकिस्तान और इस जैसे अन्य देशों, जहाँ केवल आतंक का राज्य है, को हरा सकते हैं। केवल तभी हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। केवल तभी विश्व हमें सलाम करेगा। केवल इसी तरीके से इस शताब्दी में भारत विश्व में सुपर शक्ति बनेगा।

इन शब्दों के साथ सरकार की कार्यवाही का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): सभापति महोदय, कृपया मुझे पांच मिनट का समय दे दें क्योंकि आतंकवाद मेरे क्षेत्र से संबंधित है। मुझे यह मामला सरकार के साथ उठाना है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): सर्वप्रथम, मैं श्री रूपन कत्याल की स्मृति में अपना शीश झुकाता हूँ जिनके बहुमूल्य जीवन को उग्रवादियों ने समाप्त कर दिया था। मैं उन यात्रियों और उड़ान आई.सी.-814 के कर्मीदल को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने बड़ी बहादुरी से इस कठिन परीक्षा को झेला था।

कारगिल युद्ध के पश्चात इस राष्ट्र ने जिस अत्यधिक दुखद और चिन्ताजनक स्थिति का सामना किया, वह विमान अपहरण की घटना थी। विमान अपहरण के एक सप्ताह के ड्रामे से यह पता चलता है कि यह सरकार जो पोखरण और कारगिल में विजय पर डींगें हाँक रही थी, इस प्रकार का संकट निपटाने में पूर्ण रूप से तैयार नहीं है।

विमान अपहरण की घटना और जिस तरीके से सरकार ने उसे निपटाया, वह एक जीता-जागता उदाहरण है कि ऐसे संकट को इस तरह नहीं निपटाया जाना चाहिए था।

[श्री सुरेश कुरूप]

जैसाकि देश भर में हुई व्यापक चर्चा के दौरान प्रत्येक ने यह बताया कि सरकार द्वारा अमृतसर में स्थिति को अनुपयुक्त तरीके से निपटाये जाने के कारण सारी स्थिति हमारे हाथों से निकल गई। इस संबंध में पूर्ण रूप से कोई संबंध नहीं था। कोई नहीं जानता था कि क्या किया जाये। एक बार स्थिति हमारे हाथों से निकल जाने के पश्चात अन्त तक हम इसे वापस प्राप्त नहीं कर सके। हमें मजबूर होकर तालिबान और आई एस आई द्वारा लिये गये स्क्रिप्ट के अनुसार कार्य करना पड़ा। जब विमान ने अमृतसर से उड़ान भरी और अन्ततः कंधार में उतरा तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया था कि संकट को अपने पक्ष में निपटाने की हमारी सभी पहल आवश्यक होंगी।

महोदय, यदि हम नेपाल में स्थिति देखें, जहाँ से यह सम्पूर्ण घटना शुरू हुई थी तो यह बात सभी को पता थी कि विभिन्न कारणों और कारकों के कारण नेपाल हमारे देश के खिलाफ कार्य कर रहे उग्रवादियों का सुरक्षित अड्डा बन गया है। इस स्थिति की पूर्ण जानकारी होते हुए हमारे देश ने विमान अथवा यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। हवाई अड्डे पर सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। स्वयं नेपाल सरकार ने यह स्वीकार किया है कि वहाँ सुरक्षा संबंधी गंभीर कमियाँ हैं। इस पृष्ठभूमि में यह आश्चर्यजनक है कि सरकार ने यात्रियों द्वारा विमान में चढ़ते समय उनकी सुरक्षा संबंधी जाँच करने के बारे में कभी नहीं सोचा। यह हमारी लापरवाही दर्शाता है अथवा क्या हमारी किसी भी खुफिया एजेंसी को नेपाल में भू-स्थिति की कोई जानकारी नहीं थी जिसकी जानकारी सम्पूर्ण विश्व को थी। यह पहला प्रश्न है जिसका सरकार को इस राष्ट्र को उत्तर देना है। सामान और विमान में चढ़ते समय यात्रियों की जांच करने के लिए हमारे अपने सुरक्षोपाय क्यों नहीं अपनाये गये। ऐसा कई देशों द्वारा किया जा रहा है।

और जब यह कंधार में उतरा तो यह स्पष्ट हो गया था कि उसे वहां तालिबान से आदर सत्कार मिलेगा लेकिन हमारी सरकार ने बंधकों को रिहा कराने के लिए पाकिस्तान और तालिबान पर दबाव डालने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मत जुटाने हेतु वास्तव में कुछ नहीं किया। हमारी सरकार बार-बार यह प्रचार कर रही है कि अमरीका और भारत एकजुट होकर आतंकवाद से निपटने में लगे हुए हैं। कम से कम सरकार यह चाहती है कि हम इस बात पर विश्वास कर लें, लेकिन कोई भी हमारी सरकार की सहायता करने नहीं आया। आतंकवाद की निंदा करने वाले कुछ सामान्य वक्तव्यों के अलावा विश्व का कोई भी देश पाकिस्तान और तालिबान की भूमिका की निंदा करने में आगे नहीं आया और भारत का समर्थन नहीं किया। संकट के दौरान और संकट के पश्चात् घृणित नाटक में आई.एस.आई. का हाथ होने संबंधी हमारे बार-बार किए गए दावे के बारे में हम किसी को भी आश्वस्त नहीं कर सके हैं।

इस अग्निपरीक्षा के बाद माननीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया जिसमें पाकिस्तान पर आतंकवादी राज्य का आरोप लगाया गया है। यह प्रस्ताव आरंभ में ही निष्फल हो गया। एक सप्ताह के संकट के दौरान यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमारी राजनैतिक व्यवहार कुशलता विफल हो गई है। इसके बाद हमारे अमरीका केन्द्रित विदेश नीति विशेषज्ञों ने बेकार में यह कोशिश की कि पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य के रूप में घोषित करने के संबंध में अमरीका भारत की स्थिति को स्वीकार करे। हम रोज राज्य विभाग के विभिन्न अधिकारियों के वक्तव्यों के नए अर्थ पा रहे हैं और नए भारत-अमरीकी संबंध के कट्टर समर्थक भी पाकिस्तान और आई.एस.आई. के संबंध में अपने रूख में कोई सकारात्मक उपाय नहीं कर पाए।

यह अत्यधिक दुःखद स्थिति है कि हम किसी को भी, विश्व में किसी भी सरकार को आश्वस्त नहीं कर सकते कि अपहरण में और अपहरणकर्त्ताओं को आश्रय प्रदान करने में पाकिस्तान का हाथ था। विश्व के किसी एक देश ने भी हमारे कार्य का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं किया। गृह मंत्री आई.एस.आई. पर श्वेत पत्र जारी करने की बात करते रहे हैं लेकिन वह अभी तक जारी नहीं हुआ। हम आशा करे कि यह शीघ्र प्रकाशित होगा। थोड़े में हम कहें कि विमान का अपहरण तथा सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान ने सारे विश्व के समक्ष सुरक्षा के मामलों में इस सरकार की लापरवाही तथा संवेदनहीन दृष्टिकोण को उजागर कर दिया है। जो पोखरन पर गर्व कर रहे थे उन्हीं लोगों ने आतंकवादियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है तथा हमारी विदेश नीति के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की पूर्ण असफलता की पोल को खोल कर रख दिया।

हमारे विदेश मंत्री जिनके प्रति मेरे मन में बहुत ही आदर का भाव है-इस संकट के दौरान बहुत ही मायूस नजर आए। मुझे यह नहीं मालूम कि आतंकवादियों को कंधार तक सुरक्षित ले जाकर छोड़ने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया। वे अब स्कॉर्ट्स मंत्री बन गए हैं। आतंकवादियों को कंधार तक ले जाकर छोड़ने में उन्होंने उसी उत्साह का प्रदर्शन किया जिस प्रकार का उत्साह उन्होंने चेल्सीया और श्री बिल क्लिंटन की सास को उदयपुर तक ले जाकर छोड़ने में दिखाया था। जब बंधकों को छोड़ा गया और हमने चैन की सांस ली उस समय पूरे राष्ट्र का सर हमारे विदेश मंत्री के इस घृणित कार्य से शर्म से नीचा हो गया जो आतंकवादियों के साथ-साथ चल रहे थे। विदेश मंत्री के इस एक मात्र घटना ने हमारे देश में उनकी छवि को स्थायी रूप से कलंकित कर दिया है।

सरकार ने राष्ट्र से वादा किया था कि वह बंधकों की रिहाई को सुनिश्चित करेगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता

नहीं करेगी। देश ने बंधकों की रिहाई का जश्न मनाया लेकिन इस देश का हर व्यक्ति इस सरकार को देखकर शर्मिन्दा था जिसके पास न तो कोई निश्चित दिशा अथवा संकल्प है और जो इस पूरे संकट काल के दौरान अंधेरे में राह टटोलती रही। यह इस संकट का कमजोर समाधान था जिसने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा दिया। अब सरकार को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना फिर न होने पाए तथा देश को फिर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बंदियों की रिहाई के लिए बाध्य न होना पड़े। जैसा कि कई लोगों ने पहले ही बताया है। भविष्य में किसी अपहरण तथा बंधक की घटना को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम यह मानकर चले कि ये घटनाएं किसी भी क्षण, कभी भी हो सकती है, इसलिए हमें इनके समाधान के लिए प्रक्रिया तथा अभ्यास को संस्थागत बनाने की जरूरत है।

यह सरकार, बजरंग दल तथा विश्व हिन्दू परिषद जैसे संगठनों के संबंध में उनके प्रति हितैषी चुप्पी से इस देश में अप्रत्यक्ष रूप से आई.एस.आई. की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। ये संगठन अलगाववादियों के शोषण के लिए लोगों के बीच बँटवारा के बीज बो रहे हैं।

जब तक केन्द्र में ऐसी सरकार बरकरार है जिसकी धर्मनिरपेक्ष विश्वसनियता संदेहास्पद है, इस देश में अलगाववादी विचारों को बढ़ावा देगी। जिस चीज की मांग पूरा देश कर रहा है वह है हमारे हवाई अड्डों पर तथा उड़ान के दौरान उचित सुरक्षा प्रबंध अपनाना जो उड़ाने अन्य देशों से संचालित की जाती है। उसके लिए तदर्थ प्रबंधों से काम नहीं चलेगा। इस संकट ने उस सरकार के एकदम असहाय रूप को सामने रख दिया है जो कठोर शासन का दम भरती है तथा जो अपनी नरम शासन की छवि को छोड़ना चाहती है। इस संकट की घड़ी में समूचे राष्ट्र ने इस सरकार की इस समस्या के अपक्षतापूर्ण समाधान को देखा। यह समस्या के अकुशल समाधान का ही परिणाम था कि जिससे अंततः बंधकों की रिहाई तथा खूँखार आतंकवादियों की रिहाई का रास्ता साफ हुआ और विदेश मंत्री ने उन्हें कंधार तक ले जाकर छोड़ा। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

महोदय, मैं इसी के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, बड़ी लम्बी अवधि के बाद इस सभा में इस विषय पर हमें चर्चा का मौका मिला है। इसलिए, हम सब आपके आभारी हैं।

यह चर्चा शुरू करने से पहले मैं उस आई.सी.-814 विमान के चालक दल, यात्रियों और उनके परिवारों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस गंभीर संकट में, लगभग मानसिक आघात की स्थिति में साथ दिया खासकर स्व. रूपन कत्याल जिन्हें मैं कारगिल के शहीदों के समान शहीद समझता हूँ, के परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूँ।

निःसन्देह इस विमान अपहरण की सभी लोगों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और जिसकी सबने निंदा की। हम सबने इसकी निंदा की, पूरे सदन द्वारा इसकी निंदा की गई तथा पूरे देश द्वारा इसकी निंदा की गई। लेकिन संकट की घड़ी में सरकार की भूमिका को केवल विमान अपहरण की अवधि के संदर्भ में ही नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार ने लाहौर शिखर वार्ता के बाद भी पाकिस्तान के नंगे षडयंत्र को देखा था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में यह स्वीकार किया था कि लाहौर यात्रा के बाद उन्हीं कारगिल की यात्रा करनी पड़ी। सरकार को पकिस्तान के इरादों की पूरी जानकारी, तथा उस पर नियंत्रण था। कभी माननीय गृह मंत्री श्री एल.के. आडवाणी ने इसी सदन में कहा था कि कारगिल की पराजय के बाद हतोत्साहित पाकिस्तान ने विभिन्न तरीकों तथा षडयंत्रों के जरिए भारत को अस्थिर बनाने के लिए हताशा पूर्ण कार्रवाई शुरू की थी।

क्या माननीय विदेश मंत्री, श्री जसवंत सिंह, जो हमारे अच्छे मित्र हैं, क्या पूरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के षडयंत्रों अथवा हताशा का अंदाजा लगाया कि यह हताशा किस प्रकार की तथा किस सीमा तक हो सकती थी। क्या उन्होंने काठमांडू सहित सभी जगह के हमारे खुफिया अधिकारियों को अगाह किया था। मुझे अधिकारिक तौर पर पता है कि विमान अपहरण से ठीक एक दिन पहले तक काठमांडू में आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी थी। भारतीय दूतावास से विदेश मंत्रालय को पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण रवैया के बारे में संदेश पर संदेश आ रहे थे कि पाकिस्तान काठमांडू में अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है। क्या माननीय मंत्री इससे इन्कार कर सकते हैं। माननीय गृह मंत्री के पास पूरी जानकारी थी। विमान अपहरण अथवा इस प्रकार के असुरक्षित क्षेत्रों में संभावित किसी भी घटना को रोकने के लिए आपने क्या किया?

महोदय, 1971 से अब तक 12 विमान अपहरण की घटनाओं का रिकार्ड है। केवल भिंडरावाले के आन्दोलन को छोड़कर सभी घटनाओं का संबध पाकिस्तान अथवा कश्मीर से है और सरकार के पास हमारी जानकारी है-इसके षडयंत्रों, उद्देश्यों, संचालन तथा परिणामों के बारे में सारी जानकारी है।

आज मैं किसी भी चीज को राजनैतिक नजरिये से नहीं देखना चाहता था क्योंकि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हो सकता

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

है कल हम सत्ता पक्ष में हो और आप विपक्ष में। और तब यदि कोई विमान अपहरण की घटना हो जाए तो उसे राजनैतिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। इस मामले में पूरे देश ने अपनी चिंता जतायी है।

मैं माननीय मंत्री महोदय के बयान उद्धृत करना चाहता हूँ। आपने राजनैतिक क्षेत्र भारत की रक्षा में चारों तरफ से मित्रों का समर्थन जुटाने संबंधी बड़ी उपलब्धि की बात कही थी। यह हमेशा आपका दावा रहा है। मैं आपके ही बयान उद्धृत कर रहा हूँ:

> ''जब विमान दुबई में उतरने वाला था तथा प्रारंभिक अनिच्छा के बाद, यू.ए.ई.-अधिकारियों ने.....''

यह भारत सरकार की ओर से एक अनुरोध था जिसमें कहा गया था। ''प्रिय मित्र, मैं भारत सरकार की ओर बोल रहा हूँ, हम संकट में है, कृपया हमारी मदद कीजिए'' लेकिन बयान में कहा गया है कि प्रारंभिक अनिच्छा के बाद यू.ए.ई. अधिकारियों ने हमारे अनुरोध का सकारात्मक जवाब दिया तो आई.सी.-814 विमान को यू.ए.ई. के एक हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दे दी।

शुरु में उन्होंने अनिच्छा क्यों जाहिर की? यात्रियों में केवल भारतीय यात्री नहीं थे बल्कि अन्य देशों के यात्री भी थे। क्या आपने उन देशों की इच्छा के बारे में कह सकते थे? नहीं।

यदि मैं घटनाक्रम को क्रम से पेश करूँ तो इसके बारे में सरकार की गंभीरता सामने आ जाएगी। विमान अपहरण की घटना तभी समाप्त हो गई थी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था। मैं सरकार की गंभीरता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

इस प्रकार गंभीरतापूर्ण कार्य देश की सुरक्षा, प्रतिष्ठा तथा उसके नाम के संदर्भ में घटित हुआ है। यह बजट सत्र 17 फरवरी को शुरु हुआ तथा सरकार ने 13 मार्च को स्वयं एक बयान दिया। ऐसे मामले में संसद को, राष्ट्र को सूचित करने के संबंध में ही इनकी गंभीरता है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के दूसरे दिन भी अपना बयान दे सकते थे और प्रिय सदस्यों तथा माननीय अध्यक्ष महोदय को बता सकते थे कि कैसे आप स्थिति से निपटे तथा क्या हुआ। यह बयान तब दिया गया जब कई प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा 'शून्यकाल' के दौरान इसके लिए बार-बार मांग की गई। पूरी घटनाक्रम को आप कितना महत्व देते हैं यह इससे स्पष्ट है।

महोदय, हमारे साहसिक प्रधान मंत्री महोदय ने फिर अपनी वही कविता सुनाई जो उन्होंने कारगिल के दौरान सुनाकर खुद को अतिसाहसिक होने का परिचय दिया था। मैं प्रधान मंत्री जी के 28 दिसम्बर भाषण उद्धृत करना चाहता हूँ। इसमें कहा गया है:

> ''आतंक के ऐसे प्रदर्शन के समक्ष हमारी सरकार नहीं झुकेगी। विमान अपहरण उन हताश लोगों की आतंकवादी कार्रवाई है जिनके मन में मानवजीवन तथा मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान नहीं है।''

प्रधान मंत्री विपक्ष के नेताओं से कब मिले? वे 25 अथवा 26 दिसम्बर को नहीं मिले बल्कि 27 दिसम्बर को मिले। वे सोच रहे थे कि ''संकट प्रबंधन समूह' के गंभीर हस्तक्षेप के कारण 48 घंटों के अंदर कोई चमत्कार हो जायेगा तथा वे विजय चौक पर आयेंगे और कहेंगे। देखो! कारगिल के बाद, कंधार में हमारी जीत। '' दुर्भाग्यवस, बात बदल गई। आप यू.ए.ई. का भी समर्थन नहीं जुटा पाए। जब आपका विमान यू.ए.ई. के हवाई अड्डे पर उतरा तो विमान के साथ यात्रियों के लाने के लिए जाते हुए मैंने श्री शरद यादव को दूरदर्शन पर देखा था। यह अच्छी बात थी जिसे आप लोगों ने किया। मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उस समय आपकी राजनयिक व्यवहार कुशलता क्या थी? क्या आप यू.ए.ई. तथा अन्य खाड़ी के देशों को इस प्रकार के दबाव बनाने के लिए राजी नहीं कर सकते थे कि विमान दुबई छोड़कर कंधार न जाए। आप क्यों असफल रहे? क्या यह सब एन.एस.जी. के कारण हुआ? एन.एस.जी. का संबंध दिल्ली और अमृतसर से था। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि वे ऐसा करने के अनिच्छुक थे, वे विमान को उतरने की अनुमति नहीं देना चाहते थे परन्तु फिर किसी तरह विमान उतरा। यूनाइटेड अरब अमीरात बनाम आपकी सरकार की यह विमुखता, जिसे आप हर समय बिल्कुल सही करार देते हैं जाहिर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, विशेषकर जब गल्फ में ऐसी स्थिति है। आपने ऐसा नहीं किया आप दुबई को भूल गए।

फिर वह विमान कन्धार गया। मैं जानता हूँ कि कन्धार में तालिबान आपके नियंत्रण में नहीं थे और मैं प्रतिदिन आपके चेहरे टेलीविजन पर देखता था। मैं जानता था कि दिन के छिपने पर हम पछताएंगे। यहाँ तक कि आप ने मान लिया होता कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच मिलीभगत थी। वे इस मामले में एकसाथ थे। तथापि भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से मैंने भी वही किया होता यदि मैं आपकी जगह होता मैं सहमत हूँ। परन्तु मैं कहाँ आता हूँ? यह मेरा वक्तव्य नहीं है। एनडीए के मेरे प्रिय साथी श्री विलास मुत्तेमवार को दोषी ठहरा रहे थे।

कारगिल मामले की जांच का कार्यभार जिस उत्तरदायी व्यक्ति को आपने सौंपा, श्री के. सुब्रमणियम ने उन पर टिप्पणी की है। मैं उनकी टिप्पणी उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा:

> ''राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के संयोजक, श्री के सुब्रहमणियम ने विमान अपहर्ताओं के साथ हुए समझौते को भारत की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए एक धक्का कहा।''

कारगिल की छानबीन करने वाली समिति के अध्यक्ष, श्री सुब्रहमणियम ने बिना किसी अस्पष्टता के यह कहा। मैं यह नहीं कहता कि हम सभी यह चाहते थे कि हमारे यात्री यहां मर जाएँ।

मैं आज केवल एक उदाहरण देता हूँ कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसे कैसे संभाला। कृपया मुझे गलत मत समझिए कि मैं इसे राजनीतिक अंकों के लिए कह रहा हूँ। 5 जुलाई 1984 को श्रीनगर-दिल्ली हवाई उड़ान, जिसमें 255 यात्री और चालक दल के 9 सदस्य थे, का अपहरण भिंडरावाले आतंकवादी समूह के नौ सदस्यों ने किया और इसे लाहौर ले गए। इंडियन एयरलाइन्स के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों का एक दल हेलीकाप्टर की पहली उड़ान से लाहौर ले जाया गया। तब सुबह 1.00 बजे का समय था परन्तु अपहरणकर्त्ताओं के साथ बातचीत तुरन्त शुरू कर दी गई। पाकिस्तान की ओर से कर्नल निआजी ने हमारी सहायता की। हम रात भर उनसे बातचीत करते रहे। प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी स्थिति की नजदीकी से निगरानी कर रही थी और हर पन्द्रह से 30 मिनट में इस दिशा में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया जाता था। उन्होंने यहाँ वहाँ बड़ी-बड़ी टिप्पणियां जारी करने की आवश्यकता नहीं समझी परन्तु वह नजदीकी से स्थिति का जायजा लेती रही। अपहरणकर्त्ताओं ने भिन्न-2 जेलों में बन्द अपने 22 साथियों को रिहा करने की मांग की। जितनी बार उन्होंने कोई मांग रखी हमने सहमति व्यक्त की और उन्हें यह बताया कि उनका अनुरोध राजधानी तक पहुंचा दिया गया है। वार्तालाप की प्रक्रिया जारी रही।

इस बीच दिल्ली में गुप्तचर अधिकारियों ने अपहरणकर्त्ताओं के संबंध का पता लगाने के लिए उनकी प्रत्येक मांग की जांच करनी शुरू की। हमें अपहरणकर्त्ताओं के पास हथियारों के होने का पता नहीं था, परन्तु वे विमान को उड़ा डालने की धमकी देते रहे, अत: हमें सजग रहना था। अपहरणकर्त्ताओं ने कुछ अजीब सी मांग की। उन्होंने कहा "हमें तुरन्त हमारा सामान दीजिए।" श्रीमती इंदिरा गांधी को यह बात तुरन्त बता दी गई। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बातचीत करने वाले दल को सलाह दी कि वह आत्मविश्वास, धैर्य और शान्ति से पेश आएँ। पाकिस्तान की ओर काम कर रहे प्रतिनिधि इस मांग को पूरा करने के पक्षधारी थे। दैववश इंडियन एयरलाइन्स के प्रतिनिधियों ने स्थिति को समझा और इसमें विलम्ब किया। उसने अपहरणकर्त्ताओं को बताया कि यह मांग पूरी कर दी जायेगी परन्तु उन्हें सामान का इन्तजार करना पड़ेगा क्योंकि उसे अमृतसर उड़ान द्वारा लाया जायेगा। 24 घंटे बाद 10.00 बजे प्रात: भी श्रीमती इंदिरा गांधी बिना कोई वक्तव्य जारी किए स्थिति का निरीक्षण करती रही। अपहरणकर्त्ता थक गये थे। उनकी थकान को देखते हुए, हमारे प्रतिनिधियों ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाने का निर्णय लिया। सात में से चार अपहरणकर्त्ता बाहर आये। हमने दो घंटे तक उन्हें बैठाये रखा और फिर उन्हें वापिस जाने दिया। फिर हवाई जहाज में बैठे तीन अपहरणकर्त्ताओं को संदेह हो गया और उन्होंने सोचा कि उनके साथियों ने कोई समझौता कर लिया है। वास्तव में यह सब काम इस ढंग से किया गया कि स्वयं अपहरणकर्त्ताओं के बीच में ही भ्रम पैदा हो गया।

जब हमारे आदमियों ने श्रीमती गांधी को सफलता की हो रही धीमी गति की सूचना दी तो उनकी सबसे पहली टिप्पणी जो बहुत महत्वपूर्ण थी यह थी, "अब सामान का क्या हाल है? जैसे ही यह काम पूरा हो जल्दी से सामान को अपने हवाले कर लें।" क्यों? श्रीमती गांधी ने जाना था कि हर थोड़े समय में धमकाने की क्रिया आतंक फैलाने की सोची समझी चाल हो सकती है और असली वस्तु सामान में पड़ी हो सकती है। अन्त में यही पाया गया कि आतंकवादी अपहरणकर्त्ता झूठे बमों से धमका रहे थे और सामान में सारी स्टेनगनें लदी थी। श्रीमती गांधी की उक्ति बहुत सही थी जो हर क्षण निगरानी रखने के कारण थी।

इस अनुभव से आपको सहायता मिली होती यदि आपको श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 जुलाई 1984 को इस स्थिति से निपटने की कार्यवाही से कोई मोह नहीं होता। यह कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं थी। बातचीत को लम्बा कैसे किया गया? यह वक्तव्य जारी करके अथवा उनके उद्देश्य, उनके षडयंत्र को पढ़कर या अन्तर्राष्ट्रीय मत बना कर नहीं किया गया।

अमृतसर एयरपोर्ट पर एसीटीसी और विमानचालक के बीच क्या घटा? यदि हम एटीसी की कार्यवाहियों का अध्ययन करें। मुझे लगता है कि श्री स्वैन ने यह अध्ययन किया है। हम यह जानेंगे कि जब अपहरणकर्त्ता विमानचालक को डरा-धमका रहे थे, विमानचालक यह एटीसी को बता रहे थे। परन्तु मनोविज्ञानियों या इस विषय के विशेषज्ञों को प्रत्येक क्षण का रिकार्ड किया हुआ विवरण संकट प्रबंधन दल को नहीं दिया गया ताकि वे जान सके कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। विमानचालक कह रहे थे "अपहरणकर्त्ता हम सबको मार डालेंगे कृपया टैंकर लाइए।" बाद में यह कहा गया कि उड़ान 15 मिनट देर से हुई थी। यदि वह पन्द्रह मिनट और देर से होती तो एन एस जी कमांडों तब तक आ गए होते। तब संकट प्रबंधन दल गठित नहीं हुआ था; वह बाद में बना। अत: एन एस जी कमांडों काम नहीं कर सके।

अपहरण की सूचना 5.00 बजे के लगभग आई और विमान 7.20 बजे अमृतसर विमानपत्तन पर उतरा। दो घण्टे और बीस मिनट में एक जिम्मेदार सरकार अपहरण के विगत उदाहरणों से सीखकर अपना प्रबंध संचालन नहीं कर सकी, तो तत्कालीन गृह मंत्री को अपना पद नहीं संभालना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या दो घण्टे बीस मिनट का समय अपनी नीति तैयार करने, अपने विशेषज्ञों को बुलाने और स्थिति का जायजा लेने

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

और यह जानने के लिए पर्याप्त नहीं था कि पिछली बातचीत कैसे शुरू की गई और उसकी क्या कमी थी? आपको दूसरी पार्टी के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। विदेश मंत्री ने उस समय कहा कि वे अमरीका की प्रतिक्रिया से खुश थे। वे सभा को बताएं कि क्या वह वास्तव में हार्दिक रूप से खुश थे। वह यह आशा कर रहे थे कि अमरीका पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे। वह बहुत अच्छा रहा होता परन्तु घटना के चौबीस घण्टे के भीतर भी वह उस तरह का एक सीधा वक्तव्य जारी नहीं करवा सके, जिस तरीके से यह जारी किया जाना चाहिए था। अमरीका की प्रतिक्रिया घटना के शुरू होने के 72 घंटे बाद आई। क्या सरकार की कूटनीति यही है? सरकार कूटनीतिक पहल में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने में असफल रही है; सरकार स्थिति का आकलन करने में असफल रही है; सरकार अपहरण की विगत घटनाओं से सीखने में और उसका अध्ययन करने में असफल सिद्ध हुई है। यह केवल दो घण्टे बीस मिनट का प्रश्न नहीं है। यह उड़ान पहले लाहौर गई और वहां से कन्धार।

विदेश मंत्री एक अच्छे मित्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में वह एक विख्यात व्यक्तित्व रहे हैं। जब वह बातचीत करते हैं, मुझे भारतीय होने पर गर्व होता है परन्तु उन्हें कन्धार में एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व का प्रदर्शन नहीं करना था। वहाँ उनकी उपस्थिति मुझे 1971 में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण की याद दिलाती है। मैंने हाथ जोड़ कर, ढाका में आत्मसमर्पण करते हुए जन निआजी चित्र देखे और भारत के लोगों ने उस समर्पण पर खुशी मनाई। जब कारगिल आप्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ, शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया और शहीदों की जयजयकार हुई। हमारे लिए यह गौरव के क्षण थे। परन्तु मुझे खेद है कि विदेश मंत्री उन खूंखार आतंकवादियों को अपने साथ ले गए क्योंकि उनका नाम लेना भी पाप है–यह लोगों के लिए उत्साह भंग करने वाली कार्यवाही थी। आतंकवादियों के साथ बातचीत मंत्री ने नहीं की अपितु विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ने की। मंत्रालय के एक सक्षम अधिकारी श्री कातजू से यह बातचीत की और मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। अपहरणकर्त्ताओं के साथ बातचीत उन्होंने की और विदेश मंत्री भारत का सम्मान कन्धार ले गए। भारत के विदेश मंत्री अपहरणकर्त्ताओं के सामने समर्पण करने हेतु आतंकवादियों के साथ कन्धार गए। मैं कन्धार में भारत के समर्पण को ढाका में जनरल निआजी के समर्पण से तुलना करता हूं।

श्री वैको (शिवकाशी): यह न्यायपूर्ण तुलना नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जब यह देश के सम्मान का प्रश्न हो तो श्री वैको को पार्टी से अलग सोचना चाहिए। मंत्री महोदय अपने अधिकारियों को भेज सकते थे। उन्होंने कश्मीर के मुख्य सचिव को भेजा होता। उन्होंने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भेजा होता क्या वह यह बयान कर सकते हैं कि उन्हें स्वयं ही क्यों जाना पड़ा? यह अपहरणकर्त्ताओं में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए था कि आतंकवादियों को वास्तव में रिहा कर दिया जायेगा। आतंकवादियों के साथ मंत्री महोदय के कन्धार जाने से देश का सम्मान कम हुआ विश्व में राष्ट्र की छवि निम्न हुई और कारगिल की विजय छोटी पड़ी जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। कुछ भाजपा सदस्य भी मेरे विचार को अभिव्यक्त करेंगे। निजी वार्तालाप में वे कहते हैं,

[हिन्दी]

ऐसा करना ठीक नहीं था और किसी को भेज सकते थे। उनको नहीं जाना चाहिए था, वे गए, हम क्या कर सकते हैं।

[अनुवाद]

शायद विदेश मंत्री ने सोचा कि वो प्रेरणा और वार्ता संबंधी अपनी कुशलता से तालिबान को बदल लेंगे और भारत आ कर वह यह कहेंगे कि न केवल वे यात्रियों को वापिस ले आए हैं अपितु उन्होंने तालिबान को भारत का दृष्टिकोण समझाने और कट्टरवाद छोड़ने पर राजी किया।

सम्पूर्ण घटना का प्रबंध किया गया था और घटनाक्रम तीन बातों की वजह से रुपान्तरित हुआ–सरकार की असहायता, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध की प्रणाली के प्रति सरकार की वचनबद्धता का न होना, सरकार में समझ और कल्पना का अभाव और अतीत से सीखने की अयोग्यता बार-बार वह कांग्रेस के पचास वर्ष के शासन को दोषी ठहराते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि पूरी सरकार में यदि कोई उत्तम अंश है, वह कांग्रेस के पचास वर्ष के शासन की उत्पत्ति है। जब वे कांग्रेस पार्टी की इसके पचास साल के शासन की आलोचना करते हैं तो उन्हें हमारे शासन से अच्छी बातों को भी सीखना चाहिए कि स्व. श्रीमती गांधी ने पर्व में इसी प्रकार की स्थिति से किस प्रकार निपटा था और अन्य लोगों ने इसी प्रकार की स्थिति से कैसे निपटा था। उन्हें यह सीखना चाहिए था कि पूर्व में ऐसी ही विमान अपहरण की घटनाओं के समय विश्व जनमत ने किस प्रकार भारत का समर्थन किया था। सरकार असफल रही है तथा इस स्थिति से निपटने में भी बुरी तरह असफल रही है। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा न हो। भारत और काठमांडू के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान शीघ्र शुरु की जाएगी।

मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों में देर से ही सही समझदारी आएगी। कृपया आप लोग इस देश को तथा इस देश की समस्याओं के साथ इस प्रकार से मत पेश

आएं कि लोग आप लोगों के कुप्रबंधन तथा अदूरदर्शिता के कारण अपने को असुरक्षित महसूस करने लगें।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, आज अति संवेदनशील सवाल पर सदन में चर्चा हो रही है और लगभग चार महीने से ज्यादा समय हो गया, जो विमान अपहरण की घटना घटी थी, सारा देश उस पर चिंतित था। यह घटना उस समय घटी जब वर्ष 1999 बीतने की प्रतीक्षा लोग कर रहे थे और नया वर्ष, नया मिलेनियम नये तरीके से जीने की राह ढूंढने की व्यवस्था कर रहे थे। 24 दिसम्बर को जो यह दुखद घटना घटी, सारा देश परेशान था और इस दुखद घटना से केवल सरकार ही नहीं बल्कि गांव में रहने वाला एक-एक व्यक्ति इस घटना से परेशान था। जिस आई.सी.-814 विमान का अपहरण हुआ, नेपाल से अपहरण होने के बाद जैसा कि जो कागज हमें मिला है, उसके अनुसार जानकारी मिलती है कि अपहरणकर्त्ता लाहौर में विमान उतारने के लिए प्रयत्नशील थे। वे वहां विमान क्यों उतारना चाहते थे? उसके पीछे क्या राज था? इस बात से साफ हो जाता है कि लाहौर से उनका सम्पर्क और संबंध था। इसी कारण से वे लाहौर में सुरक्षित महसूस करते थे। सरकार की तरफ से जो प्रयास हुआ, मुझे बधाई देने में कोई संकोच नहीं है कि 165 यात्रियों को सुरक्षित वापस ले आया गया लेकिन सुरक्षित वापसी के साथ कहीं-कहीं त्रुटियां हुई हैं, भूलें हुई हैं। जिस समय अमृतसर में लगभग 45 मिनट तक विमान खड़ा रहा था, उस समय हम क्यों मूक दर्शक बने रहे? हमने उस समय कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जिससे यात्रियों को वहां ही छुड़ाया जा सकता था? हम यह मानते हैं कि मानवता के आधार पर 165 यात्रियों को हमने मुक्त कराया और उसके बदले में तीन खूंखार आतंकवादी तथा उनके चेले चपाटे जिन्होंने पता नहीं कितनी महिलाओं को विधवा बनाया होगा, उनको छोड़ने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। मानवता के दृष्टिकोण से हमें सफलता मिली। हमने यात्रियों को छुड़ाया लेकिन हम सौ प्रतिशत सफलता मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जिस समय गृह मंत्री जी की बेटी का अपहरण हुआ था और आतंकवादियों को छोड़ा गया था, उस समय पूरे देश के लोगों ने इसलिए गृह मंत्री जी की शिकायत की थी कि गृह मंत्री जी ने अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए आतंकवादियों से समझौता कर लिया था। वह परिस्थिति इस सरकार में नहीं है। इस सरकार ने मानवता के दृष्टिकोण से 165 यात्री जिनमें कुछ विदेशी थे और महिलाएं तथा बच्चे सब थे, एक हफ्ते तक इस दर्दनाक घटना को झेलने का काम उन लोगों ने किया, यातनाएं सही जिनका वर्णन करना मुश्किल हो रहा है। जिस समय यह घटना घटी थी, उस समय माननीय सदस्यों के माध्यम से अखबारों में कई सवाल खड़े किये जाते रहे और उन सवालों में विदेश मंत्री की कंधार यात्रा की भी चर्चा थी। तीन आतंकवादियों को छोड़ने की चर्चा भी बहुत जोरों पर रही। तालिबान, हरकत-उल-मुजाहिदीन और आईएसआई-त्रिकोणीय समन्वय के कारण यह घटना घटी, जैसा कि सरकारी प्रतिवेदन से मालूम होता है। अपहरणकर्ताओं ने जिस समय स्व. कटियाल को छूरा मारा, उस समय विमान लाहौर में दो घण्टे पच्चीस मिनट ठहरा था। अगर पाकिस्तान में थोड़ी मानवता से दृष्टिकोण से काम किया होता, तो हम यह महसूस करते हैं कि कटियाल स्वर्गवासी नहीं होते और हो सकता था, उनकी जान बच जाती। लेकिन पाकिस्तान की भूमिका बराबर सन्देह की रही और वैसे भी पाकिस्तान की भूमिका सन्देह में कोई पहले-पहल इस देश के लिए नहीं रही है। आईएसआई की चर्चा बहुत जोरों से इस देश में, सदन में और सदन के बाहर चलती रही है। यह भी चर्चा चल रही है कि आईएसआई का एजेंट इस देश में रहने वाले कुछ लोग हो चुके हैं, जो उनके धन से हथियार खरीद कर इस देश में आतंक की घटनायें करते हैं। यह देश की आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है और साथ ही इस देश की सीमा की सुरक्षा का भी मामला है। ऐसे मामलों पर सरकार को गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिए। हम तो यह भी कहेंगे कि उस समय सरकार का खुफिया विभाग भी फेल हो चुका था, क्योंकि जिस समय यह घटना घटी, उन्होंने समय से पहले सूचना नहीं दी, जिसके चलते यह घटना घट गई। यह बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन जो विपक्ष द्वारा आरोप लगाए गए हैं, हम यह मानते हैं कि उन आरोपों में सच्चाई नहीं है। जैसा कि विलास मुत्तेमवार जी कह रहे थे कि सरकार को दो घण्टे के बाद सूचना मिली, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारी प्रतिवेदन के अनुसार सरकार को तीन मिनट के बाद दिल्ली में सूचना मिल चुकी थी। दिल्ली में सूचना मिलने का मतलब है कि सरकार को सूचना मिल चुकी थी और सरकार उसी समय से प्रयत्न कर रही थी। इस स्थिति के बाद, जो भी बातें चर्चा में आ रही हैं, उनको सुनने के बाद पता चलता है कि हमने उस घटना के बाद विदेश नीति में सफलता हासिल की है। यह उसी का नतीजा था कि 72 घन्टे के बाद अमरीका के राष्ट्रपति का ब्यान पाकिस्तान के संबंध में आया था। इस घटना के बाद संसार में कई देश, खासकर अमरीका, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस संबंध में अमरीका से भी बयान आ रहे हैं, जो अखबारों में छप रहे हैं। इस परिस्थिति से हमने जो सफलता पाई है, उस सफलता से हमें संतोष और प्रसन्न नहीं होना चाहिए। इस सफलता से हमें सोचना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे और इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आईएसआई की चर्चा सरकार के प्रतिवेदन में है और आईएसआई का इस घटना में भी हाथ है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। आज के सहारा अखबार में एक समाचार निकला है और वह समाचार

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

एक मोटे अक्षर में है और एक छोटे अक्षर में है। छोटे अक्षर में जो समाचार लिखा है, उस में चुनौती दी गई है। कहा गया है- मैं आईएसआई का एजेन्ट हूं, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो। इस देश में रहने वाला कोई धार्मिक या राजनीतिक नेता इस तरह का ब्यान दे और अखबारों में आए कि हम आईएसआई के एजेंट हैं, हिम्मत है तो हमें गिरफ्तार कर लो-इस ढंग के बयानों को सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए।

हमारा कहना है कि ऐसे बयान देने वाले नेता को सरकार तत्काल गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उनके माध्यम से देश में आईएसआई की अड्डेबाजी हो रही है और दिल्ली भी आईएसआई का केन्द्र बिन्दू बनता जा रहा है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम यह बोलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि अखबारों में जो बयान निकला है, जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब का बयान है, हम जानना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा बयान देने का हक कहां से मिला। जो इस देश में रहते हैं और अपने को भारतीय कहते हैं, उसके बाद भी इस तरह का बयान देते हैं तो हम आपके माध्यम से सरकार से कहेंगे कि ऐसे इमाम बुखारी को गिरफ्तार करके जेल में बंद करवाना चाहिए ताकि भविष्य में फिर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का बयान अखबार में देने की हिम्मत न कर सके।

महोदय, अभी नेपाल की स्थिति बहुत खराब है। नेपाल हमारा मित्र देश है, लेकिन नेपाल में जिस तरह टीवी के माध्यम से पाकिस्तान की अच्छाई का प्रचार किया जाता है और खास कर भारत के बारे में गलत प्रचार किया जाता है, इससे वहां के लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है तथा लोगों का रुख भारत के प्रति थोड़ा कड़ा होता जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए ताकि जो टीवी के माध्यम से भारत के विषय में वहां गलत प्रचार किये जा रहे हैं और पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार किये जा रहे हैं, उस पर अंकुश लग सके।

कई बार यहां चर्चा चल चुकी है कि नेपाल के माध्यम से आईएसआई की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं जिसमें उत्तर-बिहार का कुछ हिस्सा जिसमें छपरा, सीवान और गोपालगंज शामिल है, तथा उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जिसमें देवरिया और गोरखपुर शामिल है। वहां आप समीक्षा करवा लीजिए। इस समय वहां 50-50 लाख, एक-एक करोड़ रुपये के मन्दिर बन रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि उन मन्दिर और मस्जिदों में निश्चित तौर पर आईएसआई का अड्डा बन रहे हैं, इसलिए वे देश के लिए कभी भी भारी खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। आज खासकर उत्तर-बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से गोरखपुर, देवरिया आदि पर खतरे के बादल मंडला रहे हैं। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि उन सब हिस्सों की केन्द्र सरकार को निगरानी करनी चाहिए और तत्काल वहां खुफिया विभाग मजबूती से तैनात करके उन सब अड्डों की छानबीन करानी चाहिए।

इसी तरह धर्म के नाम पर देश में आतंकवाद फैलाने का काम हो रहा है और आतंकवाद की वजह से विमान अपहरण की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस देश में ऐसा करने की किसी को छूट या अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय सभापति महोदय, 24 दिसम्बर, 1999 को दुनिया के मात्र एक हिन्दू राष्ट्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से हमारे भारतीय विमान का अपहरण किया गया। सरकारी सूचना के मुताबिक हम लोगों को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके अनुसार इस विमान अपहरण के तीन मिनट बाद सरकार को विमान अपहरण की जानकारी हो गई थी। इनकी सूचना के अनुसार चार बज कर 53 मिनट पर विमान का अपहरण हुआ और चार बज कर 56 मिनट पर विमान अपहरण की सूचना सरकार को प्राप्त हुई। इन्हें जिस समय यह सूचना प्राप्त हुई, अखबारों के माध्यम से जो सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, उनके अनुसार उस समय विमान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऊपर से उड़ रहा था और अपहरणकर्त्ता सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक उस विमान को लाहौर ले जाना चाहते थे।

महोदय, मैं बड़े ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि 1971 में जब हमारे देश की बहादुर सेना ने पाकिस्तान का विभाजन कर दिया और जब दुनिया के मानचित्र पर नये राष्ट्र के रूप में बंग्लादेश का उदय हुआ, तब से लेकर आज तक लगातार पाकिस्तान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए छापामार युद्ध करता चला आ रहा है। मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि इस विमान अपहरण की घटना में पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ रहा है, इसलिए विमान अपहर्ता उस विमान को काठमांडू से लखनऊ होते हुए लाहौर ले जाना चाहते थे। मुझे विदेश मंत्री जी से कहना है कि पाकिस्तान की जो रणनीति रही है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक सफल रही है और आप अपनी रणनीति में विफल रहे हैं। उसने विमान अपहरण के लिए दुनिया के मात्र एक हिन्दू राष्ट्र नेपाल की राजधानी काठमांडू का चयन किया और विमान को लाहौर में उतरने नहीं दिया।

विवश होकर विमान पुन: आपकी सूचना के मुताबिक सात बजे अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा और 49 मिनट तक वह हवाई अड्डे पर रहा। पहले भी अमृतसर हवाई अड्डे पर पांच विमानों का अपहरण करके उतारा जा चुका है। पूर्व में जब पांच अपहरण की घटनाएं हो चुकी थीं और 49 मिनट तक जहाज हवाई अड्डे

पर रहा, फिर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जहाज को मुक्त कराने की दिशा में सार्थक प्रयास नहीं किये। यह सीधे तौर पर सरकार की विफलता है। आईएसआई की गतिविधियों का जिक्र भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग करते हैं। यह बात भी कही गयी है कि नेपाल के अंदर आईएसआई अपनी गतिविधियां फैलाती जा रही है, तो क्या आईएसआई के सामने हमारा खुफिया तंत्र विफल हो चुका है। यदि हमने अपने खुफिया तं। की असफलता को स्वीकार कर लिया तो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो जायेगा।

यह इसलिए भी महत्व का विषय है कि कारगिल में देश को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। उस समय भी हमारा खुफिया तंत्र हमें जानकारी नहीं दे पाया था। यह भी उसकी बड़ी असफलता थी। हम सबको और सरकार चलाने वालों को इस बात के ऊपर गंभीरता से मनन करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ? कंधार में हमें जिस शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है उससे पूरी दुनिया में हमारा सिर शर्म से झुक गया है।

मान्यवर, पहले भी, कुछ लोगों के बदले में अपहर्ता छोड़े गये हैं। माननीय प्रभुनाथ सिंह जी, मैं आपको और पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि उस समय जनता दल की सरकार चल रही थी और उस सरकार के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हुआ था। उस समय को भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन दे रहे थे। अगर आपने सरकार से समर्थन वापिस ले लिया होता तो आपका राष्ट्रवादी चेहरा देश के सामने ऊभरकर आता। लेकिन आपने इस मसले पर समर्थन वापस नहीं लिया बल्कि आपने राम मंदिर के सवाल पर जनता दल सरकार को गिराने का काम किया, समर्थन वापस लेने का काम किया। आज दूसरी दफा भी जब ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है तो आपकी एनडीए की सरकार देश में काम कर रही है। कंधार में जिस शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, वह सबको पता है। देश के सवाल पर अगर लाखों लोगों को भी कुर्बान करना पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर आतंकवादियों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। इस पर देश को एक स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी।

आज जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय देता चला जा रहा है और देश में जिस तरह से आतंकवाद अपनी जड़ें जमाता चला जा रहा है, इस पर पूरे देश और सदन को एक स्पष्ट निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा करके ही आप आतंकवाद को परास्त कर सकेंगे।

जिस अजहर मसूद को आपने रिहा किया, उसकी वजह से न जाने कितने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ीं। इस बात की पूरी जानकारी सरकार के चलाने वालों को होगी। आठ दिनों तक केवल 164-165 यात्री ही आतंक से साये में नहीं जी रहे थे बल्कि पूरे देश का जनमानस आतंक के साये में जी रहा था। पहली जनवरी को जब यात्री मुक्त हुए और विमान स्वदेश वापिस आया तो देश के नौजवानों की पीड़ा का अंदाजा कोई लगा नहीं सकेगा। सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हीं को हुई।

हम बड़े अदब के साथ विदेश मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि हमें उनकी नेक-नीयत पर शक नहीं हैं, लेकिन आपको दृढ़-निश्चय का परिचय देना होगा, असफलताओं को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान अपनी हरकतों को जारी रखने के लिए और भी कुत्सित प्रयास करेगा। इसलिए आने वाले दिनों में अगर आप आईएसआई का रोना रोकर उनके ऊपर दोषारोपण करने का काम करके अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री समझ लेंगे, तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा।

आज आईएसआई का हौवा खड़ा किया जा रहा है, लेकिन पहले सीआईए का हौवा खड़ा किया जा रहा था। आज आईएसआई के एजेंटों को सरकार चिन्हित क्यों नहीं कर रही है।

आज हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो आई.एस.आई. को संरक्षण देने वाले लोग हैं उन्हें निश्चित ही चिन्हित कर दंड दिया जाए लेकिन अगर किसी कौम को लांछित करके आई.एस.आई. के नाम का प्रयोग किया जाएगा तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश एक बार फिर टूट जायेगा।

यहां मौलाना इमाम बुखारी की चर्चा की गई। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के एक राज्य मंत्री तीन बार गैर कानूनी तरीके से नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों एस.टी.एफ. ने जिस श्री श्रीप्रकाश शुक्ला की हत्या की, उस आतंकवादी से उनके खुले रिश्ते थे। आप उत्तर प्रदेश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट मंगा लें। उससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जायेगा। मेरा क्षेत्र महाराजगंज जनपद भारत, नेपाल की सीमा पर स्थित है। प्रभुनाथ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं भारत-नेपाल सीमा पर महाराजगंज जनपद का दौरा कराता हूं। एक भी नया मदरसा या मस्जिद यदि दस पन्द्रह लाख रुपये से ज्यादा की लागत का मिल जाएगा तो मैं संसद सदस्य के पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। यह सुनियोजित साजिश के तहत यह बात कही जा रही है। आप चल कर देखें कि वे मदरसे और मस्जिदें कैसे तामीर की गई हैं? वहां केवल मस्जिदें, मदरसे ही नहीं बनाए गए हैं, वहां मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। वे भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं अपने यहां की बात कर रहा हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: संयोग से माननीय सदस्य भी महाराजगंज क्षेत्र से हैं लेकिन वह उत्तर प्रदेश में है। मैं भी महाराजगज क्षेत्र से चुन कर आया हूं लेकिन वह बिहार में है। हमारा क्षेत्र भी नेपाल से सटा है। वह वहां से दूर नहीं है। मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं कि नेपाल का जो सीमावर्ती इलाका है, बेतिया से लेकर रक्सोल, मोतिहारी तक, आप वहां चल कर देख लें। वहां एक-एक मंदिर और मस्जिद 50-50 लाख रुपए की लागत से बने हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यदि इसकी जांच कराई जाए तो पता लगेगा कि वहां आई.एस.आई. की गतिविधियां चल रही हैं। जब कोई बयान दे रहा हो तो इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है? अखबारों में ऐसे बयान भी आ रहे हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैंने अपने क्षेत्र महाराजगंज की स्थिति को स्पष्ट किया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के छ: हिन्दुओं और सात मुसलमानों के खिलाफ आई.एस.आई. के एजेंट होने का आरोप लगाया। कई एजेंसियों ने उसकी जांच की। बाद में यह बात साबित हो गई कि राजनैतिक विद्वेष की भावना से राज्य मंत्री द्वारा ये आरोप लगाए गए। किसी को भी किसी के खिलाफ आरोप लगाने का खुला अधिकार है लेकिन आरोप गलत हों, यदि व्यक्ति को गलत तरीके से अपमानित और प्रताड़ित किया जाए तो गलत आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। यदि ऐसा प्रावधान नहीं करेंगे तो निश्चित ही जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, वे समाज में हीन और अपमानित भावना के शिकार होंगे और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होंगे। आप जिस मौलाना इमाम बुखारी के बयान को यहां पढ़ रहे हो, उनकी भावना को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने इस मामले में यह नहीं कहा कि मैं वास्तविक रूप में आई.एस.आई. का एजेंट हूं। उनका यह कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी विशेष कौम को लांछित किया जाएगा तो हम भी आई.एस.आई. के एजेंट हैं। मैं विदेश मंत्री जी को बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि यह बड़ा संवेदनशील प्रकरण है। इसमें सरकार को बड़ी सतर्कता के साथ वक्तव्य जारी करना होगा। इस संवेदनशील मामले पर सरकार को ईमानदारी से विचार करना चाहिए, अक्लियत की भावना को समझना चाहिए, उनके मन में जो डर और भय है, उसे निकालना चाहिए। यदि आपने उनके मन के डर और भय को निकालने का काम किया तो आज जो बातें उभर कर आ रही हैं, वे नहीं आएंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि विमान अपहरण से देश को जिस शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, उसके कारण पूरी दुनिया में देश का सम्मान घटा है। 1971 में हमारे देश ने जो गौरव प्राप्त किया था, निश्चित तौर पर हमारी वह स्थिति कारगिल युद्ध और विमान अपहरण के बाद खराब हुई है। उस स्थिति को फिर बहाल करने के लिए उपाय ढूंढने होंगे।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी): सभापति महोदय, 24 दिसम्बर, 1999 को जब सारी दुनियां क्रिसमस का त्योहार मना रही थी। तभी ठीक आधी रात को इंडियन एयर लाइन्स के विमान अपहरण के समाचार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महोदय, केवल ईसाई ही नहीं बल्कि भगवान ईशु के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखने वाले विश्व के तमाम लोग उत्सव मनाने की मन:स्थिति में थे। भारत में करोड़ों लोग माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिन मनाने वाले थे। प्रधान मंत्री जी ने 25 दिसम्बर की सुबह अपने जन्मदिन के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए।

जब मैं अपने मित्र श्री प्रियरंजन दास मुंशी को सुन रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसमें कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति श्री दासमुंशी की ओर से मुझे ऐसे बयानों की आशा कभी नहीं थी। इन सात दिनों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गंभीर मानसिक संत्रास से गुजरना पड़ा। यह कोई पक्षपात अथवा राजनैतिक मामला नहीं है।

जब पूरी दुनिया नई सहस्राब्दि में प्रवेश की खुशियां मना रही थी हमने 31 दिसम्बर, 1999 की पूर्व रात्रि में चैन की सांस ली। इसलिए जब पूरा विश्वव नई सहस्राब्दि का स्वागत कर रहा था हम लोगों ने भी अपहृत यात्रियों की रिहाई की खुशियां मनायी। मैं इस संकट से निपटने में विदेश मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा करता हूँ तथा उन्हें धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री महोदय द्वारा एक सराहनीय तत्परता दिखायी गई।

श्री दासमुंशी कह रहे थे कि संध्या सायं 5 बजे से 7 बजे के बीच दो घंटे का कीमती समय बर्बाद हो गया। लेकिन महोदय, पहली जो सूचना मिली थी उसके अनुसार वे लोग लाहौर की ओर जा रहे थे। जब लाहौर ने उन्हें अनुमति नहीं दी, तब उन लोगों ने विमान को अमृतसर में उतारा। लेकिन स्थिति क्या थी? कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि अमृतसर में ही कमांडो कार्यवाही की जा सकती थी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को वहाँ भेजा जा सकता था। लेकिन हर पल चालक से दिल दहलाने वाली प्रतिक्रिया मिल रही थी। वह कह रहा था कि चार व्यक्ति पहले ही मारे जा चुके थे तथा अन्य यात्रियों को 'जे' क्लास की अगली पंक्ति में लाया गया था तथा उनके हाथ बंधे हुए थे। उसने यह सूचना भी दी कि उनकी जान को खतरा था। इन परिस्थितियों में सबसे अहम बात थी यात्रियों की जान को बचाना। कोई भी दु:साहसिक कार्यवाही जान लेवा हो सकती थी।

महोदय, अब तक विदेशों में केवल चार कमांडो कार्यवाही हुई हैं। पहली कार्यवाही 1976 में इन्टेवी में इजराईल द्वारा की गयी थी तथा दूसरी कार्यवाही 1970 में मोगादिशु में पश्चिम जर्मनी द्वारा की गई थी। ये दोनों कार्यवाहियां सफल रहीं जिसमें कम से कम जानें गईं। लेकिन अन्य दो में, जिनमें से एक मिस्र द्वारा 1985 में की गई थी, सफलता तो मिली लेकिन उसमें भारी मानवीय क्षति हुई तथा 59 यात्रियों की जानें चली गई थीं। दूसरी कार्यवाही वर्ष 1978 में साइप्रस में की गई थी जो बहुत विनाशकारी रही क्योंकि इसमें स्थानीय सुरक्षा बल द्वारा कमांडों को मार दिया गया था।

अत: अमृतसर में जो सर्वोत्तम कार्यवाही की जा सकती थी। वह सरकार द्वारा की गई। लाहौर में, जब तक हमारे उच्चायुक्त को बड़ी कठिनाई से अनुमति मिली–मैं विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ–तथा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हुई और हवाई जहाज छोड़ा गया। वे लोग कहाँ उतरे? वे लोग जब जहाज को उस क्षेत्र में ले गए जो भारत का मित्र नहीं था। तालिबान प्रशासन भारत का मित्र नहीं है। इन विषम परिस्थितियों में तथा चुनौती भरे समय में हम लोगों ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया।

हमारे मित्र कह रहे थे कि हमने आतंकवादियों तथा उग्रवादियों के समक्ष घुटने टेक दिए हैं। लेकिन हमें अन्य परिस्थितियों को भी नहीं भुलाना चाहिए। श्री दासमुंशी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गाँधी, जिनके प्रति हमारे मन में बहुत ज्यादा सम्मान है, द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कर रहे थे। लेकिन वह समय भिन्न था। वर्ष 1981 की एक घटना में हमारे सुझाव के बावजूद अपहरणकर्त्ताओं द्वारा पाकिस्तान में ही आई.एस.आई. द्वारा दिए गए ग्रिनैडों से विमान को उड़ा दिया गया था। हमने अपहरणकर्त्ताओं की मांग पर छूट दी थी। ऐसा कई अन्य घटनाओं में भी हुआ है। इजराइल ने भी ऐसा किया है, पाकिस्तान तथा अमेरिका ने भी ऐसा किया है क्योंकि यात्रियों की जान की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए।

हमारे माननीय विदेश मंत्री जी की यह कहकर आलोचना की गई है कि उन्हें अपना सचिव वहाँ भेजना चाहिए था। अगर यात्रियों की जान को कुछ हुआ होता तो इस बात को लेकर बहुत शोरगुल होता कि सरकार ने यात्रियों की जान की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया।

इस संकट तथा अपहरण की घटना के समाधान के कई पहलु है। इसमें आपसी सहयोग, मीडिया की भूमिका, अपहरणकर्त्ताओं से निपटना तथा अंतत: कमांडो कार्यवाही शामिल है। इस स्थिति में उनको मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त था। वास्तव में उन्होंने किसी विजय का दावा नहीं किया है। केवल राजनीतिज्ञ ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने विजय पा ली है।

इस विशेष स्थिति में, जबकि ये लोग हवाई जहाज में थे तथा हम अधिकारियों के साथ बातचीत तथा समझौते कर रहे थे हमारे विदेश मंत्री कोई भी खतरा लेना नहीं लेना चाहते थे अथवा ऐसा मौका नहीं देना चाहते थे क्योंकि यदि अंतिम क्षणों में कोई अप्रिय घटना घट जाती तो हमें घटना स्थल पर ही फैसला लेना पड़ता। उस कार्य के लिए केवल हमारे माननीय विदेश मंत्री जी ही वहाँ गए। इससे यात्रियों को भी सांत्वना मिली।

मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग दूरदर्शन पर घटनाओं को देखकर स्तब्ध रह गए। यात्रियों के कुछ संबंधी जो वास्तव में उनके संबंधी नहीं भी हो सकते थे लेकिन वे अपने को अपहृत यात्रियों के संबंधी बता रहे थे, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वे लोग हर तरह के गैर-जिम्मेदाराना और असंयत नारे लगा रहे थे। यह सब कुछ मीडिया द्वारा सामान्य रूप में दिखाया गया। इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे इससे बहुत दु:ख हुआ। ठीक इसी समय कारगिल की विधवाओं ने एक बयान दिया कि इस घड़ी में हमें सरकार का साथ देना चाहिए।

वेल्लौर के एक वृद्ध व्यक्ति का लड़का भी इस अपहृत विमान में था। मुझे ऐसा कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि वह वृद्ध व्यक्ति दिल्ली में आया तथा उसने यह बयान दिया कि मेरे लड़के की जान भले ही चली जाए देश की प्रतिष्ठा सबसे अधिक बढ़कर है। लेकिन समाचार पत्रों में तथा दृश्य मीडिया में किस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रचारित की गई कुछ लोग अपहृत विमान यात्रियों के संबंधियों के नाम से सरकार तथा प्रधान मंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ऐसे लोगों को कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा उकसाया गया था क्योंकि ठीक उसी प्रकार के गैर-जिम्मेदाराना बयान यहाँ पर भी कुछ राजनैतिक पार्टियों द्वारा दिए गए। महोदय, इस मामले में वे लोग एक मुस्लिम की शव की मांग कर रहे थे। यह इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध था। मैंने इसे बयान में भी पाया था। इस्लाम में पांच तरह की कर्त्तव्यों की चर्चा है। उन मूल कर्त्तव्यों में से एक है रमजान का उपवास रखना। रमजान के उपवास में यात्रियों के लिए एक अपवाद है तथा यह बहुत उचित भी है। अल-कुरान के अल-बेहेरा, अध्याय-दो में कहा गया है:

"... कुछ निश्चित दिनों तक उपवास रखे लेकिन आप में से कोई यदि बीमार हो अथवा किसी यात्रा पर हो तो निर्धारित दिनों की संख्या को बाद के दिनों से गिना जाना चाहिए।"

इसमें भी अपवाद की इजाजत है। यहाँ तक कि पैगम्बर मुहम्मद ने भी एक जगह ऐसा ही बयान दिया है। रमजान के उपवास के दौरान यात्रियों को छूट दी जानी चाहिए। अत: इस्लाम के नाम पर वे जो कुछ कर रहे थे वह वास्तव में इस्लाम के विपरीत था।

[श्री वैको]

जब यह विमान अपहरण की घटना हुई तब कुछ लोग सरकार को घेरने के लिए कुछ मुद्दे खोज रहे थे। ताकि उसे परेशानी में डाला जा सके। वे लोग बुरी तरह निराश हुए जब उन्हें पता चला कि सभी यात्री सही सलामत देश लौट आए हैं। वास्तव में रुपीन कत्याल के मारे जाने से मेरे दिल को धक्का लगा *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): कौन निराश हुए?

श्री वैको: श्री मणिशंकर अय्यर जी, मैं कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको दु:ख क्यों हो रहा है? मैंने कहा कि 'कुछ राजनैतिक पार्टियां' *...(व्यवधान)* मैं जानता हूँ, कि उस समय, कुछ राजनैतिक पार्टियों, जो सोच रही थी कि यात्री सुरक्षित नहीं लौट पायेंगे, ने सरकार के खिलाफ असंयमित बयान दिया। लेकिन सरकार द्वारा यात्रियों को मुक्त कराने में सभी प्रकार की सावधानी बरती गई तथा उन्हें सुरक्षित रूप से यहाँ लाने तथा उन्हें मदद देने के लिए हमारे विदेश मंत्री कंधार गए। यह सरकार की उपलब्धि है। यही हमारी उपलब्धि है। इसके साथ ही साथ काठमांडू में सुरक्षा व्यवस्था में कमी है। सरकार द्वारा इस दिशा में जो कुछ बेहतर किया जा सकता था, किया गया। वहाँ एक अलार्म घंटी होनी चाहिए। हवाई अड्डों पर ऐसे पूर्वोपायों की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने अपनी कार्यसूची में इसे प्राथमिकता का मुद्दा बनाया हुआ है। अत: इस विमान अपहरण की घटना में यात्रियों को मुक्त कराने तथा उनकी जान की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत ही उत्तम तथा चमत्कारपूर्ण कार्य किया है। मैं सरकार की, विशेष रूप से विदेश मंत्री के कार्यों की सराहना करता हूँ।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापट्टनम): 24 दिसम्बर, 1999 की घटना, भारतीय वायु सेवा के इतिहास की एक अत्यन्त दुखद घटना है। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए। विमान का अपहरण भारतीय भूभाग में नहीं हुआ। स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं थी क्योंकि विमान का अपहरण काठमाण्डू में हुआ था। काठमाण्डू में हमारे पास सुरक्षा के साधन सीमित होते है। सरकार इस बात का पूर्वानुमान कैसे लगा सकती थी कि उक्त विमान का अपहरण होने वाला है। जैसे ही यह घटना घटी, सरकार *...(व्यवधान)* मगर यह हमारे नियंत्रण से बाहर था। काठमाण्डू में हमने अपने सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं कर रखे है। हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमारे बचाव के सुरक्षा तंत्र को आगे आना चाहिए था। यही कारण है कि भविष्य में जब भी हमारे विमान दूसरे स्थानों के लिए उड़ान भर, हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हमारे पास वहां आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इस बारे में, मैं सरकार से यह अपील करता हूं *...(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): क्या काठमाण्डू में इंडियन एयरलाइंस का कार्यालय काम नहीं कर रहा है। इसमें इस कार्यालय की असफलता भी सामने आती है। आप स्वयं को इस जिम्मेदारी से मुक्त कैसे कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: वो एक विदेशी क्षेत्र है। यह कैसे किया जा सकता था? भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र पर कैसे नियंत्रण कर सकती है *...(व्यवधान)* कोई भी सरकार एक विदेशी भूभाग पर कैसे नियंत्रण कर सकती है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह: मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडियन एयरलाइंस का कार्यालय काठमाण्डू में चल रहा है इसीलिए उसकी जिम्मेदारी भी है किन्तु आप गलत कह रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदया, इस बारे में आप तब बोलना, जब आपकी बारी आएगी। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। सभी प्रामाणिक उड़ाने चाहे वो हमारी इंडियन एयरलाइंस की हों, एयर इंडिया की हों या कोई और उड़ान हो किसी भी देश से उड़ सकती है लेकिन काठमाण्डू में सुरक्षा में खामी पाई गई है और इसीलिए वहां यह अपहरण की घटना घटी है। हमें मौलिक रूप से हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि यात्रियों की जान बचाने में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने वस्तुत: इस परिस्थिति में मिसाल देने लायक भूमिका अदा की। इसमें काफी संयम बरता गया। यह कहना भी सही नहीं है कि इस मामले में दूसरे देश हमारे देश के बचाव में आगे नहीं आए। उन सभी देशों ने भारत सरकार की भूमिका का प्रशंसा की। मेरे मित्र यह कह सकते हैं कि उन यात्रियों को वापिस लाने के लिए किसी सचिव, निरीक्षक या किसी और को भी भेजा जा सकता था लेकिन यह सही नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।

हमारे विदेश मंत्री पूरे सद्भाव के साथ यात्रियों को बचाने वहाँ गए थे। कुछ माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि भले ही दस हजार लोग बलिदान हो जाएं लेकिन हमें अपने मान-सम्मान का बलिदान नहीं करना चाहिए। यह कहना बहुत गलत है। आप दूसरों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए।

दूसरा, उस विमान में भारतीय ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के नागरिक भी थे। यदि आप कहते कि हम इसकी चिन्ता नहीं करते और हम यात्रियों का बलिदान कर सकते हैं तो दूसरे देशों के यात्री क्या सोचते? हमने पूरी निष्ठा से यह काम किया और श्री कात्याल को छोड़कर सभी यात्री बचा लिए गए। श्री कात्याल का हम सभी को दुख है। आज यह घटना आईसी-814 के साथ हुई, कल

किसी दूसरे विमान के साथ हो सकती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह विमान भारत से नहीं उड़ा था। यह विमान काठमाण्डू से चला था। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा कवच मुहैया नहीं कराया था भारत सरकार ने इसके लिए सभी कदम उठाए थे।

श्री विलास मुत्तेमवार: सुरक्षा में कमी और आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में आपका क्या कहना है। यह भी एक मुद्दा है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: जी हाँ, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि इस विमान अपहरण में आई.एस.आई. की भूमिका रही हो। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि ...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, मैं एक मिनट लूंगी। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगी। मैं दो बातें साफ कहना चाहती हूँ। हम विदेश मंत्री की गलती या यात्रियों को कांधार से वापिस लाने की उनकी उदारता की बात नहीं कर रहे हैं। मैं दो मुद्दों की बात कर रही हूं। पहला तो यह कि इंडियन एयरलाइंस का कार्यालय काठमाण्डू में चल रहा है। अत: सुरक्षोपाय में खामियों के कारण ऐसा हुआ। इस बारे में हमें पांच दिन पहले ही बता दिया गया था। महोदय, कृपया बात पर गौर करें। मुद्दा यह है कि पांच दिन पहले ही हम यह जानते थे कि काठमाण्डू में सुरक्षा-खामियां हो सकती है। मैं चाहती हूं कि माननीय गृह राज्य मंत्री, जो यहां बैठे हैं इस बात पर गौर करें।

दूसरी बात यह है कि हमें सूचनाएं प्रदान करने, आसूचना ब्यूरो और ''रॉ'' जिनसे आपको सूचना मिलती है, सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहे थे। इन्हीं सही किया जाना चाहिए। सरकार को आसूचना में असफलता की बात स्वीकार करनी होगी। यह मुख्य बात है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: जब यहां समय लेकर बोलने का अवसर है तो इन सब बातों पर बोल सकती हैं आप मेरे भाषण में बार-बार हस्तक्षेप करने के बजाए, यदि आपको कुछ गलत लगे आप तभी हस्तक्षेप कीजिए।

एक और बात है। हम विमान अपहरण की घटना की तुलना दूसरी घटना से नहीं कर सकते। हर बार हमारे पास एक सी रणनीति नहीं होती। पहले के नेताओं ने काफी सक्षम भूमिका अदा की। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार भी हमारे नेताओं ने सक्षम भूमिका निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात पर सभा को एक मत होना चाहिए कि इस संकट से उबरने में हमारी सरकार, हमारे विदेश मंत्री और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ने अथक प्रयास किये।

श्रीमती श्यामा सिंह: दोषी लोगों को कौन सी सजा दी गई।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: वो सोच रहे हैं कि वे सरकार को किसी न किसी तरह घेर लेंगे लेकिन इसके लिए और कई अवसर आएंगे। इस घटना को इस रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

यह मुद्दा जनता की सुरक्षा, विमानों की सुरक्षा, देश के सम्मान और सबसे बढ़कर पूरे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसे हमें इस प्रकार लेना चाहिए। इससे पहले भी कई अवसर आए जब कांग्रेस सहित कई दूसरी सरकारों ने खूंखार आतंकवादियों की रिहाई की। इसलिए सरकार ने भी ऐसे जरूरी कदम उठाए। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। अब सभी विमान पत्तनों की सुरक्षा ''केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल'' को सौंप दी गई है। इस मामले पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए भी हमें कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में भारतीय विमानों चाहे वो एयर इंडिया के हों या इंडियन एयरलाइंस के, का अपहरण न हो।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस मामले में अपनी सरकार, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री और माननीय विदेश मंत्री द्वारा निभाई गई भूमिका से सहमत हूँ। इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का भी मैं पूरा समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा): सभापति महोदय, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस इश्यू पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। तारीख बहुत बेरहम होती है, इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता और आने वाली नस्लें अपने पूर्वजों के बारे में इतिहास से तय करेंगी कि पूर्वजों ने क्या किया। किसी भी इंसान के बारे में अगर फैसला करना हो तो उसके बैकग्राउंड और उसके कैरेक्टर को देखना पड़ता है। किसी सरकार की परफोर्मेंस को देखना हो तो उस सरकार की कारगिदगी को देखना पड़ेगा। अभी इस सरकार को आये हुए कोई बहुत अर्सा नहीं हुआ। लेकिन इस छोटे से अर्से के अंदर भी कारगिल जैसा बड़ा वाक्य हुआ जिसे इतिहास बहुत दिनों तक याद रखेगा और जिसमें हमारे देश की इंटेलीजेंस पूरे तौर से फेल है।

आज कारगिल के अंदर हम जीते, यह बहुत खुशी की बात है। लेकिन जितने लोगों की जिंदगियां गईं, उसके लिए सरासर सरकार और सरकार की इंटेलीजेंस जिम्मेदार है। इसी तरह का वाक्या यह है जो 24 तारीख को इंडियन एयरलाइंस की आई.सी. 814 की हाईजैकिंग का हुआ। अफसोस की बात यह है कि यह हाईजैकिंग इस देश के अंदर कोई पहली बार नहीं हुई। हमेशा

[श्री राशिद अल्वी]

पहली गलती से सबक लिया जाता है। पहली गलती हो तो आइंदा आदमी ज्यादा सतर्क हो जाता है। पहली गलती के बाद आदमी सोचता है कि इसके अंदर जो कमियां रह गई हैं, उन्हें पूरा करेंगे। पाकिस्तान, आई.एस.आई. हमेशा इस देश के अंदर एक्टिव रही है। कोई वाक्या हो जाता है, तो सरकार एकदम कह देती है कि आई.एस.आई. जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है। यह बात कहने से पीछा नहीं छूट सकता। सवाल यह है कि इस देश के अंदर आई.एस.आई. जिम्मेदार है, एक्टिव है लेकिन हमारे अपने देश की इंटेलीजैंस कितनी एक्टिव है, किस-किस फ्रंट में इंटेलीजैंस नाकाम होती जा रही है।

आज सवाल पार्टी पोलिटिक्स का नहीं है। मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि मौजूदा सरकार को कॉर्नर करूं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्लेन की हाईजैकिंग के लिए सरकार और इंटेलीजैंस पूरे तौर से जिम्मेदार है। इस देश के अंदर टैरोरिस्ट एक्टिविटीज दिन-भर-दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से टैरोरिस्ट आराम से आते हैं और चले जाते हैं। थ्री टायर सिक्योरिटी को तोड़ते हैं, अपना काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। मसूद अजहर जिसे इस हाईजैकिंग के बदले में छोड़ा गया, तीन महीने तक श्रीनगर के अंदर एक्टिव रहा। दो साल तक तिहाड़ जेल के अंदर रहा और इसके बाद जम्मू जेल में चला गया। मुझे एक बड़े अफसर ने बताया, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, कि जेल के अंदर उसने कहा कि जब तक चाहूंगा, जेल में रहूंगा। हिन्दुस्तान के अंदर कोई जेल ऐसी नहीं बनी है जो मुझे रोक सके।

क्या सरकार को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा टैरेरिस्ट जेल के अंदर बैठा है, जेल के अन्दर किस तरीके की बातें कर रहा है और जेल के अन्दर उसने निकलने के लिए सुरंग बनाई? क्या सरकार को इस बात का पता नहीं चला कि वह जेल के अंदर बैठे-बैठे सुरंग बना रहा है और हमारी जेल के अन्दर कितना खतरनाक टैरेरिस्ट है? लेकिन हमारी इंटेलीजैंस भी सो रही थी और हमारी सरकार भी सो रही थी। उसी का नतीजा है कि 24 तारीख को 4.53 बजे जहाज उड़ा और मंत्री जी के स्टेटमेंट के मुताबिक 4.56 बजे ए.टी.सी. ने एक रिकार्ड कर लिया कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। लेकिन सरकार के पास कोई सोच नहीं थी कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें अपने पैसेंजर्स को बचाना है। 4.56 बजे से लेकर सात बजे तक वह लाहौर घूमते हुए वापस आया, फिर अमृतसर के अन्दर लैंड किया और 2.04 घंटे के दौरान सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इतने समय में सरकार ने क्या किया।

अपराह्न 5.26 बजे

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

पहली गलती यह हुई कि हमने अमृतसर के अन्दर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमने इस बात का कोई फैसला नहीं किया कि जहाज अमृतसर के अन्दर आयेगा। इससे पहले सन् 1971 में ऐसा हो चुका है कि जहाज अमृतसर के अन्दर आया और हमारे कमांडोज ने उसको ओवर-पावर किया। दोबारा वैसा क्यों नहीं हो सकता था? अमृतसर के अन्दर छोटे अधिकारियों के जरिये बातचीत हो रही है, जो मेरे पास रिकार्ड है और जिसे ए.टी.सी. ने रिकार्ड किया है कि एक-एक मिनट के अन्दर वे कह रहे थे कि फ्यूल भरने के लिए टैंकर आना चाहिए, हम हर दो मिनट के बाद कह रहे हैं कि टैंकर आ रहा है, लेकिन टैंकर कहीं दूर तक नजर नहीं आता। अगर हमारा टैंकर भी प्लेन के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो प्लेन वहां से जा नहीं सकता था। जो इन मामलों के एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि टैंकर को हम एक तरफ मूव करके हाईजैकर्स को यह यकीन दिला सकते थे कि हम रीफ्यूल करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ प्लेन को रोक सकते थे, टैंकर को प्लेन के सामने खड़ा कर सकते थे। लेकिन मेरे पास जो रिकार्ड है, 7.11 बजे से लेकर लगातार 7.49 बजे तक वे कहते रहे कि टैंकर को भेजो, टैंकर को भेजो, लेकिन हमने कोई टैंकर नहीं भेजा। सरकार कहती है और हमसे कहा गया कि एक आदमी को मार दिया, चार आदमी मर गये-मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या हमारे पास इतनी विजडम नहीं है कि टैरेरिस्ट्स क्या कह रहे हैं और क्या पायलट से कहला रहे हैं। हम इस बात का भी अंदाज नहीं कर सकते कि उनके कहने में कितना सच है, कितना झूठ है।

मेरी नजर में दूसरी गलती उस वक्त हुई-यदि इस जहाज को लाहौर के अन्दर रोक दिया जाता, तो भी यह हमारी बड़ी डिप्लोमेसी होती। हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा कर देते, अगर लाहौर में जहाज रोक देते। पाकिस्तान की सरकार से कहा जा सकता था, वहां पर रोकने की कोशिश की जा सकती थी। कन्धार के अन्दर जहाज पहुंचा, कंधार की सरकार, जिसे हम रिकगनाइज नहीं करते, उस सरकार के बारे में आडवाणी साहब का तीन तारीख का बयान है:

[अनुवाद]

गृह मंत्री ने अफगान सरकार की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने अपहरणकर्त्ताओं को चेतावनी दी कि यदि विमान में खूनखराबा हुआ तो वे विमान को बम से उड़ा देंगे और इससे अपहरणकर्त्ताओं ने अपना विचार त्याग दिया।

मैंने मंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ा है, उस स्टेटमेंट के अन्दर पेज आठ पर मंत्री ने कहा है:

"माननीय सदस्यगण मुझे यह भी कहने की अनुमति देंगे कि आई सी-814 का अपहरण नितांत पेशेवर और जटिल मामला था, और इस स्थिति से निपटने के लिए सम्भवत: कंधार हमारे लिए अत्यन्त प्रतिकूल स्थान था, और अपहरणकर्त्ताओं, तालिबान, हरकत उल मुजाहिद्दीन एवं आई एस आई के त्रिकोणीय समन्वयन के कारण यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य था।"

[हिन्दी]

मंत्री जी का कहना है कि इसमें तीनों की मिलीभगत थी। इसमें आई.एस.आई. भी शामिल थी, कंधार भी शामिल था और तालिबान भी शामिल थे लेकिन हिन्दुस्तान का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तालिबान की गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, वह काबिले-तारीफ है। उसके बाद यह बात कई मैम्बर्स ने कही है कि फॉरेन मिनिस्टर यहां से उन तमाम टैरेरिस्ट्स को अपने प्लेन के अन्दर ले गये। जो मंत्री जी का बयान है और जिस मैंने देखा है, उससे मुझे खुद अहसास होता है कि मंत्री जी को इस मामले में खुद शर्मिंदगी है।

चूंकि मंत्री जी ने अपने बयान में पेज नं. सात में कहा है,

सभापति महोदय: कन्क्लूड करें।

श्री राशिद अलवी: बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मंत्री जी ने कहा है:

[अनुवाद]

"कंधार हवाई अड्डे पर सीमित आधारभूत सुविधाएँ होने तथा साथ ही साथ और अधिक विमान उतारने में उसकी असमर्थता के कारण मुझे उसी विमान से जाना पड़ा जिसमें तीन आतंकवादी गए थे।"

[हिन्दी]

इसका मतलब यह है कि मंत्री जी को इस बात का एहसास है कि गलती हुई है। इसीलिए क्लेरिफिकेशन दिया जा रहा है। मंत्री जी का यह कहना कि तीन आतंकवादियों को इसलिए ले गए थे कि मजबूरी थी, यह अपने आप में इस बात को साबित करता है कि मंत्री जी को अपनी गलती का एहसास है, शर्मिन्दगी है।

सभापति महोदय: समाप्त करें।

श्री राशिद अलवी: मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय: दूसरे दिन जब यह आएगा, तब अपनी बात जारी रखिए, अब आधा घंटा की चर्चा होनी है।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मायलादुतुरई): क्या हम यह चर्चा 6 बजे के बाद भी जारी रख सकते हैं क्योंकि हमें कभी भी अवसर नहीं मिलता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आज यह बहस अधूरी रही, दूसरे दिन पूरी की जाएगी। अब आधा घंटा की चर्चा शुरू की जाती है।

श्री मणिशंकर अय्यर: आधे घंटे की बहस जो अभी साढ़े पांच बजे शुरू होने वाली है और छ: बजे खत्म हो जाएगी, उसके बाद इस बहस को जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय: जो सभा की राय हो, वह हो सकता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): मंत्री जी को छ: बजे कहीं जाना है इसलिए आज मुनासिब नहीं रहेगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला: क्या हम चर्चा 6 बजे के बाद भी जारी रख सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: यह केवल 17 को ही होगा। कार्यमंत्रणा समिति द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी को छ: बजे के बाद कहीं जाना है।

श्री मणिशंकर अय्यर: हमने तय किया है कि कल 11 तारीख को भरतपुर इंसिडेंट की घटना पर नियम 193 के तहत चर्चा करेंगे। अगले सप्ताह सत्र के केवल तीन दिन शेष हैं, जिसमें हमें कारगिल पर भी बहस करनी है, डिसइंवैस्टमेंट पर भी करनी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आज छ: बजे के पश्चात इस बहस को जारी रखें और वह जब खत्म हो तो मंत्री जी जवाब दें।

सभापति महोदय: अब आधे घंटे की चर्चा ली जाएगी।

श्री राशिद अलवी: यह डिसाइड हो जाए कि क्या यह कल होगी।

सभापति महोदय: विचार होगा।

श्री राशिद अलवी: इसमें कल का समय फिक्स कर दें।

सभापति महोदय: देखेंगे। नियम है कि अधूरे कार्य के लिए कार्यसूची में व्यवस्था की जाती है। अब बहस की जरूरत नहीं है। आधे घंटे की चर्चा शुरू की जाए। मैं श्री सुरेश कुरुप को बुला रहा हूं।

अपराह्न 5.33 बजे

आधे घन्टे की चर्चा

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे। श्री सुरेश कुरूप बोलें।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): आदरणीय सभापति महोदय 19 अप्रैल 2000 का तारांकित प्रश्न संख्या 364 'एमपीलैड' स्कीम के बारे में था। मूलप्रश्न का संबंध संकलित हुई राशि पर लगने वाले ब्याज से है। प्रश्न काल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने इस स्कीम को लागू करने के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये। अत: माननीय अध्यक्ष ने आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दी।

स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम 1993 में शुरू की गई थी। वर्ष 1997 में इस स्कीम के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी कर दिये गये थे। सितम्बर 1999 में इनकी पुनरीक्षा की गई थी। इन दिशानिर्देशों के अनुसार संसद के स्थानीय सदस्य स्कीमों की सिफारिश करेंगे और जिला अधिकारी इसे लागू करेंगे।

अत: स्कीम जब तक लागू की जाती है उसमें काफी नौकरशाही विलम्ब होता है। माननीय मंत्री ने कहा है कि 18,00 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त पड़ा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह स्कीमों की सिफारिश करने वाले संसद सदस्यों की गलती है या लागू करने वाले अधिकारियों का दोष है? इसकी पहले जांच करनी होगी और मंत्री महोदय को इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना होगा।

मेरे अनुभवानुसार तो यह अफसरशाही विलम्ब है, कि जब तक यह लागू होता है इतनी राशि अप्रयुक्त पड़ी रहती है। मंत्री महोदय के जवाब से यह प्रतीत होता है कि यह स्कीम आवश्यक नहीं है और यह अनावश्यक स्कीम है। वे कहते हैं कि स्कीम के बारे में बहुत आलोचना की गई है। वे कहते हैं कि वित्त संबंधी स्थायी समिति ने भी स्कीम को लागू करने के संबंध में कठोर सिफारिशें की हैं।

वास्तव में स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है:

> "कार्यक्रम और योजना कार्यान्वयन सचिव इतने स्पष्ट वक्ता है कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि मंत्रालय और जिला अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण निधियों के समय से जारी करने में देरी हुई। इस स्कीम के अंतर्गत जिले के मुखियों को दो महीने में एक बार कार्यक्रम की प्रगति की सूचना देनी होती है और आयुक्त स्तर के अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह जिलों के मुखियों और संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाएँ ताकि स्कीम की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।"

इन सभी दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया गया है। वित्त संबंधी स्थायी समिति का यही मत है। अत: वास्तविक समस्या यह है कि इन दिशानिर्देशों को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाता। कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय अनावश्यक विलम्ब हो जाते हैं। 1998 में मैंने जिस स्कीम की सिफारिश की थी वह अभी भी लंबित पड़ी है। प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक है फिर कार्य शुरू होगा, फिर राशि जारी की जानी है और दिल्ली से जारी राशि को किश्तों में दिया जाना है और यह जब दिया गया काम, पूरा हो जाता है, ऐसे कई मामले होते हैं जहां राशि दिल्ली से जारी नहीं हुई होती। काम आधा-अधूरा होता है। हमें पैसे के आने का इन्तजार करना होता है। इन समस्त बातों का ध्यान रखना होगा।

वास्तव में मेरे अनुभवानुसार और सभा के बाकी सदस्यों के अनुभवानुसार, यह स्कीम बहुत प्रभावी है। बहुत सारी स्कीमें जो कई सालों से पड़ी हुई थीं, लागू की जा सकती है क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं भी इनके द्वारा स्थानीय क्षेत्रों के विकास से जुड़ी है। इस तरह स्कीमें लागू की जा सकती है और निधियों के उपयोग के द्वारा काम पूरा किया जा सकता है। निधियों के उपयोग के बारे में यह हमारा अनुभव है।

अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इतनी अधिक राशि के अप्रयुक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं यह इसलिए है कि सदस्य स्कीमों की सिफारिश नहीं करते या अनावश्यक देरी के कारण जब स्कीमें कार्यान्वित की जा रही होती हैं।

स्थिति इतनी खराब है कि चाहे दिशानिर्देश में कहा गया है कि जिला कलक्टर को हर दो महीने में एक बार संसद सदस्यों की स्थानीय स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक बुलानी चाहिए, ऐसा कोई सम्मेलन नहीं बुलाया जाता। यदि स्थानीय संसद सदस्य अड़ जाते हैं तो कलक्टर कभी-कभी इतना अवश्य कर देते हैं कि सम्मेलन बुला लेते हैं। इस संबंध में राज्य स्तर का सम्मेलन अवश्य बुलाया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों में यह दिया गया है।

जहाँ तक मेरी जानकारी है आज तक राज्य स्तर का कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया। मुझे नहीं पता कि किसी राज्य में इस तरह का कोई सम्मेलन हुआ। अत: इस स्कीम को ठीक तरह से लागू किया जाना चाहिए। मंत्री जी ने कहा कि नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक ने इस पर आपत्ति की है। यदि आप केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अध्ययन करें तो उसमें आपत्तियाँ मिलेगी। यह स्वाभाविक है कि इसे स्कीम की राशि बढ़ाने के लिए एक रक्षक की तरह प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, देश के विभिन्न भागों में यह स्कीम प्रभावशाली ढंग से लागू की जाती है। अत: मंत्री महोदय को स्कीम के विरुद्ध दृष्टिकोण नियत करने की अपेक्षा स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में और अधिक शक्तियों के लिए आगे आना चाहिए। यही मेरा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सौमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): सभापति महोदय, गत कुछ वर्षों से यह स्कीम इम्पलीमेंट होने के बाद काम की क्वालिटी के संबंध में कभी कोई इन्क्वायरी नहीं हुई है। जो भी काम इस स्कीम में पी.डब्ल्यू.डी. या अन्य के द्वारा किया जाता है, उसमें इन्फीरियर क्वालिटी का काम होता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में कभी कोई चैकिंग या इन्सपैक्शन करने का प्रयत्न हुआ है? इसके साथ फालोअप कैसे होगा, मैंटेनेंस कैसे होगा, इस संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, रेल बजट पर चर्चा करते समय मैंने विनती की थी कि 'एम.पी.लैड' स्कीम में जहां-जहां भी रेलवे के अनमैंड फाटक हैं, इस स्कीम का पैसा इन जगहों के लिए उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहरों में पैसेन्जर्स की सुविधा के लिए अगर कोई सदस्य इस काम को करवाना चाहते हैं, तो उनको अनुमति देनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने इसको रिकमैंड भी किया है, लेकिन वह अभी तक इम्पलीमेंट नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में सरकार को विचार करना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, किसी योजना में इंजीनियर का इन्टरैस्ट होता है, तो उसको महीने भर के अन्दर मंजूरी मिल जाती है। अगर इन्टरैस्ट नहीं होता है, तो मंजूरी नहीं मिलती है। इस बारे में गाइडलाइन तय की जानी चाहिए। गाइडलाइन भी इस प्रकार से तय की जानी चाहिए कि समाज में जो एक प्रभाव पैदा हुआ कि 'एम.पी. लेड' में एमपी का खुद का पैसा है, जिसको जहां चाहे उपयोग कर सकता है, दो करोड़ रुपए का हिस्सा है, इस प्रकार की भावना को बदलने की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहता हूं, यह सरकारी फन्ड है, जो सरकारी एजेंसी के द्वारा युटिलाइज किया जाता है और इम्पलीमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है, रिक्वैस्ट या रिकमेंडेशन लोकल एमपी की होती है। इसमें करप्शन एमपी या एमएलए कहां से कर सकते हैं, काम तो सारे इंजीनियर और कान्ट्रैक्टर करते हैं। मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में एक उदाहरण देता हूं। चाहे वहां सरकार किसी की भी है, लेकिन वहां पर पचास प्रतिशत करप्शन है। वहां महाड़ा नाम से एक एजेंसी है, जो शौचालय बनाती है। उसको पांच शौचालय बनाने के लिए दो लाख रुपया दिया गया और जब वे शौचालय किसी प्राइवेट कान्ट्रैक्टर को दिखाए गए, तो उन्होंने कहा कि यह 80 हजार रुपए का काम है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। एमपीलैड समिति के चेयरमैन सदन में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसी जगहों का इन्सपैक्शन करवाया जाना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि करप्शन के बारे में भी आप चैकिंग करवाएं। मेरा दूसरा सजेशन है कि जैसा आपने बताया कि व्यक्तिगत एम.पी. के नाम से यह फंड कलेक्टर के पास जमा किया जाता है, मुझे सही प्रक्रिया का पता नहीं है। परन्तु यह किसी व्यक्तिगत कलक्टर का नाम नहीं हो सकता परन्तु यह कलक्र के खाते में जमा रखा जा सकता है। तो क्या होगा? यह हस्तांतरणीय है। आपकी यह पैसा जल्दी वापस आ जाएगा। अभी आपने बताया कि 1800 करोड़ रुपये पड़े हैं, ठीक है दो-तीन बार गवर्नमेंट चेंज हो गई, इलैक्शन हुए, उसके कारण से ऐसा हो गया हो। लेकिन वह मनी इतनी डेडलॉक होकर पड़ी है, उसके बारे में भी अगर आपको लगे तो रूल्स में चेंज करने की आवश्यकता है।

मैंने जैसा प्रारम्भ में बताया कि यह एम.पीज. का इनडिविजुअल फंड है जिसके कारण पब्लिक इंटरस्ट पेटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्यों का यही मत होगा कि सरकार को उसमें एकदम अच्छा काउंसिल एपाइंट करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पब्लिक इंटरस्ट पेटीशन फाइल की है, वे भी एक सम्माननीय सदस्य हैं। उनकी पेटीशन अच्छी ड्राफ्ट की होती है और वे अच्छी तरह से फाइट आउट करते हैं। अगर इस पेटीशन में गड़बड़ हो जाएगी तो न सिर्फ हमारा काम रुक जाएगा बल्कि एम.पीज. बदनाम भी हो जाएंगे। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे सीरियसली लें और एक अच्छा काउंसिल एपाइंट करें।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, यह एमपीलैड स्कीम वर्ष 1993 में शुरू की गई थी। यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक नौकरी के अवसर जुटाने तथा देश के विभिन्न भागों में स्थायी सम्पत्तियां जुटाने के अच्छे इरादे से शुरू की गई। दुर्भाग्य से मंत्री महोदय का उत्तर सुनते हुए यह लगता है कि मंत्री महोदय सर्वथा इस स्कीम के विरुद्ध हैं। वह इस कार्यक्रम को लागू करने से सहमत नहीं है। वह इस कार्यक्रम के बिल्कुल विरुद्ध है। उनके द्वारा प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात् सभा की यही राय बनी है। मुझे यह कहते हुए बहत खेद होता है। यह कार्यक्रम संसद सदस्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाने की स्कीम है। इस स्कीम से पूर्व कोई भी विकास संबंधी गतिविधियाँ संसद सदस्यों के द्वारा चलाये जाने के बारे में नहीं पूछता था। अब हम इस निधि के माध्यम से लोगों के विभिन्न मामले उठाने और उन्हें लागू करने में समर्थ हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों, परियोजनाओं की पहचान कर सकते हैं और उनके लिए निधियाँ आबंटित कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की उचित समीक्षा होनी चाहिए। कलक्टर जिला स्तर पर संसद सदस्यों की बैठकें बुला सकता है और कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर सकता है। अन्यथा केन्द्रीय सरकार किसी केन्द्रीय अभिकरण द्वारा एक समकालिक मूल्यांकन करा सकती है। एक प्रसिद्ध, सुस्थापित एन जी ओ को यह समकालिक मूल्यांकन करवाने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यदि कोई कमी छूटी हो तो उसे दूर किया जा सकता है।

निधियों के आबंटन का एक मामला ही गम्भीर मामला है। प्रथम किश्त के रूप में पचास लाख रुपये आबंटित किये जायेंगे। दूसरी किश्त में विलम्ब हो जायेगा। तब तक वित्तीय वर्ष पूरा हो चुका होगा और स्कीम का उद्देश्य ही निरस्त हो जायेगा। हमारे पास सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। कहीं-कहीं आठ निर्वाचन क्षेत्र है। उन दो करोड़ को सात में विभक्त करें। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हम कितने पैसे खर्च सकने में समर्थ है? इस राशि को बढ़ाना होगा अन्यथा इस स्कीम से हम अपने क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पायेंगे। जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर समीक्षा/निरीक्षण बैठकें होनी चाहिए। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव को कम से कम दो बार संसद सदस्यों तथा कलक्टर के साथ कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए।

जिला कलक्टर को संसद सदस्य के साथ हर तिमाही में एक बैठक बुलानी चाहिए और लागू किए जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए।

महोदय, मैं दिशानिर्देशों के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता था। हमारे देश के दूरस्थ गाँवों में डाकघरों के लिए बहुत मांग है। हमारे डाकघर किराये की इमारतों में काम कर रही हैं। यदि हम डाकघर कार्यालयों भवनों के लिए धन आबंटित कर सकेंगे तो यह ग्रामीण लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। परन्तु दिशानिर्देशों के हिसाब से हम डाकघरों की इमारतों के निर्माण हेतु न तो धन दे सकते हैं न वियत कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हम दिशानिर्देशों में निजी संस्थाओं हेतु धन आबंटित करने की स्थिति में हैं। इसके बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होगी निजी संस्थाओं को धन आबंटित करने के उदाहरण विद्यमान है जो आज कल विवादास्पद बनते जा रहे हैं अत: हमें विवादों से बचना चाहिए। दिशानिर्देशों को उचित तरह से पुन: लिखा जाना चाहिए और उनकी पुनरीक्षा होनी चाहिए।

आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह राज्य सरकारों का रुचि की है। राज्य सरकारें कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में उचित रुचि नहीं ले रही अत: सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश जारी किये जाने चाहिए कि वे इस कार्यक्रम को लागू करने को उचित प्राथमिकता दें।

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): सभापति महोदय, एमपीलैड्स के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मंत्री महोदय ने 19 अप्रैल, 2000 को जो उत्तर दिया वह संतोषजनक नहीं है। उन्होंने उचित जांच करने के लिए अपना मन नहीं बनाया यह संसद सदस्यों का नहीं अधिकारियों की असफलता है। यदि संसद सदस्यों को इस परियोजना के कार्यान्वयन से दूर रखा गया है तो संसद सदस्य जिम्मेदार नहीं है और अधिकारियों को इस स्कीम को लागू करने की जिम्मेदारी है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट स्कीम के पक्ष में नहीं है। यह सच्चाई से बहुत दूर है। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है यह शीर्ष स्कीम है जो ग्रामीण क्षेत्रों की सहायता करेगी।

मैं एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ तक कि कर्नाटक में भी उन्होंने सत्तर प्रतिशत राशि स्कीम पर खर्च की है। केन्द्र सरकार को यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाना चाहिए और पूरी राशि खर्च करनी चाहिए। इस तरह की वित्तीय सहायता से ग्रामीण विकास में सहायता मिलेगी। अधिकतर राज्य वित्तीय संकट में है। वे केन्द्र रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अपना हिस्सा तक अर्थात 10 या 20% वियत नहीं कर रहे हैं इससे राज्यों में असन्तुलन पैदा हो गया है। यदि यह स्थिति है तो यह स्कीम क्षेत्र के विकास में सहायता करेगी।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि न्यायपालिका द्वारा दी गयी पी आई एल अनावश्यक है और इसकी आवश्यकता नहीं है। न्यायपालिका से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह कार्यपालिका और विधानसभा की शक्तियों पर अतिक्रमण करें। जैसा कि हम जानते हैं यह संविधान की सबसे बड़ी संस्था है। अत: जैसा कि हमारे मित्रों ने कहा है भारत सरकार की ओर से वरिष्ठतम वकील को पीआईएल को हटाने के लिए लगाया जाना चाहिए। न्यायपालिका को आगे से ऐसे पीआईएल नहीं करने चाहिए। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे मित्रों ने कहा है चूँकि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आठ विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं अत: दो करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं है। अत: पांच से छ: करोड़ रुपये तो अनिवार्यत: दिये ही जाने चाहिए। यदि हम वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना चाहते हैं और यदि धन का उचित उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपये दिये जाने चाहिए ताकि संसद सदस्य स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और लोगों की आशाओं को पूरा कर सकें।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट): महोदय, मुझे इस मामले के बारे में कुछ सुझाव देने हैं। स्वयं मैंने ही सन 1991 में आंध्र प्रदेश में इस स्कीम की शुरुआत की। बाद में भारत सरकार ने इस योजना के विवरण मंगाये और जैसा कि मेरे मित्र ने बताया और सन 1993 में इसे शुरू किया। आंध्र प्रदेश में इस स्कीम को लागू करने में कोई समस्या नहीं थी, परन्तु यहाँ मंत्री जी की आधी सोच आड़े आ रही थी। यह मेरी व्यक्तिगत राय है।

दूसरे दिन जितने सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया मैं उन सबसे सहमत था। मंत्री महोदय ने न्यायालयों और लोगों के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की है। दुर्भाग्यवश उनका मत यह है कि यह एक सरकारी योजना है। यह सरकारी योजना नहीं है। यह अध्यक्ष महोदय और सभा की योजना है। अत: वह अध्यक्ष महोदय और संसद के प्रति जवाबदेह है। यह हरगिज सरकारी योजना नहीं है। जब कोई जन प्रतिनिधि दौरे पर जाता है तो यदि लोग पेयजल या समुदाय भवन या लिंक सड़क के बारे में कोई मांग करते हैं तो विधायक या संसद सदस्य को इसे स्वीकृत कराने हेतु कलैक्टर या मंत्री के पास जाना होता है। यह एक ऐसी योजना है जिससे वह तुरन्त उनकी सहायता कर सकता है। यह तुरन्त सहायता करने वाली स्कीम है। परन्तु पद्धतियाँ अभी समुचित रूप से विकसित नहीं हुई है। उन्हें एक ऐसी पद्धति के विषय में सोचना है जिसके माध्यम से वह योजना को द्रुतगति से स्वीकृत करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने श्री बोला बुल्ली रमैया की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की है जो पूरे देश में घूमेगी, मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वे अपना काम कर रहे हैं। इसी बीच हमने सुना है कि वे इस योजना को बन्द कर देना चाहते हैं। यह ऐसी आशंका है जिसे उन्हें दूर करना है।

एक अन्य बात यह है कि बारहवीं लोक सभा 26 अप्रैल 1999 को भंग हुई थी। विभाग ने निदेश जारी किये थे कि कोई भी संसद सदस्य 26 अप्रैल तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है जिसे बढ़ाकर 31 नवम्बर कर दी गई। संसद सदस्यों के बिना किसी दोष के परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा और इसकी सजा संसद सदस्यों को मिल रही है। लोगों के दिमाग में वह विश्वासघाती बन गए हैं। वे यह महसूस करते हैं कि संसद सदस्य ने इस स्कीम को स्वीकृति दी थी लेकिन वह लागू नहीं हुई। अत: मंत्री महोदय को इस पहलू की ओर ध्यान देना होगा और इसे ठीक करना होगा।

बाकी सब छोड़ कर, मेरा सुझाव यह है कि जिला प्रशासन में एक छोटा प्रकोष्ठ होना चाहिए जो जवाबदेह हो। वे योजना को स्वीकृत तथा धन मंजूर कराएं। एक दो तकनीकी विशेषज्ञ हो और उन पर आने वाला खर्च एमपीलैड धन पर मिलने वाले ब्याज से निकाला जा सकता है। इस धन से वह यह कार्य चला सकते हैं।

मंत्री महोदय इन सभी आशंकाओं को स्पष्ट करें ताकि अपने लोगों के लाभार्थ संसद सदस्य छोटे स्तर पर कुछ कर सकें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: हालांकि नियम दूसरे सदस्यों को इस पर बोलने की इजाजत नहीं देता लेकिन माननीय सदस्यगणों की रुचि है। इसलिए एक-एक मिनट क्लैरिफिकेशन्स के लिए दिये जा रहे हैं।

अपराह्न 6.00 बजे

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 50 लाख लोग रहते हैं जिनमें 31 लाख वोटर्स हैं। एक लोकसभा क्षेत्र के लिए 2 करोड़ रुपया मिलता है। इतना बड़ा एरिया है जिसमें बैकवर्ड ऐरिया, झुग्गी झोंपड़ी और अनधिकृत बस्तियां भी हैं मेरे लोक सभा क्षेत्र में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक के बराबर है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 21 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस प्रकार हर विधान सभा क्षेत्र चांदनी चौक लोक सभा क्षेत्र के बराबर है। इस मतभेद का कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के लिए भी 2 करोड़ रुपया और मेरे इतने बड़े क्षेत्र के लिए भी दो करोड़ रुपया। मेरा सुझाव

[श्री साहिब सिंह]

है कि जहां 10 लाख वोटर्स हैं, वहां एक करोड़ रुपया, जहां 15 लाख हैं, वहां तीन करोड़, जहां 20 लाख हैं, वहां 4 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मेरे जैसे क्षेत्र के लिए दो करोड़ न मिले तो ज्यादा अच्छा हो ताकि वह दूसरों के काम आ सके।

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): सभापति महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र के पीछे पांच विधानसभा क्षेत्र हैं। वहां प्रति विधान सभा क्षेत्र का विकास करने के लिए 50 लाख रुपया दिया जाता है और जबकि एक लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्य के लिए दो करोड़ रुपया मिलता है। यदि एक विधानसभा पर रुपया बांटे तो यह 40 लाख रुपया आता है। जब हम एक किलोमीटर सड़क के लिए एस्टीमेट देते हैं तो एजेंसी नौ-साढ़े नौ लाख का एस्टीमेट बना कर देती है। इसी प्रकार एक हैंड पम्प लगाये जाने के लिए साढ़े छब्बीस हजार रुपया मिलता है। मेरा प्रश्न यह है कि इतने कम पैसे में कैसे कोई विकास कार्य हो सकता है? इसलिए यह राशि बढ़ाई जाये।

सभापति महोदय, जैसा एक माननीय सदस्य ने बताया कि वे जब प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं, उसमें इतना समय लगा दिया जाता है कि काम ही नहीं होता। यह काम जल्दी होना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज-बिहार): सभापति महोदय, इसमें भाषण देने का कोई सवाल नहीं है। मैं केवल एक-दो बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां से जो पैसा स्वीकृत होता है, वह डी.एम. के पास चला जाता है और किश्त का 50 लाख रुपया भेजते हैं लेकिन दूसरी किश्त भजने से पहले खर्च का हिसाब मांगते हैं। हमारे यहां से हिसाब नहीं आता, इसलिए किश्त मंत्री जी की फाइल में रह जाती है। हम यह सुझाव देंग कि सालभर का दो करोड़ रुपया एकमुश्त दे दिया जाये और यदि आपको हिसाब लेना हो तो हिसाब लेते रहिए। हम एक लिस्ट बनाकर दे देंगे, उसके अनुसार खर्चा होगा। जो विकास का कार्य कराया जाता है, वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है। उसमें परसेंटेज कट जाता है। अभी डा. मदन प्रसाद जी कह रहे थे कि उनके यहां 28 परसेंट कटता है, गोपालगंज में 30 परसेंट कटता है और सीवान में 22 परसेंट कटता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो विकास का काम कराया जाता है, वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से न हो। आप सरकारी एजेंसी के काम मत कराइये।

सभापति महोदय: आप लिखित में दे दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, आप सरकारी एजेंसी से काम मत होने दीजिए। बिहार में एक विधानसभा क्षेत्र को एक करोड़ रुपया मिलता है जबकि एक लोकसभा क्षेत्र को 2 करोड़ रुपया मिलता है। हमारे यहां एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसलिए लोकसभा क्षेत्र के लिए 6 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। क्या फाइल में दो करोड़ रुपया देकर हमें पिटवाइयेगा?

सभापति महोदय: ठीक है, यह राशि बढ़ाना चाहिए।

श्री राशिद अल्वी: सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरा सुझाव है कि लोकसभा क्षेत्र के लिए जो 2 करोड़ रुपया मिलता है, उसे 4 करोड़ रुपया कर दिया जाये। पिछली बार मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि यह पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक यह दूसरे हाउस का पैसा है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह तो मुमकिन नहीं कि एक लोकसभा के मैम्बर का पैसा खर्च न हो।

दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि 30-40 प्रतिशत कमीशन सरकारी मशीनरी द्वारा काम कराने हेतु दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि इसमें एम.पी. को अख्तियार होना चाहिए और वह सैंक्शनिंग अथॉरिटी हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको इंप्लीमेंट करे लेकिन पॉवर्स एम.पीज. के हाथ में रहनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): महोदय, बस मैं बहुत म समय लूंगा। सभी सदस्यों से यह जानकर मुझे बहुत दुःख हुआ है कि मंत्री महोदय इस योजना से ख़ुश नहीं हैं। यह उन स्कीमों में से सर्वश्रेष्ठ स्कीम है जिसमें संसद सदस्य कुछ कर सकते हैं। जहां कहीं नियमित स्कीम फेल हो जाती है कम से कम संसद सदस्य कुछ कर सकता है। दूसरे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि बहुत सा धन अप्रयुक्त पड़ा है परन्तु तमिलनाडु तथा कुछ अन्य राज्यों में हमने बहुत अच्छा कार्यप्रदर्शन किया है। तीसरे, जहां तक स्कीम का संबंध है पहले ही श्री बोलाबुल्ली रमैया की अध्यक्षता में एक समिति कार्य कर रही है और हम वृहद् अध्ययन कर रहे हैं। एक दिन हम माननीय मंत्री जी आ सकते हैं या हम उनके पास जा सकते हैं और उन्हें सूत्र धार सारी स्थिति स्पष्ट करके बता सकते हैं कि कैसे एम पी लैड्स स्कीम उपयोगितापूर्ण ढंग से और दक्षतापूर्ण ढंग से लागू की जा सकती है। इस संबंध में वे एक या दो काम अवश्य करेंगे। पहले, इस अनुदान राशि को बढ़ाने का मामला बहुत मजबूत है। दूसरे सभी सम्बद्ध लोगों के लिए जिला स्तर पर एक तकनीकी टीम अवश्य होनी चाहिए जो दिशानिर्देशों के अनुसार इस स्कीम के कार्यान्वयन में सहायता और निगरानी का काम करे। दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला कलैक्टर से आशा की जाती है कि वह आवधिक बैठकें बुलायें परन्तु वह ऐसा नहीं करता। यदि एक बार दिशानिर्देशों का

प्रभावशाली ढंग से अनुपालन होता है और इसके लिए कलैक्टर और उसकी टीम के पास दक्षता और इच्छा है तो इस स्कीम को निश्चित रूप से अच्छी तरह लागू किया जा सकता है।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को दो ठोस सुझाव देना चाहती हूँ। पहला यह कि एम पी लैड्स निधियाँ एकदम-सम्पत्ति बन सकती है और एकदम भ्रष्टाचार का केन्द्र भी बन सकती है। अत: मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक संसद सदस्य को यह सारी राशि वित्तीय वर्ष के पहले दिन दे दी जानी चाहिए और पचास लाख की किश्त में नहीं दी जानी चाहिए। तथापि यह समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। यह राशि हमें इकट्ठे रूप में एक समय पर दी जानी चाहिए और हमें यह बताया जाना चाहिए कि हम ही वो अभिकरण है जो इस स्तर पर सारा काम करवायेगा, जिला मजिस्ट्रेट या बीडीओ नहीं, विशेषकर बिहार में जहाँ इस समय पंचायती राज लागू नहीं है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, कोलकाटा में कलिकाटा निगम के आयुक्त कार्यान्वयन अधिकारी है, जिलाधीश नहीं। अन्तर यहां है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण भाग यह है कि इससे सर्वाधिक बुरी तरह से प्रभावित हमारी रेल मंत्री कुमारी ममता बैनर्जी हुई है जो राज्य में विरोधी पक्ष की नेता है। उन्होंने अपने सारे प्रस्ताव उनके पास भेज दिये हैं, और राज्य सरकार ने जानबूझ कर नगर निगम को यह निर्देश दिया है कि वह अनेक प्रमुख प्रस्तावों को लागू न करें। सभी प्रमुख प्रस्ताव 1996 से उनके पास पड़े हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): इस पर एक इन्क्वायरी होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: श्री अजीत पांजा कोलकाटा से एक अन्य संसद सदस्य हैं। मैं भी कोलकाटा शहर से अन्य संसद सदस्य हूँ। श्री अकबर अली खाण्डोकर का निर्वाचन क्षेत्र भी इसी से जुड़ा हुआ है। कुमारी ममता बनर्जी को मामले की जाँच की जानी चाहिए। यदि आप एक निर्वाचन-क्षेत्र से जुड़े मामले की जाँच करेंगे और दिल्ली के आयुक्त को बुलायेंगे तो निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में कोई समस्या पैदा नहीं होगी। महोदय, कृपया इस मामले को प्राथमिकता दीजिए।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): महोदय, चूंकि मेरा नाम लिया गया है अत: मैं एक बात कहना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के सौजन्य से और माननीय मंत्री जी की पहल पर यहां नौ करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इन नौ करोड़ रुपयों में से केवल चार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और बावजूद मेरे बार-बार पत्र लिखने के शेष धनराशि खर्च नहीं की जा रही। महोदय, वहां वामपंथी सरकार के नियंत्रण में सब है। हमें समस्या में डाल दिया गया है क्या यह विशेषाधिकार का हनन नहीं है? मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा है और उन्होंने तुरन्त जवाब दिया है परन्तु वे कुछ नहीं कर रहे। वहां ट्यूबवैल के पानी की कमी है परन्तु वे इस पर भी धन खर्च नहीं कर रहे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, नियम स्थायी संसाधनों को बनाने का है। परन्तु मंत्री महोदय को मेरा सुझाव है कि हम स्थायी रोजगार अवसर जैसे सहकारिताएँ आदि को बनाने में धन का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ हम लोगों को काम दे सकते हैं। यह एक सुझाव है।

यदि मंत्री महोदय सोचते हैं कि एक किश्त में केवल 50 लाख रुपये जारी किये जाने चाहिए तो वर्ष 1999-2000 के दौरान हम केवल 6 महीने के लिए संसद सदस्य थे। तो एक संसद सदस्य 50 लाख रुपये प्रति किश्त के हिसाब से छ: महीने के भीतर 4 किश्तें कैसे ले सकता है?

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि अन्य संसद सदस्य क्या सोचते हैं अथवा श्री किरीट सोमैया क्या सोच रहे हैं? परन्तु मुझे लगता है कि एमपीलैड् में सबसे कम पैसे का व्यर्थ जाना है। संसद सदस्यों को किसी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित कार्यक्रम में धन नहीं दिया गया। यह धन केवल संसद सदस्य को काम करने के लिए उपलब्ध है।

यदि मंत्री महोदय यह सोचते हैं कि कुछ संसद सदस्यों की अक्षमता के कारण धन जारी नहीं किया जाता तो वह कुशल संसद सदस्यों को क्यों दण्ड देते हैं जो धनराशि का उपयोग कर रहे हैं? अत: मैं मंत्री जी से अपील करता हूँ कि धनराशि को जिस सीमा तक हो सके बढ़ाएं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): संसद सदस्य एक और कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हम पूरी धनराशि के उपयोग हेतु सुझाव देते हैं और वास्तव में पूरी धनराशि से भी अधिक धनराशि के उपयोग हेतु सुझाव देते हैं परन्तु कार्यान्वयन में कुछ खामियाँ रह जाती हैं। सामान्यत: मंत्री महोदय जब भी उत्तर देते हैं वे कहते हैं कि संसद सदस्य ने धन का पूर्ण उपयोग नहीं किया। इस कारण से कटघरे में कौन होगा। लोग संसद सदस्य को कटघरे में खड़ा कर देते हैं चाहे संसद सदस्य ने लिखित में पूरी धनराशि के लिए पूरे समय में मंजूरी दी है परन्तु चूंकि कार्यान्वयन की

[श्री पी.सी. थामस]

निगरानी नहीं होती, लोग संसद-सदस्यों को दोषी ठहराते हैं। यह ऐसा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): सभापति महोदय, यह योजना पार्लियामेंट की है। इसके लिए हम अपने जिला स्तर के अधिकारियों का इंतजार करते रहें और वे अपनी मनमानी करते रहें, यह ठीक नहीं है। जैसे अभी ममता जी के क्षेत्र में देखा जा रहा है और रोज-रोज हम देख रहे हैं कि इसमें किसी न किसी प्रकार से जिला अधिकारियों द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। यह बन्द होना चाहिए। जब आपने हमें दो करोड़ रुपए खर्च करने के लिए आबंटित किए हैं, तो हमारे ऊपर पूरा विश्वास रखिए और वे रुपए हमारी ही कलम से खर्च होने चाहिए क्योंकि यह स्कीम राज्य सरकार की नहीं बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संसद की स्कीम है। हमारी जिम्मेदारी पार्लियामेंट के प्रति है। यह झमेला हमने पकड़ लिया है कि हर चीज गवर्नमेंट के शिकंजे में डाल दी जाए, ताकि जिला स्तर के अधिकारी वहां पान खाते रहें और बैठे रहें, समय पर उनको इम्पलीमेंट न करें, यह ठीक नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए।

दूसरी बात जो श्यामा जी ने कही है, उसका मैं समर्थन करता हूं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना में रिपेयर के लिए धन का प्रावधान नहीं है, यह ठीक नहीं है। रिपेयर के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में मेरे द्वारा 1996 में दी गई स्कीम अभी तक चालू नहीं हुई है और सन् 2000 के पहले चार मास व्यतीत हो गए हैं। जब संगमा जी स्पीकर थे, तब मैंने वहां के जिलाधिकारी के खिलाफ प्रिवलेज मोशन दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब राम नाईक जी इस विभाग के मंत्री हुए, तो मैंने उन्हें भी लिखित रूप में आवेदन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां जो स्कीम इम्पलीमेंट करने वाले कलैक्टर हैं, वे भारी धांधली कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): मिस्टर चेयरमैन सर, इस स्कीम के अंडर जो पैसा मिल रहा है उसके इम्पलीमेंटेशन में गवर्नमेंट मौसमी हालात को जेरे नजर नहीं रखती है। जम्मू-कश्मीर का एरिया ऐसा है जहां काम करने के लिए केवल छः महीने ही मिलते हैं। अगर हमारा पैसा समय पर नहीं जाएगा, तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां काम करने का सीजन केवल छः महीने है। यदि पैसा सही समय पर खर्च नहीं होगा, तो सारा का सारा पैसा और काम बर्फबारी से नष्ट हो जाएगा, बर्फ के नीचे चला जाएगा। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एरिया के हालात को जेरे नजर रखना चाहिए।

[अनुवाद]

लद्दाख में छः महीने तक सड़कें बर्फ से ढकी रहती हैं। तब आप लद्दाख नहीं जा सकते क्योंकि 35 फीट की बर्फ जोजिला में होती है। श्रीनगर में काम करने का मौसम चार या पांच महीने रहता है। उस हिसाब से अगर हमको दे दें, तो अच्छा होगा।

[**جناب علی محمد ٹانک (اننت ناگ)**: جناب چیئرمین صاحب، اس اسکیم کے تحت جو پیسہ مل رہا ہے، اسے ایسمبلی کنسٹیچوئنسی میں گورنمنٹ موسمی حالات کو زیر نظر نہیں رکھتی ہے۔ جموں و کشمیر کا ایریا ایسا ہے جہاں کام کرنے کے لئے صرف چھ مہینے ہی ملتے ہیں۔ اگر ہمارا پیسہ وقت پر نہیں جائیگا تو ہم اسکا استعمال نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہاں کام کرنے کا سیزن چھ مہینے ہے۔ اگر پیسہ صحیح وقت پر خرچ نہیں ہوگا تو سارا کا سارا پیسہ اور کام برفباری سے خراب ہو جائیگا، برف کے نیچے چلا جائیگا۔ لہذا میری گورنمنٹ سے گذارش ہے کہ ایریا کے حالات کو زیر نظر رکھنا چاہیے۔

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान तमिलनाडु की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ एक विधायक स्थानीय सरकार में राज्य मंत्री हैं। वहां जैसे ही मैं एक संसद सदस्य के रूप में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सुझाव देता हूँ पंचायतों और नगर निगमों के माध्यम से मंत्री जी यह घोषणा करवा देते हैं कि वह यह काम कर लेंगे। अतः मैं इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में असमर्थ हूँ।

परिणाम यह होता है कि विभिन्न कार्यों के लिए आबंटित धन खर्च नहीं हो पाता यह दावा किया जाता है कि पंचायतें और नगर-निगम इसे खर्च करेंगे और इसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं रहती कि वे वास्तव में इस काम को हाथ में लेंगे भी अथवा नहीं। अतः मैं सोचता हूं कि यदि किसी संसद-सदस्य ने किसी काम को स्वीकृति दी है तो वह काम किया जाना चाहिए यह बहाना नहीं किया जाना चाहिए कि हम पंचायतों अथवा नगर निगमों के माध्यम से योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, इसमें चारदीवारी के निर्माण का भी अवश्य प्रावधान होना चाहिए। जैसे खेल के मैदान की चारदीवारी बनाने के लिए कहें तो वे कहते हैं कि ये नार्म्स के अंदर नहीं आता है। इसलिए मेरा कहना है

कि चारदीवारी का निर्माण इसमें अवश्य सम्मिलित किया जाये। ...*(व्यवधान)* हमारे यहां वे कोरी चारदीवारी को नहीं मानते हैं। ...*(व्यवधान)* दूसरे, इसकी मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए और इसका कार्य त्वरित गति से हो सके, ऐसा कुछ मैकेनिज्म तय हो जाये तो बहुत सुंदर होगा।

[अनुवाद]

श्री बरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि एम.पी. लैड के अंतर्गत दी गई राशि हमारे हाथ में है। सच्चाई यह है कि यह हमारी पहुँच में नहीं है। हम लोग किए जाने वाले कार्य के बारे में केवल सुझाव दे सकते हैं। लेकिन काम उचित ढंग से नहीं किये जाते हैं।

इसलिए, मेरा पहला सुझाव है कि एम.पी. लैड के अंतर्गत उपलब्ध पूरी राशि को कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकार में दे दिया जाए। एक बार यदि संसद सदस्य अपना प्रस्ताव दे देता/देती है तो उसे अविलम्ब कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि किस्त की प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए। यह इकमुश्त राशि के रूप में स्वीकृत की जानी चाहिए। इस में कठिनाई क्या है? यह निधि सांसदों के निमित्त है। इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि यह पैसा संसद सदस्य की जेब में ही रखा है। वे लोग सोचते हैं कि पूरी राशि संसद सदस्य के खाते में जमा है और अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारा अनुभव कुछ दूसरा ही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि पैसा शीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इस पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): सभापति महोदय, वर्ष 1996 में 5 लाख रुपये की राशि से यह स्कीम शुरू की गई थी। यह स्कीम बहुत अच्छी है। दिल्ली के अंदर भी विकास के कार्य दिल्ली नगर निगम करती है। मेरे क्षेत्र में 40 लाख की पापुलेशन है और यह एशिया की तीसरी सबसे बड़ी कांस्टीटूएंसी है। बाहरी दिल्ली दूसरे नम्बर पर है। हमारे यहां भी यही हाल है कि एक विधान सभा के सदस्य को एक करोड़ रुपया खर्च करने के लिए मिलता है और हमें 20 विधान सभाओं के लिए मात्र दो करोड़ रुपया मिलता है। हमारा बड़ा बुरा हाल है। ...*(व्यवधान)* पहले हमारा काम 1000 कालोनियों ...*(व्यवधान)* पैसा लगता था लेकिन अब कहते हैं कि राज्य सरकार ने मना कर दिया है। हम बदनाम हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप यह काम कराने की कृपा करें। ...*(व्यवधान)*

श्री रामशेठ ठाकुर (कुलाबा): सभापति जी, अप्रैल महीने के अंत तक मुझे बारहवीं और तेरहवीं दोनों लोकसभा के लिए साढ़े छह करोड़ रुपये देने का प्रावधान था जिसमें से छह करोड़ पांच लाख रुपये मंजूर हो गये। अब केवल 45 लाख रुपये बचे हैं। मैंने 70-72 सुझाव दे रखे हैं। मेरा कहना है कि ये सब काम दो करोड़ रुपये सालाना निधि में नहीं हो सकते इसलिए आप पांच करोड़ रुपया तुरंत बना दें।

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): महोदय, सभी सदस्यों ने इस निधि के उपयोग के लिए अपनी प्रबल इच्छा जाहिर की है। यह एक बहुत ही उत्तम योजना है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ समस्याएं सामने आई हैं। यह समिति केवल तीन महीने पहले गठित हुई थी। माननीय अध्यक्ष भी यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं प्रभावी ढंग से तथा सही रूप में कार्यान्वित हों। इसके लिए हम लोग उन बाधाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इस योजना के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, पहली समस्या जिसका सामना करना पड़ता है वह कलेक्टर, मंत्रालय तथा स्थानीय संसद सदस्य के बीच समन्वय का अभाव है। उनके बीच समन्वय होना चाहिए। यहाँ हमने कुमारी ममता बनर्जी की एक शिकायत सुनी है कि उनके चुनाव क्षेत्र में योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं। ऐसी बातें अन्य कई जगहों में भी हो रही है जहाँ स्थानीय सरकार तथा संसद सदस्य दो भिन्न राजनैतिक दलों के हैं। इस बात के लिए कि ऐसी बाधाओं को कैसे दूर किया जाए तथा स्थिति को सुधारा जाए हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार के तरीके उपयोग में लाए जाए तथा कैसे इसे सर्वोत्तम रूप में किया जाए।

महोदय, पहला काम जो हम लोगों ने किया है वह हैदराबाद में दक्षिण के राज्यों के कलेक्टरों की बैठक का आयोजन था जिसमें मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा इन राज्यों के संसद सदस्यों ने भाग लिया था। हम लोगों ने उन समस्याओं पर चर्चा की जो इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन में सामने आती है। यदि पूरे देश में चार या पांच जगहों पर इस प्रकार की बैठकें आयोजित करते तो बाधाओं को यथाशीघ्र दूर करने के तरीके खोज पाने में हम सक्षम हो जाएंगे।

जहाँ तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का संबंध है, उन्होंने विभिन्न बातों की शिकायत की है। लेकिन इसके पीछे यह विचार रहा है कि हम कैसे सर्वोत्तम सुधार ला सकते हैं तथा कितने प्रभावी ढंग से इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें इससे भयभीत नहीं होना

[डा. बी.बी. रमैया]

चाहिए। हम निश्चित रूप से इसे कर सकते हैं। सदस्यों ने भी निधियों के उपयोग न किए जाने की शिकायत की है। इसका कारण तीन वर्षों में तीन आम चुनाव हैं। हर बार चुनाव की घोषणा हो जाती है। चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू हो जाती है तथा चुनाव आयोग अपूर्ण कार्यों को कार्यान्वित नहीं करने का निर्देश जारी कर देता है। ऐसे सदस्य रहे हैं जो चुनाव हार जाते हैं तथा कुछ नए लोग चुने जाते हैं। हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। समस्याएँ हैं लेकिन हम अपनी ओर से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ है तथा कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है। यदि माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री का सहयोग मिलता है तो माननीय मंत्री इसमें सुधार कर सकते हैं तथा लोगों की इच्छानुसार एम.पी.लैड. की राशि को बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपकी समिति को भी मुस्तैदी से काम करना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): सभापति महोदय, मैं एक मिनट लूंगा। मैं पश्चिमी राजस्थान से आया हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आम तौर पर माननीय सदस्यों की सारी कठिनाई कनक्लूड होकर सरकार के जिम्मे आ गई है। यदि किसी माननीय सदस्य को कोई नई बात कहनी है तो कहे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपा करके आसन ग्रहण करें। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): जिस तरह सांसद किसी और पार्टी का है और राज्य में दूसरी सरकार है। सभी माननीय सदस्य बता रहे हैं कि प्रौब्लम आती है। *...(व्यवधान)* पंचायत समिति का बी.डी.ओ., जिला परिषद का सी.ई.ओ. या नगरपालिका का एकजीक्यूटिव आफिसर काम नहीं करता *...(व्यवधान)* उसके लिए कोई समयबद्ध प्रोग्राम होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई: पश्चिमी राजस्थान में अभी अकाल की स्थिति है। वहां पानी और चारे की कमी है। *...(व्यवधान)* मैं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं। *...(व्यवधान)* वहां पानी और चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* वहीं की भौगोलिक स्थिति में अकाल की स्थिति है। यह योजना हमारे पश्चिमी राजस्थान में लागू नहीं होती। *...(व्यवधान)*

एक गांव के बीच में दूरी कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं 20 किलोमीटर है, इसलिए हमारे यहां पर दो करोड़ रुपये कोई मायने नहीं रखते। पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में मैं खास तौर से जोधपुर के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने 23 दिसम्बर को यहां पर एक प्रिवलेज मोशन इसी मामले को लेकर लगाया था। मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आया हूं, वहां से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलौत थे। *...(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर (वडोदरा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि हैल्पिंग एड कि बहुत अच्छा इम्पीलमेंटेशन हमारे यहां हो रहा है, लेकिन उसके ब्याज के पैसे बढ़ जाते हैं, उससे हमें आयोजना अधिकारी और आयोजना अधिकारी के कक्ष में कम्प्यूटराइजेशन के लिए कुछ कम्प्यूटर्स देने चाहिए ताकि हम अपना जो काम है, उसकी लाइजनिंग यहां से अच्छी तरह से कर सके, जल्दी से कर सकें और किश्त को एक साथ ही देना चाहिए और एम.पी. लेड का पैसा बढ़ाना भी चाहिए, यह मेरा कहना है।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारांमूला): सभापति जी, मैं आपकी बुसातन से ऑनरेबिल मिनिस्टर को यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने इन्वेस्टीगेटिंग जर्नलिज्म में बड़े जौहर दिखाये हैं, लेकिन इस मामले में तआमुल से काम लें और जो हमारी राय है, इसको गौर से देंखें। जब आप कभी इलैक्शन लड़ेंगे तो अवाम और वोटर्स के मसायल के साथ जब दो-चार हो जाएंगे, तब दो करोड़ रुपये के बजाय ये 10 करोड़ रुपये के लिए खुद-ब-खुद मांग करेंगे। कश्मीर के जो दूरदराज इलाके हैं, मेरी कांस्टीट्वेंसी में 16 असेम्बली सैगमेंट्स हैं और पूरा एक दिन हैलीकॉप्टर से जाने में लगता है, अगर हम गुरेज और बगतोर के इलाके में जायें। उन इलाकों का, जो हिली एरियाज हैं, उनका आप खास ख्याल रखें और अपने इलैक्शन का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि कल को इसकी जरूरत पड़ेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विनोद खन्ना (गुरुदासपुर): सभापति महोदय, संसद सदस्यों को एम.पी. लैड की निधि से कुछ पैसा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के चिकित्सा खर्च पर खर्च करने की अनुमति होनी चाहिए। ऐसे खर्च क एक सीमा, 10 लाख रुपये प्रति वर्ष हो सकती है।

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए दिल का आपरेशन या दिल का प्रतिस्थापन कराना पड़ता है। इस काम में काफी पैसा खर्च होता है। यदि वे सरकारी अस्पताल में भी जाते हैं तो उन्हें अपने इलाज पर काफी खर्च करना पड़ता है जिसे वे वहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए, इस संबंध में नियम में यह प्रावधान किया जाए कि एक संसद सदस्य प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के चिकित्सा खर्च के लिए दे सकता है।

दूसरी बात कि देश में कुछ पिछड़े इलाके हैं। यदि वे पहले से ही पिछड़े है तथा जब हर सदस्य को समान राशि दी जाती है तो इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास कैसे होगा? मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र है जिन्हें कांडी क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में यदि मैं पूरी 2 करोड़ रुपये की राशि लोगों को पानी उपलब्ध कराने पर खर्च कर दूँ तो भी मैं केवल आठ से दस गाँवों को शामिल कर सकूँगा। मैं चाहूंगा कि इस पहलू पर भी विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक नया सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। योजना विभाग से राशि सासंद योजना को जाती है, लेकिन राज्य स्तर पर उसकी मोनेटरिंग ग्रामीण विकास विभाग करता है और उसका क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी जिले में करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग में इतना काम पड़ा हुआ है, इतनी राशि सुनिश्चित रोजगार योजना, ग्राम समृद्धि योजना वगैरह की केन्द्र से जाती है, उसकी मोनेटरिंग ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए हम आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि योजना विभाग सभी राज्यों में है और योजना विभाग के पास कोई काम नहीं है। इसलिए इसका मोनेटरिंग योजना विभाग द्वारा राज्य के स्तर पर हो तो ठीक से काम होगा और जिलों में जो जिला पदाधिकारी और बी.डी.पी. होते हैं, उनके जिम्मे बहुत काम होता है, इसलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि जिला योजना पदाधिकारी जो जिले में होते हैं, सांसद योजना के पूरे-पूरे अधिकार उनको दिये जाने चाहिए। सांसद योजना का काम जिला योजना पदाधिकारी देखें और उसकी मोनेटरिंग राज्य के स्तर पर योजना विभाग करे। मैं दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर छः महीने में कम से कम चीफ सैक्रेटरी के स्तर पर सांसदों की समीक्षात्मक बैठक होनी चाहिए।

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी): सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी अपनी विडम्बना है। कुछ तो एक जिले के लोक सभा क्षेत्र हैं और कुछ ग्रामीण क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें 4-4 जिले लगते हैं। चार बार में यह राशि वहां जाती है और आठ विधान सभा क्षेत्र होते हैं, चार जिले होते हैं। एक नोडल जिले को राशि जाती है, वहां से फिर बंटकर चार जिलों को जाती हैं, चार जिलों की जानकारी जब एक जिले में इकट्ठी यहां आती है, उसके बाद यहां सूचना आती है। सरकारी विभाग का कामकिस गति से चलता है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। चार बार पैसा बंटवाना और वहां सैक्शन होकर वहां की खबर आना और वहां से केन्द्र सरकार तक खबर आना, यह सम्भव नहीं हो पाता, इसके कारण सांसद पिछड़ रहे हैं। जहां विरोध की सरकारें हैं, जैसे हम लोग भाजपा के सांसद हैं और वहां कांग्रेस की सरकार बैठी है।

वहां पर कलेक्टर हमारे काम नहीं होने देते, जानबूझ कर सूचना में विलम्ब करते हैं। इसलिए जब तक कलेक्टर पर कार्यवाही करने का अधिकार केन्द्रीय विभाग को नहीं जाता, तब तक योजनाएं ठीक तरह से अमल नहीं हो पाएंगी। ...*(व्यवधान)* आपने अपनी पीड़ा बता दी। हमारी यह पीड़ा है कि वहां कांग्रेस की सरकार काम नहीं करने देती। इसलिए मेरा सुझाव है कि कलेक्टर पर कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): बिहार में एक करोड़ रुपए विधायकों को मिलते हैं। उसके अलावा सारे चापाकल लगाने का काम विधायक का है। रोड बनाने के लिए भी पैसे मिलते हैं। हमें सिर्फ दो करोड़ रुपए मिलते हैं, इससे काफी परेशानी हो रही है। माननीय सदस्यों ने जो छः करोड़ रुपए देने की बात कही है, उससे मैं भी सहमत हूं। इसके अलावा खेल सामग्री के लिए भी हमारे पास बहुत से लड़के आते हैं, हम उनको इस स्कीम के तहत नहीं दे पाते। मेरा सुझाव है कि इसका भी प्रावधान होना चाहिए। चापाकल की व्यवस्था विधायक करते हैं, एम.पी. के द्वारा होनी चाहिए।

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज): एम.पी. लैड का पैसा जो स्कूलों में दिया जाता है वह कलेक्टर के माध्यम से दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि जो स्कूल मान्यता प्राप्त हैं और ग्रांटड हैं उनको डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): हमारे क्षेत्र में जबलपुर और कटनी में जो राशि जाती है, पहले जबलपुर जाती है, फिर कटनी जाती है। मेरा कहना है कि दोनों जिलों में समान रूप से एक साथ जानी चाहिए। 50 लाख रुपए की रिपोर्ट आने के बाद दूसरी किस्त दी जाती है, तब तक कोई काम नहीं होता है। बरसात का मौसम आने वाला है इसलिए कम से कम एक करोड़ रुपया एक साथ मिलना चाहिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): मुझे दो सुझाव देने हैं। पहला तो यह है कि पैसे का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता, उसके लिए सांसदों को दोषी समझा जाता है। आप एक परिवर्तन कर लीजिए, सारे सांसद अपने-अपने क्षेत्रों के प्रस्ताव आपको दे देते हैं। हमारे प्रस्ताव देने के बाद इस पैसे का डिस्पर्समेंट और युटिलाइजेशन सरकार अपने हाथ में ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

दूसरा सुझाव यह है कि आपने जिम्मेदारी बनाई है और कलेक्टर के ऊपर दे दी है। मैंने कई जिलों में देखा है कलेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अच्छा काम करते हैं, समय पर पैसा का उपयोग करते हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और जो ऐसा नहीं करते हैं, गलत करते हैं, जानबूज कर रोक कर रखते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दो करोड़ रुपये बहुत कम हैं, उसको बढ़ा कर कम से कम चार करोड़ रुपया करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री तिरुनावक्करसू (पुडुक्कोट्टई): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एम.पी. लैड की 2 करोड़ रुपये की वर्तमान राशि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। तमिलनाडु में गत वर्ष एक विधायक को उसके विधानसभा क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये की राशि दी गई। इस वर्ष के बजट में इसे बढ़ाकर 60 लाख कर दिया गया है। वे अब तमिलनाडु में एक विधान सभा क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 60 लाख रुपये दे रहे हैं। यह राशि प्रतिवर्ष 3.6 करोड़ रुपये होती है। यदि हम 2 करोड़ रुपये की राशि को विभाजित करते हैं तो यह लगभग 33 लाख रुपये बनती है। इसलिए, मैं सरकार से एम.पी. लैड की 2 करोड़ रुपये की वर्तमान निधि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): मैं जब भी बात करता हूं घपले की करता हूं। मैंने पहले क्रिकेट का माला उठाया था, अब एम.पी. लैड के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने दिसम्बर में मंत्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे क्षेत्र के पहले के सांसद ने 180 स्कीम सूचीबद्ध की थीं। उनमें से 118 स्कीम्स के लिए पैसा दे दिया गया था, उन पर कार्य कुछ नहीं हुआ था।

उस चिट्ठी को लिखा था, उसका जवाब मुझे माननीय मंत्री जी से मिल गया था, एकनॉलेजमेंट मिल गया था। यह भी पता लगा कि यह चीफ सैक्रेटरी, बिहार के पास चला गया है लेकिन आज तक वहां क्या कार्य हुआ है, इसकी सूचना नहीं मिली है। मैंने दिसम्बर में 54 लाख रुपया सड़क निर्माण के लिए दिया था। वह कार्य चालू हुआ लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ और आधे से भी ज्यादा काम नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो हम पैसा देते हैं, समयावधि में वह कार्य हो जाना चाहिए। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक और पैसा हमें नहीं मिलेगा।

डा. संजय पासवान (नवादा): मैं इस स्कीम के पक्ष में नहीं हूं। यह स्कीम बंद होनी चाहिए। यह स्कीम एम.पी. को बेईमान बना रही है। आपने देखा होगा कि जिन्होंने इस योजना को शुरू किया था, वह आज कहां हैं? नरसिंह राव जी आज कहा हैं और यही हालत आज हम लोगों की होने वाली है, इसलिए यह बंद होनी चाहिए। यदि योजना चल ही रही है तो कम से कम एक सांसद कार्यालय उस क्षेत्र में अवश्य खुलना चाहिए जिसमें पांच प्रतिशत उसकी स्थापना पर खर्च किया जाना चाहिए, यह आवश्यक है।

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): निर्देशिका में यह लिखा है कि 43 दिनों के अंदर-अंदर सांसद की अनुशंसा के बाद उस पर निर्णय करके स्वीकृति हो जानी चाहिए पर कलैक्टर उसकी स्वीकृति नहीं करते, इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय को मंगानी चाहिए और क्वार्टरली मंगानी चाहिए तथा ऐसे कलैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एस.सी.एस.टी. के लोगों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए सामुदायिक भवन बनाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। ...*(व्यवधान)* निर्देशिका में नहीं है। अगर कोई बता देगा तो मैं चैलेंज देता हूं मैं यहां से त्यागपत्र देता हूं नहीं तो आप दे देना। ...*(व्यवधान)* निर्देशिका में नहीं है। ...*(व्यवधान)* गौशाला व्यवस्था के लिए भी भवन निर्माण की अनुमति होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): धन्यवाद। मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूं। हम अपनी निधियों में से पुस्तकालय भवन के लिए कुछ राशि दे सकते हैं लेकिन पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए नहीं। पुस्तकों के बिना पुस्तकालय कैसे चलेगा? अत: पुस्तकों के लिए राशि की स्वीकृति हेतु संशोधन आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): सभापति महोदय, हमारे फूलपुर इलाहाबाद में 6 तारीख को आपके यहां से ड्राफ्ट भेजा गया था और आज दस तारीख हो गई है। अगर बात करते हैं तो यह बताते हैं कि ड्राफ्ट भेज दिया गया है और वहां पता लगाओ तो मालूम होता है कि रजिस्ट्री द्वारा भेजा गया है और

पहुंच रहा होगा। डेढ़ महीना हो गया लेकिन कोई पैसा नहीं पहुंच रहा है, उसमें डिले हो रही है। यह पता लगाया जाये कि पैसा कहां गायब हो रहा है, कौन गायब कर रहा है। उसमें डा. जोशी का पैसा है और चार-चार एम.पी. का पैसा है। पिछली बार ऐसा हुआ, इसलिए इसे स्पीड पोस्ट से भेजा जाये। दूसरे, लड़कियों का स्कूल हमारे गांव में नहीं है, बहुत कम है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि नयी गाइडलाइन्स में लड़कियों के स्कूल खोलने के लिए पैसा देने के लिए रियायत भी दी जाये और नियम में ढील दी जाये।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार): मेरे महाराष्ट्र में नन्दुरबार में ट्राइबल निर्वाचन क्षेत्र में वहां पर पचास लाख रुपया भेजा गया है और कहते हैं कि बाकी पैसा किश्तों में भेज रहे हैं लेकिन मंत्रालय से पैसा नहीं आ रहा है। जो एजेंसी हैं, वे काम नहीं कर रही हैं, उनके बारे में जैसा एक सांसद महोदय ने कहा कि कार्रवाई करनी चाहिए और जो कम्प्यूटर देने के लिए हम कर रहे हैं लेकिन पैसा यहां से जल्दी नहीं आ रहा है, पैसा जल्दी भेजना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, जब एक संसद सदस्य द्वारा किसी खास कार्य का प्रस्ताव कलेक्टर के पास भेजा जाता है तो संबंधित विभाग को उस खास कार्य के लिए खर्च के एक विशेष भाग को आबंटित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि एक माननीय संसद सदस्य द्वारा किसी पंचायत के एक सड़क के निर्माण कार्य का प्रस्ताव किया गया हो तो संबंधित विभाग द्वारा खर्च के एक विशेष भाग को उस कार्य के लिए आवंटित किया जाना चाहिए ताकि कार्य को दुगनी गति से निष्पादित किया जा सके। एम.पी. लैड्स के अंतर्गत आवासीय कालोनियों के निर्माण पर भी विचार किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश में जब वे पचास लाख रुपये का अनुदान विधायकों को दे रहे थे तो आवासीय कालोनियों हेतु पच्चीस लाख रुपये आबंटित किये गये थे और गरीब लोगों को पांच सौ मकान उपलब्ध कराये गये थे।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि काम समय पर, मजबूती के साथ और बिना करप्शन के होना चाहिए और जो भी काम किया जाए, वह ठहरना चाहिए।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): महोदय, मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहती हूं,

"जिनसे उम्मीद थी, बनायेंगे मजार मेरी,
वही मेरी कब्र का पत्थर चुरा ले गए।"

सभापति महोदय: सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि कलैक्टर ठीक काम नहीं कर रहा है। जिसकी सरकार का कलैक्टर है, वह काम ठीक कराए। उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

"केशव कही न जात क्या कहिए,
देखत सृष्टि रचना विचित्र अति
समुझी मन ही मन रहिए।"

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदय, मुझे एक मुद्दा उठाना है।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि क्या एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत धनराशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति पर्याप्त है अथवा संसद को उस धनराशि को स्वीकृति देनी होगी। इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय में बहस की जा रही है। मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं और मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। इन्हें चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मैं प्रत्येक का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। लगभग सभी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: सभा एकमत है; ये मात्र सभी पक्ष नहीं है।

श्री अरुण शौरी: मैंने उठाए गए सभी प्रश्नों को गौर से सुना है।

[हिन्दी]

श्री अरुण शौरी: इम्पलीमेंट ठीक नहीं हो रहा है और इसमें तेजी नहीं है तथा शिकायत ज्यादातर है कि कलैक्टर काम नहीं करते हैं। दूसरा जहां पर दूसरे दलों की सरकारें हैं, वे एम.पी.एल.ए.डी. के काम में बाधायें डालते हैं। इस बारे में कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे कलेक्टर के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिवलैज मोशन लाया जाए। महोदय, जहां तक इस विभाग का काम है, वह

[श्री अरूण शौरी]

यह है कि आपके एकाउन्ट से पैसा जल्दी भिजवाया जाए। मैंने इस बारे में जांच करवाई थी। उसमें यह पाया गया, एक्सपेंडिचर लैटर मिलने के बाद एक से डेढ़ महीना पैसा भिजवाने में लग रहा था। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस विषय में तीन चीजें की गई हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर से बात की गई, कैबिनेट सैक्रेटरी से बात की गई और जो डिपार्टमेंट इसमें इन्वाल्व है, जहां से एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आता था, उनसे बात की गई। होता यह है कि पैसा पे-एंड-एकाउन्ट से सैंग्शन होकर, कैबिनेट सेक्रेटरी से यह एप्रूवल मिलने के बाद, रिजर्व बैंक से क्लीयर होने के बाद हम डिमान्ड ड्राफ्ट डिसपैच करते थे। तीनों विभागों से बातचीत करने के बाद, रिजर्व बैंक गवर्नर से बातचीत करने के बाद, अब यह कार्यवाही होती है।

मुझे हर फ्राइडे को यह स्टेटमेंट दी जाती है कि एक्सपेंडीचर स्टेटमेंट किस दिन आई। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट से पे एंड एकाउंट सैक्शन को किस डेट पर हमारी रिकवेस्ट गई, उनकी सैंक्शन कब आई और रिजर्व बैंक का ड्राफ्ट कब डिस्पेच हुआ, यह स्टेटमेंट मुझे हर सोमवार को आती है। इतनी मोटी किताब स्पीकर के, राज्य सभा के चेयरमैन के आफिस में और लाइब्रेरी में रखी जाती है कि कितना एमाउंट किस एम.पी. के नाम पर रिलीज हो गया है। आप चाहें तो आपके लिए उसकी कापी भेज देता हूँ आप लेख लीजिए। ये सारी स्टेटमेंट्स इसी हफ्ते की हैं, जो मुझे इस फ्राइडे को दी गई हैं। तीन तारीख को इनकी एक्सपेंडीचर स्टेटमेंट आती है और चार तारीख को हमारे डिपार्टमेंट से पीएओ सैक्शन में जाती है। पहले वह केबिनेट सेक्रेटेरिएट में जाती थी, अब हमने उनके लिए अपने आफिस में जगह दे दी है कि आप अपने दो आफिसर्स यहां बैठा दीजिए, उन्होंने अपनी जो कार्यवाही करनी है वह उसी समय वहीं पर कर लें ताकि एक दिन की भी डिले न हो। उन्होंने पहली मई से हमारे यहां आफिसर्स डिप्यूट कर दिए हैं, अब फाइल इधर से उधर जाने की बात नहीं है। रिजर्व बैंक की बिल्डिंग, दो बिल्डिंग छोड़ कर है तो हमने एक आदमी सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि जैसे ही सैंक्शन हो, पीएओ की स्लीप मिले, आप वहां से जाकर ले आइए, डिमांड ड्राफ्ट डिस्पेच हो जाएगा। महोदय, चार-पांच दिन के बीच में यहां से एक्सपेंडीचर स्टेटमेंट आने पर पैसे चले जाते हैं। ...*(व्यवधान)* आज भी मुझे एक माननीय सदस्य ने बताया था, मैंने उसकी जांच की थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हो सकती। परन्तु यह एक अपवाद है।

आप विश्वास कीजिए, अगर कोई भी ऐसी त्रुटि हमसे हो तो आप हमारे सैक्रेट्री साहब से कहें, मुझे कहें या किसी से भी कहें, वे उसी दिन शाम को फोन करके आपको बताएंगे। मैं भी बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ है। हम यहाँ आपकी सेवा के लिए हैं। मैं अभी स्पीकर साहब को यह स्टेटमेंट दे देता हूं। दूसरी बात बहुत गंभीर प्रोब्लम है। मैं सारे हाउस से शेयर करता हूं और मेरी किसी भी पार्टी से शिकायत नहीं है, मगर जो ममता जी, अजीत पांजा साहब ने कहा है तथा हमारे और भी कई भाईयों ने कहा है, मणिशंकर जी मेरे बड़े पुराने कालेज के मित्र हैं, यह जो मसला है कि जहां भी कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती है, वहां कलेक्टर उनके नजरिये से चलता है। वह आपकी चीज को जल्दी से सैंक्शन नहीं करता। वह एक्सपेंडीचर स्टेटमेंट नहीं भेजता। पांजा साहब ने मुझे यहां तक कहा है कि इन्हें इतने साल से पासबुक तक इश्यु नहीं की गई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों को पास-बुक नहीं दी जाती है। इसका रखरखाव कलैक्टर द्वारा किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदया, कृपया मेरी बात सुनें। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि सूचना भी नहीं दी जाती है। मैं यह बात सभा को बता सकता हूँ कि मैंने यह पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया है। केवल इसी समस्या पर चर्चा करने हेतु हमारे संयुक्त सचिव मार्च में वहां गए। विशेषकर पश्चिम बंगाल में यह एक स्थानीय समस्या है।

श्री मणि शंकर अय्यर: तमिलनाडु में भी।

श्री अरुण शौरी: हो सकता है।

श्रीमती श्यामा सिंह: मैं मंत्री महोदय को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। जिला न्यायाधीश और विकास खण्ड अधिकारी (बी.डी.ओ.) बहुत स्वेच्छापूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं और हमें ऐसे लगने लगता है कि कोई काम करवाने के लिए चाहे वह काम दस लाख का ही हो हम उनसे भीख मांग रहे हैं। यह मैं साक्ष्य दे कर कह सकती हूँ कि बिहार में पिछले नौ महीने में एमपीलैड्स स्कीम निधियों से मध्य बिहार के सात निर्वाचन-क्षेत्रों में जरा सी भी प्रगति नहीं हुई है। यह स्थिति है।

श्री अरुण शौरी: मैं आपको स्थिति बयान करता हूँ। यहां से धन मुस्तैदी से भेजा रहा है। कोई भी किसी भी समय हमारे कार्यालय में आ सकता है और रिकार्ड देख सकता है। आपका हमेशा स्वागत है। आपको हमारे कार्यालय आने का भी कष्ट नहीं करना पड़ेगा, आप माननीय अध्यक्ष के कार्यालय में ही उसकी जांच कर सकते हैं। यह दोहरी समस्या है। इस सभा के सामूहिक सदस्यों और अध्यक्ष महोदय के हस्तक्षेप से इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जा सकता है हमने अपनी पूरी कोशिश की है। श्री रमैया यहां उपस्थित हैं। हमारी सबकी

ओर से समिति इस मामले पर विचार कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय इन राज्य सरकारों को लिख सकते हैं। जिनकी हमने सहायता करने का प्रयास किया है उन व्यक्तिगत मामलों को हम आपके पास ला सकते हैं। यदि कुछ सुविदित कारणों की वजह से राज्य सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं और यदि आप यह सुझाव देते हैं कि केन्द्र को कलैक्टरों के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी चाहिए तो हम केन्द्र-राज्य संबंधों में हस्तक्षेप करेंगे। राज्य सरकारों को इस बात की ईर्ष्या होती है कि कलैक्टर उनके अन्तर्गत काम करते हैं। शक्तियों के विभाजन में केन्द्र सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। हम केवल समझा सकते हैं। सभा इस मामले पर विचार कर सकती है। विशेषाधिकार हमन के संबध में एक प्रश्न उठाया गया।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: केन्द्र सरकार अनेक अन्य स्कीमों के अंतर्गत पैसा भेजती है। उन मामलों में कोई विवाद नहीं है। तो फिर विवाद क्यों है? यह राज्य सरकारों के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण है। चूँकि राज्यों में भिन्न पार्टी सत्ता में हैं, अत: वे स्कीमों को लागू नहीं करना चाहते हैं। मैं जानना हूँ कि क्या मंत्री महोदय वाकई इस स्कीम में रुचि रखते हैं।

श्री अरुण शौरी: मैं इसका भी जिक्र करूँगा। यह प्रश्न नहीं है। यह आपकी स्कीम है और आपने इसे स्वीकृति दी है। मैं तो यहाँ इसे लागू करने के लिए हूँ। मैं अपनी सीमित भूमिका बता रहा हूँ। यदि आप इसे भाग्य के सहारे छोड़ देंगे तो मैं आश्वासन देता हूँ कि इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): पूर्व में जारी किए गए निदेशों में एक प्रावधान यह किया गया था कि यदि कोई अधिकारी जानबूझ कर स्कीम के कार्यान्वयन में देरी करता है तो उसे संसद की अवमानना माना जायेगा। नये निर्देशों में ऐसा नहीं है। नये दिशानिर्देशों में इसे हटा दिया गया है।

श्री अरुण शौरी: यह बहुत अच्छी बात है। हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी कि इसे क्यों हटाया गया। मैंने वह दिशानिर्देश तैयार नहीं किये थे। दिशा निर्देश दोनों सभाओं के सदस्यों से, जो आपके प्रतिनिधि हैं, बनी समितियों ने बनाए हैं, तथ्य यह है कि उन्होंने इस प्रावधान को हटाया है इससे यह प्रदर्शित होता है कि इसका कोई बड़ा कारण रहा होगा। इससे उनके आकलन का पता चलता है। उनका आकलन यह है कि कलैक्टर द्वारा किये गये विलम्ब को विशेषाधिकार की अवमानना नहीं कहा जा सकता।

आप इस विषय में दोषी किसी कलैक्टर का मामला क्यों नहीं लेते, उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाइए और कानून में उसका परिणाम देखिए? यह बड़ा आसान तरीका है। इसे सरकार पर क्यों छोड़ते हैं? आप असंतुष्ट पक्ष के सदस्य हैं। अत: इसे विशेषाधिकार समिति में ले जाइए। मैं विशेषाधिकार के कानून का विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं नहीं सोचता कि आपको इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन यह एक ऐसी अच्छी बात है जिसे परखा जाए। इन दिशानिर्देशों से इस प्रावधान को हटाने के तथ्य से कानून के आकलन का पता चलता है बहुत सी बातों के लिए कलैक्टरों को दोषी ठहराया गया है। श्री जनार्दन रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण अन्तर की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम आंध्र प्रदेश में लागू की गई तो यह बहुत सफल रही। उन्होंने पूछा जब केन्द्र सरकार ने इसे लागू किया तो यह असफल क्यों सिद्ध हुई? ऐसा इसलिए था क्योंकि आंध्र प्रदेश के कलैक्टर आंध्र प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत काम कर रहे हैं। अत: स्वाभाविक रूप से वे राज्य सरकार स्कीम के अंतर्गत बनाए गये प्रस्तावों को लागू करते हैं। इस विशेष मामले में आप केन्द्र से दिशानिदेश जारी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कोई अन्य तरीका निकाला जाना चाहिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: वे सब, अखिल भारतीय सेवाओं के हैं। वे गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह हैं जब श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे और श्री पी. चिदम्बरम इसके मुख्य प्रभारी थे तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया था।

श्री अरुण शौरी: मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया देश की नाजुक स्थिति को देखें। निम्न राज्यों में भिन्न-भिन्न पार्टियाँ सत्ता में हैं। केन्द्र में समय-समय पर अलग-अलग पार्टियाँ सत्ता में रहती हैं। आपके द्वारा केन्द्र को सर्वोच्च अधिकार देने से, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, चाहे किसी भी दल को गठबन्धन सत्ता में हो, अनेक बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। मैं केवल एक सुझाव दे रहा हूँ। मैं इसकी खोजबीन करूँगा। कृपया कोई अन्य उपाय सोचिए। एक अच्छी बात यह है कि कलैक्टर के विरुद्ध एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव रखिए और देखिए कि यह सफल होता है या नहीं। दूसरी बात, मैं आपका ध्यान ...*(व्यवधान)*

श्री अली मोहम्मद नायक: यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की लड़ाई नहीं है। यह अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही है। वे नियंत्रण में हैं ...*(व्यवधान)* उनमें सुधार किया जाना चाहिए।

श्री अरुण शौरी: सदस्यों से बहुत से प्रश्न किये है। मुझे उनका उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): मैं जब पहली बार लोक सभा में थी, उस समय हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों के बारे में जो गड़बड़ हो रही थी उसके लिए मैंने सी.डी.ओ. के खिलाफ लिखित में एक पत्र दिया था। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं लिखता है। यदि डी.एम. ने फाइनल रिपोर्ट दी तो आप उसे फाइनल मान लेते हैं। यदि हम उसकी शिकायत करते हैं तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आप डी.एम. की रिपोर्ट कैसे फाइनल रिपोर्ट मान कर एक तरफा डिसिजन ले सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: आप ठीक कह रही हैं। मैं इसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। श्री रमैया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि कोई तंत्र बनाया जाए। माननीय अध्यक्षमहोदय आगे रहे हैं। मंत्री बैठकें कर रहे हैं। कलकत्ता, भुवनेश्वर, पटना में बैठकें की गई हैं

[हिन्दी]

स्पीकर साहब ने इनीशेटिव लेकर एक और काम और बहुत अच्छा किया है कि सारी सदर्न स्टेट्स के कलैक्टर्स बुलाकर रमैया साहब की कमेटी को हैदराबाद में मीटिंग करवायी। उसमें चारों स्टेट्स के 30 कलैक्टर्स आए। उनकी कौन सी मुश्किलें हैं और क्या हमारी कम्पलेंट्स हैं, उनसे इस बात पर बहुत देर तक वार्ता हुई। मैं महाराष्ट्र में अपनी एक मीटिंग करवाने के लिए बहुत देर से ट्राई कर रहा था और चाहता था कि महाराष्ट्र सरकार के साथ मीटिंग हो। वहां के बारे में भी कई लोगों को शिकायत है। वह मीटिंग 29 मई को इवैंच्युली फिक्स हुई है। वह तीन बार पोस्टपोन हो चुकी है। हमारी ओर से कार्रवाई चल रही है। रमैया साहब ने एक अच्छी स्कीम डिवाइस की है। स्पीकर साहब का टाइम बड़ा वैल्यूएबल होता है, सभी मीटिंग्स में उनके लिए जाना मुश्किल होता है, उन्होंने यह कहा कि तीन-चार स्टेट्स को मिला कर वहां के रिप्रेजेंटेटिव, कलैक्टर या चीफ सैक्रेट्री आएं और एक मैकेनिज्म परस्यूएशन के साथ होना चाहिए तभी यह चीज आगे चलेगी। यदि तृणमूल कांग्रेस या मणि शंकर जी के साथ जानबूझ कर कोई ऐसा रवैया हुआ है तो वह ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि इंडीविजुअल आफिसर कुछ काम नहीं कर रहा। जहां काम नहीं हो रहा है वहां एक पैटर्न है। दूसरी पार्टी की सरकार के पावर में रहते ऐसा हो रहा है। हम इस पैटर्न को डॉक्युमैंट करें, एक्सपोज करे। इससे शायद ज्यादा परस्यूएसिव इफेक्ट होगा।

श्री मणि शंकर अय्यर: मेरी शिकायत तमिलनाडु के मंत्री जी से है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एम.एल.ए. हैं।

श्री अरुण शौरी: यह पहली बार है कि मणि शंकर जी को मेरे से शिकायत नहीं है। आपने कलैक्टर के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं केवल एक बात का उल्लेख करूंगा।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम (तंजावुर): एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो 'मणि' हैं। शायद इसलिए यह भ्रम पैदा हो गया है।

[हिन्दी]

श्री अरुण शौरी: उन्होंने कलैक्टर के बारे में शिकायत की। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं आपको एक फीगर बताना चाहता हूं कि आजकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल हो गया है पिछले साल दिल्ली में रूरल डैवलपमैंट की एक कांफ्रेंस कलैक्टर्स के साथ यह देखने के लिए हुई थी कि प्रोग्राम में डिले क्यों हो रहा है? उसमें एक क्वश्चन्नेअर बांटा गया। आपके राज्य में कलैक्टर के रूप में औसत कार्यकाल के दौरान

सायं 7.00 बजे

जरा इस पर गौर कीजिए। उन कलेक्टरेज की हालत क्या है? राजस्थान 11 महीने, तमिलनाडु 9 महीने, महाराष्ट्र 11 महीने, मध्य प्रदेश 10 महीने, सिक्किम 4 महीने, हरियाणा 11 महीने, उत्तर प्रदेश 6 महीने, कर्नाटक 5 महीने, आंध्र प्रदेश 11 महीने, गुजरात 9 महीने, उड़ीसा 10 महीने, पं. बंगाल एक साल 3 महीने।

कई माननीय सदस्य: लेकिन इसमें बिहार का नहीं है।

श्री अरुण शौरी: सभापति महोदय, बिहार के आंकड़े में से निकालने के लिए तो कोई जादू की छड़ी चाहिए। आप देखिये कि यदि एक कलेक्टर 6 या 10 महीने रहते हैं तो वह कैसे इम्पलीमेंट करेंगे?

सभापति महोदय: अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री अरुण शौरी: सभापति महोदय, जनरल पाइंट यह है कि जिन राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, वहां का यूटिलाइजेशन रेट 80 परसेंट है। मनी की शिकायत तमिलनाडु को है।

[अनुवाद]

परन्तु अधिकतम उपयोग दर तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। यह लगभग 78% है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि

तमिलनाडु में मुख्य मंत्री स्वयं एमपीलैड्स के मामले में कलैक्टरों की व्यक्तिगत रूप से बैठक करते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। अत: हमें सामान्य प्रशासन को सुधारने के लिए काम करना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): धनराशि बढ़ाने के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री अरुण शौरी: मैं आखिर में इस विषय पर चर्चा करूँगा इसलिए आप थोड़ा इन्तजार करें।

महोदय मेरे द्वारा वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट का हवाला देने पर तीन माननीय सदस्यों ने शिकायत की है।

[हिन्दी]

वहां रिकमेंडेशन ऐसी नहीं की गई स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि इवैल्यूएशन स्टडी हो। उन्होंने इस बात को अपनी रिपोर्ट में तीन जगह पर कहा है।

[अनुवाद]

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का बिना किसी और विलम्ब एमपी लैंड स्कीम की प्रभावोत्पादकता की जाँच के बारे में प्रतिदर्श सर्वेक्षण करने का विचार है।''

पृष्ठ 27 पर यह कहा गया है:

समिति को यह नोट करके दु:ख होगा कि यद्यपि एक वर्ष की अवधि समाप्त होने जा रही है फिर भी स्कीम की फलोत्पादकता के संबंध में प्रतिदर्श सर्वेक्षण करवाने संबंधी समिति की सिफारिश के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। समिति चाहती है कि इस मामले में और अधिक समय न गंवाया जाए और प्रतिदर्श सर्वेक्षण जल्दी पूरा किया जाए जैसी कि पहले सिफारिश की गई है।''

सिफारिशों के संक्षिप्तीकरण में उन्होंने इसी बात को फिर दोहराया है। अत: मैंने स्कीम की निन्दा करने हेतु स्थायी समिति की रिपोर्ट का आश्रय नहीं लिया।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): यह निन्दा नहीं, यह तो बल्कि प्रशंसा है।

श्री अरुण शौरी: महोदय ठीक यही तो प्रश्न है। आज, तीन माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैंने स्थायी समिति के प्रतिवेदन को ऐसे उद्धृत किया है जैसे कि मैंने स्कीम की निन्दा करने हेतु किसी प्राधिकारी को उद्धृत किया हो। यह मामला नहीं है। मैंने विशेषकर इसका उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि एक सदस्य ने मुझसे पूछा था, ''क्या इस बारे में कोई जांच हुई है या नहीं। मैंने बयान किया कि स्थायी समिति की इस सिफारिश के अनुसरण में कार्यक्रम मूल्यांकन संस्था वे एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण करवाया। बस यही कुछ हुआ। परन्तु इसमें कई तरह के मतलब निकाले जाने लगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हम इसका स्वागत करेंगे।

श्री अरुण शौरी: ठीक यही तो किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): मंत्री जी, यह बताएँ रुपया बढ़ाने जा रहे हैं या नहीं।

श्री अरुण शौरी: आप इतने बेताब न हों। हम बेखबर चाहे हों पर इतने बेखबर भी नहीं कि आपकी बात भूल जाएं। श्री किरीट सोमैया ने सुप्रीम कोर्ट की पैटीशन के बारे में कहा।

[अनुवाद]

श्री जालप्पा ने यह भी पूछा कि ऐसे कौन सा प्रश्न था जिस पर उच्चतम न्यायालय में चर्चा हो रही है। वास्तव में मेरी सूचनानुसार उच्च न्यायालय में छ: याचिकाएं लंबित पड़ी हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? कोर्ट में मामले को ठीक से लड़ा जाए।

श्री अरुण शौरी: मैं आपको बता दूं ताकि मेम्बर्स भी इससे वाकिफ रहें। मुम्बई हाई कोर्ट में 1994 की एक पैटीशन इस स्कीम के विरुद्ध पड़ी है। उसकी हियरिंग चल रही है। आंध्र में 1996 से एक पैटीशन पड़ी है, दिल्ली में 1997 से एक पैटीशन है और दूसरी पैटीशन भी 1997 से है। गोहाटी हाई कोर्ट में 1998 से एक पैटीशन लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 1999 के शुरू में एक पैटीशन आई थी। छ:-सात पैटीशन्स इसके बारे में कोर्ट्स में लगी हुई हैं। स्वाभाविकतया सरकार का अच्छी तरह प्रतिनिधित्व होगा। मगर यह सोचना कि यह लाइट चैलेन्ज है, ठीक नहीं होगा। क्या-क्या ग्राउंड उन्होंने दिये हैं?

[श्री अरूण शौरी]

[अनुवाद]

मैं यह बता सकता हूं। श्री जालप्पा ने जो आधार दिया है उससे व्यापक आधार भूमि भी है। ऐसे महत्वपूर्ण आधार कई हैं जो दिये गये हैं। मैं किसी भी तरह से कोई मत प्रकट नहीं कर रहा हूं। परन्तु यह मामला न्यायालय में है।

श्री मणि शंकर अय्यर: आप किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण क्यों नहीं प्रकट करते? निश्चित रूप से एक मंत्री होने के नाते आपको एम.पी. लैड्स का बचाव करना चाहिए आपको तटस्थ नहीं रहना चाहिए। चूंकि इस योजना के बारे में आपकी वाणी में उत्साह का अभाव है और आपके हाव भाव से हमें आशंका हो रही है कि आप कानूनी सलाहकार को एम पी लैडस के मामले में लड़ने के लिए कानूनी सलाह नहीं देंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आयेगा तो हम संविधान में संशोधन करने को भी बाध्य होंगे कृपया हमें ऐसी स्थिति की ओर मत धकेलिए। हमें संविधान में संशोधन करने हेतु और विधेयक लाना पड़ेगा। क्या आप स्कीम में वास्तव में रुचि रखते हैं? यह वास्तविक प्रश्न है। यदि आप वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं और यदि आपको स्कीम पसन्द है तो कृपया खुले रूप में बताएं।

श्री अरुण शौरी: जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है कि मैं इस रास्ते में बाधा नहीं बनूँगा।

[हिन्दी]

तीसरी तरह के जो सुझाव आए हैं, वह गाइडलाइन्स को वाइडन करने के बारे में है। जैसे कि लाइब्रेरी बुक्स के बारे में कहा गया, गर्ल्स स्कूल्स के लिए अलाउ किया जो, वह कहा गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मुझे एक पत्र दिया गया है कि खत बैंकों के लिए हमें फ्रिज रखने की अनुमति देनी चाहिए ताकि खत जमा किया जा सके। यह सब महत्वपूर्ण सुझाव हैं और समय-समय पर दिशानिर्देश व्यापक बनाए गए हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: उस पर विचार करने की जरूरत है। डीटेल में कहने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: एमपीलैड्स समिति को प्रत्येक सिफारिश के बारे में निर्णय लेने दो। फिर मंत्री महोदय इस स्कीम के बारे में विचार कर सकते हैं।

श्री अरुण शौरी: वास्तव में दिशानिर्देश मंत्रालय द्वारा तैयार नहीं किये जाते, ये दोनों सभाओं से बनी समिति द्वारा तैयार किये जाते हैं। अत: हम उनसे अवश्य आग्रह करेंगे। इस विषय में हम बड़ी त्वरित कार्यवाही करते हैं।

मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुछ दिन पूर्व हैदराबाद में अपनी टिप्पणी की थी। हमारे दो नामनिर्दिष्ट सदस्यों ने कहा है कि उनके लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाए क्योंकि वे पूरे देश में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि वे इस निर्वाचन-क्षेत्र तक सीमित रहेंगे तो शेष सारा समुदाय कहेगा कि वे एक हिस्से का पक्षपात कर रहे हैं। वे समस्त समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे चाहते थे कि वे जिला अथवा निर्वाचन क्षेत्र के भेद के बिना धन का व्यय करना चाहेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि यह सरकार का पूर्वाधिकार है कि वह निर्णय ले। हमने तुरन्त उन्हें लिखा कि चूंकि उन्होंने यह निर्णय हमारे ऊपर छोड़ दिया है और चूंकि हमने तीन बार सिफारिश की है और हमने पहले ही पत्र जारी कर दिये हैं। यह सूचना उन्हें दे दी गई है।

[हिन्दी]

हमारी तरफ से देर नहीं है। जो तीन-चार सजेशन आए हैं गाइडलाइन्स को वाइडन करने के बारे में वे कमेटीज को पेश किये जाएंगे *...(व्यवधान)* मैं उन्हें सुझाव प्रस्तुत करूँगा।

आखिरी बात पैसा बढ़ाने के बारे में है। आपने कहा राशि तीन करोड़, चार करोड़ या सात करोड़ कर दें।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): विवेकाधीन निधियों के बारे में क्या होगा?

श्री अरुण शौरी: इस बारे में मैं सरकार का सुविचारित मत भी बता दूँ। यह मैं सरकार की ओर से कह रहा हूं अपनी ओर से नहीं।

इन सब मामलों के उच्च श्रेणी-बन्धनों से विचार-विमर्श करके मैं यह बता सकता हूँ कि सरकार राशि को बढ़ाने की कोई गारंटी नहीं रखती *...(व्यवधान)* मुझे यह बताने में कोई संकोच नहीं

क्योंकि मैं आपको सच्चा उत्तर दे रहा हूँ। यह एक कारण है। जिस समय यहां धनराशि बढ़ाई जायेगी उसी समय और स्थानों पर भी धनराशि बढ़ाने की प्रक्रिया चालू हो जायेगी। मुझे पक्का पता है कि सदस्यगण जानते हैं कि अब इन स्कीमों पर लगने वाले 1600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा इसी तरह की स्कीमों पर खर्च की जाने वाली धनराशि पहले ही 1200 करोड़ रुपये है। ...*(व्यवधान)* पहले मुझे अपना भाषण पूरा करने दे। फिर आप बोले इस मुद्दे पर मैं कहूँगा कि इससे प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

[हिन्दी]

जैसा अभी आपने कहा कि बिहार में एक एमएलए को इस प्रकार की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये मिलते हैं और एक लोक सभा क्षेत्र में छः विधायक होते हैं। आपके अनुसार इस कारण एक सांसद को छः करोड़ रुपये मिलने चाहिए। इससे फिर वही साईकल घूमेगा जैसा कि ये कमीशन में अभी यही हुआ है।

[अनुवाद]

राज्यों और केन्द्र दोनों के कुल आर्थिक बजट में पांचवें वित्त आयोग के आने के परिणामस्वरूप 40,000 से 45,000 करोड़ निकलने के उदाहरण हैं। इससे अधिकतर राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों को गहरा धक्का लगा है अतः सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह ऐसे उच्च खर्च के लिए राजी हो ...*(व्यवधान)* 'एमपीलैड स्कीम' के लिए आबंटन दिसम्बर 1999 में ही बढ़ाये गये हैं और इस अवधि के छः या आठ महीने के अन्दर ही राशि को फिर से बढ़ाने का कोई वारंट सरकार के पास नहीं है। ...*(व्यवधान)*

निधियों के ऊपर ब्याज के संबंध में कलैक्टरों को अनेक बार सूचित किया गया है कि ब्याज को संसद सदस्यों को दिए गए निदेशों के अनुसार प्रयोग में लाया जाना है। यह उन्हें अनेक बार सम्प्रेषित किया गया है और पावतियाँ प्राप्त की गई है। इस बारे में कोई समस्या नहीं है। निष्कर्ष में मैं मात्र तीन वाक्य कहूँगा।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः क्या आप सभा के सदस्यों की भावनाएँ प्रधानमंत्री तक पहुंचायेंगे?

श्री अरुण शौरीः प्रधान मंत्री सदस्यों की भावनाओं से अच्छी तरह अवगत हैं और मैं उनसे विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही बोल रहा हूँ। मैंने इस चर्चा को शुरू करने से पूर्व ही उनसे विचार-विमर्श किया।

श्री संतोष मोहन देवः धनराशि को चार किश्तें की बजाय दो किश्तों में जारी करने के बारे में क्या हुआ?

श्री अरुण शौरीः यह अच्छा प्रश्न है। इस विषय में मैं जो कुछ कर सकूँगा करूँगा। अनेक सदस्यों ने कहा है कि वास्तव में इसमें कोई बाधा नहीं क्योंकि धनराशि कभी भी पचास लाख से कम नहीं होने दी जाती। यह भ्रान्त धारणा है कि धन की कमी के कारण काम रुके पड़े हैं। मामला यह नहीं है। हमने बार-बार जिला आयुक्तों और कलक्टरों से कहा है कि वह काम को मंजूरी देते समय धन को उपलब्धता का इन्तजार न करें। काम धन की कमी के कारण रुके नहीं रहेंगे। परन्तु चूंकि यह सर्वव्यापी मांग है अतः हमें जारी की जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर एक करोड़ कर देना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इसे अधिकारियों के समक्ष रखूंगा ...*(व्यवधान)* मैं केवल तीन वाक्य कहकर अपना भाषण समाप्त करूँगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदीः सभापति महोदय, जब इस योजना के अंतर्गत धन को बढ़ाने का प्रश्न यहां प्रस्तुत हुआ, तो मंत्री महोदय का यह कहना था कि चूंकि इस योजना के तहत दिया गया धन सांसदों द्वारा यूटिलाइज नहीं किया गया इसलिए इसके एनहांसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज सदन में हुई चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि सांसदों की कमी के कारण इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, बल्कि जिलाधिकारियों के अडंगे लगाए जाने के कारण रुका है। अब जब यह बात स्पष्ट हो गई है और मूल कारण स्पष्ट हो गया है, तो इसे बढ़ाने में क्या आपत्ति है?

श्री अरुण शौरीः पहली बात यह है कि जहां तक हमारा संबंध है और जहां तक विभाग का संबंध है हम 50 की राशि को एक करोड़ तक बढ़ाने सहित काम को तेज करने के लिए अपनी शक्तियों में सम्भव हर काम करेंगे। हम हर किश्त संसद सदस्य को दिये जाने के सुझाव की रिपोर्ट देंगे। दूसरे, यदि इसमें कोई विलम्ब हों तो कृपया मुझसे सम्पर्क करें।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): हमने अनेक बार आपसे सम्पर्क स्थापित किया है। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कागजात भी है। एक महीना बीत चुका है लेकिन केन्द्र से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ। मैं आपको कागज दिखाता हूँ ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरीः जहां तक दिशानिर्देशों को व्यापक बनाने के सुझाव का संबंध है मैं सभा की समिति को प्रत्येक सुझाव से अवगत करवा दूँगा। वास्तव में श्री रमैया ने खुद ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है ...*(व्यवधान)* उन्होंने भी इसको सुना है मैं प्रत्येक सुझाव अध्यक्ष महोदय और राज्य सभा के उपसभापति तक पहुँचा दूँगा।

[श्री अरूण शौरी]

तीसरी बात यह है कि हम सभी को सहयोग करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से तथा सभा की समिति के माध्यम से हमें उन राज्य सरकारों को काम को तेज करने के लिए बाध्य करना चाहिए जो इन कामों की अनुमति नहीं प्रदान कर रही हैं।

अन्ततः जहां तक धनराशि को बढ़ाने का संबंध है जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इस विषय में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री पी.सी. थामस: अच्छा हो यदि आप यह मामला मंत्रिमंडल के समक्ष रखें ...*(व्यवधान)*

सायं 7.16 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

तीन मूर्ति गोलचक्कर पर प्रदर्शन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): माननीय सभापति महोदय, कल श्री राजबब्बर ने अपने विरुद्ध पानी की बौछार के उपयोग के बारे में बताया था। वे बहुत उत्तेजित थे तथा वे एक ज्ञापन भी देना चाहते थे जो प्रधान मंत्री को दिया जाना था। हम लोगों ने मामले की जांच की।

मैं सभा को सूचित करना चाहूँगा कि श्री राजबब्बर ने आगरा से पुलिस मुख्यालय के माध्यम से स्थानीय पुलिस को सूचित किया था कि वे 9 तारीख को सुबह 10 बजे माननीय प्रधान मंत्री के आवास के समक्ष धरना आयोजित करेंगे। यह सूचना उनके द्वारा 8 तारीख को दी गई थी। स्थानीय पुलिस ने उनको धारा 144 अर्थात भा.दं.सं. के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किये जाने के बारे में उन्हें जानकारी दी थी। यह जानकारी उन्हें स्थनीय पुलिस, एस.एच.ओ. तथा पुलिस उपायुक्त, दिल्ली द्वारा मौखिक रूप में दी गई थी। उन्होंने इसकी लिखित सूचना भी उन्हें दी थी। उन्होंने पुलिस को आश्वस्त किया था कि वे साउथ एवेन्यू, नं. 8 की तरफ से तीन मूर्ति चौक पर आयेंगे तथा जहाँ कहीं भी पुलिस कहेगी वे वहीं रुक जायेंगे।

कल लगभग 800 प्रदर्शनकारी, जिसमें 50 महिलाएँ भी थीं, साउथ एवेन्यू नं. 8 की तरफ से चले। वे लोग तीन मूर्ति चौक तक आए। उस समय पुलिस ने तीन अवरोधक लगा रखे थे। उसी समय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी भी दी तथा उन्हें बताया की उस क्षेत्र में पहले से ही निषेधाज्ञा लागू थी। तथापि, उन्होंने एक अवरोधक को तोड़ दिया तथा आगे बढ़ते गए। पुलिस बड़ी मुश्किल से दूसरे अवरोधक को 15 मिनट तक संभाल सकी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने दूसरे अवरोधक को भी तोड़ दिया। वे लोग भारी पथराव भी कर रहे थे। यह पथराव पुलिस पर हो रहा था। अतः पुलिस ने पानी की बौछारों का उपयोग किया तथा उसने प्रदर्शनकारियों को शांत किया। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): जब कभी ऐसे प्रदर्शनकारियों को वश में करना हो, उनके लिए महिला पुलिस तैनात करें। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यह मेरी आपत्ति है ...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैंने अभी अपना वक्तव्य समाप्त नहीं किया। फिर श्री राजबब्बर और श्री सर्वराज सिंह, दोनों को माननीय प्रधानमंत्री के घर ले जाया गया। उस समय प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं थे। कल वे इस बात पर अडिग थे कि वे अपना ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को ही प्रस्तुत करेंगे। तथापि कार्मिक एसपीजी ने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि माननीय प्रधानमंत्री सभा में हैं। दोनों संसद सदस्य यह कहकर चल दिये कि वह सभा में जाकर अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री के घर से वह अपनी अपनी कारों में चले, स्थानीय पुलिस चाणक्यपुरी ने श्री राजबब्बर तथा उसके समर्थकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 149, 186, 188, 332 तथा 353 के अधीन एफ आई आर सं. 138 दायर की। ...*(व्यवधान)*

श्री चरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): एक संसद सदस्य के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के अंतर्गत मामला क्यों दायर किया गया है क्या यह अपराध था?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: यह पता चल जायेगा। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। जांच चल रही है।

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): सभापति जी, आपसे अनुरोध है कि आई.सी. 814 के सिलसिले में जो बहस चल रही थी, उसे आप जारी रखेंगे या बाद में करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यह बहस कब होगी क्योंकि हमने विषय को छोड़ दिया है और बात आगे बढ़ रही थी। बहुत से लोग इस पर कुछ कहना चाहते हैं। यदि आप इसको बहुत जल्द प्रोग्राम में न लाये तो अब तक जो बहस हुई है, उसको हम भूल जायेंगे।

सभापति महोदय: बहस अधूरी है, उसे पूरा किया जायेगा।

श्री मणि शंकर अय्यर: क्या इसी सत्र में उसे पूरा किया जायेगा?

सभापति महोदय: जी हां।

श्री मणि शंकर अय्यर: ठीक है।

सायं 7.19 बजे

राज्य सभा से संदेश
तथा
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक–सभा पटल पर रखे गए

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 10 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 10 मई 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित मुख्य पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 10 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में यथापारित राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक और मुख्य पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक 2000 भी सभा पटल पर रखता हूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 7.20 बजे

तत्पश्चात लोक सभा, गुरुवार 11 मई, 2000/21, वैशाख 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/7/33/2000 (एन०)

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।